बहारे शरीअत

11 से 20

मुसन्निफ

सदरुश्शरीआ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा

मौलाना मुहम्मद अमीनुल कादरी बरेलवी

नाशिर

कादरी दारुल इशाअ़त
[illegible] मीनार मस्जिद
[illegible] नगर, पुराना शहर बरेली



किताब को पढ़ने से पहले
इस किताब को स्कैन करने वाले
और इस काम मे हिस्सा लेने वालो के हक़ में

दुआ फरमाएं

अल्लाह अज़्ज़वजल हमारे तमाम
सगीरा व क़बीरा गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाये
और ईमान पर इस्तेक़ामत अता फ़रमाये!

आमीन

बहारे शरीअ़त

चौदहवाँ हिस्सा

मुसन्निफ़
सदरुश्शरीआ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा
मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर
क़ादरी दारुल इशाअ़त
मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली–53
Mob:–9219132423

नाम किताब	बहारे शरीअत (दसवाँ हिस्सा)
मुसन्निफ़	सदरुश्शरीअ मौलाना अमजद अली आजमी रजवी अलैहिर्रहमा
हिन्दी तर्जमा	**मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी**
कम्प्यूटर कम्पोजिंग	रजा कम्प्यूटर सेण्टर दो मीनार मस्जिद एजाजनगर बरेली
कीमत जिल्द दोम	750रू0 मुकम्मल 1500रू0
तादाद	1000
इशाअत	2010 ई.

मिलने के पते :

1 मकतबा नईमिया ,मटिया महल, दिल्ली।
2 नाज़ बुक डिपो ,मोहम्मद अली रोड मुम्बई
3 अलकुरआन कम्पनी ,कमानी गेट,अजमेर।
4 चिश्तिया बुक डिपो दरगाह शरीफ अजमेर।
5 कादरी दारुल इशाअत, 523 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली। 9312106346
6 मकतबा रहमानिया रजविया दरगाह आला हजरत बरेली शरीफ़

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّی عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

मुज़ारबत का बयान

यह तिजारत में एक क़िस्म की शिरकत है कि एक जानिब से माल हो, और एक जानिब से काम। माल देने वाले को रब्बुल'माल और काम करने वाले को मुज़ारिब और मालिक ने जो दिया है यह रासुल'माल कहते हैं और अगर तमाम नफ़ा रब्बुल'माल ही के लिये देना क़रार पाया तो इसको अब्ज़ाअ़ कहते हैं और अगर कुल काम करने वाले के लिये तय पाया, तो क़र्ज़ है। इस अ़क़्द की लोगों को हाजत है क्योंकि इन्सान मुख़्तलिफ़ क़िस्म के हैं बाज़ मालदार हैं और बाज़ तहीदस्त, (ग़रीब) बाज़ माल वालों को काम करने का सलीक़ा नहीं होता। तिजारत के उसूल व फ़ुरूअ़ से नावाक़िफ़ होते हैं और बाज़ ग़रीब काम करना जानते हैं मगर उनके पास रूपया नहीं लिहाज़ा तिजारत क्योंकर करें इस अ़क़्द की मशरूईयत में यह मस्लेहत है कि अमीर व ग़रीब दोनों को फ़ायदा पहुँचे। माल वाले को रूपया देकर, और ग़रीब आदमी को उसके रूपये से काम करके।

मसअ्ला.1:– मुज़ारबत के चन्द शराइत़ हैं। (1)रासुल माल अज़ क़बीले स्मन (क़ीमत से) हो। उ़रूज़ की क़िस्म से हो, तो मुज़ारबत स़ही नहीं पैसों को रासुल'माल क़रार दिया, और वह चलते हों तो मुज़ारबत स़ही है। यूँही निकिल की इकन्नियाँ दो अन्नियाँ रासुल'माल होसकती हैं जब तक उनका चलन है अगर अपनी कोई चीज़ देदी कि इसे बेचो और स्मन पर क़ब्ज़ा करो और उससे बतौर मुज़ारबत काम करो। इसने उसको रूपया या अशर्फ़ी से बेचकर काम शुरू कर दिया। यह मुज़ारबत स़ही है। (2)रासुल'माल मा़लूम हो, अगरचे इस त़रह मा़लूम किया गया हो कि इसकी त़रफ़ इशारा कर दिया फिर अगर नफ़ा तक़सीम करते वक़्त रासुल'माल की मिक़दार में इख़्तिलाफ़ हो तो गवाहों से जो साबित करदे, उसकी बात मोअ़्तबर है और दोनों के गवाह हों तो रब्बुल'माल के गवाह मोअ़्तबर हैं। और किसी के पास गवाह न हों तो क़सम के साथ मुज़ारबत की बात मोअ़्तबर होगी। (3)रासुल'माल में हो, यानी मुअ़य्यन हो दैन न हो जो ग़ैर'मुअ़य्यन वाजिब फ़िज़्ज़िम्मा (किसी के ज़िम्मे लाज़िम) होता है। मुज़ारबत अगर दैन के साथ हुई, और वह दैन मुज़ारिब पर है। या़नी उससे कह दिया कि तुम्हारे ज़िम्मे जो मेरा रूपया है उससे काम करो यह मुज़ारबत स़ही नहीं है। जो ख़ुद ख़रीदेगा, उसका मालिक मुज़ारिब होगा और जो कुछ है दैन होगा उसके ज़िम्मे होगा और अगर दूसरे पर दैन हो, मस्लन कह दिया, कि फ़ुलां के ज़िम्मे इतना रूपया है उसको वसूल करो। और उससे बतौर मुज़ारबत तिजारत करो यह मुज़ारबत जाइज़ है अगरचे इस त़रह करना मकरूह है और अगर यह कहा था कि फ़ुलाँ पर मेरा दैन है वुसूल करके, फिर उससे काम करो उसने कुल क़ब्ज़ा करने से पहले काम करना शुरू कर दिया, ज़ामिन है। अगर तल्फ़ (बर्बाद) होगा, ज़मान देना होगा और अगर यह कहा था कि उससे रूपया वुसूल करो और काम करो और उसने कुल रूपया वसूल करने से पहले काम शुरू कर दिया ज़ामिन नहीं और अगर यह कहा था कि मुज़ारबत पर काम करने के लिये उससे रूपया वसूल करो तो कुल वसूल करने से पहले काम करने की इजाज़त नहीं। यानी ज़मान देना होगा। (बहर, दुर्रेमुख़्तार वग़ैरहुमा)

मसअ्ला.2:– यह कहा, कि मेरे लिये उधार गुलाम ख़रीदो फिर बेचो, और उसके स्मन से बतौर मुज़ारबत काम करो इसने ख़रीदा, फिर बेचा और काम किया यह सूरत जाइज़ है ग़ासिब या अमीन या जिसके पास उसने अबज़ाअ़ के तौर पर रूपया दिया था। उनसे कहा, जो कुछ मेरा माल तुम्हारे पास है उससे बतौर मुज़ारबत काम करो, नफ़ा आधा आधा, यह जाइज़ है। (बहर, दुरर) (4)रासुल'माल मुज़ारिब को देदिया जाये यानी उसका पूरे तौर पर क़ब्ज़ा होजाये, रब्बुल'माल का बिल्कुल क़ब्ज़ा न रहे। (5)नफ़ा दोनों माबैन शाइअ़ (हिस्सेदारी) हो यानी मस्लन निस्फ़ निस्फ़ या दो तिहाई, एक चौथाई,

या तीन चौथाई, एक चौथाई। नफ़ा में इस तरह हिस्सा मोअय्यन न किया जाये जिसमें शिरकत ख़त्म होजाने का एहतिमाल (शक) हो मसलन यह कहदिया कि मैं सौ रूपये नफ़ा लूँगा। इसमें हो सकता है कि नफ़ा सौ ही हो, या उससे भी कम। दूसरे की नफ़ा में, क्योंकर शिरकत होगी या कह दिया, कि निस्फ़ लूँगा और उसके साथ दस रूपये और लूँगा इसमें भी हो सकता है कि कुल नफ़ा दस ही रूपये हो तो दूसरा शख़्स क्या पायेगा। **(6)**हर एक का हिस्सा मालूम हो। लिहाज़ा ऐसी शर्त जिसकी वजह से नफ़ा में जिहालत पैदा हो मुज़ारबत को फ़ासिद कर देती है। मसलन यह शर्त, कि तुम को आधा या तिहाई नफ़ा दिया जायेगा यानी दोनों में से किसी एक को मोअय्यन नहीं किया बल्कि तरदीद के साथ बयान करता है और अगर इस शर्त से नफ़ा में जिहालत न हो, तो वह शर्त ही फ़ासिद है और मुज़ारबत सही है। मसलन यह, कि नुक़सान जो होगा। वह मुज़ारिब के ज़िम्मे होगा या दोनों के ज़िम्मे डाला जायेगा। **(7)**मुज़ारिब के लिये नफ़ा देना शर्त हो अगर रासुल'माल में से कुछ देना शर्त किया गया या रासुल'माल और नफ़ा दोनों में से देना शर्त किया गया। मुज़ारबत फ़ासिद होजायेगी। (बहर, दुरर)

मसअ्ला.3:– रब्बुल'माल ने यह कहा, कि जो कुछ ख़ुदा नफ़ा देगा वह हम दोनों का होगा या नफ़ा में हम दोनों शरीक होंगे और नफ़ा दोनों को बराबर मिलेगा और अगर मुज़ारिब को रूपये देते वक़्त यह कहा, कि हमारे माबैन इस तरह तक़सीम होगा जो फ़ुलाँ व फ़ुलाँ के माबैन ठहरा है तो मुज़ारबत जाइज़ है। और अगर दोनों या एक को मालूम न हो कि उनके माबैन क्या ठहरा है तो ना'जाइज़, और मुज़ारबत फ़ासिद। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– रूपया दिया, और मुज़ारिब से कह दिया कि तुम्हारा जो जी चाहे, नफ़ा में से मुझे दे देना यह मुज़ारबत फ़ासिद है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– एक हज़ार रूपये मुज़ारिब को इस तौर पर दिये कि नफ़ा की दो तिहाईयाँ मुज़ारिब की होंगी। बशर्ते कि एक हज़ार रूपये अपने भी इसमें शामिल करे और दो हज़ार से काम करे उसने ऐसा ही किया और हुआ, तो एक हज़ार का कुल नफ़ा मुज़ारिब को मिलेगा और एक हज़ार जो रब्बुल माल के हैं उनके नफ़ा में दो तिहाईयाँ मुज़ारिब की और एक तिहाई रब्बुल'माल की होगी और अगर रब्बुल'माल ने कह दिया, कि कुल नफ़ा की दो तिहाईयाँ मेरी, और एक तिहाई मुज़ारिब की तो नफ़ा को बराबर तक़सीम करें और इस सूरत में मुज़ारबत नहीं हुई बल्कि अब्ज़ाअ् है कि अपने माल का सारा नफ़ा ख़ुद लेना क़रार देदिया है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– रूपये दिये और कहदिया कि गेहूँ ख़रीदोगे तो आधा नफ़ा तुम्हारा और आटा ख़रीदोगे तो चौथाई नफ़ा तुम्हारा और जौ ख़रीदोगे तो एक तुम्हारी इस सूरत में जैसा कहा, उसी सूरत से नफ़ा तक़सीम किया जायेगा मगर गेहूँ ख़रीदचुका तो अब जौ या आटा नहीं ख़रीद सकता।(आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– मालिक ने यह कहा कि अगर इस शहर में काम करोगे तो तुम्हें एक तिहाई नफ़ा मिलेगा और बाहर काम करोगे तो निस्फ़, इसमें ख़रीदने का एतिबार है, बेचने का एतिबार नहीं। अगर इस शहर में ख़रीदा, तो एक तिहाई दी जायेगी। बेचना यहाँ हो, या बाहर। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– मुज़ारबत का यह हुक्म है कि जब मुज़ारिब को माल दिया गया उस वक़्त वह अमीन है और जब उसने काम शुरू किया, अब वह वकील है और जब कुछ नफ़ा हुआ तो अब शरीक है। और रब्बुल'माल के ख़िलाफ़ किया, तो ग़ासिब है और मुज़ारबत फ़ासिद होगई तो वह अजीर है। और इजारा भी फ़ासिद। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– मुज़ारबत में जो कुछ ख़सारा होता है। वह रब्बुल'माल का होता है। अगर यह चाहे, कि ख़सारा मुज़ारिब को हो माल वाले को न हो इसकी सूरत यह है कि कुल रूपया मुज़ारिब को बतौर क़र्ज़ देदे और एक रूपया बतौर शिरकत इनान दे उसकी तरफ़ से वह कुल रूपये, जो इसने क़र्ज़ में दिये और उसका एक रूपया और इस तरह की कि काम दोनों करेंगे। और नफ़ा में बराबर

के शरीक रहेंगे और काम करने के वक़्त तन्हा वही मुस्तक़रिज़ (कर्जमन्द) काम करता रहा, इसने कुछ नहीं किया इसमें हर्ज नहीं क्योंकि अगर रब्बुल'माल काम न करे तो शिरकत बातिल नहीं होती। अगर तिजारत में नुक़सान हुआ, तो ज़ाहिर है उसका एक ही रूपया है सारा माल तो मुस्तक़रिज़ का है उसका ख़सारा हुआ रब्बुल'माल का कैसे ख़सारा होगा क्योंकि जो कुछ मुस्तक़रिज़ को दिया है वह क़र्ज़ है उससे वसूल करेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– मुज़ारबत अगर फ़ासिद होजाती है तो इजारा की तरफ़ मुन्क़लिब (लौट) हो जाती है यानी अब मुज़ारिब को नफ़ा मुक़र्रर हुआ है वह नहीं मिलेगा बल्कि उजरते मिस्ल मिलेगी चाहे नफ़ा इस काम में हुआ हो, या न हुआ हो। मगर यह ज़रूर है कि यह उजरत इससे ज़्यादा न हो जो मुज़ारबत की सूरत में मिलता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– वसी ने यतीम का माल बतौर मुज़ारबते फ़ासिदा लिया मस्लन यह शर्त की कि दस रूपये नफ़ा के मैं लूँगा और उसने काम किया और नफ़ा भी हुआ मगर वसी को कुछ नहीं मिलेगा(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– मुज़ारबते फ़ासिदा में भी मुज़ारिब के पास जो माल रहता है वह बतौर अमानत है। अगर कुछ नुक़सान होजाये, तावान उसके ज़िम्मे नहीं जिस तरह मुज़ारबत सहीहा में तावान नहीं। दूसरे को माल दिया और कुल नफ़ा अपने लिये मशरूत कर लिया जिसको अब्ज़ाअ् कहते हैं। इसमें भी उसके पास जो माल है बतौर अमानत है हलाक होजाये तो ज़िमान नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.13:– रब्बुल माल ने मुज़ारिब को माल दिया, और शर्त यह की है कि मुज़ारिब के साथ मैं भी काम करूँगा इससे मुज़ारबत फ़ासिद होगई इसमें दो सूरतें हैं एक यह, कि रब्बुल माल ही ने अ़क़्दे मुज़ारबत किया और अपने ही काम करने की शर्त की है दूसरी यह कि क़ायदा दूसरा है। और रब्बुल माल दूसरा मस्लन नबालिग़ बच्चा या मअ्तूह (कम अक़्ल, पागल) का माल है। इसके वली ने किसी से अ़क़्दे मुज़ारबत किया और शर्त यह है कि यह बच्चा भी (जिसका माल है) तुम्हारे साथ काम करेगा दोनों सूरतों में मुज़ारबत फ़ासिद है या दोनों शख़्सों में शिरकत है एक शरीक ने अ़क़्दे मुज़ारबत किया, और माल देदिया और शर्त यह है कि मुज़ारिब के साथ मेरा शरीक भी काम करेगा मुज़ारबत फ़ासिद होजायेगी जबकि रासुल'माल दोनों की शिरकत का हो और अगर रासुल'माल मुश्तरक न हो और शिरकते इनान हो तो मुज़ारबत सही है और अगर शिरकते मुफ़ावज़ा हो तो मुतलक़न सही नहीं और अगर आक़िद (जो रब्बुल माल नहीं है) उसने अपने काम करने की शर्त की है। इसमें दो सूरतें हैं वह आक़िद खुद इस माल को बतौर मुज़ारबत लेसकता है या नहीं, अगर नहीं ले सकता तो मुज़ारबत फ़ासिद है मस्लन गुलाम माज़ून ने बतौर मुज़ारबत माल दिया और अपने अ़मल की शर्त करली यह फ़ासिद है। और अगर वह ख़ुद मुज़ारबत के तौर पर माल लेसकता है तो फ़ासिद नहीं जैसे बाप या वसी, कि उन्होंने बच्चे को मुज़ारबतन दिया, और ख़ुद अपने अ़मल की शर्त करली कि काम करेंगे और नफ़ा में से इतना लेंगे इससे मुज़ारबत फ़ासिद नहीं। गुलाम माज़ून ने अ़क़्द किया, और अपने मौला के काम करने की शर्त की इसकी भी दो सूरतें हैं। वह दैन है या नहीं अगर दैन नहीं है अ़क़्द फ़ासिद है वरना सही है जिस तरह मकातिब ने अ़क़्द किया, और मौला का काम करना शर्त किया, यह मुतलक़न सही है। (हिदाया, बहर, वग़ैरहा)

मसअ्ला.14:– मुज़ारिब ने रब्बुल'माल को मुज़ारबतन माल देदिया यह दूसरी मुज़ारबत सही नहीं। और पहली मुज़ारबत ब'दस्तूर सही है और नफ़ा उसी तौर पर तक़सीम होगा जो बाहम ठहरा है(आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– मुज़ारिब व रब्बुल'माल में मुज़ारबत की सेहत व फ़साद (सहीह और फ़ासिद होने) में इख़्तिलाफ़ इसकी दो सूरतें हैं अगर मुज़ारिब फ़साद का मुद्दई है तो रब्बुल'माल का क़ौल मोअ्तबर, और रब्बुल'माल ने फ़साद का दावा किया तो मुज़ारिब का क़ौल मोअ्तबर, इसका क़ायदा यह है कि उक़ूद में जो मुद्दई सेहत है उसका क़ौल मोअ्तबर होता है। हाँ अगर रब्बुल'माल यह कहता है कि तुम्हारे लिये दस कम तिहाई नफ़ा शर्त था। मुज़ारिब कहता है तिहाई नफ़ा मेरे लिये

था यहाँ रब्बुल'माल का क़ौल मोअ्तबर है हालांकि इसके तौर पर मुज़ारबत फ़ासिद है और मुज़ारिब के तौर पर सही है क्योंकि यहाँ मुज़ारिब ज़्यादत का मुद्दई है और रब्बुल माल मुन्किर। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– मुज़ारबत कभी मुतलक़ होती है जिसमें ज़मान व मकान और क़िस्म की तिजारत की तअ्युन नहीं होती रूपया देदिया है कि तिजारत करो नफ़ा दोनों का इस तरह शिरकत होगी। और कभी मुज़ारबत में तरह तरह की क़ैदें होती हैं। मुज़ारबत मुतलक़ा में मुज़ारिब को हर क़िस्म की बैअ् का इख़्तियार है। नक़द भी बेच सकता है उधार भी। मगर ऐसा ही उधार कर सकता है जो ताजिरों में राइज है उसी तरह हर क़िस्म की चीज़ ख़रीद सकता है ख़रीद व फ़रोख़्त में दूसरे को वकील कर सकता है दरिया और ख़ुश्की का सफ़र भी कर सकता है अगरचे रब्बुल'माल ने शहर के अन्दर इसको माल दिया हो। अब्ज़ाअ् भी कर सकता है यानी दूसरे को माले तिजारत के लिये देदिया। और नफ़ा अपने लिये शर्त करे, यह होसकता है बल्कि ख़ुद रब्बुल'माल को भी बज़ाअ्त के तौर पर माल दे सकता है और इससे मुज़ारबत फ़ासिद नहीं होगी। मुज़ारिब माल को किसी के पास अमानत रख सकता है और इससे मुज़ारबत फ़ासिद नहीं होगी दूसरे की चीज़ अपने पास रहन लेसकता है किसी चीज़ को इजारा पर देसकता है किराये पर लेसकता है मुश्तरी ने समन का किसी पर हवाले करदिया, मुज़ारिब इस हवाले को क़बूल करसकता है क्योंकि यह सारी बातें तिजारत की आदत में दाख़िल हैं। कभी यहाँ माल बेचते हैं कभी बाहर लेजाते हैं और इसके लिये गाड़ी, कश्ती, जानवर वग़ैरा को किराये पर लेते हैं वरना माल किस तरह लेजायेगा दुकान पर नौकर रखने की ज़रूरत होती है दुकान किराये पर लेनी होती है माल रखने के लिये मकान किराये पर लेना होता है और इसकी हिफ़ाज़त के लिये नौकर रखना होता है वग़ैरा वग़ैरा यह सब बातें बिल्कुल ज़ाहिर हैं।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– मुज़ारबत मुतलक़ा में भी माल लेकर सफ़र उस वक़्त कर सकता है जब ब'ज़ाहिर ख़तरा न हो और अगर रास्ता ख़तरनाक हो लोग उस रास्ते से डर की वजह से नहीं जाते, तो मुज़ारिब भी माल लेकर उस रास्ते से नहीं जा सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.18:– मुज़ारिब ने माल बैअ् करने के बाद समन के लिये कोई मीआद मुक़र्रर करदी यह जाइज़ है। और अगर मबीअ् में ऐब था। उसके समन से कुछ कम कर दिया, जितना तुज्जार (ताजिर लोग) इस सूरत में कम किया करते हैं यह भी जाइज़ है और अगर बहुत ज़्यादा कम कर दिया कि आदते तुज्जार के ख़िलाफ़ है तो यह कमी तुज्जार के ख़िलाफ़ है तो यह कमी तुज्जार के ज़िम्मे होगी। रब्बुल'माल से इसका कोई ताल्लुक़ न होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.19:– मुज़ारिब यह नहीं कर सकता कि दूसरे को बतौर मुज़ारबत यह माल देदे या उसके माल के साथ शिरकत करे या उस माल को अपने माल के साथ ख़लत करे (मिलादे)। मगर जब कि रब्बुल'माल ने इसको इन कामों की इजाज़त देदी हो या कहदिया हो कि तुम अपनी राय से काम करो। मुज़ारिब को क़र्ज़ देने का इख़्तियार नहीं और इस्तिदाना का भी इख़्तियार नहीं। अगरचे रब्बुल'माल ने कह दिया हो कि अपनी राय से काम करो क्योंकि यह दोनों चीजें तुज्जार की आदत में नहीं इस्तिदाना के यह माना हैं कि कोई बीज उधार ख़रीदी और माले मुज़ारबत में उस समन की जिन्स से कुछ बाक़ी नहीं है मसलन जो कुछ रूपया था सबकी चीज़ें ख़रीदी जा चुकी, अब कुछ बाक़ी नहीं है इसके बावजूद मुज़ारिब दस, बीस, सौ, पचास की कोई और चीज़ ख़रीदले। यह मुज़ारबत में शामिल न होगी मुज़ारिब की अपनी होगी अपने पास से दाम देने होंगे। अगर रब्बुल माल ने साफ़ सरीह लफ़्ज़ों में क़र्ज़ देने, और इस्तिदाना की इजाज़त देदी हो तो अब मुज़ारिब दोनों को कर सकता है। और इस्तिदाना के तौर पर जो कुछ ख़रीदेगा, वह रब्बुल माल व मुज़ारिब के माबैन बतौर शिरकते वजूह मुश्तरक होगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.20:– मुज़ारबत के तौर पर एक हज़ार रूपये दिये थे मुज़ारिब को एक हज़ार से ज़्यादा की चीज़ें ख़रीदने का इख़्तियार नहीं और अगर इसने ख़रीदलीं तो एक हज़ार की चीज़ें मुज़ारबत

की हैं। बाक़ी चीज़ें ख़ास मुज़ारिब की हैं। नुक़सान होगा, तो इन चीज़ों के मुक़ाबले में जो कुछ नुक़सान है वह तन्हा मुज़ारिब के ज़िम्मे है और उनका नफ़ा भी तन्हा मुज़ारिब ही को मिलेगा और इन चीज़ों को माले मुज़ारबत में ख़लत करने से मुज़ारिब पर ज़िमान लाज़िम न होगा। (ख़ानिया)

मसअला.21:– रब्बुल'माल ने रूपये दिये थे और मुज़ारिब ने अशर्फ़ी से चीज़ें ख़रीदीं या अशर्फ़ियाँ दी थीं और मुज़ारिब ने रूपये से चीज़ें ख़रीदीं, तो यह चीज़ें मुज़ारबत ही की क़रार पायेंगी कि रूपया और अशर्फ़ी इस बाब में, एक ही जिन्स हैं और अगर रब्बुल'माल ने रूपया या अशर्फ़ी न दी थी। और मुज़ारिब ने ग़ैर नुक़ूद से चीज़ें ख़रीदीं, तो यह चीज़ें मुज़ारबत की नहीं बल्कि ख़ास मुज़ारिब की होंगी। (आलमगीरी)

मसअला.22:– रब्बुल माल ने अशर्फ़ियाँ दी थीं मुज़ारिब ने रूपये से चीज़ें ख़रीदीं, मगर यह रूपये अशर्फ़ियों की क़ीमत से ज़्यादा हैं तो जितने ज़्यादा हैं उनकी चीज़ें ख़ास मुज़ारिब की मिल्क हैं। और मुज़ारिब इस सूरत में मुज़ारबत में शरीक होजायेगा और अगर वह रूपये अशरफ़ियों की क़ीमत के थे मगर ख़रीदने के बाद स्मन अदा करने से पहले अशर्फ़ियों का नर्ख़ उतरगया, तो यह नुक़सान माले मुज़ारबत में क़रार पायेगा अशर्फ़ियाँ भुनाकर स्मन अदा करे और जो कमी पड़े, माल बेचकर बाइअ् का बक़िया स्मन अदा करे। (आलमगीरी)

मसअला.23:– मुज़ारिब ने पूरे माले मुज़ारबत से कपड़ा ख़रीदा, और उसको अपने पास से धुलवाया या माले मुज़ारबत को लादकर, दूसरी जगह लेगया। और यह किराया अपने पास से ख़र्च किया। अगर मुज़ारिब से रब्बुल'माल ने कहा था कि तुम अपनी राय से काम करो यह मुज़ारिब मुतबर्रा है। यानी इन चीज़ों का इसे कोई मुआवज़ा नहीं मिलेगा। क्योंकि इस्तिदाना का इसे अख़्तियार न था और अगर कपड़े को सुर्ख़ रंगदिया, या धुलवाकर इसमें कलफ़ चढ़ाया, तो इस रंग या कलफ़ की वजह से जो कुछ इसकी क़ीमत में इज़ाफ़ा होगा इतने का यह शरीक है यानी मुज़ारिब ने अपने माल को माले मुज़ारबत में मिला दिया, मगर चूँकि रब्बुल'माल ने कह दिया था कि अपनी राय से काम करो, लिहाज़ा इसको मिला देने का इख़्तियार था। अब यह कपड़ा फ़रोख़्त हुआ इसमें रंग की क़ीमत का जो हिस्सा है वह तन्हा मुज़ारिब का है और ख़ाली सफ़ेद कपड़े का जो स्मन होगा वह मुज़ारबत के तौर पर होगा मस्लन वह थान उस वक़्त दस रूपये में फ़रोख़्त हुआ और रंगा हुआ न होता, तो आठ रूपये में बिकता, दो रूपये मुज़ारिब के हैं और आठ रूपये मुज़ारबत के तौर पर और अगर रब्बुल'माल ने यह नहीं कहा था कि तुम अपनी राय से काम करो, तो मुज़ारिब शरीक नहीं बल्कि ग़ासिब होगा। (दुर्रे मुख़्तार) और इस पिछली सूरत में मालिक को इख़्तियार है कि कपड़ा लेकर ज़्यादती का मुआवज़ा देदे या सफ़ेद कपड़े की क़ीमत मुज़ारिब से तावान ले। (आलमगीरी)

मसअला.24:– कुल रूपये का कपड़ा ख़रीदा या बार'बर्दारी या धुलाई वग़ैरा अपने पास से सर्फ़ की, तो मुतबर्रा (भलाई के काम) हैं कि न इसका मुआवज़ा मिलेगा, न इसकी वजह से तावान पड़ेगा।(आलमगीरी)

मसअला.25:– मुज़ारिब को यह इख़्तियार नहीं कि किसी से क़र्ज़ ले अगरचे रब्बुल'माल ने साफ़ लफ़्ज़ों में क़र्ज़ लेने की इजाज़त देदी हो क्योंकि क़र्ज़ लेने के लिये वकील करना भी दुरुस्त नहीं अगरशख़्स क़र्ज़ लेगा तो उसका ज़िम्मेदार यह ख़ुद होगा, रब्बुल माल से इसका ताल्लुक़ नहीं होगा(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.26:– मुज़ारिब ऐसा काम नहीं कर सकता, जिसमें ज़रर (नुक़सान) हो। न वह काम कर सकता है जो तुज्जार न करते हों न ऐसी मीआद पर बैअ् कर सकता है जिस मीआद पर तुज्जार नहीं बेचते हों और दो शख़्सों को मुज़ारिब किया है तो तन्हा एक बैअ् व शिरा नहीं कर सकता, जब तक अपने साथी से इजाज़त न लेले। (बहर)

मसअला.27:– अगर बैअ् फ़ासिद के साथ कोई चीज़ ख़रीदी, जिसमें क़ब्ज़ा करने से मिल्क हो जाती है यह मुख़ालफ़त नहीं है वह चीज़ मुज़ारबत ही कहलायेगी और ग़बने फ़ाहिश के साथ ख़रीदी, तो मुख़ालफ़त है और यह चीज़ सिर्फ़ मुज़ारिब की मिल्क होगी अगरचे मालिक ने कह दिया

हो। कि अपनी राय से काम करो और ग़बने फ़ाहिश के साथ ख़रीदी, तो मुख़ालफ़त नहीं है। (बहर)

मसअ्ला.28:– रब्बुल'माल ने शहर या वक़्त या क़िस्मे तिजारत की तायीन करदी हो यानी कह दिया हो कि इस शहर में या इस ज़माने में ख़रीद व फ़रोख़्त करना, या फ़ुलाँ क़िस्म की तिजारत करना तो मुज़ारिब पर इसकी पाबन्दी लाज़िम है इसके ख़िलाफ़ नहीं कर सकता यूँही अगर बाइअ् या मुश्तरी की तक़ईद (क़ैद लगादी हो) करदी हो कहदिया हो कि फ़ुलाँ दुकान से ख़रीदना, या फ़ुलाँ फ़ुलाँ के हाथ बेचना इसके ख़िलाफ़ भी नहीं कर सकता अगरचे पाबन्दियाँ इसने अक़्दे मुज़ारबत करते वक़्त, या रूपये देते वक़्त न की हों बाद में यह क़ैदें बढ़ा दी हों अगर मुज़ारिब ने सौदा ख़रीद लिया, अब किसी क़िस्म की पाबन्दी उसके ज़िम्मे करे, मस्लन यह कि उधार न बेचना, या दूसरी जगह न ले जाना वग़ैरा वग़ैरा इन क़ैदों की पाबन्दी पर मजबूर नहीं मगर जबकि सौदा फ़रोख़्त हो जाये, और रासुल'माल नक़द की सूरत में होजाये तो रब्बुल माल उस वक़्त क़ैदें लगा सकता है और मुज़ारिब पर इनकी पाबन्दी लाज़िम होगी। (दुर्रेमुख़्तार, रूद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.29:– मुज़ारिब ने कह दिया कि फ़ुलाँ शहर वालों से बैअ् करना। उसने उसी शहर में बैअ् की मगर जिससे बैअ् की वह इस शहर का बाशिन्दा नहीं है यह जाइज़ है कि इस शहर से मक़सूद इस शहर में बैअ् करना है यूंही अगर कहदिया सर्राफ़ से ख़रीद व फ़रोख़्त करना उसने सर्राफ़ के ग़ैर से अक़्दे सर्फ़ किया यह भी मुख़ालफ़त नहीं है बल्कि जाइज़ है कि इससे मक़सूद अक़्दे सर्फ़ है (आलमगीरी)

मसअ्ला.30:– रब्बुल माल ने कपड़ा ख़रीदने के लिये कह दिया है तो ऊनी, सूती, रेशमी, टसरी जो चाहे ख़रीद सकता है टाट, दरी, क़ालीन, पर्दे वग़ैरा जो पहनने के कपड़ों की क़िस्म से नहीं हैं नहीं ख़रीद सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.31:– रब्बुल'माल ने बे'फ़ायदा क़ैदें ज़िक्र कीं, मस्लन नक़द बेचना, इसकी पाबन्दी मुज़ारिब पर लाज़िम नहीं और ऐसी क़ैद फ़िल्जुमला फ़ायदा हो मस्लन इस शहर के फ़ुलाँ बाज़ार में तिजारत करना, फ़ुलाँ में न करना, इसकी पाबन्दी करनी होगी। (दुर्रेमुख़्तार) उधार की क़ैद बेकार उस वक़्त है जब मुज़ारिब ने वाजिबी क़ीमत पर उस स्मन पर बैअ् की जो रब्बुल'माल ने बताया था और अगर कम दामों में बैअ् करदी तो मुख़ालफ़त क़रार पायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.32:– रब्बुल माल ने मुअय्यन कर रखा था कि फ़ुलाँ शहर में या इस शहर से माल ख़रीदना, मुज़ारिब ने इसके ख़िलाफ़ किया दूसरे शहर को माल ख़रीदने के लिये चला गया ज़ामिन होगया, यानी अगर माल ज़ाइअ् होगया तावान देना होगा और जो कुछ ख़रीदेगा, वह मुज़ारिब का होगा। माले मुज़ारबत नहीं होगा और अगर वहाँ से कुछ ख़रीदा नहीं, बिग़ैर ख़रीदे वापस आगया तो मुज़ारबत औद (यानी मुज़ारबत क़ाइम रहेगी) कर आई। यानी अब ज़ामिन न रहा और अगर कुछ ख़रीदा, और कुछ रूपया वापस लाया तो जो कुछ ख़रीद लिया है उसमें ज़ामिन है और जो रूपया वापस लाया है यह मुज़ारबत पर होगया। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.33:– माले मुज़ारबत से जो लौंडी या ग़ुलाम ख़रीदेगा, उसका निकाह नहीं कर सकता। कि यह बात तुज्जार की आदत से नहीं ऐसे ग़ुलाम को नहीं ख़रीद सकता जो ख़रीदने से रब्बुल माल की जानिब से आज़ाद होजाये रब्बुल'माल का ज़ी रहम मोहरिम है अगर उसकी मिल्क में आजायेगा, आज़ाद होजायेगा या रब्बुल माल ने किसी ग़ुलाम की निस्बत कहा है कि अगर मैं इसका मालिक हो जाऊँ तो आज़ाद है कि इन सब की ख़रीदारी मक़सदे तिजारत के ख़िलाफ़ है। अगर ख़रीदेगा तो मुज़ारिब उसका मालिक होगा और इसको अपने पास से स्मन देना होगा रासुल'माल से स्मन नहीं दे सकता ब'ख़िलाफ़ वकील बिशशरअ् के, कि अगर क़रीना न हो तो ऐसे ग़ुलामों को ख़रीद सकता है और वह मुवक्किल के मिल्क होंगे और आज़ाद होजायेंगे। क़रीने की सूरत यह है कि मुवक्किल ने कहा है एक ग़ुलाम मेरे लिए ख़रीदो, मैं उसे बेचूँगा, या उससे ख़िदमत लूँगा। या कनीज़ ख़रीदो, जिसको फ़र्राश बनाऊँगा। इन सूरतों में वकील भी ऐसे ग़ुलाम व कनीज़ को नहीं

ख़रीद सकता जो मुवक्किल पर आज़ाद हो जाये। (बहर, दुर्रेमुख़्तार, हिदाया)

मसअ्ला.34:– अगर माल में नफ़ा हो, तो मुज़ारिब ऐसे गुलाम को नहीं ख़रीद सकता जो खुद उसकी जानिब से आज़ाद हो जायेगा क्योंकि इस वक़्त ब'क़द्र अपने हिस्से के खुद मुज़ारिब भी इसका मालिक हो जायेगा और वह आज़ाद हो जायेगा यहाँ नफ़ा का सिर्फ़ इतना मतलब है कि इस गुलाम का वाजिबी क़ीमत रासुल माल ज़्यादा हो मस्लन एक हज़ार में ख़रीदा है और यही रासुल माल था मगर यह गुलाम ऐसा है कि बाज़ार में इसके बारह सौ मिलेंगे मालूम हुआ, कि दो सौ का नफ़ा है जिसमें एक सौ मुज़ारिब के हैं लिहाज़ा बारह सौ में से एक हिस्सा मुज़ारिब मालिक का है और यह आज़ाद है। पस इस सूरत में यह गुलाम मुज़ारबत का नहीं, बल्कि तन्हा मुज़ारिब का क़रार पायेगा और पूरा आज़ाद होजायेगा। और अगर नफ़ा न हो तो यह गुलाम मुज़ारबत का होगा और आज़ाद नहीं होगा। (बहर, दुर्रे मुख़्तार, हिदाया)

मसअ्ला.35:– माल में नफ़ा नहीं था और मुज़ारिब ने ऐसा गुलाम ख़रीदा कि अगर मुज़ारिब इसका मालिक होजाये तो वह आज़ाद होजाये। इसकी ख़रीदारी अज़ जानिब मुज़ारबत ही होगी मगर ख़रीदने के बाद बाज़ार का नर्ख़ तेज़ होगया अब इसमें नफ़ा ज़ाहिर होगया यानी जब ख़रीदा था उस वक़्त हज़ार ही का था और हज़ार में ख़रीदा मगर अब इसकी क़ीमत बारह सौ होगई तो मुज़ारिब का हिस्सा आज़ाद होगया मगर मुज़ारिब को तावान नहीं देना होगा इसलिए कि इसने क़स्दन मालिक को नुक़सान नहीं पहुँचाया है बल्कि गुलाम से सई कराकर रब्बुल'माल का हिस्सा पूरा कराया जायेगा और शरीक ने ऐसा गुलाम ख़रीदा होता जो नबालिग़ की तरफ़ से आज़ाद होता तो यह गुलाम इसी ख़रीदने वाले का क़रार पाता शरीक या नबालिग़ से इसको ताल्लुक़ न होता(हिदाया)

मसअ्ला.36:– मुज़ारिब ने ऐसे शख़्स से बैअ् व शिराअ् (ख़रीद व फ़रोख़्त) की जिसके हक़ में उसकी गवाही मक़बूल नहीं, मस्लन अपने बाप या बेटे या ज़ौजा से, अगर यह बैअ् वाजिबी क़ीमत पर हुई। तो जाइज़ है वरना नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.37:– मुज़ारिब ने माले मुज़ारबत से कोई चीज़ ख़रीदी, उसके बाद गवाहों के सामने उसी चीज़ को अपने लिये ख़रीदता है यह ना'जाइज़ है अगरचे रब्बुल'माल ने कह दिया हो कि तुम अपनी राय से काम करना। (आलमगीरी)

मसअ्ला.38:– मुज़ारिब ने बिला इजाज़त रब्बुलमाल दूसरे शख़्स को बतौर मुज़ारबत माल देदिया, महज़ देने से मुज़ारिब ज़ामिन नहीं होगा जब तक दूसरा शख़्स काम करना शुरूअ् न करदे और दूसरे ने काम करना शुरूअ् कर दिया, तो मुज़ारिब अव्वल ज़ामिन होगया हाँ अगर दूसरी मुज़ारबत (जो मुज़ारिब ने की है) फ़ासिद हो तो ब'वजूद मुज़ारिब सानी के अमल करने के भी मुज़ारिब अव्वल ज़ामिन नहीं है अगरचे इस दूसरे ने जो कुछ काम किया है। उसमें नफ़ा हो बल्कि इस सूरत में मुज़ारबते फ़ासिदा में मुज़ारिबे सानी को उजरते मिस्ल मिलेगी जो मुज़ारिब देगा, और रब्बुलमाल ने जो नफ़ा मुज़ारिब अव्वल से ठहराया है वह लेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.39:– सूरते मज़कूरा में मुज़ारिब सानी के पास से अमल करने के पहले माल ज़ाइअ् (बर्बाद) होगया, तो ज़मान किसी पर नहीं न मुज़ारिबे अव्वल पर, न मुज़ारिबे सानी पर और अगर मुज़ारिब सानी से किसी ने माल ग़सब करलिया, जब भी इन दोनों पर ज़मान नहीं बल्कि ग़ासिब से तावान लिया जायेगा और अगर मुज़ारिबे सानी ने खुद हलाक करदिया या किसी को हिबा करदिया। ख़ास इस सानी से ज़मान लिया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.40:– अगर मुज़ारिबे सानी ने काम करना शुरू कर दिया, तो रब्बुल'माल को इख़्तियार है। जिससे चाहे रासुल'माल का ज़मान ले। अव्वल या सानी से। अगर अव्वल से ज़मान लिया, तो इन दोनों के माबैन जो मुज़ारबत हुई वह सही होजायेगी और नफ़ा दोनों के लिये हलाल होगा और अगर दूसरे से ज़मान लिया, तो अव्वल से वापस लेगा और मुज़ारबत दोनों के माबैन सही

होजायेगी। मगर नफ़ा पहले के लिये हलाल नहीं है दूसरे के लिये हलाल है और अगर मुज़ारिब सानी ने किसी तीसरे को मुज़ारबत के तौर पर माल देदिया और मुज़ारिब अव्वल ने सानी से कह दिया था कि तुम अपनी राय से काम करो तो रब्बुल माल को इख़्तियार है। इन तीनों से जिससे चाहे ज़मान ले। अगर इसने तीसरे से लिया, तो यह दूसरे से लेगा और दूसरा पहले से, और पहला किसी से नहीं। (बहर, दुर्रेमुख़्तार, हिदाया)

मसअ्ला.41:– सूरते मज़कूरा में बिग़ैर इजाज़त मुज़ारिब ने दूसरे को माल देदिया है मालिक तावान नहीं लेना चाहता, बल्कि नफ़ा लेना चाहता है इसका उसे इख़्तियार नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.42:– बिग़ैर इजाज़ते मालिक मुज़ारिब ने बतौर मुज़ारबत किसी को माल देदिया और पहली मुज़ारबत फ़ासिद थी दूसरी सही है तो किसी पर ज़मान नहीं और पूरा नफ़ा रब्बुल माल को मिलेगा और मुज़ारिब अव्वल को उजरत् मिस्ल दीजायेगी और मुज़ारिबे दोम मुज़ारिब अव्वल से वह लेगा जो दोनों में तय पाया है और अगर पहली सही है दूसरी फ़ासिद, तो मुज़ारिब अव्वल वह लेगा जो तय पाया है और मुज़ारिबे दोम को उजरते मिस्ल मिलेगी जो मुज़ारिबे अव्वल से लेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.43:– मुज़ारिब दोम ने माल हलाक कर दिया, या हिबा कर दिया, तो तावान सिर्फ़ उसी से लिया जायेगा अव्वल से नहीं लिया जायेगा और अगर मुज़ारिबे दोम से किसी ने माल ग़स्ब कर लिया, तो तावान ग़ासिब से लिया जायेगा न अव्वल से लिया जायेगा न दोम से। (आलमगीरी)

मसअ्ला.44:– मुज़ारिबे अव्वल को मुज़ारबत के तौर पर माल देने की इजाज़त थी और उसने देदिया, और उन दोनों के माबैन यह तय पाया है कि मुज़ारिबे सानी को नफ़ा की तिहाई मिलेगी और उसकी तिजारत में नफ़ा भी हो अगर मुज़ारिबे अव्वल और मालिक के दरम्यान निस्फ़ निस्फ़ नफ़ा की शर्त थी या मालिक ने यह कहा था कि ख़ुदा जो कुछ नफ़ा देगा वह मेरे तुम्हारे दरम्यान निस्फ़ निस्फ़ है, या इतना ही कहा था कि नफ़ा मेरे तुम्हारे माबैन होगा तो नफ़ा से आधा मालिक लेगा और एक तिहाई मुज़ारिबे सानी लेगा और छटा हिस्सा मुज़ारिबे अव्वल का है और अगर मालिक ने यह कहा था 'ख़ुदा जो कुछ नफ़ा देगा' या यह कहा था कि तुम्हें जो कुछ नफ़ा हो वह मेरे तुम्हारे माबैन निस्फ़ निस्फ़ या इसी क़िस्म के दीगर अल्फ़ाज़ इस सूरत में एक तिहाई मुज़ारिबे सानी की और बक़िया में मालिक और मुज़ारिबे अव्वल दोनों बराबर के शरीक यानी हर एक को एक एक तिहाई मिलेगी। यूँही अगर मुज़ारिबे सानी के लिये तिहाई से ज़्यादा या कम की शर्त थी तो जो इसके लिये ठहरा था यह लेले और बाक़ी इन दोनों में निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम हो यूँही अगर मालिक ने कहदिया था कि जो कुछ तुम्हें नफ़ा हो वह हम दोनों के माबैन निस्फ़ निस्फ़ और उसने दूसरे को निस्फ़ नफ़ा पर देदिया तो जो कुछ नफ़ा होगा मुज़ारिबे सानी इसमें से निस्फ़ लेलेगा और जो बाक़ी रहे इन दोनों के माबैन निस्फ़ निस्फ़ और अगर मालिक ने यह कहदिया था कि ख़ुदा इसमें जो नफ़ा देगा, या ख़ुदा का जो कुछ फ़ज़्ल होगा वह दोनों के माबैन निस्फ़ निस्फ़ और मुज़ारिबे अव्वल ने दूसरे को निस्फ़ नफ़ा पर देदिया तो जो कुछ नफ़ा होगा उसमें से आधा मुज़ारिबे सानी लेगा और आधा मालिक लेगा और मुज़ारिबे अव्वल के लिये कुछ नहीं बचा और अगर इस सूरत में मुज़ारिबे अव्वल ने दूसरे से दो तिहाई नफ़ा के लिये कहदिया था तो आधा नफ़ा मालिक लेगा और दो तिहाई मुज़ारिब सानी की होगी यानी जो कुछ नफ़ा हुआ है उसका छटा हिस्सा मुज़ारिबे अव्वल दूसरे को अपने घर से देगा ताकि दो तिहाईयाँ पूरी हों। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.45:– मुज़ारिबे अव्वल ने मुज़ारिबे दोम को यह कहकर दिया कि तुम अपनी राय से काम करो और मुज़ारिबे अव्वल को मालिक ने भी यही कहकर दिया था तो मुज़ारिबे दोम तीसरे शख़्स को मुज़ारबत पर देसकता है और मुज़ारिबे अव्वल ने यह कहकर नहीं दिया था कि अपनी राय से काम करो तो मुज़ारिबे दोम, सोम को नहीं दे सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.46:– मुज़ारिब ने यह शर्त की थी कि एक तिहाई मालिक की, और एक तिहाई मालिक के

गुलाम की, वह भी मेरे साथ काम करेगा और एक तिहाई मेरी, यह भी सही है और नफ़ा इसी तरह तक़सीम होगा इसका माहसल यह हुआ कि दो तिहाईयाँ मालिक की और अगर मुज़ारिब ने अपने गुलाम के लिये एक तिहाई रखी है और एक तिहाई मालिक की, और एक अपनी, और गुलाम के अमल की शर्त नहीं की है तो यह ना'जाइज़ है और उसका हिस्सा रब्बुल'माल को मिलेगा। यह जब कि गुलाम पर दैन हो, वरना सही है उसके अमल की शर्त हो या न हो और उसके हिस्से का नफ़ा मुज़ारिब के लिये होगा। (दुर्रेमुख़्तार, बह्र)

मसअ्ला.47:– गुलाम माजून ने अजनबी के साथ अक़्दे मुज़ारबत किया और अपने मौला के काम करने की शर्त करदी अगर माजून पर दैन नहीं है यह मुज़ारबत सही नहीं है वरना सही है इसी तरह यह शर्त कि मुज़ारिब अपने मुज़ारिब के साथ, यानी मुज़ारिबे अव्वल मुज़ारिबे सानी के साथ काम करेगा या मुज़ारिबे सानी के साथ मालिक काम करेगा जाइज़ नहीं है इससे मुज़ारबत फ़ासिद होजाती है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.48:– यह शर्त की कि इतना नफ़ा मिस्कीनों को दिया जायेगा या हज में दिया जायेगा। यानी हाजियों के मसारिफ़(खर्चा)में दिया जायेगा या गर्दन छुड़ाने में यानी मुकातिब की आज़ादी में इससे मदद दीजायेगी या मुज़ारिब की औरत को या उसके मुकातिब को दिया जायेगा यह शर्त सही नहीं है मगर मुज़ारबत सही है और यह हिस्सा जो शर्त किया गया है रब्बुल'माल को मिलेगा(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.49:– यह शर्त की कि नफ़ा इतना हिस्सा मुज़ारिब जिसको चाहे देदे अगर उसने अपने लिये या मालिक के लिये चाहा तो यह शर्त सही है। और किसी अजनबी के लिये चाहा तो सही नहीं। अजनबी के लिये नफ़ा का हिस्सा देना शर्त किया अगर उसका अमल भी मशरूत है यानी वह भी काम करेगा और इतना उसे दिया जायेगा तो शर्त सही है और उसका काम करना शर्त न हो तो सही नहीं और उसके लिये जो देना क़रार पाया है मालिक को दिया जायेगा यह शर्त है कि नफ़ा का इतना हिस्सा दैन अदा करने में सर्फ़ किया जायेगा यानी मालिक का दैन उससे अदा किया जायेगा या मुज़ारिब का दैन अदा किया जायेगा यह शर्त सही है और यह हिस्सा उसका है जिसका दैन अदा करना शर्त है और उसको इस बात पर मजबूर नहीं कर सकते कि क़र्ज़ ख़्वाहों को देदे। (दुर्रेमुख़्तार, बह्र)

मसअ्ला.50:– दोनों में से एक के मर जाने से मुज़ारबत बातिल होजाती है, दोनों में से एक मजनून होजाये और जुनून भी मुतबक़ हो (ऐसा जुनून जो एक माह मुसलसल रहे) तो मुज़ारबत बातिल होजायेगी मगर माले मुज़ारबत, अगर तिजारत की शक्ल में है और मुज़ारिब मरगया तो उसका वसी इन सब को बेच डाले और अगर मालिक मरगया, और माले तिजारत नक़्द की सूरत में है तो मुज़ारिब इसमें तसर्रुफ़ नहीं कर सकता और अगर सामान की शक्ल में है तो उसको सफ़र में नहीं लेजा सकता। बैअ् कर सकता है। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.51:– मुज़ारिब मरगया और माले मुज़ारबत का पता नहीं चलता कि कहाँ है यह मुज़ारिब के ज़िम्मे दैन है जो उसके तर्के से वुसूल किया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.52:– मुज़ारिब मरगया, उसके ज़िम्मे दैन है मगर माले मुज़ारबत मशहूर व मारूफ़ है लोग जानते हैं कि यह चीज़ें मुज़ारबत की हैं दैन वाले उससे दैन वसूल नहीं कर सकते बल्कि रासुल'माल और नफ़ा का हिस्सा रब्बुल'माल लेगा। नफ़ा में जो मुज़ारिब का हिस्सा है वह दैन वाले अपने दैन में ले सकते हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.53:– रब्बुल'माल मआज़ल्लाह मुर्तद होकर दारूलहर्ब को चला गया तो मुज़ारबत बातिल हो गई और मुज़ारिब मुर्तद होगया तो मुज़ारबत ब'दस्तूर बाक़ी है फिर अगर मरजाये या क़त्ल किया जाये या दारूल–हर्ब को चला जाये और क़ाज़ी ने यह एलान भी कर दिया कि वह चलागया तो इस सूरत में मुज़ारबत बातिल होगई। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.54:– मुज़ारिब को रब्बुल'माल माज़ूल कर सकता है ब'शर्ते कि उसको माज़ूली का इल्म होजाये। यह ख़बर उसे दो मर्दों के ज़रिये से उसे मिली या एक आदिल ने उसे ख़बर दी या

मालिक के क़ासिद ने ख़बर दी अगरचे यह क़ासिद बालिग़ भी न हो, समझ वाला होना काफ़ी है और अगर मालिक ने माज़ूल कर दिया मगर मुज़ारिब को ख़बर न हुई तो माज़ूल नहीं जो कुछ तसर्रूफ़ करेगा, सही होगा। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला.55:– मुज़ारिब माज़ूल हुआ और माल नक़्द की सूरत में है यानी रूपया अशर्फ़ी है तो उसमें तसर्रूफ़ करने की इजाज़त नहीं हाँ अगर रासुल'माल रूपया था और इस वक़्त अशर्फ़ी है तो उनको भुनाकर रूपया करले इसी तरह रासुल'माल अशरफ़ी था और इस वक़्त रूपया है तो उनकी अशर्फ़ियाँ करले ताकि नफ़ा का रासुल'माल से अच्छी तरह इम्तियाज़ न होसके। (हिदाया) यही हुक्म रब्बुल'माल के मरने की सूरत में है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.56:– मुज़ारिब माज़ूल हुआ या मालिक मरगया, और माल सामान (यानी ग़ैर नक़्द) की शक्ल में है तो मुज़ारिब इन चीज़ों को बेचकर नक़्द जमा करे उधार बेचने की भी इजाज़त है और जो रूपया आता जाये उनसे फिर चीज़ ख़रीदनी जाइज़ नहीं। मालिक को यह इख़्तियार नहीं कि मुज़ारिब को इस सूरत में सामान बेचने से रोकदे बल्कि यह भी नहीं कर सकता कि किसी क़िस्म की क़ैद उसके ज़िम्मे लगाये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.57:– पैसे रासुल'माल थे मगर इस वक़्त मुज़ारिब के पास रूपये हैं और मालिक ने मुज़ारिब को ख़रीद व फ़रोख़्त से मना कर दिया, तो मुज़ारिब सामान नहीं ख़रीद सकता मगर रूपये भुनाकर पैसे कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.58:– रब्बुल'माल व मुज़ारिब दोनों जुदा होते हैं मुज़ारबत को ख़त्म करते हैं और माल बहुत लोगों के ज़िम्मे बाक़ी है और नफ़ा भी है दैन वुसूल करने पर मुज़ारिब मजबूर किया जायेगा और अगर नफ़ा कुछ नहीं है सिर्फ़ रासुल माल ही भर है या शायद यह भी न हो इस सूरत में मुज़ारिब को दैन वुसूल करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि नफ़ा न होने की सूरत में यह मुतबर्रा है। और मुतबर्रा को काम करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता हाँ उससे कहा जायेगा कि रब्बुल'माल को दैन वुसूल करने के लिये वकील करदे क्योंकि बैअ् की हुई मुज़ारिब की है और इसके हुक़ूक़ उसी के लिए हैं। वकील बिल्बैअ् (बेचने का वकील) और मुस्तब्ज़ाअ् (जिसको काम करने के लिये इस तरह माल दिया गया हो कि तमाम नफ़ा माल वाले को मिलेगा) का भी यही हुक्म है कि इनको वुसूल करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता मगर इस पर मजबूर किये जायेंगे कि मुवक्किल व मालिक को वकील करदें। ब'ख़िलाफ़ दलाल और आढ़ती के कि यह समन वुसूल करने पर मजबूर हैं। (हिदाया, आलमगीरी)

मसअ्ला.59:– मुज़ारबत का माल लोगों के ज़िम्मे बाक़ी है मालिक ने मुज़ारिब को वुसूल करने से मना कर दिया, इसको अन्देशा है कि मुज़ारिब वुसूल करके खा न जाये। मालिक कहता है कि मैं ख़ुद वुसूल करूँगा तो अगर माल में नफ़ा है तो मुज़ारिब ही को वुसूल करने का हक़ है और नफ़ा नहीं है तो मुज़ारिब को रोक सकता है फिर नफ़ा की सूरत में जिन लोगों पर दैन है उसी शहर में हैं तो वुसूली के ज़माने का नफ़्क़ा मुज़ारिब को नहीं मिलेगा और दूसरे शहर में हैं तो मुज़ारिब के सफ़र के इख़्राजात माले मुज़ारबत से दिये जायेंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.60:– माले मुज़ारबत जो कुछ ख़रीदा है उसके ऐब पर मुज़ारिब को इत्तिला हुई तो मुज़ारिब ही को दावा करना होगा। रब्बुल'माल से उसका ताल्लुक़ नहीं और अगर बाइअ् यह कहता है कि ऐब पर यह राज़ी होगया था या मैंने ऐब से बराअ्त करली थी या ऐब पर मुत्तला होने के बाद यह ख़ुद बैअ् कर रहा था तो मुज़ारिब पर हलफ़ दिया जायेगा फिर अगर मुज़ारिब इन उमूर का इक़रार करने या हलफ़ से नुकूल करे तो बाइअ् पर वापस नहीं किया जायेगा और यह मुज़ारबत का माल क़रार पायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.61:– मुज़ारिब ने माल बेचा मुश्तरी कहता है इसमें ऐब है और यह ऐब इस मुद्दत में मुश्तरी के यहाँ पैदा हो सकता है मुज़ारिब ने इक़रार कर लिया कि यह ऐब मेरे यहाँ था इसके इक़रार की वजह

से क़ाज़ी ने वापस करदिया, या इसने बिग़ैर क़ज़ा–ए–क़ाज़ी ख़ुद वापस लेलिया या मुश्तरी ने इक़ाला चाहा इसने इक़ाला कर लिया यह सब जाइज़ है यानी अब भी मुज़ारबत का माल है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.62:– जिस चीज़ को मुज़ारिब ने ख़रीदा उसे देखा नहीं, तो मुज़ारिब को ख़्यारे रूयत हासिल है अगरचे रब्बुल'माल देख चुका है देखने के बाद मुज़ारिब को ना'पसन्द है वापस कर सकता है और अगर मुज़ारिब देख चुका है तो ख़्यारे रूयत हासिल नहीं अगरचे रब्बुल माल ने न देखी हो। (आलमगीरी)

नफ़ा की तक़सीम

मसअ्ला.63:– माले मुज़ारबत से जो कुछ माल हलाक और ज़ाइअ् होगा वह नफ़ा की तरफ़ शुमार होगा रासुल'माल में नुक़सानात को शुमार नहीं किया जा सकता मस्लन सौ रूपये थे और तिजारत में बीस रूपये का नफ़ा हो और दस रूपये ज़ाइअ् होगये तो यह नफ़ा में मिन्हा किये (घटाये) जायेंगे यानी अब अस्सी ही रूपये नफ़ा के बाक़ी हैं अगर नुक़सान इतना हुआ, कि नफ़ा उसको पूरा नहीं कर सकता मस्लन बीस नफ़ा के हैं और पचास का नुक़सान हुआ तो यह नुक़सान रासुल'माल में होगा। मुज़ारिब से कुल या निस्फ़ नहीं ले सकता क्योंकि वह अमीन है और अमीन पर ज़िमान नहीं अगरचे वह नुक़सान मुज़ारिब ही के फ़ेअ्ल से हुआ हो हाँ अगर जान बूझकर क़स्दन उसने नुक़सान पहुँचाया या शीशे की चीज़ क़स्दन पटक दी इस सूरत में तावान देना होगा कि इसकी उसे इजाज़त न थी। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.64:– मुज़ारबत में नफ़ा की तक़सीम उस वक़्त सही होगी कि रासुल'माल रब्बुल'माल को देदिया जाये रासुल'माल देने से क़ब्ल तक़सीम बातिल है यानी फ़र्ज़ करो कि रासुल'माल हलाक हो गया तो नफ़ा वापस करके रासुल'माल पूरा करें इसके बाद अगर कुछ बचे तो हस्बे क़रारदाद तक़सीम करलें मस्लन एक हज़ार रासुल'माल है और एक हज़ार नफ़ा पाँच पाँच सौ दोनों ने नफ़ा के लेलिये, और रासुल'माल मुज़ारिब ही के पास रहा कि वह इस से फिर तिजारत करेगा यह हज़ार हलाक होगये काम करने से पहले हलाक हुए या बाद में बहर हाल मुज़ारिब पाँचसौ की रक़म रब्बुल'माल को वापस करदे और ख़र्च कर चुका है तो अपने पास से पाँचसौ दे कि यह रक़म और जो रब्बुल'माल ले चुका है वह रासुल'माल में महसूब है और नफ़ा का हलाक होना तसव्वुर होगा। और वह हज़ार नफ़ा के थे एक एक हज़ार दोनों ने लिये थे इसके बाद रासुल'माल हलाक हुआ तो एक हज़ार जो मालिक को मिले हैं उनको रासुल'माल तसव्वुर किया जाये और मुजारिब के पास जो एक हज़ार हैं वह नफ़ा के हैं उनमें से रब्बुल'माल पाँच सौ वुसूल करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.65:– रासुल'माल लेने के बाद तक़सीम सही है यानी अब कोई ख़राबी पड़े तो तक़सीम पर उसका कुछ असर न होगा मस्लन रासुल'माल ले लेने के बाद नफ़ा तक़सीम किया गया फिर वही रासुल'माल मुज़ारिब को बतौर मुज़ारबत देदिया तो यह जदीद मुज़ारबत है कि रासुल'माल के पास माल हलाक हो, तो पहली तक़सीम नहीं तोड़ी जायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.66:– रब्बुल'माल व मुज़ारिब दोनों साल पर या शशमाही या माहवार हिसाब करके नफ़ा तक़सीम कर लेते हैं और मुज़ारबत को हस्बे दस्तूर बाक़ी रखते हैं इसके बाद कुल माल या बाज़ माल हलाक होजाये तो दोनों नफ़ा की इतनी इतनी मिक़दार वापस करें कि रासुल'माल पूरा हो जाये और अगर सारा नफ़ा वापस करने पर भी रासुल'माल पूरा नहीं होता तो सारा नफ़ा वापस करके मालिक को देदें। इसके बाद जो कमी रह गई है उसका तावान नहीं और अगर नफ़ा की रक़म तक़सीम करने के बाद मुज़ारबत तोड़ देते हैं अगरचे यह तक़सीम रासुल'माल अदा करने से क़ब्ल हुई हो इसके बाद फिर जदीद अक़्द करके काम करते हैं तो जो नफ़ा तक़सीम होचुका है वह वापस नहीं लिया जा सकता बल्कि जितना नुक़सान होगा वह नफ़ा के बाद रासुल'माल ही पर डाला जायेगा क्योंकि इस जदीद मुज़ारबत को पहली मुज़ारबत से कोई ताल्लुक़ नहीं मुज़ारिब को नुक़सान से बचने की यह अच्छी तर्कीब है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.67:– रासुल'माल देने के बाद नफ़ा की तक़सीम हुई मगर मालिक का हिस्सा भी मुज़ारिब

ही के पास रहा उसने अभी क़ब्ज़ा नहीं किया था कि यह रक़म ज़ाइअ् होगई तो तन्हा मालिक का हिस्सा ज़ाइअ् होना तसव्वुर नहीं किया जायेगा बल्कि दोनों का नुक़सान क़रार पायेगा लिहाज़ा मुज़ारिब के पास तो नफ़ा की रक़म है उसे दोनों तक़सीम करलें और अगर मुज़ारिब का हिस्सा ज़ाइअ् हुआ तो ख़ास इसी का नुक़सान है क्योंकि यह अपने हिस्से पर क़ब्ज़ा कर चुका था इसकी वजह से तक़सीम न तोड़ी जाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.68:– नफ़ा के मुताल्लिक़ जो क़रारदाद हो चुकी है मस्लन निस्फ़ निस्फ़ या कम व बेश इसमें कमी ज़्यादती करना जाइज़ है मस्लन रब्बुल'माल ने निस्फ़ नफ़ा लेने को कहा था अब कहता है मैं एक तिहाई ही लूँगा यानी मुज़ारिब का हिस्सा बढ़ा दिया यूँही मुज़ारिब अपना हिस्सा कम करदे यह भी जाइज़ है इसी जदीद क़रारदाद पर नफ़ा की तक़सीम होगी अगरचे नफ़ा इस क़रारदाद से पहले हासिल होचुका है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.69:– वक़्तन फ़'वक़्तन मुज़ारिब से सौ, पचास, बीस रूपये लेता रहा, और देते वक़्त मुज़ारिब से यह कहता था कि यह नफ़ा है अब तक़सीम के वक़्त कहता है नफ़ा हुआ ही नहीं वह जो मैंने दिया था वह रासुल'माल में से दिया था मुज़ारिब की बात क़ाबिले क़बूल नहीं। (खानिया)

मसअ्ला.70:– मालिक ने मुज़ारिब से कहा मेरा रासुल'माल मुझे देदो जो बाक़ी बचे तुम्हारा है अगर माल मौजूद है इस तरह कहना जाइज़ है यानी मुज़ारिब जोबाक़ी रहा उस का मालिक न होगा कि यह हिबा मजहूला है और ऐसा हिबा जाइज़ नहीं और मुज़ारिब ख़र्च कर चुका है तो यह कहना जाइज़ है। कि अपना मुतालबा मुआफ़ करना है और इसके लिये जिहालत मुज़िर नहीं(आलमगीरी)

मसअ्ला.71:– मुज़ारिब ने रब्बुल'माल को कुछ माल या कुल माल बुज़ाअत के तौर पर देदिया है कि वह काम करेगा मगर उस काम का उसे बदला नहीं दिया जायेगा और रब्बुल'माल ने ख़रीद व फ़रोख़्त करना शुरूअ् कर दिया, उससे मुज़ारबत पर कुछ असर नहीं पड़ता वह ब'दस्तूर साबिक़ बाक़ी है और अगर मालिक ने मुज़ारिब की बिग़ैर इजाज़त माल लेकर ख़रीद व फ़रोख़्त की तो मुज़ारबत बातिल होगई। अगर रासुल'माल नक़द हो और अगर रासुल माल सामान हो उसको बिग़ैर इजाज़त लेगया और उसको सामान के एवज़ में बैअ् किया, तो मुज़ारबत बातिल नहीं हुई और अगर रूपया अशर्फ़ी के बदले में बेच दिया तो बातिल होगई। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.72:– मुज़ारिब ने रब्बुल'माल को मुज़ारबत के तौर पर माल दिया जाइज़ नहीं यानी यह दूसरी मुज़ारबत सही नहीं है और वह पहली मुज़ारबत हस्बे दस्तूर बाक़ी है। (हिदाया)

मसअ्ला.73:– मुज़ारिब जब तक अपने शहर में काम करता है खाने पीने और दीगर मसारिफ़ माले मुज़ारबत में नहीं होंगे बल्कि तमाम अख़्राजात का ताल्लुक़ मुज़ारिब की ज़ात से होगा और अगर परदेस जायेगा तो खाना, पीना, कपड़ा, सवारी और आदतन जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जिनके मुताल्लिक़ ताजिरों का उर्फ़ हो यह सब मसारिफ़ माले मुज़ारबत में से होंगे दवा इलाज में जो कुछ सर्फ़ होगा, वह मुज़ारबत से नहीं मिलेगा यह इस सूरत में है कि मुज़ारबत सही हो और अगर मुज़ारबत फ़ासिद हो, तो परदेस जाने के बाद भी मसारिफ़ उसकी ज़ात पर होंगे माले मुज़ारबत से नहीं ले सकता और बुज़ाअत (सारा नफ़ा माल वाले को मिलेगा) के तौर पर जो शख़्स काम करता हो उसके मसारिफ़ भी नहीं मिलेंगे। (हिदाया)

मसअ्ला.74:– मसारिफ़ में से कपड़े की धुलाई और अगर खुद धोना पड़े तो साबुन भी है अगर रोटी पकाने या दूसरे काम करने के लिये आदमी नौकर रखने की ज़रूरत हो तो उसका सर्फ़ा भी मुज़ारबत से वुसूल किया जायेगा जानवर का दाना, चारा भी, उसी में से होगा और सवारी किराये की मिले, किराये पर ली जाये और ख़रीदने की ज़रूरत पड़े मस्लन रोज़–रोज़ का काम है कहाँ तक किराये पर लेगा या किराये पर मिलती नहीं है ख़रीदले, दरयाई सफ़र में कश्ती की ज़रूरत है किराये पर, या मोल ले बाज़ जगह बदन में तेल की मालिश करानी होती है इसका सर्फ़ा भी मिलेगा। (हिदाया)

मसअ्ला.75:– मालिक ने अपने गुलाम और जानवर मुज़ारिब को बतौर इआनते सफ़र (सफ़र में मदद के लिये) में ले जाने के लिये देदिये इससे मुज़ारबत फ़ासिद नहीं होगी और गुलामों और जानवरों के मसारिफ़ मुज़ारिब के ज़िम्मे हैं मुज़ारबत से इनके अख़राजात नहीं दिये जायेंगे और मुज़ारिब ने माले मुज़ारबत से इन पर सर्फ़ किया तो ज़ामिन है मुज़ारिब को नफ़ा में से जो हिस्सा मिलेगा उसमें से यह मसारिफ़ मिन्हा (काटेंगे) होंगे और कमी पड़ेगी तो उससे ली जायेगी और मसारिफ़ से बच रहा, तो उसे दे दिया जायेगा हाँ अगर रब्बुल'माल से कह दिया 'कि मेरे माल से इन पर सर्फ़ किया जाये' तो मसारिफ़ उसी के माल से महसूब होंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.76:– हज़ार रूपये मुज़ारिब को दिये थे उसने काम किया और नफ़ा भी हुआ और मालिक मरगया और उस पर इतना दैन है जो कुल माल को मुस्तग़रक़ है (कर्ज़ काटकर माल न बचे)। तो मुज़ारिब अपना हिस्सा पहले लेगा उसके बाद क़र्ज़ ख़्वाह अपने दैन (क़र्ज़) वसूल करेंगे और अगर यह मुज़ारबत फ़ासिद हो तो मुज़ारिब को उजरते मिस्ल मिलेगी और वह रब्बुल'माल के ज़िम्मे होगी जिस तरह दीगर क़र्ज़ ख़्वाह दैन लेंगे यह भी हिस्सा रसद के मुवाफ़िक़ पायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.77:– ख़रीदने या बेचने पर किसी को अजीर किया, यानी नौकर रखा यह इजारा नहीं, क्योंकि जिस काम पर इसको अजीर करता है उसके इख़्तियार में नहीं अगर ख़रीदार न ले तो किसके हाथ बेचे और बाइअ् न बेचे, तो क्यूँकर ख़रीदे लिहाज़ा इसके जवाज़ का तरीक़ा यह है कि मुद्दते मोअ़य्यन के लिये काम करने पर नौकर रखे और काम पर लगादे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.78:– मुज़ारिब ने हाजत से ज़्यादा सर्फ़ा किया ऐसे मसारिफ़ के लिये जो तुज्जार (ताजिरों) की आदत में नहीं हैं इन तमाम मसारिफ़ का तावान देना होगा। (हिदाया)

मसअ्ला.79:– अगर वह शहर मुज़ारिब का मौलिद (जाए पैदाइश) नहीं है मगर वहीं की सुकूनत उसने इख़्तियार करली है तो माले मुज़ारबत से मसारिफ़ (ख़र्च) नहीं ले सकता और वहाँ नियते इक़ामत (ठहरने की नियत) करके मुक़ीम होगया मगर वहाँ की सुकूनत इख़्तियार नहीं की है तो माले मुज़ारबत से वुसूल करेगा यहाँ परदेस जाने से मुराद सफ़रे शरई नहीं है बल्कि इतनी दूर चला जाना मुराद है कि रात तक घर लौटकर न आये और रात तक घर लौट कर आजाये तो सफ़र नहीं मसलन देहात के बाज़ार कि दुकानदार वहाँ जाते हैं मगर रात ही में वापस आजाते हैं। (बहर)

मसअ्ला.80:– एक शख़्स दूसरे शहर का रहने वाला है और माले मुज़ारबत दूसरे शहर में लिया मस्लन मुरादाबाद का रहने वाला है और बरेली में आकर माल लिया तो जब तक बरेली में है उसको मसारिफ़ नहीं मिलेंगे और जब बरेली से चला अब मसारिफ़ मिलेंगे जब तक मुरादाबाद पहुँच न जाये और जब मुरादाबाद में है यह इसका वतने असली है यहाँ नहीं मिलेंगे अब अगर यहाँ से ब'ग़र्ज़े तिजारत चलेगा तो मिलेंगे बल्कि फिर बरेली पहुँचगया और कारोबार के लिये जब तक ठहरेगा मसारिफ़ मिलते रहेंगे क्योंकि यह तिजारत के लिये ठहरना है हाँ अगर बरेली भी उसका वतन हो मसलन उसके बाल बच्चे यहाँ भी रहते हैं यहाँ उसने शादी करली है तो जब तक यहाँ रहेगा, ख़र्च नहीं मिलेगा यह भी वतन है। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.81:– किसी शहर को माल ख़रीदने गया और वहाँ पहुँच भी गया मगर कुछ ख़रीदा नहीं, वैसे ही वापस आया तो इस सूरत में भी मसारिफ़ माले मुज़ारबत से मिलेंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.82:– मालिक ने कह दिया था कि तुम अपनी राय से काम करो और मुज़ारिब ने किसी दूसरे को मुज़ारबत के तौर पर माल देदिया यह मुज़ारिबे दोम अगर सफ़र करेगा तो मसारिफ़ माले मुज़ारबत से मिलेंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.83:– मुज़ारिब कुछ माल अपना और माले मुज़ारबत दोनों लेकर सफ़र में गया उसके पास दो शख़्सों के माल हैं इन सूरतों में बक़द्र हिस्सा दोनों पर ख़र्च डाला जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.84:– मुज़ारिब ने सफ़र में ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदीं, और ख़र्च करता रहा यहाँ तक कि

अपने वतन में पहुँच गया और कुछ चीज़ें बाक़ी रहगईं हैं तो हुक्म यह है कि जो कुछ बचे सब माले मुज़ारबत में वापस करे क्योंकि इन चीज़ों का अब सर्फ़ करना जाइज़ नहीं। (हिदाया)

मसअ्ला.85:– मुज़ारिब ने अपने माल से तमाम मसारिफ़ किये और क़स्द यह है कि माले मुज़ारबत से वुसूल करेगा ऐसा कर सकता है यानी वुसूल कर सकता है और माले मुज़ारबत ही हलाक होगया तो रब्बुल'माल से उन मसारिफ़ को नहीं ले सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.86:– जो कुछ नफ़ा हुआ पहले उससे अख़राजात पूरे किये जायेंगे जो मुज़ारिब ने रासुल'माल से किये हैं जब रासुल'माल की मिक़दार पूरी होगई इसके बाद कुछ नफ़ा बचा तो उसे हस्बे शराइत तक़सीम करलें और नफ़ा कुछ नहीं है तो कुछ नहीं मसलन हज़ार रूपये दिये थे सौ रूपये मुज़ारिब ने अपने ऊपर ख़र्च करडाले और सौ ही रूपये बिल्कुल नफ़ा के हैं कि यह पूरे ख़र्च में निकल गये और कुछ नहीं बचा और अगर नफ़ा के सौ से ज़्यादा होते तो तक़सीम होते। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.87:– जो कुछ मसारिफ़ हुए नफ़ा की मिक़दार उससे कम है तो मसारिफ़ की बक़िया रक़म रासुल'माल से पूरी की जाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.88:– मुज़ारिब मुराबहा करना चाहता है तो जो कुछ माल पर ख़र्च हुआ है बार'बर्दारी, दलाली, उन थानों की धुलाई, रंगाई और उनके अलावा वह तमाम चीज़ें जिनको रासुल'माल में शामिल करने की आदत है उन सबको मिलाकर मुराबहा करे और यह कहे, इतने में यह चीज़ पड़ी है यह न कहे कि मैंने इतने में ख़रीदी है कि यह ग़लत है और जो कुछ मसारिफ़ मुज़ारिब ने अपने मुताल्लिक़ किये हैं वह बैअ् मुराबहा में शामिल नहीं किये जायेंगे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला89:– मुज़ारिब ने एक चीज़ रब्बुल'माल से हज़ार रूपये में ख़रीदी, जिसको रब्बुल'माल ने पाँचसौ में ख़रीदा था उसका मुराबहा पाँचसौ पर होगा न कि हज़ार रूपये पर यानी मुराबहा में यह बैअ् कलअदम (बेकार) समझी जायेगी इसी तरह इसका अक्स यानी रब्बुल माल ने मुज़ारिब से एक चीज़ हज़ार रूपये में ख़रीदी जिसको मुज़ारिब ने पाँचसौ में ख़रीदा था तो मुराबहा पाँचसौ में होगा। (हिदाया) बैअ् मुराबहा व तौलिया के मसाइल किताबुल बुयूअ् में मुफ़स्सल मज़कूर हो चुके हैं वहाँ से मालूम किये जायें।

मसअ्ला.90:– मुज़ारिब के पास हज़ार रूपये आधे नफ़ा पर हैं इसने हज़ार रूपये का कपड़ा ख़रीदा, और दो हज़ार में बेच डाला फिर दो हज़ार की कोई चीज़ ख़रीदी, और समन अदा करने से पहले कुल रूपये, यानी दोनों हज़ार ज़ाइअ् होगये। पन्द्रहसौ मालिक बाइअ् को दे और पाँचसौ मुज़ारिब को दे क्योंकि दो हज़ार में मालिक के पन्द्रहसौ थे और मुज़ारिब के पाँच सौ लिहाज़ा हर एक अपने अपने हिस्से की बराबर बाइअ् को अदा करे इस मबीअ् में एक चौथाई मुज़ारिब की मिल्क है क्योंकि एक चौथाई उसने क़ीमत दी है और यह चौथाई मुज़ारबत से ख़ारिज है और बाक़ी तीन चौथाईयाँ मुज़ारबत की हैं और रासुल'माल कुल वह रक़म है जो मालिक ने दी है यानी दो हज़ार पाँचसौ, मगर मुज़ारिब अगर इस चीज़ का मुराबहा करेगा तो दो ही हज़ार पर करेगा ज़्यादा पर नहीं क्योंकि यह चीज़ दो ही हज़ार में ख़रीदी है लेकिन फ़र्ज़ करो उस चीज़ को दो चन्द क़ीमत पर अगर फ़रोख़्त किया यानी चार हज़ार में, एक हज़ार सिर्फ़ मुज़ारिब लेगा कि यह चौथाई का यह मालिक था और पच्चीस सौ रासुल'माल के निकाले जायें और बाक़ी पाँच सौ दोनों निस्फ़ निस्फ़ करलें यानी ढाई ढाई सौ। (हिदाया)

मसअ्ला.91:– मुज़ारिब ने रासुल'माल से अभी चीज़ ख़रीदी भी नहीं कि रासुलमाल तल्फ़ (बर्बाद) होगया तो मुज़ारबत बातिल होगई और चीज़ ख़रीदली है और अभी समन अदा नहीं किया है कि मुज़ारिब के पास रूपया ज़ाइअ् होगया रब्बुल'माल से फिर लेगा फिर ज़ाइअ् होजाये तो फिर लेगा वअ़ला हाज़ल क़यास। और रासुल'माल तमाम वह रक़म होगी जो मालिक ने यके बाद दीगरे दी है ब'ख़िलाफ़ वकील बिश्शरअ् कि अगर उसको रूपया पहले देदिया था और ख़रीदने के बाद यह रूपया ज़ाइअ् होगया तो एक मर्तबा मुवक्किल से ले सकता है अब अगर ज़ाइअ् होजाये तो

मुवक्किल से नहीं ले सकता और पहले वकील को नहीं दिया था ख़रीदने के बाद दिया और ज़ाइअ़ होगया तो अब मुवक्किल से नहीं ले सकता। (हिदाया, आलमगीरी)

दोनों में इख़्तिलाफ़ के मसाइल

मसअ्ला.92:– मुज़ारिब के पास दो हज़ार रूपये हैं और यह कहता है कि एक हज़ार तुमने दिये थे और एक हज़ार नफ़ा के हैं और रब्बुल'माल यह कहता है कि मैंने दो हज़ार दिये हैं अगर किसी के पास गवाह न हों तो मुज़ारिब का क़ौल क़सम के साथ मोअ्तबर है और अगर इसके साथ साथ नफ़ा की मिक़दार में भी इख़्तिलाफ़ हो मुज़ारिब कहता है कि मेरे लिए आधे नफ़े की शर्त थी और रब्बुल'माल कहता है कि तिहाई नफ़ा तुम्हारे लिये था इसमें रब्बुल'माल का क़ौल क़सम के साथ मोअ्तबर है और अगर दोनों में से किसी ने अपनी बात को गवाहों से साबित किया तो उसी की बात मानी जायेगी और अगर दोनों गवाह पेश करें तो रासुल'माल की ज़्यादती में मुज़ारिब के गवाह मोअ्तबर। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.93:– मुज़ारिब कहता है रासुलमाल मैंने तुम्हें देदिया और यह जो कुछ मेरे पास है नफ़ा की रक़म है इसके बाद फिर कहने लगा मैंने तुम्हें नहीं दिया बल्कि ज़ाइअ़ होगया और मुज़ारिब को तावान देना होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.94:– एक हज़ार रूपये इसके पास किसी के हैं मालिक कहता है यह बतौर बिज़ाअत दिये थे (यानी सारा नफ़ा मेरे लिये मुक़र्रर था) इसमें एक हज़ार नफ़ा हुआ है। यह ख़ास मेरा है और वह कहता है मुज़ारबत बिन्नफ़्स के तौर पर मुझे दिये थे लिहाज़ा आधा नफ़ा मेरा है इस सूरत में मालिक का क़ौल मोअ्तबर है कि यही मुन्किर है। यूँही अगर मुज़ारिब कहता है कि यह जो रूपये थे तुमने मुझे क़र्ज़ दिये थे लिहाज़ा कुल नफ़ा मेरा है। और मालिक कहता है 'मैंने अमानत या बिज़ाअत या मुज़ारबत के तौर पर दिये थे। इसमें भी रब्बुल'माल ही का क़ौल क़सम के साथ मोअ्तबर है। और दोनों ने गवाह पेश किये, तो मुज़ारिब के गवाह मोअतबर हैं और अगर मालिक कहता है 'मैंने क़र्ज़ दिये थे' और मुज़ारिब कहता है 'बतौर मुज़ारबत दिये थे' तो मुज़ारिब का क़ौल मोअतबर है और जो गवाह क़ायम कर दे, उसके गवाह मोअतबर हैं और अगर दोनों ने गवाह पेश किये, तो मालिक के गवाह मोअ्तबर होंगे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.95:– मुज़ारिब कहता है 'तुमने हर क़िस्म की तिजारत की मुझे इजाज़त दी थी' या मुज़ारबत मुतलक़ थी। यानी आम या ख़ास किसी का ज़िक्र न था। और मालिक कहता है 'मैंने ख़ास फुलां चीज़ की तिजारत के लिये कहदिया था'। इसमें मुज़ारिब का क़ौल मोअ्तबर है और अगर दोनों एक एक चीज़ को ख़ास करते हों। मुज़ारिब कहता है 'मुझे कपड़े की तिजारत को कह दिया था' मालिक कहता है 'मैंने ग़ल्ले के लिये कहा था' तो क़ौले मालिक मोअ्तबर है और गवाह मुज़ारिब के। और अगर दोनों के गवाहों ने वक़्त भी बयान किया मसलन मुज़ारिब के गवाह कहते हैं कि कपड़े की तिजारत के लिए रमज़ान में कहा था। और मालिक के गवाह कहते हैं। ग़ल्ले की तिजारत के लिये दिये थे और शव्वाल का महीना मुक़र्रर कर दिया था तो जिसके गवाह आख़िर वक़्त बयान करें वह मोअ्तबर। (दुर्रेमुख़्तार) यह उस वक़्त है कि अ़मल के बाद इख़्तिलाफ़ हो और अगर अ़मल करने से क़ब्ल बाहम इख़्तिलाफ़ हो तो मुज़ारिब उ़मूम या मुतलक़ का दावा करता है। और रब्बुल माल कहता है। मैंने फुलां ख़ास चीज़ की तिजारत के लिये कहा था तो रब्बुल'माल का क़ौल मोअ्तबर है। इस इन्कार के मानां यह हैं कि मुज़ारिब को हर क़िस्म की तिजारत से मना करता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.96:– मुज़ारिब कहता है मेरे लिए आधा या तिहाई नफ़ा ठहरा था और मालिक कहता है तुम्हारे लिए सौ रूपये ठहरे थे या कुछ शर्त न थी। लिहाज़ा मुज़ारबत फ़ासिद होगई। और तुम उजरते मिस्ल के मुस्तहिक़। इसमें रब्बुल माल का क़ौल इक़रार के साथ मोअ्तबर है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.97:– वसी ने नबालिग़ के माल को बतौर मुज़ारबत ख़ुद लिया, यह जाइज़ है बाज़ उ़लमा यह क़ैद इज़ाफ़ा करते हैं कि अपने लिये इतना ही नफ़ा लेना क़रार दिया हो जो दूसरे को देता(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.98:– मुज़ारिब ने रासुल'माल से कोई चीज़ ख़रीदी है और कहता है इसे अभी नहीं बेचूँगा,

जब ज़्यादा मिलेगा उस वक़्त बैअ् करूँगा और मालिक यह कहता है कुछ नफ़ा मिल रहा है इसे बैअ् कर डालो, मुज़ारिब बेचने पर मजबूर किया जायेगा। हाँ अगर मुज़ारिब यह कहता है मैं तुम्हारा रासुल'माल भी दूंगा और नफ़ा का हिस्सा भी दूंगा। उस वक़्त मालिक को इसके क़बूल पर मजबूर किया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मुताफ़र्रिक़ मसाइल

मसअ्ला.1:– मुज़ारिब को रूपये दिये कि कपड़ा ख़रीदकर इसे काटकर, सीकर फ़रोख़्त करे और जो कुछ नफ़ा होगा वह दोनों में निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम होजायेगा यह मुज़ारबत जाइज़ है। यूँही मुज़ारिब से कहा 'यह रूपये लो और चमड़ा ख़रीदकर मौज़े या जूते तैयार करो और फ़रोख़्त करो' यह मुज़ारबत भी जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– एक हज़ार रूपये मुज़ारबत पर एक माह के लिये दिये और कह दिया कि महीना गुज़र जायेगा तो यह क़र्ज़ होगा तो जैसा उसने कहा है वही समझा जायेगा महीना गुज़र गया और रूपये ब'दस्तूर बाक़ी हैं तो क़र्ज़ हैं और सामान ख़रीद लिया तो जब तक उन्हें बेचकर रूपये न करले क़र्ज़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– मुज़ारिब को मालिक ने पैसे दिये थे कि इनसे तिजारत करे, अभी सामान ख़रीदा न था कि उनका चलन बन्द होगया मुज़ारबत फ़ासिद होगई फिर अगर मुज़ारिब ने उनसे सौदा ख़रीदकर नफ़ा या नुक़सान उठाया वह रब्बुल'माल का होगा और मुज़ारिब को उजरते मिस्ल मिलेगी और अगर मुज़ारिब के सामान ख़रीद लेने के बाद वह पैसे बन्द हुए तो मुज़ारबत बदस्तूर बाक़ी है फिर सामान बेचने के बाद जो रक़म हासिल होगी उससे पैसों की क़ीमत रब्बुल'माल को अदा करे उसके बाद जो बचे उसे हस्बे क़रार तक़सीम किया जाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– बाप ने बेटे के लिये किसी से मुज़ारबत पर माल लिया, यूँ कि इस माल से बेटे के लिये काम करेगा चुनान्चे उसने काम किया और नफ़ा भी हुआ तो यह नफ़ा रब्बुल'माल और बाप में हस्बे क़रार तक़सीम होगा। बेटे को कुछ नहीं मिलेगा और अगर बेटा इतना बड़ा है कि उसके हमजोली ख़रीद व फ़रोख़्त करते हैं और बाप ने इस तौर पर माल लिया है कि लड़का ख़रीद व फ़रोख़्त करेगा और नफ़ा दोनों को आधा आधा मिलेगा, यह मुज़ारबत जाइज़ है और जो कुछ नफ़ा होगा वह रब्बुल'माल और लड़के में आधा आधा तक़सीम होजायेगा। यूँही इस सूरत में लड़के के कहने से बाप ने काम किया है तो आधा नफ़ा लड़के को मिलेगा और उसके बिग़ैर कहे उसने काम किया, तो ज़ामिन है ओर नफ़ा उसी को मिलेगा मगर उसको सदक़ा करदे वसी के लिये भी यही अहकाम हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– रब्बुल'माल ने माले मुज़ारबत को वाजिबी क़ीमत या ज़ाइद पर बैअ् कर डाला तो जाइज़ है और वाजिबी से कम पर बेचा तो नाजाइज़ है जब तक मुज़ारिब बैअ् की इजाज़त न देदे (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– मुज़ारिब अपने चन्द हमराहियों के साथ किसी सराये में ठहरा उनमें से एक यहीं हुजरे में रहा, बाक़ी साथियों के साथ मुज़ारिब बाहर चला गया कुछ देर बाद यह एक भी दरवाज़ा खुला छोड़कर चला गया और माले मुज़ारबत ज़ाइअ् होगया अगर मुज़ारिब को इस पर एअ्तिमाद था तो मुज़ारिब ज़ामिन नहीं यह ज़ामिन है और अगर मुज़ाारिब को इस पर एअ्तिमाद न था तो ख़ुद मुज़ारिब ज़ामिन है। (ख़ानिया)

मसअ्ला.7:– मुज़ारिब को हज़ार रूपये दिये कि अगर ख़ास फ़ुलाँ क़िस्म का माल ख़रीदोगे तो नफ़ा जो कुछ होगा निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम होगा और फ़ुलाँ क़िस्म का माल ख़रीदोगे तो कुल नफ़ा रब्बुल'माल का होगा और फ़ुलाँ क़िस्म का ख़रीदोगे तो सारा नफ़ा मुज़ारिब का होगा तो जैसा कहा वैसा ही किया जायेगा यानी क़िस्मे अव्वल में मुज़ारबत है और नफ़ा निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम होगा और क़िस्मे दोम का माल ख़रीदा तो बिज़ाअ़त है। नफ़ा रब्बुल'माल का और नुक़सान हो तो वह भी इसी का, और क़िस्मे सोम का माल ख़रीदा तो रूपये मुज़ारिब पर क़र्ज़ हैं नफ़ा भी उसी का, नुक़सान भी उसी का। (आलमगीरी)

वदीअ़त का बयान

वदीअ़त रखना जाइज़ है। क़ुर्आन व ह़दीस से इसका जवाज़ साबित,
अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है।

﴿ان الله يامركم ان تؤدوا الامانت الى اهلها﴾
"अल्लाह हुक्म फ़रमाता है कि अमानत जिसकी हो, उसे दे दो"

और फ़रमाता है।

﴿والذين هم لامنتهم وعهدهم رعون﴾
"और फ़लाह पाने वाले वह हैं जो अपनी अमानतों और अ़हद की रिआ़यत रखते हैं"।

और फ़रमाता है।

﴿ياايها الذين امنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا امنتكم وانتم تعلمون﴾
"ऐ ईमान वालों अल्लाह रसूल की ख़्यानत न करो और न अपनी अमानतों में जानबूझ कर ख़्यानत करो"

ह़दीस स़ही में है कि मुनाफ़िक़ की अ़लामत में यह है कि जब उसके पास अमानत रखी जाये तो ख़्यानत करे।

मसअ्ला.1:– दूसरे शख़्स़ को अपने माल की हिफ़ाज़त पर मुक़र्रर कर देने को ईदाअ़ कहते हैं। और उस माल को वदीअ़त कहते हैं जिसको आ़म तौर पर "अमानत" कहा जाता है। जिसकी चीज़ है मूदेअ़ और जिसकी हिफ़ाज़त में दी गई, उसे मूदा़ कहते हैं। ईदा़ की दो सूरते हैं कभी स़राह़तन कह दिया जाता है कि हमने यह चीज़ तुम्हारी हिफ़ाज़त में दी और कभी दलालतन ईदा़ होता है। मस्लन किसी की कोई चीज़ गिर गई और मालिक की ग़ैर मौजूदगी में लेली यह चीज़ लेने वाले की हिफ़ाज़त में आगई अगर लेने के बा़द उसने छोड़ दी, ज़ामिन है और मालिक की मौजूदगी में ली है ज़ामिन नहीं।

मसअ्ला.2:– वदीअ़त के लिये ईजाब व क़बूल ज़रूरी हैं, ख़्वाह यह दोनों चीज़ें स़राह़तन हों या दलालतन **ईजाब** मस्लन यह कहे कि मैं यह चीज़ तुम्हारे पास वदीअ़त रखता हूँ, अमानत रखता हूँ ईजाब दलालतन यह कि मस्लन एक शख़्स़ ने दूसरे से कहा कि मुझे हज़ार रूपये देदो यह कपड़ा मुझे देदो उसने कहा मैं तुमको देता हूँ कि अगरचे देने का लफ़्ज़ हिबा के वास्ते भी बोला जाता है। मगर वदीअ़त उससे कम मर्तबे की चीज़ है इसी पर अ़मल करेंगे और कभी फ़ेअ़्ल भी ईजाब होता है मस्लन किसी के पास अपनी चीज़ रख कर चला गया, और कुछ न कहा, स़राह़तन क़बूल मस्लन वह कहे मैंने क़बूल किया और दलालतन यह कि उसके पास किसी ने चीज़ रखदी और कुछ न कहा या कहदिया कि तुम्हारे पास यह चीज़ अमानत रखता हूँ और वह ख़ामोश रहा मस्लन ह़माम में जाते हैं और कपड़े ह़मामी के पास रखकर अन्दर नहाने लिये चले जाते हैं और सराये में जाते हैं भटयारे से पूछते हैं घोड़ा कहाँ बाँधू उसने कहा यहाँ यह वदीअ़त होगई उसके ज़िम्मे हिफ़ाज़त लाज़िम होगई यह नहीं कह सकता कि मैंने हिफ़ाज़त का ज़िम्मा नहीं लिया था (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– ह़मामी के सामने कपड़े रखकर नहाने को अन्दर चला गया, दूसरा शख़्स़ अन्दर से निकला, और उसके कपड़े पहनकर चला गया ह़मामी से जब उसने कहा तो कहने लगा मैंने समझा था कि उसी के कपड़े हैं इस सूरत में ह़मामी के ज़िम्मे तावान है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– कुछ लोग बैठे हुए थे उनके पास किताब रखकर चला गया और सब वहाँ से किताब छोड़कर चले गये और किताब जाती रही उन लोगों के ज़िम्मे तावान वाजिब है और अगर एक एक करके वहाँ उठे तो पिछला शख़्स़ ज़ामिन है कि हिफ़ाज़त के लिये यह मुतअ़य्यन होगया था। (बहर)

मसअ्ला.5:– किसी के मकान में चीज़ बिग़ैर उसके कहे रखदी उसने हिफ़ाज़त नहीं की चीज़ ज़ाइअ़ होगई। ज़मान नहीं यूँही उसने वदीअ़त कहकर दी उसने बुलन्द आवाज़ से कह दिया मैं हिफ़ाज़त नहीं करूँगा वह चीज़ ज़ाइअ़ होगई उस पर तावान नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– वदीअ़त के लिये शर्त यह है कि वह माल इस क़ाबिल हो जो क़ब्ज़ा में आसके। लिहाज़ा भागे हुए गुलाम के मुताल्लिक़ कहदिया मैंने उसको वदीअ़त रखा या हवा में परिन्दा उड़ रहा है उसको वदीअ़त रखा, उनका ज़िमान वाजिब नहीं यह भी शर्त है कि जिसके पास अमानत रखी जाये वह मुकल्लफ़ हो तब हिफ़ाज़त वाजिब होगी अगर बच्चे के पास कोई चीज़ अमानत रखदी उसने हलाक करदी ज़िमान वाजिब नहीं। और ग़ुलाम महजूर के पास रखदी, उसने हलाक करदी तो आज़ाद होने के बाद उससे ज़िमान लिया जा सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– वदीअ़त का हुक्म यह है कि वह चीज़ मूदअ् के पास अमानत होती है उसकी हिफ़ाज़त मूदअ् पर वाजिब है और मालिक के तलब करने पर देना वाजिब होता है वदीअ़त क़बूल करना मुस्तहब है वदीअ़त हलाक होजाये तो उसका ज़िमान वाजिब नहीं। (बहर)

मसअ्ला.8:– वदीअ़त को न दूसरे के पास अमानत रख सकता है न आ़रियत या इजारा पर दे सकता है न उसको रहन रख सकता है इनमें से कोई काम करेगा तावान देना होगा। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.9:– अमीन पर ज़िमान की शर्त कर देना कि यह चीज़ हलाक हुई तो तावान लूँगा यह बातिल है। मूदअ् को इख़्तियार है कि ख़ुद हिफ़ाज़त करे या अपनी आल से हिफ़ाज़त कराये जैसे वह ख़ुद अपने माल की हिफ़ाज़त करता है कि हर वक़्त उसे साथ नहीं रखता अहलो अ़याल के पास छोड़कर बाहर जाया करता है अ़याल से मुराद वह हैं जो उसके साथ रहते हों हक़ीक़तन उसके साथ हों या हुक्मन लिहाज़ा अगर समझ वाले बच्चे को देदी जो हिफ़ाज़त पर क़ादिर है या बीवी को देदी और यह दोनों उसके साथ न हों जब भी ज़िमान वाजिब नहीं यूँही औ़रत ने ख़ाविन्द की हिफ़ाज़त में चीज़ छोड़दी ज़ामिन नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– बीवी और ना'बालिग़ बच्चा या ग़ुलाम यह अगरचे इसके साथ न रहते हों मगर अ़याल में शुमार होंगे फ़र्ज़ करो, यह शख़्स एक मोहल्ला में रहता है और उसकी ज़ौजा दूसरे मोहल्ले में रहती है और उसको नफ़्क़ा भी नहीं देता है फिर भी अगर वदीअ़त ऐसी ज़ौजा को सिपुर्द करदी और तल्फ़ होगई तावान लाज़िम नहीं होगा और बालिग़ लड़का या माँ बाप जो उसके साथ रहते हों उनको वदीअ़त सिपुर्द कर सकता है और साथ न रहते हों तो नहीं सिपुर्द कर सकता तल्फ़ होने पर ज़िमान लाज़िम होगा। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.11:– ज़ौजा का लड़का जो दूसरे शौहर से है जबकि उसके साथ रहता है तो अ़याल में है उसके वदीअ़त को छोड़ सकता है। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.12:– जो शख़्स उसकी अ़याल में है उसकी हिफ़ाज़त में अमानत को उस वक़्त रख सकता है जब यह अमीन हो अगर उसकी ख़्यानत मा'लूम हो और उसके पास छोड़दी, तावान देना होगा। उसने अपनी अ़याल की हिफ़ाज़त में छोड़दी और वह अपने बाल बच्चों की हिफ़ाज़त में छोड़ दे यह भी जाइज़ हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.13:– मालिक ने मना कर दिया था अपनी अ़याल में से फ़ुलाँ के पास मत छोड़ना ब'वजूद मुमानअ़त उसने इसके पास अमानत की चीज़ रखी अगर उससे बचना मुम्किन था कि उसके अ़लावा दूसरे ऐसे थे कि उनकी हिफ़ाज़त में रख सकता था तो ज़मान वाजिब है वरना नहीं(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.14:– दुकान में लोगों की वदीअ़तें थीं दुकानदार नमाज़ को चला गया और वह वदीअ़त ज़ाइअ् होगई तावान वाजिब नहीं कि दुकान में होना ही हिफ़ाज़त हैं। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.15:– अहलो अ़याल के अलावा दूसरों की हिफ़ाज़त में चीज़ छोड़ने से या उनके पास वदीअ़त रखने से ज़िमान वाजिब है हाँ अगर ऐसों की हिफ़ाज़त में दी है जो ख़ुद उसके माल की हिफ़ाज़त करते हैं जैसे उसका वकील, और माज़ून और शरीक, जिसके साथ शिरकते मुफ़ावज़ा या शिरकते इनान है। इन सबकी हिफ़ाज़त में देना जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार, दुरर)

मसअ्ला.16:– नौकर की हिफ़ाज़त में वदीअ़त दे सकता है क्योंकि ख़ुद अपना माल भी इसकी

हिफ़ाज़त में देता है। (दुरर)

मसअ्ला.17:– मूदअ् के मकान में आग लगगई अगर वदीअ़त दूसरे लोगों को नहीं देता है जल जाती है या कश्ती में वदीअ़त है और कश्ती डूब रही है अगर दूसरी कश्ती में नहीं फेंकता है डूब जाती है इस सूरत में दूसरे को देना या दूसरी कश्ती में फेंकना जाइज़ है बशर्ते कि अपनी अयाल की हिफ़ाज़त में देना उस वक़्त मुम्किन न हो और अगर आग लगने की सूरत में उसके घर के लोग क़रीब ही में हैं कि उनको दे सकता है या कश्ती डूबने की सूरत में, उसके घर वालों की कश्ती पास में है उनको दे सकता है तो दूसरों को देना जाइज़ नहीं है देगा तो ज़िमान वाजिब होगा। (दुरर)

मसअ्ला.18:– कश्ती डूब रही थी उसने दूसरी कश्ती में वदीअ़त फेंकी, मगर कश्ती में नहीं पहुँची बल्कि दरिया में गिरी, या कश्ती में पहुँच गई थी। मगर लुड़क कर दरिया में चली गई मूदा ज़ामिन है यूँही अगर क़स्दन उसने डूबने से नहीं बचाया इतना मौक़ा था कि दूसरी कश्ती में दे देता मगर ऐसा नहीं किया मकान में आग लगी थी मौक़ा था कि वदीअ़त को निकाल लेता और नहीं निकाली, इन सूरतों में ज़ामिन है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.19:– यह कहता है कि मेरे मकान में आग लगी थी या मेरी कश्ती डूब गई और पड़ोसी को देदी या दूसरी कश्ती में डालदी अगर आग लगना या कश्ती डूबना मालूम हो तो इसकी बात मक़बूल है और अगर मालूम न हो। तो गवाहों से साबित करना होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.20:– आग लगने की वजह से वदीअ़त पड़ोसी को देदी थी आग बुझने के बाद उससे वापस लेना ज़रूरी है अगर वापस न ली और उसके पास हलाक होगई तावान देना होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.21:– मूदा का इन्तिक़ाल होरहा है और उसके पास इसकी अयाल में से कोई मौजूद नहीं है जिसकी हिफ़ाज़त में वदीअ़त को देता इस हालत में उसने पड़ोसी की हिफ़ाज़त में देदी तो ज़मान वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

जिसकी चीज़ है वह तलब करता है तो रोकने का इख़्तियार नहीं

मसअ्ला.22:– जिसकी चीज़ थी उसने तलब की मूदा को मना करना जाइज़ नहीं बशर्ते कि उसके देने पर क़ादिर हो खुद मालिक ने चीज़ मांगी या उसके वकील ने क़ासिद के मांगने पर न दी अगरचे कोई निशानी पेश करता हो उस वक़्त देने से आजिज़ है मसलन वदीअ़त यहाँ मौजूद नहीं है और जहाँ है वह जगह दूर है या देने में उसको अपनी जान या माल का अन्देशा है मसलन वदीअ़त को दफ़न कर रखा है इस वक़्त खोद नहीं सकता या वदीअ़त के साथ अपना माल भी मदफ़ून है। अन्देशा है कि मेरे माल का लोगों पता चल जायेगा इन सूरतों में रोकना जाइज़ है और अगर मालिक वापसी नहीं चाहता है वैसे ही कहता है वदीअ़त उठा लाओ यानी देखना मक़सूद है तो मूदा इससे इन्कार कर सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.23:– एक शख़्स ने तलवार अमानत रखी वह अपनी तलवार माँगता है और उस मूदा को मालूम होगया कि इस तलवार से नाहक़ तौर पर किसी को मारेगा तो तलवार न दे जब तक यह मालूम न होजाये कि उसने अपनी राय बदलदी अब उस तलवार को मुबाह काम के लिये माँगता है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.24:– एक दस्तावेज़ वदीअ़त रखी, और मूदा को मालूम है कि इसके कुछ मुतालबे वसूल हो चुके हैं और मूदा मरगया, इसके वुरसा मुतालबा पाने से इन्कार करते हैं इन वुरसा को यह दस्तावेज़ कभी न दे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.25:– औरत ने एक दस्तावेज़ वदीअ़त रखी जिसमें उसके शौहर के लिये किसी माल का इक़रार किया है या उसमें महर वुसूल पाने का औरत ने इक़रार किया है इसको रोकना जाइज़ है। क्योंकि उसके देने में शौहर का हक़ ज़ाइअ् होने का अन्देशा है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.26:– एक दस्तावेज़ दूसरे के नाम की किसी ने वदीअ़त रखी जिसके नाम की दस्तावेज़ है उसने दावा किया और दस्तावेज़ पर जिन लोगों की शहादत है वह कहते हैं जब तक हम दस्तावेज़

देख न लें गवाही नहीं देंगे क़ाज़ी मूदा को हुक्म देगा कि दस्तावेज़ गवाहों को दिखादो कि वह अपने दस्तख़त देखलें। मुद्दई को यानी जिसके नाम की दस्तावेज़ है। नहीं दे सकता कि मूदेअ् के सिवा दूसरे को वदीअ़त क्योंकर देगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.27:– किसी ने धोबी के पास दूसरे के हाथ धोने को कपड़ा भेजा फिर धोबी के पास कहला भेजा कि जो कपड़ा देगया था उसे मत देना अगर लाने वाले ने धोबी को कपड़ा देते वक़्त यह नहीं कहा था कि फुलाँ का कपड़ा है और धोबी ने उसे दे दिया तो ज़ामिन नहीं और उसके काम यह शख़्स नहीं करता और ब'वजूद मुमानअ़त धोबी ने उसे देदिया तो ज़ामिन है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.28:– मालिक ने मूदा से वदीअ़त तलब की उसने कहा इस वक़्त हाज़िर नहीं कर सकता हूँ। मालिक चलागया और मालिक का चला जाना न रज़ा'मन्दी और ख़ुशी से है और वदीअ़त हलाक होगई तो तावान नहीं कि यह दोबारा अमानत रखता है और अगर नाराज़ होकर गया तो हलाक होने पर मूदा को तावान देना होगा कि तलब के बाद रोकने की इजाज़त न थी और अगर मालिक के वकील ने माँगा और मूदा ने वही जवाब दिया तो यह राज़ी होकर जाये या नाराज़ होकर दोनों सूरतों में ज़िमान वाजिब है कि उसको जदीद ईदाअ् का इख़्तियार नहीं। (बहर)

मसअ्ला.29:– मालिक ने वदीअ़त माँगी मूदा ने कहा कल लेना दूसरे दिन यह कहता है कि वह जो तुम मेरे पास आये थे और मैंने इक़रार किया था उसके बाद वह वदीअ़त हलाक होगई इस सूरत में तावान नहीं और अगर यह कहता है कि उससे पहले वदीअ़त ज़ाइअ् होचुकी थी तो तावान वाजिब है। (बहर)

मसअ्ला.30:– मालिक ने मूदा से कहा वदीअ़त वापस करदो उसने इन्कार कर दिया या कहता है मेरे पास वदीअ़त रखी ही नहीं और उस चीज़ को जहाँ थी वहाँ से दूसरी जगह मुन्तक़िल कर दिया हालाँकि वहाँ कोई ऐसा भी न था जिसकी जानिब से अन्देशा हो कि उसे पता चल जायेगा तो वदीअ़त छीन लेगा और इन्कार के बाद वदीअ़त को हाज़िर भी नहीं किया और इसका यह इन्कार ख़ुद मालिक से हो उसके बाद वदीअ़त का इक़रार किया तो अब भी ज़ामिन है और अगर यह दावा करता है कि वह चीज़ तुमने मुझे सिपुर्द करदी थी या मैंने ख़रीदली थी इसके बाद वदीअ़त का इक़रार किया तो ज़ामिन नहीं रहा और अगर मालिक ने वदीअ़त वापस नहीं मांगी सिर्फ़ उसका हाल पूछा कि किस हालत में है उसने इन्कार करदिया कि मेरे पास वदीअ़त नहीं रखी है फिर इक़रार किया तो ज़मान नहीं और अगर उसको वहाँ से मुन्तक़िल नहीं किया जब भी ज़ामिन नहीं और अगर इन्कार के बाद चीज़ को हाज़िर कर दिया कि मालिक ले सकता था मगर नहीं ली कह दिया कि इसे तुम अपने ही पास रखो तो यह जदीद ईदाअ् है और ज़ामिन नहीं और मालिक के सिवा दूसरे लोगों से इन्कार किया जब भी ज़ामिन नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, बहर)

मसअ्ला.31:– वदीअ़त से मूदा ने इन्कार कर दिया यानी यह कहा कि मेरे पास तुम्हारी वदीअ़त नहीं है उसके बाद यह दावा करता है कि मैंने तुम्हारी वदीअ़त वापस करदी थी और उसके गवाह क़ायम किये, यह गवाह मक़बूल हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.32:– वदीअ़त रखकर ग़ायब होगया उसकी औरत मूदा से कहती है। मेरा नफ़क़ा वदीअ़त में से देदो उसने वदीअ़त ही से इन्कार करदिया उसके बाद इक़रार करता है और कहता है। वदीअ़त ज़ाइअ् होगई तो उसके ज़िम्मे तावान है यूँही यतीमों के वली और पड़ोसियों ने वसी से कहा कि इन बच्चों का जो कुछ तुम्हारे पास है इनपर ख़र्च करो वसी ने कहा मेरे पास इनका कोई माल नहीं है फिर माल का इक़रार किया और कहता है कि तुम्हारे कहने के बाद ज़ाइअ् होगया तो वसी पर तावान लाज़िम है। (ख़ानिया)

मसअ्ला.33:– वदीअ़त रखने वाले के मकान पर वदीअ़त लाकर रख गया या उसके बाल बच्चों को देगया और वदीअ़त ज़ाइअ् होगई तो मूदा पर तावान लाज़िम है और अपनी अ़याल के हाथ उसके

पास भेजदी, और ज़ाइअ् होगई तो ज़मान नहीं और अगर अपने बालिग़ लड़के के हाथ भेजी जो उसकी अयाल में नहीं है तो ज़ामिन है और ना'बालिग़ लड़के के हाथ भेजी तो अगरचे इसकी अयाल में न हो ज़ामिन नहीं जबकि यह नबालिग़ बच्चा ऐसा न हो कि हिफ़ाज़त करना जानता हो और चीज़ों की हिफ़ाज़त करता हो वरना तावान लाज़िम होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.34:– वदीअ़त रखने वाला ग़ायब होगया मालूम नहीं ज़िन्दा है या मरगया तो वदीअ़त को महफ़ूज़ ही रखना होगा जब मौत का इल्म होजाये और वुरसा भी मालूम हैं तो वुरसा को देदे मालूम न होने की सूरत में वदीअ़त को सदक़ा नहीं कर सकता और लुक़्ता में मालिक को पता न चले तो सदक़ा करने का हुक्म है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.35:– वदीअ़त रखने वाला मरगया और उसपर दैन मुस्तग़रक़ (इतना कर्ज कि अदा करने के बाद उसके पास कुछ न बचे) न हो तो वदीअ़त वुरसा को देदे और दैन मुस्तग़रक़ हो तो यह वदीअ़त हक़्क़े गुरबा है इस सूरत में वुरसा को नहीं दे सकता देगा तो गुरबा इस मूदा से तावान लेंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.36:– जिसके पास वदीअ़त थी कहता है कि मैंने तुम्हारे पास वदीअ़त भेजदी और जिसके हाथ भेजना बताता है वह उसकी अयाल में है तो उसका क़ौल मोअ़्तबर है और अजनबी के हाथ भेजना बताता है और मालिक इन्कार करता है कहता है मुझको ख़बर नहीं मिली तो मूदा ज़ामिन है हाँ अगर मालिक इक़रार करले या मूदा गवाहों से इसके पास भेजना साबित करदे तो ज़ामिन नहीं(आलमगीरी)

मसअ्ला.37:– ग़ासिब ने मग़सूब को वदीअ़त रखदिया था मूदा ने ग़ासिब के पास चीज़ वापस करदी। यह मूदा ज़िमान से बरी होगया। (आलमगीरी)

वदीअ़त की तजहील

मसअ्ला.38:– मूदा का इन्तिक़ाल होगया और उसने वदीअ़त के मुताल्लिक़ तजहील की है (साफ़ बयान नहीं किया जिससे मालूम हो सके, फुलाँ फुलाँ चीज़ अमानत है और वह फुलाँ जगह है।) यह भी मना करने के माना में है और इस सूरत में वदीअ़त का तावान लिया जायेगा और उसके तर्का में से बतौर दैन वसूल किया जायेगा। हाँ अगर उसका बयान न करना इस वजह से हो कि वुरसा को मालूम हो कि फुलाँ चीज़ वदीअ़त है बयान करने की क्या ज़रूरत है तो तावान वाजिब नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.39:– मूदा मरगया और अमानत हलाक होगई मूदेअ् कहता है कि मूदअ् ने तजहील की है लिहाज़ा तावान वाजिब है वारिस् कहता है मुझे मालूम था अगर वारिस् ने उन चीज़ों को बयान कर दिया कि फुलाँ फुलाँ चीज़ मूरिस् के पास वदीअ़त थी वारिस का क़ौल मोअ़्तबर है यानी मूदा के मरने के बाद वारिस् उसके क़ायम मक़ाम है उससे ज़िमान नहीं लिया जायेगा सिर्फ़ एक बात में फ़र्क़ है वारिस् ने चोर को वदीअ़त बतादी ज़ामिन नहीं है और मूदा ने बताई तो ज़ामिन है मगर जबकि उसे लेने से बक़द्र ताक़त मना करे। (दुर्रेमुख़्तार, बहर)

मसअ्ला.40:– वुरसा कहते हैं वदीअ़त उसने अपनी ज़िन्दगी में वापस करदी थी। उनका क़ौल मक़बूल नहीं बल्कि गवाहों से वापसी को साबित करना होगा। साबित न करने पर मय्यित के माल से तावान वसूल किया जायेगा और अगर वुरसा ने गवाहों से साबित किया कि मूदा ने अपनी ज़िन्दगी में यह कहा था कि वदीअ़त वापस कर चुका हूँ तो यह गवाह मक़बूल होंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.41:– वदीअ़त के अलावा दीगर अमानतों पर भी यही हुक्म है कि तजहील करके मर जायेगा तो उसका तावान वाजिब होजायेगा अमानत बाक़ी नहीं रहेगी सिर्फ़ बाज़ अमानतों का इससे इस्तिस्ना है। (1)मुतवल्ली मस्जिद जिसके पास वक़्फ़ की आमदनी थी और बिग़ैर बयान किये मर गया। (2)क़ाज़ी ने यतामा के अमवाल अमानत रखे और बिग़ैर बयान किये मरगया यह नहीं बताया, कि किसके पास अमानत है और क़ाज़ी ने ख़ुद अपने यहाँ रखा था और बिग़ैर बयान मरगया तो ज़ामिन है इसके तर्के से वुसूल करेंगे मगर क़ाज़ी ने अगर कहदिया था कि माल मेरे पास ज़ाइअ् होगया या मैंने यतीम पर ख़र्च करडाला तो इस पर ज़मान नहीं। (3)सुल्तान ने अम्वाले ग़नीमत बाज़

ग़ाज़ियों के पास अमानत रखे और मरगया और यह बयान नहीं किया कि किसके पास हैं। (4)दो शख़्सों में शिरकते मुफ़ावज़ा थी उनमें से एक मर गया और जो कुछ अम्वाल उसके क़ब्ज़े में थे उनको बयान नहीं किया। (बहर, आलमगीरी)

मसअ्ला.42:– मुदा मजनून होगया और जुनून भी मुतबक़ है और उसके पास बहुत कुछ अम्वाल हैं। वदीअ़त तलाश की गई मगर नहीं मिली और उसकी उम्मीद भी नहीं है कि उसकी अ़क़्ल ठीक होजायेगी तो क़ाज़ी किसी को मजनून का वली मुक़र्रर करेगा वह मजनून के माल से वदीअ़त अदा करेगा जिसको देगा उससे ज़ामिन ले लेगा फिर अगर वह मजनून अच्छा होगया और कहता है 'मैंने वदीअ़त वापस करदी थी या जाइअ़ होगई या कहता है मुझे मालूम नहीं क्या हुई उस पर हल्फ़ दिया जायेगा बादे हल्फ़ जो कुछ माल उसको दिया गया है वापस लिया जायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.43:– मूदा ने वदीअ़त अपनी औ़रत को देदी और मरगया तो औ़रत से मुतालबा होगा। अगर औ़रत कहती है चोरी होगई या ज़ाइअ़ होगई तो क़सम के साथ औ़रत की बात मोअ्तबर है और उसका मुतालबा अब किसी से न होगा और अगर औ़रत कहती है मैंने मरने से पहले शौहर को वापस देदी थी तो उसकी बात मोअ्तबर है और औ़रत को जो कुछ तर्का मिला है उसमें से वदीअ़त का तावान लिया जायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.44:– खुद मरीज़ से पूछागया कि तुम्हारे पास फ़ुलाँ की वदीअ़त थी वह क्या हुई उसने कहा मैंने अपनी औ़रत को देदी है उसके मरने के बाद औरत से पूछागया औ़रत कहती है मुझे उसने नहीं दी है इस सूरत में औ़रत पर हल्फ़ दियाजायेगा और हल्फ़ करले तो मुतालबा न होगा(आलमगीरी)

मसअ्ला.45:– मुज़ारिब ने यह कहा कि मैंने माले मुज़ारबत फ़ुलाँ के पास वदीअ़त रख दिया है यह कहकर मरगया तो न मुज़ारिब के माल से लिया जा सकता है न उसके वुरसा से और जिसका उसने नाम लिया है वह इन्कार करता है तो क़सम के साथ उसकी बात मानली जायेगी और अगर यह शख़्स भी मरगया और उसने वदीअ़त के मुताल्लिक़ कुछ बयान नहीं किया और उसके पास वदीअ़त रखना सिर्फ़ मुज़ारिब के कहने ही से मालूम हुआ और कोई सुबूत नहीं है तो उसके तर्के से वुसूल नहीं की जा सकती और अगर गवाहों से उसके पास वदीअ़त रखना साबित है या उसने खुद इक़रार किया है कि मेरे पास मुज़ारिब ने वदीअ़त रखी है और मुज़ारिब मरगया फिर वह शख़्स भी मरगया तो उसके माल से वदीअ़त वुसूल की जायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.46:– एक शख़्स के पास एक हज़ार रूपये वदीअ़त के हैं उन रूपयों के दो शख़्स दावेदार हैं. हर एक कहता है मैंने इसके पास वदीअ़त रखे हैं और मूदा कहता है तुम दोनों में से एक ने वदीअ़त रखे हैं मैं यह नहीं मोअ़य्यन करके बता सकता कि किसने रखे हैं तो अगर वह दोनों मुद्दई इस बात पर सुलह व इत्तिफ़ाक़ करलें कि हम दोनों यह रूपये बराबर बांट लें तो ऐसा कर सकते हैं और मूदा देने से इन्कार नहीं कर सकता उसके बाद न मूदा से मुतालबा हो सकता है न उस पर हल्फ़ दिया जा सकता। और अगर दोनों सुलह नहीं करते बल्कि हर पूरे हज़ार को लेना चाहता है तो मूदा से दोनों हल्फ़ ले सकते हैं फिर अगर दोनों के मुक़ाबिल में उसने हल्फ़ कर लिया तो दोनों का दावा ख़त्म होगया और अगर दोनों के मुक़ाबिल में क़सम से इन्कार कर दिया उस हज़ार को दोनों बांट लें और एक दूसरे हज़ार का उस पर तावान होगा जो दोनों बराबर लेलेंगे और अगर एक के मुक़ाबिल में हल्फ़ कर लिया दूसरे के मुक़ाबिल में क़सम से इन्कार कर दिया तो जिसके मुक़ाबिल में क़सम से इन्कार किया है वह हज़ार लेले और जिसके मुक़ाबिल में हल्फ़ कर लिया है उसका दावा साक़ित। (आलमगीरी)

मसअ्ला.47:– वदीअ़त को अपने माल या दूसरे के माल में बिना इजाज़ते मालिक इस तरह मिला देना कि इम्तियाज़ बाक़ी न रहे या बहुत दुश्वारी से जुदा किये जा सकें यह भी मूजिबे ज़मान है। दोनों माल एक क़िस्म के हों जैसे रूपये को रूपये में मिला दिया, गेहूँ को गेहूँ में, जौ को जौ में या

दोनों मुख़्तलिफ़ जिन्स के हों मस्लन गेहूं को जौ में मिला दिया इसमें अगरचे इम्तियाज़ और जुदा करना मुमकिन है मगर बहुत दुश्वार है इस तरह पर मिला देना चीज़ को हलाक कर देना है मगर जब तक ज़मान अदा न करे उसका खाना जाइज़ नहीं यानी पहले ज़मान अदा करदे उसके बाद यह मख़्लूत चीज़ ख़र्च करे। (दुर्रेमुख़्तार, वग़ैरहा)

मसअ्ला.48:– एक ही शख़्स ने गेहूं और जौ दोनों को वदीअत रखा है जब भी मिला देना जाइज़ नहीं तो तावान लाज़िम होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.49:– मालिक की इजाज़त से उसने दूसरी चीज़ के साथ ख़लत किया या उसने खुद नहीं मिलाया, बल्कि बिग़ैर उसके फ़ेअ्ल के दोनों चीज़ें मिलगईं मस्लन दो बोरियों में ग़ल्ला था बोरियां फट गईं ग़ल्ला मिलगया, या सन्दूक़ में दो थैलियों में रूपये रखे थे थैलियाँ फटगईं और रूपये मिल गये इन दोनों सूरतों में बाहम शरीक होगये अगर उसमें से कुछ ज़ाइअ् होगा तो दोनों का ज़ाइअ् होगा जो बाक़ी है उसे हिस्से के मुताबिक़ तक़सीम करलें मस्लन एक हज़ार रूपये थे दूसरे के दो हज़ार तो जो कुछ बाक़ी हैं उसके तीन हिस्से करके पहला शख़्स एक हिस्सा लेले और दूसरा शख़्स दो हिस्से। (बहर, आलमगीरी)

मसअ्ला.50:– मूदा के सिवा किसी दूसरे शख़्स ने ख़लत कर दिया अगरचे वह नाबालिग़ हो अगरचे वह शख़्स हो जो मूदा की अयाल में हो वह ख़लत करने वाला ज़ामिन है मूदा ज़ामिन नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.51:– वदीअ्त रूपया या अशरफ़ी है या मकील व मौज़ून (नापने वाली, व तोलने वाली चीजें) है। मूदा ने उसमें से कुछ ख़र्च कर डाला तो जितना रूपया ख़र्च किया है उतने ही का ज़ामिन है। जो बाक़ी है उसका ज़ामिन नहीं यानी जो बाक़ी है अगर ज़ाइअ् होजाये तो उसका तावान लाज़िम नहीं और ख़र्च करने के लिये निकाला था मगर ख़र्च नहीं किया फिर उसी में शामिल कर दिया तो तावान लाज़िम नहीं और अगर जितना वदीअत में से ख़र्च कर डाला था उतना ही बाक़ी में मिला दिया कि इम्तियाज़ जाता रहा मस्लन सौ रूपये में से दस ख़र्च कर डाले थे फिर दस रूपये बाक़ी में मिला दिये तो कुल का ज़ामिन होगया क्योंकि अपने माल को मिलाकर वदीअ्त को हलाक करदिया और अगर इस तरह मिलाया है कि इम्तियाज़ बाक़ी है मस्लन रूपये थे और कुछ नोट या अशर्फ़ियाँ रूपये ख़र्च करडाले फिर इतने ही रूपये शामिल करदिये या जो कुछ मिलाया उसमें निशान बना दिया है कि जुदा किया जा सकता है या ख़र्च किया और उसमें शामिल नहीं किया या दो वदीअ्तें थीं मस्लन एक मरतबा उसने दस रूपये दिये दूसरी मरतबा फिर दस दिये और उनमें से एक वदीअ्त को ख़र्च करडाला इन सब सूरतों में सिर्फ़ उसका ज़ामिन है जो ख़र्च किया है यह उस चीज़ में है जिसके टुकड़े करना मुज़िर न हो मस्लन दस सेर गेहूँ थे उनमें से पाँच सेर ख़र्च किये और वह ऐसी चीज़ हो जिसके टुकड़े करना मुज़िर हो मस्लन एक अचकन का कपड़ा था या कोई ज़ेवर था उसमें से एक टुकड़ा ख़र्च करडाला तो कुल का ज़ामिन है। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.52:– जिस शख़्स ने मिलाया है वह ग़ायब होगया उसका पता नहीं कि कहाँ है तो अगर दोनों मालिक इस पर राज़ी होजायें कि उनमें का एक शख़्स उस मख़्लूत चीज़ को लेले और दूसरे को उस चीज़ की क़ीमत देदे यह हो सकता है और इस पर राज़ी न हों तो मख़्लूत चीज़ को बेचकर हर एक अपनी अपनी चीज़ की क़ीमत पर समन को तक़सीम करके लेले। (आलमगीरी)

मसअ्ला.53:– वदीअ्त पर तअ्द्दी की यानी उसमें बेचा, तसर्रुफ़ किया, मस्लन कपड़ा था उसे पहन लिया, घोड़ा था उस पर सवार हो गया, गुलाम था उससे ख़िदमत ली, या उसे दूसरे के पास वदीअ्त रख दिया इन सब सूरतों में उस पर ज़मान है मगर जब इस हरकत से बाज़ आया यानी उसको हिफ़ाज़त में लेआया और यह नियत है कि अब ऐसा नहीं करेगा तो तअ्द्दी करने से जो ज़मान का हुक्म आगया था वह ज़ाइल (ख़त्म) होगया यानी अगर अब चीज़ ज़ाइअ् होजाये तो तावान नहीं मगर इस्तेमाल से चीज़ में नुक़सान पैदा होजाये तो तावान देना होगा और अगर अब भी नियत

यह हो कि फिर ऐसा करेगा मस्लन रात में कपड़ा उतार दिया और नियत यह है कि सुबह को फिर पहनेगा तो ज़मान का हुक्म ब'दस्तूर बाक़ी है यानी मस्लन रात ही में वह कपड़ा चोरी होगया तावान देना होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.54:– मुस्तईर (उधार लेने वाला) और मुस्ताजिर (ठेकेदार) ने तअ़द्दी की फिर उससे बाज़ आये तो ज़मान से बरी नहीं जब तक मालिक के पास चीज़ पहुँचा न दे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.55:– (1)मूदा (2)बैअ् का वकील, और (3)हिफ़्ज़ का वकील (4)उजरत पर देने, (5)और उजरत पर लेने का वकील, यानी उसको वकील किया था कि इस चीज़ को किराये पर दे या किराये पर ले और उसने खुद इस चीज़ को इस्तेमाल किया फिर इस्तेमाल छोड दिया और (6)मुज़ारिब (7)मुस्जबज़ेअ् यानी मुज़ारिब ने चीज़ को इस्तेमाल किया फिर इस्तेमाल तर्क किया और (8)शरीके इ़नान और (9)शरीके मुफाविज़ा और (10)रहन के लिए आ़रियत लेने वाला कि एक चीज़ आ़रियत पर ली थी कि उसे रहन रखेगा और खुद इस्तेमाल की फिर रहन रखदी यह दस क़िस्म के अश्ख़ास तअ़द्दी करने वाले अगर तअ़द्दी से बाज़ आजायें तो ज़मान से बरी होजाते हैं और इनके अ़लावा जो अमीन तअ़द्दी करेगा वह ज़ामिन होगा अगरचे तअ़द्दी से बाज़ आजाये।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.56:– मूदा को यह इख़्तियार है कि वदीअ़त को अपने हमराह सफ़र में लेजाये अगरचे इसमें बार'बर्दारी सर्फ़ करनी पड़े बशर्ते कि मालिक ने सफ़र में लेजाने से मना न किया हो और लेजाने में उससे हलाक होने का अन्देशा भी न हो और अगर मालिक ने मना करदिया हो या लेजाने में अन्देशा हो और सफ़र में जाना ज़रूरी है और तन्हा सफ़र किया और वदीअ़त को भी लेगया, ज़ामिन है और बाल बच्चों के साथ सफ़र किया तो ज़ामिन नहीं। दरियाई सफ़र ख़ौफ़नाक है कि इसमें ग़ालिब हलाक है। (दुर्रेमुख़्तार, बहर)

मसअ्ला.57:– दो शख़्सों ने मिलकर वदीअ़त रखी इनमें से एक अपना हिस्सा मांगता है दूसरे की अ़दम मौजूदगी में देना जाइज़ नहीं और अगर देदेगा तो ज़ामिन नहीं और एक ने क़ाज़ी के पास दावा किया कि मेरा हिस्सा दिलाया जाये तो क़ाज़ी देने का हुक्म नहीं देगा। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.58:– दो शख़्सों ने वदीअ़त रखी थी एक ने मूदा से कहा कि मेरे शरीक को सौ रूपये दे दो उसने देदिये इसके बाद बक़िया रक़म ज़ाइअ् होगई तो जो शख़्स सौ रूपये ले चुका है उसमें से यह तन्हा उसी के हैं उसका साथी उनमें से निस्फ़ नहीं ले सकता और अगर यह कहा था कि इसमें आधी रक़म इसको देदो और बक़िया रक़म ज़ाइअ् होगई तो साथी जो निस्फ़ लेचुका है। उसमें से यह निस्फ़ लेसकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.59:– दो शख़्सों ने एक शख़्स के पास पचास हज़ार रूपये वदीअ़त रखे, मूदा मरगया और एक बेटा छोड़ा, उन दोनों में एक यह कहता है कि बाप के मरने के बाद उस लड़के ने वदीअ़त हलाक करदी। दूसरे ने कहा मा'लूम नहीं वदीअ़त क्या हुई तो जिसने बेटे को हलाक करना बताया उसने मूदा को बरी करदिया यानी उसके क़ौल का मतलब यह हुआ कि मरने वाले ने वदीअ़त को बि'ऐनेही क़ायम रखा और बेटे से ज़मान लेना चाहता है तो बिग़ैर सुबूत इसकी यह बात क्योंकर मानी जा सकती है लिहाज़ा बेटे पर तावान का हुक्म नहीं होसकता और दूसरा शख़्स जिसने कहा मा'लूम नहीं, वदीअ़त क्या हुई। उसको मय्यित के माल से पाँचसौ दिलाये जायेंगे क्योंकि वह मय्यित पर तजहीले वदीअ़त का इल्ज़ाम रखता है और इस सूरत में माले मय्यित से तावान दिलाने का हुक्म होता है। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.60:– मूदा ने वदीअ़त रखने ही से इन्कार करदिया या मालिक ने गवाहों से वदीअ़त रखना साबित करदिया इसके बाद मूदा गवाह पेश करता है कि वदीअ़त ज़ाइअ् होगई। मूदा के गवाह ना'मक़बूल हैं और उसके ज़िम्मे तावान लाज़िम चाहे उसके गवाहों से इन्कार के बाद ज़ाइअ् होना साबित हो या इन्कार से क़ब्ल बहर सूरत तावान देना होगा और अगर वदीअ़त रखने से मूदा ने

इन्कार नहीं किया था बल्कि यह कहा था कि मेरे पास तेरी वदीअ़त नहीं है और गवाहों से ज़ाइअ़ होना साबित किया। अगर गवाहों से यह साबित हो कि इसके कहने से पहले ज़ाइअ़ हुई तो तावान नहीं और अगर उसके कहने के बाद ज़ाइअ़ होना गवाहों ने बयान किया तो तावान लाज़िम है और गवाहों से मुतलकन ज़ाइअ़ होना साबित हुआ या पहले या बाद नहीं साबित है जब भी ज़ामिन है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.61:– वदीअ़त से मूदा ने इन्कार कर दिया, उसके बाद वदीअ़त वापस करदी और उसको गवाहों से साबित कर दिया तो गवाह मक़बूल हैं और यह बरी और गवाहों से साबित किया कि इन्कार से पहले ही वदीअ़त देदी थी और यह कहता है कि मैंने इन्कार करने में ग़लती की मैं भूल गया था तो यह गवाह भी मक़बूल हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.62:– मूदा कहता है मैंने वदीअ़त वापस करदी, चन्द रोज़ के बाद कहता है ज़ाइअ़ होगई उस पर तावान लाज़िम है और अगर कहा ज़ाइअ़ होगई फ़िर चन्द रोज़ के बाद कहता है मैंने वापस करदी मैंने ग़लती से ज़ाइअ़ होना कह दिया इस सूरत में भी तावान है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.63:– मूदा कहता है वदीअ़त हलाक होगई और मालिक उसकी तकज़ीब करता है मालिक कहता है इस पर हल्फ़ दिया जाये हल्फ़ दिया गया उसने क़सम खाने से इन्कार कर दिया इससे साबित हुआ कि चीज़ इसके यहाँ मौजूद है लिहाज़ा इसको क़ैद किया जायेगा उस वक़्त तक कि चीज़ देदे या साबित करदे, कि चीज़ नहीं बाक़ी रही। (आलमगीरी)

मसअ्ला.64:– किसी के पास वदीअ़त रखकर परदेस चलागया वापस आने के बाद अपनी चीज़ मांगता है मूदा कहता है तुमने अपने बाल बच्चों पे ख़र्च करदेने के लिये कहा था मैंने ख़र्च करदी। मालिक कहता है मैंने ख़र्च करने को नहीं कहा था मालिक का क़ौल मोअ्तबर है। यूँही अगर मूदा यह कहता है कि तुमने मसाकीन पर ख़ैरात करने को कहा था मैंने ख़ैरात करदी या फ़ुलाँ शख़्स को हिबा करने को कहा था मैंने हिबा करदिया मालिक कहता है मैंने नहीं कहा था इसमें भी मालिक का क़ौल मोअ्तबर है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.65:– किसी के पास रूपये वदीअ़त रखे मालिक उससे कहता है मैंने फ़ुलाँ शख़्स को हुक्म देदिया था कि वह तुम्हारे पास से रूपये लेले फिर मैंने उसे मना कर दिया मूदा कहता है वह तो ले भी गया उस शख़्स से पूछा गया तो कहने लगा मैं न मूदा के पास गया न मैंने रूपये लिये। मूदा की बात मोअ्तबर है उसपर ज़मान लाज़िम नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.66:– मूदा ने वदीअ़त से इन्कार कर दिया फिर उस मूदेअ़ ने उसके पास उसी जिन्स की वदीअ़त रखी यह शख़्स अपने मुतालबे में उस वदीअ़त को रोक सकता है और अगर उस पर क़सम दीजाये तो यूँ क़सम खाये कि उसकी फ़ुलाँ चीज़ मेरे ज़िम्मे नहीं है यह क़सम न खाये कि इसने वदीअ़त नहीं रखी है कि यह क़सम झूठी होगी यूँही अगर उसका किसी के ज़िम्मे दैन था मद्यून ने दैन से इन्कार करदिया फिर मद्यून ने उसी जिन्स की चीज़ वदीअ़त रखी अपने दैन में उसे रोक सकता है और अगर वदीअ़त उस जिन्स की चीज़ न हो तो नहीं रोक सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.67:– एक शख़्स ने पचास रूपये क़र्ज़ माँगे उसने ग़लती से पचास की जगह साठ दे दिये। उसने मकान पर आकर देखा कि दस ज़ाइद हैं वापस करने को दस लेगया रास्ते में यह ज़ाइअ़ होगये इस पर पाँच सुदुस का ज़मान है और एक सुदुस यानी दस रूपये में से छटे हिस्से का ज़मान नहीं क्योंकि जो रूपये उसने ग़ल्ती से दिये वह उस के पास वदीअ़त हैं और वह कुल का छटा हिस्सा है लिहाज़ा इन दस का छटा हिस्सा भी वदीअ़त है सिर्फ़ इस छटे हिस्से का ज़मान वाजिब नहीं और अगर कुल रूपये ज़ाइअ़ हुए तो पचास ही रूपये उसके ज़िम्मे वाजिब हैं क्योंकि दस वदीअ़त हैं उनका तावान नहीं यूँही अगर किसी के ज़िम्मे पचास रूपये बाक़ी थे उसने ग़लती से साठ लेलिये दस रूपये वापस करने जा रहा था रास्ते में ज़ाइअ़ होगये तो पाँच सुदुस का ज़मान उस पर वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.68:– शादी में रूपये पैसे निछावर करने के लिये किसी को दिये तो यह शख़्स अपने लिये

उनमें से बचा नहीं सकता और न ख़ुद गिरे हुए को लूट सकता है और यह भी नहीं कर सकता कि दूसरे को लुटाने के लिये देदे। शकर और छुआरे जो लुटाने के लिये दिये जाते हैं। उनका भी यही हुक्म है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.69:– मुसाफ़िर किसी के मकान पर मरगया उसने कुछ थोड़ासा माल दो तीन रूपये का छोड़ा और उसका कोई वारिस् मा़लूम नहीं और जिसके मकान पर मरा है यह फ़क़ीर है इस माल को अपने लिये यह शख़्स़ रख सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.70:– एक शख़्स़ ने दो शख़्सों के पास वदीअ़त रखी अगर वह चीज़ क़ाबिले क़िस्मत (तक़सीम के लायक़) है दोनों इस चीज़ को तक़सीम करलें हर एक अपने हिस़्से की हिफ़ाज़त करेगा अगर ऐसा नहीं किया बल्कि इनमें से एक ने दूसरे के सिपुर्द करदी तो यह देने वाला ज़ामिन है। और अगर वह चीज़ तक़सीम के क़ाबिल नहीं तो इनमें से एक दूसरे के सिपुर्द कर सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.71:– मूदेअ् ने कह दिया था कि वदीअ़त को दुकान में न रखना क्योंकि उसमें से ज़ाइअ् होने का अन्देशा है अगर मूदा़ के लिये कोई दूसरी जगह उससे ज़्यादा महफ़ूज़ है और यह इस पर क़ादिर भी था कि उठाकर वहाँ लेजाता और न लेगया और दुकान से वह चीज़ रात में चोरी होगई तो ज़मान देना होगा और कोई दूसरी जगह हिफ़ाज़त की उसके पास नहीं या उस वक़्त चीज़ को लेजाने पर क़ादिर न था तो ज़ामिन नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.72:– मालिक ने यह कह दिया है कि इस चीज़ को अपनी अ़याल के पास न छोड़ना या इस कमरे में रखना और मूदा़ ने ऐसे को दिया जिसके देने से चारा न था मस्‌लन ज़ेवर था बीवी को देने से मना़ किया था उसने बीवी को देदिया घोड़ा था गुलाम को देने से मना़ किया था उसने ग़ुलाम को देदिया और इस कमरे के सिवा दूसरे कमरे में रखी और दोनों कमरे हिफ़ाज़त के लिहा़ज़ से यकसाँ हैं या यह इससे भी ज़्यादा महफ़ूज है और वदीअ़त ज़ाइअ् होगई तावान लाज़िम नहीं। और अगर यह बातें न हों मस्‌लन ज़ेवर ग़ुलाम को देदिया घोड़ा बीवी की हिफ़ाज़त में दिया या वह कमरा इतना महफ़ूज नहीं है तो तावान देना होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.73:– मूदेअ् ने कहा इस थैली में न रखना उसमें रखना या थैली में रखना स़न्दूक़ में न रखना या स़न्दूक़ में रखना इस घर में न रखना और उसने वह किया जिससे मूदेअ् ने मना़ किया था। इन सूरतों में ज़मान वाजिब नहीं। (आलमगीरी) **क़ायदा कुल्लिया** इस बाब में यह है कि अमानत रखने वाले ने अगर ऐसी शर्त़ लगाई जिसकी रिआ़यत मुम्किन है और मुफ़ीद भी हो तो उसका एअ्तिबार है और ऐसी न हो तो उसका एअ्तिबार नहीं मस्‌लन यह शर्त़ कि इसे अपने हाथ में लिये रहना। किसी जगह न रखना या दाहिने हाथ में रखना बाएं में न रखना या इस चीज़ को दाहिनी आँख से देखते रहना बाईं आँख से न देखना इस क़िस्म की शर्तें बेकार हैं इन पर अ़मल करना कुछ जरूरी नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.74:– एक शख़्स़ के पास वदीअ़त रखी उसने दूसरे के पास रखदी और ज़ायेअ् (बर्बाद) होगई तो फ़क़त़ मूदा़ से ज़मान लेगा दूसरे से नहीं लेसकता और अगर दूसरे को दी और वहाँ से अभी मूदा़ जुदा नहीं हुआ है कि हलाक होगई तो मूदा़ से भी ज़मान नहीं ले सकता। (हिदाया)

मसअ्ला.75:– मालिक कहता है कि दूसरे के यहाँ से हलाक हुई और मूदा़ कहता है उसने मुझे वापस करदी थी मेरे यहाँ से जाइअ् हुई मूदा़ की बात नहीं मानी जायेगी और अगर मूदा़ से किसी ने ग़स़ब की होती और मालिक कहता ग़ासिब के यहाँ हलाक हुई और मूदा़ कहता कि उसने वापस करदी थी मेरे यहाँ हलाक हुई तो मूदा़ की बात मानी जाती। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.76:– एक शख़्स़ को हज़ार रूपये दिये कि फुलाँ शख़्स़ को जो फुलाँ शहर में है, देदेना उसने दूसरे को देदिये कि तुम उस शख़्स़ को देदेना और रास्ते में रूपये जाइअ् होगये अगर देने वाला मरगया है तो मूदा़ पर तावान नहीं है कि यह वस़ी है और अगर ज़िन्दा है तो तावान है कि वकील है हाँ अगर वह शख़्स़ जिसको रूपये दिये हैं उसकी अ़याल में है तो ज़ामिन नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.77:– धोबी ने ग़लती से एक का कपड़ा दूसरे को देदिया उसने क़त्अ़ कर डाला दोनों ज़ामिन हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.78:– जानवर को वदीअ़त रखा था वह बीमार हुआ इलाज कराया और इलाज से हलाक होगया मालिक को इख़्तियार है जिससे चाहे तावान ले मूदअ़ से भी तावान ले सकता है और मुआ़लिज से भी अगर मुआ़लिज से तावान लिया। ब'वक़्ते इलाज उसको मा़लूम न था कि यह दूसरे का है। मुआ़लिज मूदअ़ से वापस लेसकता है और अगर मा़लूम था तो नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.79:– ग़ासिब ने किसी के पास मग़सूब चीज़ वदीअ़त रखी और हलाक होगई मालिक को इख़्तियार है दोनों में से जिससे चाहे ज़मान ले। अगर मूदअ़ से तावान लिया वह ग़ासिब से रुजूअ़ कर सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.80:– एक शख़्स को रूपये दिये कि इनको फ़ुलाँ शख़्स को आज ही देदेना उसने नहीं दिये और ज़ाइअ़ होगये तावान लाज़िम नहीं इसलिये कि उसपर उसी रोज़ देना लाज़िम न था। यूँही मालिक ने यह कहा कि वदीअ़त मेरे पास पहुँचा जाना उसने कहा पहुँचादूँगा और नहीं पहुँचाया इसके पास से ज़ाइअ़ होगई तावान वाजिब नहीं क्योंकि मूदअ़ के ज़िम्मे यहाँ लाकर देना नहीं है कि तावान लाज़िम आये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.81:– मालिक ने कहा यह चीज़ फ़ुलाँ शख़्स को देदेना यह कहता है मैंने देदी मगर वह कहता है नहीं दी है। मूदअ़ की बात क़सम के साथ मोअ़तबर है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.82:– मूदअ़ ने कहा मा़लूम नहीं वदीअ़त क्यूँकर जाती रही इब्तिदाअन इसने यही जुमला कहा। यूँ कहा कि चीज़ जाती रही और मा़लूम नहीं गिरगई इस सूरत में ज़मान नहीं। अगर यूँही कहा मा़लूम नहीं ज़ाइअ़ हुई या नहीं हुई या यूँ कहा मा़लूम नहीं मैंने इसे रख दिया है या मकान के अन्दर कहीं दफ़्न कर दिया है या किसी दूसरी जगह दफ़्न किया है इन सूरतों में ज़ामिन है। और अगर यूँ कहता कि मैंने एक जगह दफ़्न कर दिया था वहाँ से कोई चुरा लेगया अगरचे उस जगह को नहीं बताया जहाँ दफ़्न किया था इसमें ज़मान वाजिब नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.83:– दलाल को बेचने के लिये कपड़ा दिया था दलाल कहता है, कपड़ा मेरे हाथ से गिर गया और ज़ाइअ़ होगया मा़लूम नहीं क्यूँकर ज़ाइअ़ हुआ तो इस पर तावान नहीं और दलाल यह कहता है कि मैं भूलगया मा़लूम नहीं किस दुकान पर रख दिया था तो तावान देना होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.84:– मूदअ़ कहता है वदीअ़त मैंने अपने सामने रखी थी भूलकर चलागया ज़ाइअ़ होगई। इस सूरत में तावान देना होगा और अगर कहता है मकान के अन्दर छोड़कर चलागया और ज़ाइअ़ होगई अगरचे वह जगह हिफ़ाज़त की है कि इस क़िस्म की चीज़ बतौर हिफ़ाज़त रखी जाती है तो तावान नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.85:– मकान किसी की हिफ़ाज़त में देदिया और उसी मकान के एक कमरे या कोठरी में वदीअ़त रखी है और उसको मुक़फ़्फ़ल करदिया कि आसानी से न खुल सकता हो तो तावान नहीं, वरना है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.86:– उसके मकान में लोग ब'कसरत आते जाते हैं मगर उसके ब'वजूद चीज़ की हिफ़ाज़त रहती है और उसने हिफ़ाज़त की जगह में वदीअ़त रखदी है ज़मान वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.87:– माले वदीअ़त को ज़मीन में दफ़्न करदिया और कोई निशानी भी कर रखी है तो ज़ाइअ़ होने पर तावान नहीं और निशान नहीं किया तो तावान है और जंगल में दफ़्न करदिया तो बहर सूरत तावान है।

मसअ्ला.88:– मूदअ़ के पीछे चोर लगगये उसने वदीअ़त को दफ़्न करदिया कि चोर उसके हाथ से कहीं ले न लें और दफ़्न करके उनके ख़ौफ़ से भाग गया फिर आकर तलाश करता है तो पता नहीं चलता कि कहाँ दफ़्न की थी अगर दफ़्न करते वक़्त इतना मौक़ा था कि निशानी कर देता और

हमे बड़ी मुसर्रत हो रही है कि अल्लाह त'आला और उसके हबीब सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम के हुक्म फ़ज़्ल-ओ-करम से और बुज़ुर्गाने दीन सिलसिला-ए-क़ादिरिया बिलख़ुसूस पिराने पीर दस्तगीर हुज़ूर ग़ौस-ए-आज़म शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रादिअल्लाहु त'आला अन्हू के फ़ैज़ से क़िताब बहार-ए-शरीअत **(हिस्सा 11 से 20)** हिंदी में पीडीएफ **[PDF]** में आप की खिदमत में पेश की जा रही है।

ज़माना-ए- क़दीम से अवमुन्नास की इस्लाहे हाल और हिदायते उख़रवी व दुनयवी के लिए हक़ सदाक़त के जाम की फ़राहमी की जाती रही है और ये इलतेज़ाम ख़ालिक़-ए-क़ायनात जल्ला जलालहु ने ब अहसान अपनी मख़लूक़ के लिए फ़रमाया है। अम्बिया व मुर्सलीन के बेहतरीन दौर के बाद उसने यह ख़िदमत अपने मुक़र्रबीन रिज़वानुल्लाह त'आला अलैहिम अजमईन के सुपुर्द की और यह सिलसिला अला हालही जारी व सारि है।

मज़हब-ए-इस्लाम अल्लाह त'आला का पसंदीदा दीन है । ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नही जिसके लिए इस्लाम ने हमे क़ानून न दिया हो ।

आज जिस दौर से हम गुज़र रहे है हमारा मुस्लिम तबका उर्दू की तरफ ध्यान नही दे रहा है और नई नस्ल तो बिल्कुल ही उर्दू से नावाक़िफ़ होती जा रही है । नतीजे के तौर पर दीनी और मज़हबी दिलचस्पियाँ कम हो रही है और हम अपने हाल को ग़ैर मुंज़बित तरीके पे छोड़े रहते है ।

लिहाज़ा ये किताब हिंदी में लिखी गई है और आप सब की आसानी के लिए हम ने इस किताब को पीडीएफ फ़ाइल में आप की ख़िदमत में पेश किया है।
आप सब से हमारी गुज़ारिश है कि अपनी मसरूफ ज़िन्दगी में से रोज़ाना वक़्त निकाल कर बुज़ुर्गो की तस्नीफ़ करदा किताबो को मुताला में रखें , इंशा अल्लाह त'आला दीन और दुनिया दोनो में मक़बूल होंगे।

दुआओं के तलबगार

वसीम अहमद रज़ा खान और साथी

+91-8109613336

नहीं की तो ज़ामिन है और अगर निशानी का मौक़ा न मिला तो दो सूरतें हैं अगर जल्द आजाता तो पता चलजाता, और जल्द आना मुम्किन था मगर न आया, जब भी ज़ामिन है और जल्द आना मुम्किन ही न था इस वजह से नहीं आया तो ज़ामिन नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.89:– ज़माना–ए–फ़ितना में वदीअ़त को वीराने में रख आया अगर ज़मीन के ऊपर रख दी, तो ज़ामिन है और दफ़्न करदी तो ज़ामिन नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.90:– मूदा से कोई ज़बरदस्ती माल लेना चाहता है अगर जान से मारने या क़ता अज़ू (जिस्म का हिस्सा काटने) की धमकी दी इसने उस पर कुछ माल देदिया ज़मान नहीं और अगर उसने धमकी दी कि उसे बन्द करदेगा या क़ैद करदेगा और माल देदिया तो तावान वाजिब है और अगर यह अन्देशा है कि अगर कुछ थोड़ा माल उसे न दिया जाये तो कुल ही छीन लेगा। यह देने के उ़ज़्र हैं यानी ज़मान लाज़िम नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.91:– वदीअ़त के मुताल्लिक़ यह अन्देशा है कि ख़राब होजायेगी मालिक मौजूद नहीं या वह ले नहीं जाता मूदा को चाहिए यह मुआमला हाकिम के पास पेश करे ताकि वह बेच डाले और अगर मूदा ने पेश नहीं किया यहाँ तक कि वदीअ़त ख़राब होगई तो इस पर ज़मान नहीं और अगर वहाँ क़ाज़ी ही न हो तो चीज़ को बेच डाले और स्मन महफ़ूज़ रखे। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.92:– वदीअ़त के मुताल्लिक़ मूदा ने कुछ ख़र्च किया अगर यह क़ाज़ी के हुक्म से नहीं है मुतबर्रा है कुछ मुआवज़ा नहीं पायेगा और अगर क़ाज़ी के पास मुआमला पेश किया क़ाज़ी इस पर गवाह त़लब करेगा कि यह वदीअ़त है और इसका मालिक ग़ायब है फिर वह चीज़ ऐसी है। जो किराये पर दी जासकती है तो क़ाज़ी हुक्म देगा कि किराये पर दीजाये और आमदनी उस पर स़र्फ़ की जाये और अगर किराये पर न देने की चीज़ हो तो क़ाज़ी यह हुक्म देगा कि दो तीन दिन तुम अपने पास से ख़र्च करो शायद मालिक आजाये उससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं देगा। बल्कि हुक्म देगा कि चीज़ बेचकर उसका स्मन महफ़ूज़ रखा जाये। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.93:– मुस्हफ़ शरीफ़ को रहन या वदीअ़त रखा था। मूदा या मुरतहिन उसमें देखकर तिलावत कर रहा था। उसी हालत में ज़ाइअ् होगया। तावान वाजिब नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.94:– किताब वदीअत है उसमें ग़लती नज़र आई अगर मा़लूम है दुरुस्त करने से मालिक को नागवारी होगी दुरुस्त न करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.95:– एक शख़्स को दस रूपये दिये और यह कहा कि इनमें से पाँच तुम्हारे लिए हिबा हैं और पाँच वदीअ़त उसने पाँच ख़र्च करडाले और पाँच ज़ाइअ् होगये साढ़े सात रूपये उसपर तावान के वाजिब हैं क्योंकि मुशाअ् (हिस्सा) का हिबा सही नहीं है और हिबा फ़ासिद के तौर पर जिस चीज़ का क़ब्ज़ा होता है उसका ज़मान लाज़िम होता है और पाँच रूपये जो ज़ाइअ् हुए, उनमें वदीअ़त और हिबा दोनों हैं लिहाज़ा उनके निस्फ़ का ज़मान होगा कि वह ढाई रूपये हैं और जो ख़र्च किये हैं उनके कुल का "ज़मान" है। यूँही साढ़े सात रूपये का तावान वाजिब और अगर देते वक़्त यह कहा कि इनमें तीन तुम्हें हिबा करता हूँ और सात फुलाँ शख़्स को दिये और वह देने गया रास्ते में कुल रूपये ज़ाइअ् होगये तो कुल तीन रूपये का तावान वाजिब है कि यह हिबा फ़ासिद है और पाँच पाँच रूपये करके और यह कहदिया कि पाँच हिबा हैं और पाँच अमानत हैं और यह नहीं बताया कि कौनसे पाँच हिबा के हैं इसने सबको ख़लत़ कर दिया और ज़ाइअ् होगये तो पाँच रूपये तावान वाजिब। (आलमगीरी)

मसअ्ला.96:– वदीअ़त ऐसी चीज़ है जिसमें गर्मियों में कीड़े पड़ जाते हैं उसने इस चीज़ को हवा में नहीं रखा और कीड़े पड़गये तो इस पर तावान वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.97:– वदीअ़त को चूहों ने ख़राब कर दिया अगर उसने पहले ही मूदा से कह दिया था कि यहाँ चूहे हैं तो तावान नहीं और उसे मा़लूम होगया कि यहाँ चूहे के बिल हैं और न बन्द किये, न मालिक को ख़बर दी। तो तावान वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.98:– जानवर को वदीअ़त रखा और ग़ायब होगया मूदा़ ने उसका दूध दुहा और यह अन्देशा है कि उसके आने तक दूध ख़राब होजायेगा। उसको बेच डाला, अगर क़ाज़ी के हुक्म से बेचा, तो ज़ामिन नहीं। और बिग़ैर हुक्मे क़ाज़ी बेचा, तो ज़ामिन है। यानी अगर यह स्मन ज़ाइअ् हो गया तो तावान देना होगा। मगर जबकि ऐसी जगह हो, जहाँ क़ाज़ी न हो, तो ज़ामिन नहीं(आलमगीरी)

मसअ्ला.99:– अँगूठी वदीअ़त रखी, मूदा़ ने छुंगलिया या उसके पास वाली उंगली में डालली। और उसी में पहने हुए था कि हलाक होगई तो तावान लाज़िम है। और अगर अँगूठे या कलिमे की उंगली या बीच की उंगली में डालली। और उसी हालत में हलाक होगई तो तावान नहीं। और औरत के पास वदीअ़त रखी तो किसी उंगली में डालेगी ज़ामिन होगी। (आलम गीरी)

मसअ्ला.100:– थैली में रूपये किसी के पास वदीअ़त रखे। मगर मूदा़ के सामने गिनकर सिपुर्द नहीं किये जब वापस लिये तो कहता है कि रूपये कम हैं तो मूदा़ पर न ज़मान है न उस पर ह़ल्फ़ दिया जायेगा हाँ अगर उसके ज़िम्मे ख़्यानत या ज़ाइअ् करने का इल्ज़ाम लगाता है तो हल्फ़ होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.101:– कूंडा वदीअ़त रखा, मूदा़ के मकान में तन्नूर था। उसने कूंडा तन्नूर पर रख दिया, ईंट गिरी और कूंडा टूटगया। अगर तन्नूर पर रखने से तन्नूर छुपाना मक़्सूद था तो तावान दे। और यह मक़सद न था बल्कि उसको महज़ रखना मक़्सूद था तो तावान नहीं। यूंही रकाबी या त़बाक़ वदीअ़त रखा, मूदा़ ने उसको मटके या गोली पर रख दिया। अगर महज़ रखना मक़्सूद है तो तावान नहीं और छुपाना मक़्सूद है तो तावान है और यह कैसे मा़लूम होगा कि छुपाना मक़्सूद था या नहीं इसकी सूरत यह है कि अगर मटके या गोली में पानी या आटा या काई ऐसी चीज़ है जो ढांकी जाती हो तो छुपाना मक़्सूद है। और ख़ाली है या उसमें कोई ऐसी चीज़ जो छुपाकर न रखी जाती हो तो महज़ रखना मक़्सूद है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.102: बकरी वदीअ़त रखी, मूदा़ ने उसे अपनी बकरियों के साथ चरने भेज दिया और बकरी चोरी होगई। अगर यह चरवाहा ख़ास मूदा़ का चरवाहा है तो तावान नहीं और अगर ख़ास़ नहीं, तो तावान है। (आ़लमगीरी)

आ़रियत का बयान

दूसरे शख़्स को चीज़ की मनफ़अ्त का बिग़ैर एवज़ मालिक कर देना आ़रियत है। जिसकी चीज़ है उसे मुईर कहते हैं और जिसको दी गई उसे मुस्तईर कहते हैं और चीज को मुस्तआ़र कहते हैं।

मसअ्ला.1: आ़रियत के लिये ईजाब क़बूल होना ज़रूरी है अगर कोई फ़ेअ्ल ऐसा किया जिससे क़बूल मा़लूम होता हो तो यह फ़ेअ्ल ही क़बूल है मस्लन किसी से कोई चीज़ माँगी, उसने लाकर देदी और कुछ न कहा, आ़रियत होगई और अगर वह शख़्स ख़ामोश रहा कुछ नहीं बोला, तो आ़रियत नहीं। (बह़र)

मसअ्ला.2:– आ़रियत का हुक्म यह है कि चीज़ मुस्तईर के पास अमानत होती है अगर मुस्तईर ने तअ़द्दी नहीं की है और चीज़ हलाक होगई तो ज़मान वाजिब नहीं और उसके लिये शर्त़ यह है कि शय मुस्तआ़र इन्तिफ़ा़ (उधार ली हुई चीज़ फायदा उठाने के लायक़ हो) के क़ाबिल हो और एवज़ लेने की उसमें शर्त़ न हो तो अगर मुआ़वज़ा शर्त़ हो तो इजारा होजायेगा अगरचे आ़रियत ही का लफ़्ज़ बोला हो। मुनाफ़े की जिहालत उसको फ़ासिद नहीं करती और ऐन मुस्तआ़र की जिहालत से आ़रियत फ़ासिद है मस्लन एक शख़्स से सवारी के लिये घोड़ा माँगा उसने कहा अस्त़बल में दो घोड़े बंधे हैं उनमें से एक लेलो मुस्तईर एक लेकर चलागया अगर हलाक होगा ज़मान देना होगा और अगर मालिक ने यह कहा, कि इनमें से जो तू चाहे, एक लेले तो ज़मान नहीं। बिग़ैर मांगे किसी ने कहदिया यह मेरा घोड़ा है इस पर सवारी लो या गुलाम है इससे ख़िदमत लो यह आ़रियत नहीं यानी ख़र्चा मालिक को देना होगा उसके ज़िम्मे नहीं। (बह़र)

मसअ्ला.3:– आ़रियत के बा़ज़ अल्फ़ाज़ यह हैं मैंने यह चीज़ आ़रियत दी, मैंने यह ज़मीन तुम्हें

खाने को दी, यह कपड़ा पहनने को दिया, यह जानवर तुम्हें देता हूँ इससे काम लेना और खाने को देना।

मसअ्ला.4:– एक शख़्स ने कहा, अपना जानवर कल तक के लिये आ़रियत देदो उसने कहा, हाँ दूसरे ने भी कहा कल शाम तक के लिये अपना जानवर मुझे आ़रियत देदो उसने भी कहा हाँ, तो जिसने पहले जानवर मांगा वह हक़दार है और अगर दोनों के मुँह से एक साथ बात निकली तो दोनों के लिए आ़रियत है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– आ़रियत हलाक होगई अगर मुस्तईर ने तअ़द्दी नहीं की है उससे उसी त़रह काम लिया जो काम का त़रीक़ा है और चीज़ की हिफ़ाज़त की और उसपर जो कुछ ख़र्च करना मुनासिब था ख़र्च किया तो हलाक होने पर तावान नहीं अगरचे आ़रियत देते वक़्त यह शर्त़ करली हो कि हलाक होने पर तावान देना होगा। यह बात़िल शर्त़ है जिस त़रह़ रहन में ज़मान न होने की शर्त बात़िल है। (बह़र)

मसअ्ला.6:– दूसरे की चीज़ आ़रियत के तौ़र पर देदी मुस्तईर के यहाँ हलाक होगई तो मालिक को इख़्तियार है पहले से तावान ले, या दूसरे से। अगर दूसरे से तावान लिया तो यह पहले से रुजूअ़ कर सकता है यह उस वक़्त है कि मुस्तईर को यह मा'लूम न हो कि चीज़ दूसरे की है और अगर यह मा'लूम है कि दूसरे की चीज़ है तो मुस्तईर को ज़मान देना होगा और मालिक ने उससे ज़मान लिया तो यह मुईर से रुजुअ़ नहीं कर सकता और मालिक को यह इख़्तियार है कि मुईर से ज़मान वुसूल करे उससे क़हा तो यह मुस्तईर से रुजुअ़ नहीं कर सकता। (बह़र)

मसअ्ला.7:– तअ़द्दी की बा'ज़ सूरतें यह हैं बहुत ज़ोर से लगाम खींची या ऐसा मारा कि आँख फूटगई या जानवर पर इतना बोझ लाददिया कि मा'लूम है ऐसे जानवर पर इतना बोझ नहीं लादा जाता या इतना काम लिया कि उतना काम नहीं लिया जाता घोड़े से उतरकर मस्जिद में चला गया घोड़ा वहीं रास्ते में छोड़ दिया वह जाता रहा। जानवर इस लिये लिया कि फ़ुलाँ जगह मुझे सवार होकर जाना है और दूसरी नहर पर पानी पिलाने लेगया, बैल लिया था एक खेत जोतने के लिए, उससे दूसरा खेत जोता इस बैल के साथ दूसरा आ़ला दर्जे का बैल एक ह़ल में जोत दिया और वैसे बैल के साथ चलने की आ़दत न थी और यह हलाक होगया जंगल में घोड़ा लिये चित सोगया और बाग हाथ में है और कोई शख़्स चुरा लेगया और बैठा हुआ सोगया तो ज़मान नहीं। और सफ़र में ह़ोता, तो चाहे लेटकर सोता या बैठ कर इस पर ज़मान नहीं होता। (बह़र)

मसअ्ला.8:– मुस्तआ़र चीज़ सर या करवट के नीचे रखकर चित सोगया ज़मान नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– घोड़ा या तलवार इस लिये आ़रियत लेता है कि क़िताल (जिहाद) करेगा तो घोड़ा मारा जाये या तलवार टूट जाये उसका ज़मान नहीं और अगर पत्थर पर तलवार मारी और टूट गई तो तावान है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– आ़रियत को न उजरत पर दे सकता है और न रहन रख सकता है मस्'लन मकान या घोड़ा आ़रियत पर लिया और उसको किराये पर चलाया या क़र्ज़ रूपया लिया और आ़रियत को रहन रख दिया यह ना'जाइज़ है। हाँ आ़रियत को आ़रियत पर देसकता है बशर्ते कि वह चीज़ ऐसी हो कि इस्तेमाल करने वालों के इख़्तिलाफ़ से उसमें नुक़सान न पैदा हो जैसे मकान की सुकूनत, जानवर पर बोझ लादना, आ़रियत को वदीअ़त रख सकता है मस्'लन आ़रियत की चीज़ का ख़ुद पहुँचाना ज़रूरी नहीं दूसरे के हाथ भी मालिक के पास भेज सकता है। (बह़र, दुर्रेमुख़्तार, हिदाया)

मसअ्ला.11:– मुस्तईर ने आ़रियत को किराये पर देदिया या रहन रख दिया और चीज़ हलाक हो गई मालिक मुस्तईर से तावान वसूल कर सकता है और यह किसी से रूजुअ़ नहीं कर सकता और यह भी हो सकता है कि मुस्ताजिर या मुरतहिन वसूल करे फिर यह मुस्तईर से वापस लें क्योंकि इसकी वजह से यह तावान उनपर लाज़िम आया यह उस वक़्त है कि मुस्ताजिर को यह मा'लूम न था कि पराई चीज़ किराये पर चला रहा है और अगर मा'लूम था तो तावान की वापसी नहीं हो सकती क्योंकि उसको किसी ने धोका नहीं दिया है। (हिदाया)

मसअ्ला.12:– मुस्तईर ने आ़रियत की चीज़ किराये पर देदी और चीज़ हलाक होगई उसको तावान देना पड़ा तो जो कुछ किराये में वुसूल हुआ है उसका मालिक यही है मगर उसे सदक़ा करदे(आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– घोड़ा आ़रियत पर लिया और यह नहीं बताया, कि कहाँ तक उसपर सवार होकर जायेगा तो शहर के बाहर नहीं लेजा सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– चीज़ आ़रियत पर लेने के लिये किसी को भेजा, क़ासिद को मालिक नहीं मिला और चीज़ घर में थी यह उठा लाया और मुस्तईर को देद़ी मगर उससे यह नहीं कहा कि बे'इजाज़त लाया हूँ अगर चीज़ ज़ाइअ् होजाये तो मालिक तावान लेसकता है इख़्तियार है मुस्तईर से ले, या क़ासिद से और जिससे भी लेगा वह दूसरे से रुजुअ् नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– ना'बालिग़ बच्चे का माल उसका बाप किसी को आ़रियत के तौर पर नहीं दे सकता। ग़ुलाम माज़ून मौला का माल आ़रियत देसकता है औरत ने शौहर की चीज़ आ़रियत पर देदी। अगर यह चीज़ इस क़िस्म की है जो मकान के अन्दर होती है और आ़दतन औरतों के क़ब्ज़े, बल्कि तसर्रुफ़ में रहती है उसके हलाक होने पर तावान किसी पर नहीं न मुस्तईर पर, न औरत पर। घोड़ा या बैल औरत ने मंगनी देदिया। मुस्तईर और औरत दोनों ज़ामिन हैं कि यह चीज़ें औरतों के क़ब्ज़े की नहीं होती। (बहर)

मसअ्ला.16:– मालिक ने मुस्तईर से मनफ़अ़त के मुताल्लिक़ कहदिया है कि इस चीज़ से यह काम लिया जाये या वक़्त की पाबन्दी करदी जाये कि इतने वक़्त तक, दोनों बातें ज़िक्र कर दीं। यह तीन सूरतें हुईं आ़रियत में चौथी सूरत यह है कि वक़्त व मनफ़अ़त दोनों में से किसी बात की क़ैद न हो इसमें मुस्तईर को इख़्तियार है कि जिस क़िस्म का नफ़ा चाहे और जिस वक़्त में चाहे ले सकता है कि यहाँ कोई पाबन्दी नहीं तीसरी सूरत में कि दोनों बातों में तक़ईद हो यहाँ मुख़ालफ़त नहीं कर सकता। मगर ऐसी मुख़ालफ़त कर सकता है कि जो काम लेता है उसी के मिस्ल है जो उसने कहदिया या उस चीज़ के ह़क़ में उससे बेहतर है मस्लन जानवर लिया है कि उसपर यह दो मन गेहूँ लादकर फुलाँ जगह पहुँचायेगा और बजाए इस गेहूँ के दूसरे दो मन गेहूँ लादकर उसी जगह लेगया कि गेहूँ दोनों यकसाँ हैं या उससे कम मुसाफ़त पर लेगया कि यह उससे आसान है या गेहूँ की दो बोरियां लादने को कहा था जौ की दो बोरियाँ लादीं कि यह उनसे हल्के होते हैं पहली और दूसरी सूरत में मुख़ालफ़त नहीं कर सकता मगर ऐसी मुख़ालफ़त कर सकता है कि जो कह दिया उसी की मिस्ल हो या उससे बेहतर और चौथी सूरत में उस पर ख़ुद सवार होसकता है, दूसरे को सवार कर सकता है, ख़ुद बोझ लाद सकता है, दूसरे को लादने के लिये दे सकता है, मगर यह ज़रूर है कि ख़ुद सवार हुआ, तो दूसरे को अब सवार नहीं कर सकता और दूसरे को सवार किया तो ख़ुद सवार नहीं हो सकता कि अगरचे मालिक की तरफ़ से क़ैद न थी। मगर एक के करने के बा़द वही मुतअ़य्यन होगया दूसरा नहीं कर सकता। (हिदाया)

मसअ्ला.17:– इजारा में भी यही सूरतें और यही अह़काम हैं कि मुख़ालफ़त करने की सूरत में अगर वह मुख़ालफ़त जाइज़ न हो और चीज़ हलाक होजाये तो आ़रियत व इजारा दोनों में ज़मान देना होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.18:– मकील व मौज़ून व अ़ददी मुतक़ारिब को आ़रियत लिया, और आ़रियत में कोई क़ैद नहीं तो आ़रियत नहीं बल्कि क़र्ज़ है मस्लन किसी से रूपये, पैसे, गेहूँ, जौ, वग़ैरहा आ़रियत लिये, इसका मत़लब यह होता है कि इन चीज़ों को ख़र्च करेगा और उसी क़िस्म की चीज़ देगा यानि रूपया लिया है तो रूपया देगा पैसा लिया है तो पैसा देगा और जितना लिया है उतना ही देगा यह आ़रियत नहीं, बल्कि क़र्ज़ है क्योंकि आ़रियत में चीज़ को बाक़ी रखते हुए फ़ायदा उठाया जाता है और यहाँ हलाक व ख़र्च करके फ़ायदा उठाया जाता है लिहाज़ा फ़र्ज़ करो, कि क़ब्ल इन्तिफ़ा़ यह चीज़ें ज़ाइअ् होजायें जब भी तावान देना होगा। क़र्ज़ का यही हुक्म है कि लेने वाला मालिक

होजाता है नुक़सान होगा तो इसका होगा देने वाले का नहीं होगा। हाँ अगर इन चीज़ों के आ़रियत लेने में कोई ऐसी बात ज़िक्र करदी जाये जिससे यह बात वाज़ेह होती हो कि हक़ीक़तन आ़रियत ही है क़र्ज़ नहीं, तो उसे आ़रियत ही क़रार देंगे। मस्लन रूपये पैसे माँगता है कि उससे कोई चीज़ वज़न करेगा या उससे तौलकर बाट बनायेगा अपनी दुकान को सजायेगा, तो आ़रियत है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.19:– पहनने के कपड़े क़र्ज़ माँगे यह उ़र्फ़न आ़रियत है पैवन्द मांगा कि कुर्ते में लगायेगा या ईंट या कड़ी मकान में लगाने के लिये आ़रियत मांगी, और इन सब में यह कहदिया है कि वापस दे दुँगा तो आ़रियत है और नहीं कहा है तो क़र्ज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.20:– किसी से एक प्याला सालन मांगा, यह क़र्ज़ है और अगर दोनों में इन्बिसात व बेतकल्लुफ़ी हो, तो इबाहत है। गोली छर्रे आ़रियत लिये, यह क़र्ज़ है और अगर निशाना पर मारने के लिये, यानी चाँद मारी के लिए गोली ली है तो आ़रियत है क्योंकि इसे वापस देसकता है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.21:– आ़रियत देने वाला जब चाहे अपनी चीज़ वापस ले सकता है जब यह वापस मांगेगा। आ़रियत बात़िल होजायेगी आ़रियत की एक मुद्दत मुक़र्रर करदी थी। मस्लन एक माह के लिये यह चीज़ दी, और मालिक ने मुद्दत पूरी होने से क़ब्ल मुतालबा करलिया, आ़रियत बात़िल होगई। अगरचे मालिक को ऐसा करना मकरूह व ममनूअ़ है कि वअ़्दा ख़िलाफ़ी है मगर वापस लेने में अगर मुस्तईर का नुक़सान ज़ाहिर हो तो चीज़ उसके क़ब्ज़े से नहीं निकाल सकता बल्कि चीज़ उस मुद्दत तक मुस्तईर के पास बतौर इजारा रहेगी मालिक को उजरते मिस्ल मिलेगी मस्लन एक शख़्स की लौंडी को बच्चे के दूध पिलाने के लिये आ़रियत पर लिया और अन्दुरूने मुद्दते रज़ाअ़त मालिक लौंडी को मांगता है और बच्चा दूसरी औरतों का दूध नहीं लेता, जब तक मुद्दत पूरी न हो लौंडी नहीं ले सकता। हाँ अगर इस ज़माने की वाजिबी उजरत वुसूल कर सकता है क्योंकि आ़रियत बात़िल होगई जिहाद के लिये घोड़ा आ़रियत लिया था और चार माह उसकी मुद्दत थी दो महीने के बाद मालिक अपने घोड़े को वापस लेना चाहता है अगर इस्लामी इलाक़े में है मालिक को वापस देदिया जायेगा और अगर बिलादे शिर्क में मुतालबा करता है ऐसी जगह कि वहाँ किराये पर घोड़ा मिल सकता है न ख़रीद सकता है तो मुस्तईर वापस देने से इन्कार कर सकता है और ऐसी जगह तक आने का किराया देगा जहाँ घोड़ा किराये पर मिलता हो या ख़रीदा जासकता हो(बहर)

मसअ्ला.22: पीपा वग़ैरा कोई ज़र्फ़ (बर्तन) मुस्तआ़र लिया, इसमें घी तेल भरकर ले जारहा था। जब जंगल में पहुँचा, तो मालिक वापस मांगने लगा जब तक आबादी न आजाये, देने से इन्कार कर सकता है। मालिक फ़क़त यह कर सकता है कि इतनी देर की उजरत लेले। (आलमगीरी)

मसअ्ला.23:– ज़मीन आ़रियत ली, कि इसमें मकान बनायेगा या दरख़्त नसब करेगा यह आ़रियत सह़ी है और मालिक ज़मीन को इख़्तियार है कि जब चाहे अपनी ज़मीन को ख़ाली कराले क्योंकि आ़रियत में कोई पाबन्दी मालिक पर लाज़िम नहीं और अगर मकान या दरख़्त खोदकर निकालने में ज़मीन ख़राब होजाने का अन्देशा हो तो इस मल्बे की जो मकान खोदने के बाद क़ीमत होगी या दरख़्त काटने के बाद जो क़ीमत होगी मालिक ज़मीन से दिलादी जाये और मालिक मकान व दरख़्त अपने मकान व दरख़्त को बिजिन्सेही (उस की जिन्स के साथ) छोड़दे। मालिक ज़मीन ने मुस्तईर के लिये कोई मुद्दत मुक़र्रर करदी थी मस्लन दस साल के लिये यह ज़मीन मकान बनाने को या दरख़्त लगाने को आ़रियत दी और मुद्दत पूरी होने से पहले ज़मीन वापस लेना चाहता है अगरचे यह मकरूह व वअ़्दा ख़िलाफ़ी है मगर वापस लेसकता है क्योंकि यह अ़क़्द क़ज़ाअन उसके ज़िम्मे लाज़िम नहीं मगर इस इमारत और दरख़्त की वजह से मुस्तईर को कुछ नुक़सान होगा मालिक ज़मीन उसको अदा करदे यानी खड़ी इमारत की क़ीमत लगाई जाये और मल्बा जुदा करदेने के बाद जो क़ीमत हो उसमें इमारत की क़ीमत से जो कमी हो मालिक ज़मीन यह रक़म मुस्तईर को दे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.24:– ज़मीन ज़राअ़त के लिये आ़रियत दी और वापस लेना चाहता है जब तक फ़स्ल

तैयार न हो और खेत काटने का वक़्त न आये वापस नहीं लेसकता वक़्त मुक़र्रर करके दी हो या मुक़र्रर न किया हो दोनों का एक हुक्म है। यह अल्बत्ता है कि फ़सल तैयार होने तक ज़मीन की जो उजरत हो मालिक ज़मीन को दिलादी जायेगी अगर खेत बो दिया है मगर अभी जमा नहीं है मालिक ज़मीन यह कहता है कि बीज लेलो और जो कुछ सर्फ़ा हुआ है वह ले लो, और खेत छोड़ दो यह नहीं कर सकता अगरचे काश्तकार इस पर राज़ी भी हो क्योंकि जमने से पहले ज़राअत की बैअ़ नहीं हो सकती और खेत जमगया है तो ऐसा किया जा सकता है। (बहर, आलमगीरी)

मसअ्ला.25:– मकान आ़रियत पर लिया और मुस्तईर ने मिट्टी की इसमें कोई दीवार बनवाई मकान वाले ने मकान वापस लिया, मुस्तईर उस दीवार की क़ीमत या सर्फ़ा लेना चाहता है नहीं लेसकता। और अगर चाहता है कि दीवार गिरादे तो गिरा भी नहीं सकता और अगर दीवार मालिक मकान की मिट्टी से बनवाई है ज़मीन आ़रियत पर ली कि इसमें मकान बनवायेगा और रहेगा और जब यहाँ से चला जायेगा, तो मकान मालिक ज़मीन का होजायेगा यह आ़रियत नहीं है बल्कि इजारा फ़ासिदा है इसका हुक्म यह है कि जब तक मुस्तईर वहाँ रहे, ज़मीन का वाजिबी किराया उसके ज़िम्मे है। और जब छोड़दे तो मकान का मालिक मुस्तईर है। मालिके ज़मीन नहीं। (बहर)

मसअ्ला.26:– किसी से कहा कि मेरी इस ज़मीन में मकान बनालो मैं तुम्हारे पास इस ज़मीन को हमेशा रहने दुँगा या फ़ुलाँ वक़्त तक तुम्हें नहीं निकालूँगा और अगर मैं तुम्हें निकालूँ तो जो कुछ तुम ख़र्च करोगे मैं उसका ज़ामिन हूँ और इमारत मेरी होगी इस सूरत में अगर मुस्तईर को निकालेगा इमारत की क़ीमत देनी होगी और इमारत मालिक ज़मीन की होगी। (ख़ानिया)

मसअ्ला.27:– जानवर आ़रियत पर लिया तो उसका चारा, दाना, घास सब मुस्तईर के ज़िम्मे है। यही हुक्म लौंडी, ग़ुलाम का है कि उनकी ख़ुराक मुस्तईर के ज़िम्मे है (रद्दुलमोहतार) और अगर बे मांगे ख़ुद मालिक ने कहा कि तुम इसे लेजाओ और इससे काम लो तो इस सूरत में ख़ुराक मालिक के ज़िम्मे है। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.28:– मुस्तईर के पास आकर एक शख़्स यह कहता है कि फ़ुलाँ शख़्स से फ़ुलाँ चीज़ मैंने आ़रियत ली है और वह तुम्हारे यहाँ है उसने कह दिया है कि तुम वहाँ से लेलो मुस्तईर ने उसको वकील समझकर चीज़ देदी। मालिक ने इन्कार किया कहता है मैंने उससे नहीं कहा था तो मुस्तईर को तावान देना होगा और उस शख़्स से वापस भी नहीं ले सकता जब कि उसकी तस्दीक़ की थी। हाँ अगर उसकी तस्दीक़ नहीं की थी या तकज़ीब की थी या शर्त करदी थी कि हलाक हुई तो तावान देना होगा इस सूरत में जो कुछ मुस्तईर ने तावान दिया है उससे वुसूल कर सकता है। इसका क़ायदा कुल्लिया (सामान्या नियम) यह है कि जब मुस्तईर ऐसा तसर्रूफ़ करे जो मूजिबे ज़मान हो, और दावा यह करे मालिक की इजाज़त से मैंने किया है और मालिक उसकी तकज़ीब करे, तो मुस्तईर को ज़मान देना होगा। हाँ अगर गवाहों से मालिक की इजाज़त साबित करदे तो ज़मान से बरी है। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.29:– आ़रियत की वापसी मुस्तईर के ज़िम्मे है जो कुछ वापस करने में सर्फ़ा होगा, यह अपने पास से देगा आ़रियत के लिये कोई वक़्त मोअ़य्यन कर दिया था कि इतने दिनों के लिये या इतनी देर के लिये चीज़ देता हूँ वह वक़्त गुज़र गया और चीज़ नहीं पहुँचाई और हलाक होगई। मुस्तईर के ज़िम्मे तावान है कि उसने वक़्त पूरा होने के बाद क्यों नहीं पहुँचाई जब कि पहुँचाना उसके ज़िम्मे था अगर मुस्तईर ने आ़रियत इस लिए ली है कि उसे रहन रखेगा और फ़र्ज़ करो वह चीज़ ऐसी है कि उसकी वापसी में कुछ सर्फ़ा होगा तो यह सर्फ़ा मुस्तईर के ज़िम्मे नहीं है बल्कि मालिक के ज़िम्मे है पहले जो बयान किया गया है कि वापसी का ख़र्चा मुस्तईर के ज़िम्मे है उस हुक्म से सूरते मज़कूरा का इस्तिस्ना है। (बहर)

मसअ्ल.30:– एक शख़्स ने यह वसियत की है कि मेरा गुलाम फ़ुलाँ शख़्स की ख़िदमत करे यानी वह वारिस की मिल्क है और मूसा लहु (जिस के लिये वसियत की) की इतने दिनों ख़िदमत करे। उसमें भी

वापसी का सर्फ़ा मूसा'लहू के ज़िम्मे है ग़सब व रहन में वापसी की ज़िम्मेदारी व मसारिफ़ ग़ासिब व मुरतहिन पर हैं मालिक ने अपनी चीज़ उजरत पर दी तो वापसी की ज़िम्मेदारी व मसारिफ़ मालिक पर हैं यह उस वक़्त हैं कि वहाँ से ले जाना मालिक की इजाज़त से हो मसलन कहीं जाने के लिये टट्टू किराये पर लिया, वहां तक गया, टट्टू वापस करना उसका काम नहीं बल्कि मालिक का काम है और अगर उसके हुक्म से नहीं लेगया है तो पहुँचाना उसके ज़िम्मे है मसलन कुर्सी किराये पर ली है और शहर से बाहर लेगया तो वापस करना उसका काम होगा शिरकत व मुज़ारबत और मौहूब'शय जिसको मालिक ने वापस करलिया उन सब की वापसी मालिक के ज़िम्मे है अजीर मुश्तरक जैसे दर्ज़ी, धोबी कपड़े की वापसी उनके ज़िम्मे है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअला.31:– मुस्तईर ने जानवर को अपने ग़ुलाम या नौकर के हाथ या मालिक के ग़ुलाम के हाथ या नौकर के हाथ वापस करदिया और मालिक के क़ब्ज़ा करने से पहले हलाक होगया मुस्तईर तावान से बरी होगया कि जिस तरह वापस करने का दस्तूर था बजा लाया अगर मज़दूर के हाथ वापस किया हो जो रोज़ पर काम करता है वह मुस्तईर का मज़दूर हो या मालिक का या अजनबी के हाथ वापस किया और क़ब्ज़े से पहले हलाक होजाये तो ज़मान देना होगा। यह इस सूरत में है कि आ़रियत के लिए मुद्दत थी और मुद्दत गुज़र जाने के बाद मज़दूर या अजनबी के हाथ भेजा और मुद्दत न हो या मुद्दत के अन्दर भेजा हो तो इसमें तावान नहीं क्योंकि मुस्तईर को वदीअ़त रखना जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.32:– उम्दा व नफ़ीस चीजें जैसे ज़ेवर, मोतियों का हार इनको ग़ुलाम या नौकर के हाथ वापस करने से तावान से बरी नहीं होगा क्योंकि यह चीज़ें इस तरह वापस नहीं की जातीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.33:– मुस्तईर घोड़े को मालिक के अस्तबल में बांध गया या ग़ुलाम को मकान पर पहुँचा गया, बरी होगया और अगर घोड़ा ग़सब किया होता या वदीअ़त के तौर पर होता तो इस तरह पहुँचाना काफ़ी न होता बल्कि मालिक का क़ब्ज़ा दिलाना होता। (बहर) और अगर अस्तबल मकान से बाहर है वहाँ बांध गया तो आ़रियत की सूरत में भी बरी नहीं। (आलमगीरी)

मसअला.34:– चीज़ वापस करने लाया मालिक ने कहा इस जगह रखदो रखने में वह चीज़ टूट गई मगर उसने क़स्दन नहीं तोड़ी, ज़मान वाजिब नहीं। (आ़लमगीरी)

मसअला.35:– दो शख़्स एक कमरे में रहते हैं एक जानिब एक, दूसरी जानिब दूसरा, एक दूसरे से कोई चीज़ आ़रियत माँगी जब मुईर ने वापस मांगी तो मुस्तईर ने कहा कि तुम्हारी जानिब जो ताक़ है उसपर मैंने चीज़ रखदी थी तो मुस्तईर पर ज़मान वाजिब नहीं जबकि यह मकान उन्हीं दोनों के क़ब्ज़े में है। (आलमगीरी)

मसअला.36:– सोने का हार आ़रियत पर मांग लाया और बच्चे को पहना दिया उसके पास से चोरी होगया अगर बच्चा ऐसा है कि ऐसी चीज़ों की हिफ़ाज़त कर सकता है तो तावान नहीं वरना तावान देना होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.37:– बाप को इख़्तियार नहीं कि ना'बालिग़ की चीज़ आ़रियत पर देदे क़ाज़ी और वसी भी नहीं दे सकते। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.38:– एक शख़्स से बैल आ़रियत माँगा उसने कहा, कल दूँगा दूसरे दिन मांगने वाला आया, और बिग़ैर इजाज़त बैल खोल लेगया उसे काम में लाया और बैल मरगया तावान देना होगा कि बिग़ैर इजाज़त लेगया और अगर सूरत यह है कि मालिक से यह कहा कि मुझको कल बैल देदो मालिक ने कहा हाँ और बिग़ैर इजाज़त लेगया तो तावान नहीं। फ़र्क़ यह है कि पहली सूरत में दूसरे दिन बैल देने का वअ़दा किया है अभी आ़रियत दिया नहीं और दूसरी सूरत में आ़रियत अभी देदी और मुस्तईर कल लेजायेगा और कल क़ब्ज़ा करेगा। (रद्दुलमोहतार)

मसअला.39:– लड़की रुख़्सत की और जहेज़ भी ऐसा दिया जैसा ऐसे लोगों में दिया जाता है। अब यह कहता है कि सामाने जहेज़ मैंने आ़रियत के तौर पर दिया था। अगर वहाँ का उ़र्फ़ यह है।

कि बाप बेटी को जो कुछ जहेज देता है वह लडकी की मिल्क होता है आरियत के तौर पर नहीं होता तो उस शख़्स की बात कि आरियत है मकबूल नहीं और अगर उर्फ़ आरियत ही का है या अकस्र आरियत के तौर पर देते हैं या दोनों तरह यक्साँ चलन है तो इसकी बात मक़बूल है लड़की की माँ या ना'बालिग़ा के वली ने वही बात कही जो बाप ने कही थी तो उनका भी यही हुक्म है (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.40:– आरियत की वसियत की है वुरसा उससे रूजुअ् नहीं कर सकते। आरियत का हुक्म इजारे की तरह है कि दोनों में से एक मर जाये आरियत फ़स्ख़ (ख़त्म) होजायेगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.41:– जानवर को किसी मक़ाम तक के लिये किराये पर लिया तो सिर्फ़ वहाँ तक जाना ही किराये पर है आना दाख़िल नहीं और अगर उस मक़ाम तक के लिये आरियत पर लिया था तो आमदो रफ़्त दोनों शामिल हैं। कहीं जाने को जानवर को आरियत पर लिया था वहाँ गया नहीं, बल्कि जानवर को घर में बांध रखा और हलाक होगया तो तावान देना होगा कि जानवर जाने के लिए लिया था ना कि बांधने के लिये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.42:– किताब आरियत ली, देखने से मालूम हुआ कि इसमें किताबत की ग़ल्तियाँ हैं अगर मालूम हो कि ग़लती दुरूस्त कर देने पर मालिक सज़ी है तो ग़ल्तियों की इस्लाह़ करदे और अगर ग़लती की इस्लाह़ न करे बदस्तूर छोड़दे तो इसमें गुनाहगार नहीं और क़ुर्आन शरीफ़ की ग़ल्तियाँ दुरुस्त करना ज़रूरी है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.43:– एक शख़्स ने अँगूठी रहन रखी और मुरतहिन से कह दिया, इसे पहन लो, उसने पहनली तो रहन नहीं बल्कि आरियत है कि अगर ज़ाइअ् होगई दैन साकित़ नहीं होगा। और अगर मुरतहिन ने उतारली तो रहन होगई कि ज़ाइअ् होने से दैन साकित़ होगा और अगर राहिन ने कलिमे की उंगली में पहनने को कहा तो आरियत नहीं बल्कि रहन है कि आदतन इस उंगली में अँगूठी नहीं पहनी जाती। (आलमगीरी)

हिबा का बयान

हिबा के फ़ज़ाइल में ब'कस्रत अहादीस आई हैं बाज़ ज़िक्र की जाती हैं।

हदीस (1) इमाम बुख़ारी ने अदब मुफ़रद में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की हुज़ूर अक़्दस स़ल्लल्लाहु तआला अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं। "बाहम हदिया करो, इससे आपस में महब्बत होगी"।

हदीस (2) तिर्मिज़ी ने उम्मुल मोमेनीन आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया, "हदिया करो इससे हसद दूर हो जाता है"।

हदीस (3) तिर्मिज़ी ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर अक़दस स़ल्लल्लाहु तआला अ़लैहि व सल्लम् फ़रमाते हैं। 'हदिया करो कि इससे सीने का खोट दूर हो जाता है और पड़ोस वाली औरत पड़ोसन के लिये कोई चीज़ हक़ीर न समझे अगरचे बकरी का खुर हो'। इसी के मिस्ल बुख़ारी शरीफ़ में भी इन्हीं से मरवी, मतलब हदीस का यह है अगर थोड़ी चीज़ मयस्सर आये तो वही हदिया करे यह न समझे कि ज़रासी चीज़ क्या हदिया की जाये या यह कि किसी ने थोड़ी चीज़ हदिया की तो उसे नज़रे हिक़ारत से न देखे कि यह न समझे, के यह क्या ज़रासी चीज़ भेजी है इस हुक्म में ख़ास औरतों को मुमानअ़त फ़रमाने की वजह यह है कि इनमें यह माद्दा बहुत पाया जाता है। बात बात पर इस क़िस्म की नुक़्ता चीनी किया करती हैं और उ़मूमन जो चीज़ें हदिया भेजी जाती हैं वह औरतों ही के क़ब्ज़े में होती हैं लिहाज़ा हुक्म दिया जाता है कि पड़ोस वाली को चीज़ भेजने में यह ख़्याल न करें।

हदीस (4) सही बुख़ारी शरीफ़ में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुज़ूर अक़दस स़ल्लल्लाहु तआला अ़लैहि व सल्लम् फ़रमाते हैं कि "अगर मुझे दस्त या पाय के लिये बुलाया जाये तो इस दावत को क़बूल करूँगा और अगर यह चीजें मेरे पास हदिया की जायें तो इन्हें क़बूल करूँगा"।

हदीस (5) सही बुख़ारी शरीफ़ में उम्मुल मोमेनीन मैमूना रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी, कहती हैं "मैंने एक कनीज़ आज़ाद करदी थी जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाये तो मैंने हुजूर को इसकी इत्तिला दी फ़रमाया 'अगर तुमने अपने मामू को देदी होती तो तुम्हें ज़्यादा सवाब मिलता'।

हदीस (6) तिर्मिज़ी ने हज़रत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की 'कि जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम मदीने में तशरीफ़ लाये मुहाजिरीन ने ख़िदमते अक़दस में हाज़िर होकर यह अर्ज़ की या रसूलल्लाह जिनके यहाँ हम ठहरे हैं (यानि अन्सार) इनसे बढ़कर ज़्यादा ख़र्च करने वाला नहीं देखा और थोड़ा हो तो उसी से मवासात करते हैं। उन्होंने काम की हम से किफ़ायत की, और मुनाफ़े में हमें शरीक करलिया यानी बाग़ात के काम यह करते हैं और जो कुछ पैदावार होती है उसमें हमें शरीक कर लेते हैं हम को अन्देशा है कि सारा सवाब यही लोग ले लेंगे' इरशाद फ़रमाया, नहीं जब तक तुम इनके लिये दुआ करते रहोगे। (तुम भी अज्र के मुस्तहिक़ बनोगे)

हदीस (7) तिर्मिज़ी व अबू दाऊद ने जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम् ने फ़रमाया "जिसको कोई चीज़ दीगई अगर उसके पास कुछ है तो उसका बदला दे और अगर बदला देने पर क़ादिर न हो तो उसकी सना करे"।

हदीस (8) तिर्मिज़ी में उसामा बिन ज़ैद रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम् ने फ़रमाया 'जिसके साथ एहसान किया गया और उसने एहसान करने वाले के लिए यह कहा 'जज़ा् कल्लाहु ख़ैरा' तो पूरी सना करदी'।

हदीस (9) सही बुख़ारी शरीफ़ में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम् के पास जब किसी क़िस्म का खाना कहीं से आता तो दरयाफ़्त फ़रमाते, सदक़ा है या हदिया, अगर कहा जाता सदक़ा है तो (फ़ुक़रा) सहाबा से फ़रमाते तुम लोग इसे खालो और अगर कहा जाता कि हदिया है तो सहाबा के साथ ख़ुद भी तनावुल फ़रमाते.।

हदीस (10) अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से इमाम बुख़ारी ने रिवायत की है कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम् ख़ुश्बू को वापस नहीं फ़रमाते और सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी 'कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम् ने फ़रमाया "जिसके पास फूल पेश किया जाये तो उसे वापस न करे कि उठाने में हल्का है और बू अच्छी है हल्का होने का मतलब यह है कि देने वाले का एहसान ज़्यादा नहीं"।

हदीस (11) तिर्मिज़ी ने अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम् फ़रमाते हैं "तीन चीज़ें वापस न की जायें तकिया, और तेल और दूध बाज़ ने कहा तेल से मुराद ख़ुश्बू है"।

हदीस (12) तिर्मिज़ी ने अबू उसमान नहदी से मुरसलन रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम् ने फ़रमाया "जब किसी को फूल दिया जाये तो वापस न करे कि वह जन्नत से निकला है"।

हदीस (13) बैहक़ी ने दावाते कबीर में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम् को देखा कि जब नया फूल हुज़ूर की ख़िदमत में पेश किया जाता तो उसे आँखों व होटों पर रखते और यह दुआ पढ़ते।

اللهم كما اريتنا اوّله فارنا آخره

"ऐ अल्लाह जिस तरह तूने हमें इसका अव्वल दिखाया है इसका आख़िर दिखा" इसके बाद जो छोटा बच्चा हाज़िर होता उसे दे देते।

हदीस (14) सही बुख़ारी में है उम्मुल मोमेनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरे दो पड़ोसी हैं उनमें से किस को हदिया करूँ। इरशाद फ़रमाया, "जिसका दरवाज़ा

तुम से नज्दीक हो''।

हदीस (15) सही बुख़ारी में है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम् के ज़माने में हदिया, हदिया था और इस ज़माने में रिश्वत है। यानी हुक्काम को जो हदिया दिया जाता है वह रिश्वत है।

मसाइल फ़िक़्हिय्या

मसअ्ला.1:– किसी चीज़ का दूसरे को बिला एवज़ मालिक कर देना हिबा है यानी इसमें एवज़ होना शर्त व ज़रूरी नहीं। (दुर्र) देने वाले को वाहिब कहते हैं और जिसको दीगई उसे मौहूब'लहु और चीज को मौहूब और कभी चीज को हिबा भी कहते हैं।

मसअ्ला.2:– हिबा में वाहिब के लिये कभी दुनिया का नफा है कभी नफा उख़रवी, नफा दुनियवी मस्लन हिबा करके कुछ एवज़ लेना या इस वास्ते हिबा किया कि लोगों में उसका ज़िक्रे ख़ैर होगा। इमाम अबू मन्सूर मातुरीदी रहमतुल्लाहि तआला फ़रमाते हैं ''मोमिन को अपनी औलाद को जूद ो एहसान की तालीम वैसी ही वाजिब है जिस तरह तौहीद व ईमान की तालीम वाजिब है क्योंकि जूद ो एहसान से दुनिया की महब्बत दूर होती है और महब्बते दुनिया ही हर गुनाह की जड है। हिबा का क़बूल करना सुन्नत है। हदिया करने में आपस में मुहब्बत ज्यादा होती है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– हिबा सही होने की चन्द शर्तें हैं। (1)वाहिब का आकिल होना, (2)बालिग होना (3)मालिक होना नाबालिग़ का हिबा सही नहीं इसी तरह ग़ुलाम का का हिबा करना भी कि यह किसी चीज़ का मालिक ही नहीं जो चीज़ हिबा की जाये। (4)वह मौजूद हो। (5)और क़ब्ज़े में हो (6)मुशाअ् न हो (7)मुतमय्यिज़ हो (8)मशग़ूल न हो, इसके अरकान ईजाब व क़बूल हैं और इसका हुक्म यह है कि हिबा करने से चीज़ मौहूब'लहु की मिल्क होजाती है अगरचे मिल्क लाज़िम नहीं है। उसमें ख़्यारे शर्त सहीह नहीं, मसलन हिबा किया और मौहूब'लहु के लिये तीन दिन का इख़्तियार दिया। हाँ अगर जुदाई से पहले उसने हिबा को इख़्तियार कर लिया हिबा सहीह होगया वरना नहीं। और अगर वाहिब ने अपने लिये तीन दिन का ख़्यार रखा है तो हिबा सहीह है और ख़्यार बातिल शुरूते फासिदा से हिबा बातिल नहीं होता बल्कि ख़ुद शर्तें ही बातिल होजाती हैं मसलन एक शख़्स को अपना ग़ुलाम इस शर्त पर हिबा किया कि वह ग़ुलाम को आज़ाद करदे। हिबा सही है और शर्त बातिल। (बहर, आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– हिबा दो क़िस्म है एक तम्लीक, दूसरा इस्क़ात, मसलन जिस पर मुतालबा था मुतालबा उसे हिबा करना उसको साक़ित करना है मदयून के सिवा दूसरे को दैन हिबा करना उस वक़्त सही है कि क़ब्ज़े का भी उसको हुक्म देदिया हो और क़ब्ज़े का हुक्म न दिया हो, तो सही नहीं।(बहर)

मसअ्ला.5:– एक शख़्स ने हँसी मज़ाक़ के तौर पर दूसरे से चीज हिबा करने को कहा मस्लन यार दोस्तों में कभी ऐसा होता है कि मज़ाक़ में कहते हैं मिठाई खिलाओ, या यह चीज़ देदो मगर उसने सच मुच को हिबा कर दिया यह हिबा सही है। कभी इस तरह भी होता है कि बहुत से लोगों से कहा जाता है कि मैंने यह चीज़ तुम में से एक के लिये हिबा करदी जिसका जी चाहे लेले उनमें से एक ने लेली हिबा दुरुस्त होगया, वह मालिक होगया। या कह दिया, मैंने अपने बाग़ के फल की इजाज़त देदी है जो चाहे लेले जो लेगा, मालिक होजायेगा और अगर ऐसे शख़्स ने लिया, जिसको वाहिब के इस हिबा की ख़बर नहीं पहुँची है उसको लेना जाइज़ नहीं। (बहर) और इल्म से पहले खाया, तो हराम होगया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– हिबा के बहुत से अलफ़ाज़ हैं मैंने तुझे हिबा किया, यह चीज़ तुम्हें खाने को दी, यह चीज़ मैंने फ़ुलाँ के लिये या तेरे लिये करदी, मैंने यह चीज़ तेरे नाम करदी, मैंने इस चीज़ का तुझे मालिक करदिया, अगर क़रीना हो तो हिबा है वरना नहीं क्योंकि मालिक करना बैअ् वग़ैरा बहुत चीज़ों को शामिल है। उम्र भर के लिये यह चीज़ देदी, इस घोड़े पर सवार कर दिया, यह कपड़ा पहनने को दिया, मेरा यह मकान तुम्हारे लिए उम्र भर रहने को है, यह दरख़्त मैंने अपने बेटे के नाम लगाया है। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– हिबा के बाज अलफाज जिक्र कर दिये और उसका कायदा कुल्लिया यह है अगर अलफाज ऐसा बोला, जिससे मिल्क रक्बा समझी जाती हो यानी खुद उस शय की मिल्क तो हिबा है और अगर मुनाफे की तम्लीक मालूम होती हो तो आ़रियत है और दोनों का एहतिमाल (शक) हो तो नियत देखी जायेगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– मर्द ने औरत को कपड़े बनवाने के लिए रूपये दिये कि पहने यह हिबा है, छोटे बच्चे के लिये कपड़े बनवाये तो बनवाते ही बल्कि कटवाते ही उसकी मिल्क होगये जो कुछ दे, या न दे और बालिग लड़के के लिए बनवाये तो जब तक उसको क़ब्ज़ा न दे मालिक नहीं होगा। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.9:– हिबा के लिये कबूल जरूरी है यानी मौहूब'लहु जब तक कबूल न करे उसके हक में हिबा नही होगा अगरचे वाहिब के हक़ में फकत ईजाब से हिबा होजायेगा ब'खिलाफ बैअ् के कि जब तक इसमें ईजाब व कबूल दोनों न हों बाइअ् व मुश्तरी किसी के हक़ में बैअ् नहीं इसका हासिल यह हुआ कि मसलन कसम खाई थी कि यह चीज़ फुलाँ को हिबा कर दूँगा उसने ईजाब किया, मगर उसने कबुल न किया कसम में सच्चा होगया और अगर कसम खाता कि इसे फुलाँ के हाथ बैअ् करूँगा और ईजाब किया मगर उसने कबूल नहीं किया हानिस (कसम तोड़ने वाला) हो गया कसम टूट गई। (बहर)

मसअ्ला.10:– हिबा का कबूल करना कभी अलफाज से होता है और कभी फेअ्ल से मस्लन उसने ईजाब किया, यानी कहा मैंने यह चीज तुम्हें हिबा करदी उसने लेली, हिबा तमाम हो गया। (बहर)

मसअ्ला.11:– हिबा तमाम होने के लिये कब्ज़े की भी जरूरत है बिगैर इसके हिबा तमाम नहीं होता। फिर अगर उसी मज्लिस में क़ब्ज़ा करे तो वाहिब की इजाजत की भी ज़रूरत नहीं और मज्लिस बदल जाने के बाद कब्ज़ा करना चाहता है तो इजाज़त दरकार है। हाँ अगर जिस मज्लिस में हिबा किया है उसने कह दिया है कि तुम क़ब्ज़ा करलो तो अब इजाज़त हासिल करने की ज़रूरत नहीं। वही पहली इजाजत काफी है। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– कब्ज़े पर कादिर होना भी कब्ज़े ही के हुक्म में है मस्लन सन्दूक़ में कपड़े हैं और कपड़े हिबा करके सन्दूक उसे देदिया अगर सन्दूक मुक़फ्फ़ल है क़ब्ज़ा नहीं हुआ और कुफ्ल खुला हुआ है क़ब्ज़ा होगया यानी हिबा तमाम होगया कि क़ब्ज़े पर क़ादिर होगया। (बहर)

मसअ्ला.13:– वाहिब ने मौहूब'लहू को कब्ज़ा करने से मना कर दिया तो अगरचे क़ब्ज़ा करले। यह कब्ज़ा सही नहीं, मजलिस में कब्ज़ा करे या बाद में इस सूरत में हिबा तमाम नहीं। (बहर)

मसअ्ला.14:– हिबा के लिये कब्ज़ाए कामिल की जरूरत है अगर मौहूब शय (यानी जो चीज हिबा की गई है।) वाहिब की मिल्क को शागिल हो तो कब्ज़ा कामिल होगया और हिबा तमाम होगया और इसकी मिल्क में मशगूल है तो कब्ज़ाए कामिल नहीं हुआ मसलन बोरी में वाहिब का गल्ला है। बोरी हिबा कर दी और मय गल्ले के कब्ज़ा देदिया या मकान में वाहिब के सामान में मकान हिबा कर दिया और सामान के साथ कब्ज़ा दिया हिबा तमाम नहीं हुआ और अगर गल्ला हिबा किया, या मकान में जो चीज़ें थीं उनको हिबा किया और बोरी समीत कब्ज़ा देदिया या मकान और सामान सब पर क़ब्ज़ा देदिया हिबा तमाम होगया। यूँही घोड़े पर काठी कसी हुई और लगाम लगी हुई थी काठी और लगाम को हिबा किया और घोड़े पर मय काठी और लगाम के कब्ज़ा किया हिबा तमाम नहीं हुआ और घोड़े को हिबा किया और कब्ज़ा देदिया अगरचे काठी और लगाम के साथ है कब्ज़ा तमाम होगया। यूँही कनीज जेवर पहने हुए है कनीज को हिबा किया और कब्ज़ा देदिया। हिबा तमाम होगया और जेवर को हिबा किया तो जब तक जेवर को उतारकर कब्ज़ा न दे देगा। हिबा तमाम नहीं होगा। (बहर, दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.15:– मौहूब चीज मिल्के गैर वाहिब में मशगूल हो और कब्ज़ा कर लिया हिबा तमाम होगया मसलन मकान हिबा किया जिसमें मुस्तहिक की चीजें हैं या उन चीजों को वाहिब या मौहूब'लहु ने गसब किया है और मौहूब'लहु ने मय उन चीजों के मकान पर कब्ज़ा कर लिया हिबा तमाम होगया। (बहर)

मसअ्ला.16:– अगर नबालिग बच्चे को हिबा किया और मौहूब शय मिल्के वाहिब में मशगूल है।

मस्लन नाबालिग़ लड़के को मकान हिबा किया जिसमें बाप का सामान मौजूद है यह मशग़ूलियत मानेअ़ तमामियत (तमाम होने के लिए रुकावट) नहीं यानि हिबा तमाम होगया यूँही मकान हिबा किया जिसमें कुछ लोग बतौर आरियत रहते हैं हिबा तमाम होगया और अगर किराये पर रहते हैं तो नहीं। यूँही औरत ने अपना मकान शौहर को हिबा किया और मकान पर शौहर को क़ब्ज़ा देदिया अगरचे इसमें औरत का असासा मौजूद हो क़ब्ज़ा कामिल होगया। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– मशग़ूल को हिबा करने का तरीक़ा यह है कि शागिल को मौहूब'लहु के पास पहले वदीअ़त रखदे फिर मशग़ूल को हिबा करके क़ब्ज़ा देदे अब हिबा सही हो जायेगा। मस्लन मकान में जो सामान है उसे वदीअ़त रखकर मकान पर क़ब्ज़ा दिलाये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.18:– हिबा में ज़रूरी है कि मौहूब शय ग़ैर मौहूब से जुदा हो अगर ग़ैर के साथ मुत्तसिल हो हिबा सही नहीं। मस्लन दरख़्त में जो फल लगे हों उनको हिबा करना दुरुस्त नहीं। जो चीज़ हिबा की गई अगर वह क़ाबिले तक़सीम हो तो ज़रूर है कि उसकी तक़सीम होगई जो बिगैर तक़सीम किये हुए, हिबा दुरुस्त नहीं और अगर तक़सीम के क़ाबिल ही न हो यानी तक़सीम के बाद वह शय क़ाबिले इन्तिफ़ाअ़ न रहे मस्लन छोटी सी कोठरी या हमाम इनमें हिबा सही होने के लिये तक़सीम ज़रूर नहीं। (हिदाया, वगैरहा)

मसअ्ला.19:– जो तक़सीम के क़ाबिल है उसको अजनबी के लिए हिबा करे या शरीक के लिये दोनों सूरतें ना'जाइज़ हैं। हाँ अगर हिबा करने के बाद वाहिब ने ख़ुद या उसके हुक्म से किसी दूसरे ने तक़सीम करके क़ब्ज़ा देदिया कि तक़सीम करके क़ब्ज़ा करलो और उसने ऐसा कर लिया इन सूरतों में हिबा जाइज़ होगया क्योंकि मानेअ़ ज़ाइल हो गया (रुकावट ख़त्म होगई)। अगर बिग़ैर तक़सीम मौहूब'लहु को क़ब्ज़ा देदिया। मौहूब'लहु उस चीज़ का मालिक नहीं होगा और जो कुछ उसमें तसर्रुफ़ करेगा नाफ़िज़ नहीं होगा बल्कि उसके तसर्रुफ़ से जो नुक़सान होगा उसका ज़ामिन होगा और ख़ुद वाहिब उसमें तसर्रुफ़ करे। मसलन बैअ़ कर दे उसका तसर्रुफ़ नाफ़िज़ हो जायेगा। (बहर, दुर्रेमुख़्तार) इसका हासिल यह है कि मुशाअ़ का हिबा सही न होने का मतलब यह है कि क़ब्ज़े के वक़्त शुयूअ़ पाया जाये और अगर हिबा के वक़्त शुयूअ़ न हो तो हिबा सही है। मसलन मकान का निस्फ़ हिस्सा हिबा किया और क़ब्ज़ा नहीं दिया फिर दूसरा निस्फ़ हिस्सा हिबा किया और उस पर भी क़ब्ज़ा देदिया यह दोनों हिबा सही नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.20:– मुशाअ़ यानी बिग़ैर तक़सीम चीज़ को बैअ़ कर दिया जाये तो बैअ़ सही है। और उसका इजारा अगर शरीक के साथ हो तो जाइज़ है। अजनबी के साथ हो तो जाइज़ नहीं बल्कि यह जारा फ़ासिद होगा इसमें उजरते मिस्ल लाज़िम होगी और मुशाअ़ का आरियत देना, अगर शरीक को है तो जाइज़ है और अजनबी को आरियत के तौर पर दिया और कुल पर क़ब्ज़ा देदिया तो यह क़ब्ज़ा देना ही आरियत देना है और कुल पर क़ब्ज़ा न दिया तो कुछ नहीं और इसको रहन रखना जाइज़ है। वह चीज़ क़ाबिले क़िस्मत हो या न हो शरीक के पास रहन रखे या अजनबी के पास। हाँ अगर दो शख़्सों की चीज़ है दोनों ने रहन रखदी तो जाइज़ है मुशाअ़ का वक़्फ़ सही है। मुशाअ़ की वदीअ़त शरीक के पास हो तो जाइज़ है मुशाअ़ को क़र्ज़ दे सकता है मसलन हज़ार रूपये दिये। और कह दिया इनमें से पाँच सौ क़र्ज़ हैं और पाँच सौ शिरकत के तौर पर यह जाइज़ है। मुशाअ़ का ग़सब हो सकता है यानी ग़ासिब पर ग़सब के अहकाम जारी होंगे मुशाअ़ के सदक़े का वही हुक्म है जो हिबा का है। हाँ अगर कुल दो शख़्सों पर तस्दीक़ कर दिया यह जाइज़ है। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला21:– एक शरीक ने दूसरे से कहा कि जो कुछ नफ़ा में मेरा हिस्सा है मैंने तुमको हिबा किया अगर माल मौजूद है यह हिबा सही नहीं कि मुशाअ़ का हिबा है और हलाक हो चुका है तो सही है कि यह इस्क़ात है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.22: ग़ैर मुन्क़सिम (तक़सीम न होने वाली) चीज़ में मुशाअ़ का हिबा किया मौहूब'लहू उस जुज़

का मालिक होगया। मगर तक़सीम का मुतालबा नहीं कर सकता। दोनों इस चीज़ से नौबत ब'नौबत नफ़ा हासिल करें मसलन एक महीना एक से काम ले और दूसरे महीने में दूसरा यह हो सकता है मगर इस पर भी जब्र नहीं हो सकता कि यह एक क़िस्म की आरियत है और आरियत पर जब्र नहीं। (बहर)

मसअ्ला.23:– जो मुशाअ् ग़ैर क़ाबिले क़िस्मत (जो हिस्सा तक़सीम के लाइक़ नहीं) है उसका हिबा सही होने के लिये यह शर्त है कि उसकी मिक़दार मालूम हो यानी उस चीज़ में उसका हिस्सा इतना है जिसको हिबा करता है अगर मालूम न हो तो हिबा सही नहीं मसलन गुलाम दो लोगों में मुश्तरक है उसको मालूम नहीं मेरा हिस्सा कितना है और हिबा कर दिया एक रूपया दो लोगों को हिबा किया यह सही है क्योंकि निस्फ़ निस्फ़ दोनों का हिस्सा हुआ और यह मालूम है और अगर वाहिब के पास दो रूपये हैं उसने यह कहा कि इनमें से मैंने एक रूपया हिबा किया और उसे जुदा न किया, यह हिबा सही नहीं हुआ। एक गुलाम दो शख़्सों में मुश्तरक है उनमें से एक ने उस गुलाम को कोई चीज़ हिबा करदी, अगर वह चीज़ क़ाबिले तक़सीम है हिबा बिल्कुल सही नहीं और क़ाबिले तक़सीम नहीं तो शरीक के हिस्से में सही है यानी उस गुलाम में जितना हिस्सा उसके शरीक का है शय मौहूब के उतने ही हिस्से का हिबा सही है और जितना हिस्सा उस गुलाम में वाहिब का है उस मुक़ाबिल में मौहूब के हिस्से का हिबा सही नहीं। मजहूल हिस्से का हिबा सही नहीं। इससे मुराद यह है कि वह जिहालत बाइसे नज़ाअ् होसके और अगर बाइसे नज़ाअ् न हो मसलन यह कह दिया कि इस घर में जो कुछ मेरा हिस्सा है हिबा कर दिया यह जाइज़ है अगरचे मौहूब'लहू को मालूम न हो कि क्या हिस्सा है क्योंकि यह जिहालत दूर होसकती है और अगर बहुत ज़्यादा जिहालत हो तो ना'जाइज़ है मसलन मैंने तुमको कुछ हिबा कर दिया। (बहर, मिन्हा)

मसअ्ला.24:– शुयूअ् जो तमामियते क़ब्ज़े (कब्ज़े के मुकम्मल होने) को रोकता है वह शुयूअ् है जो अक़्द के साथ मक़ारिन हो अक़्द के बाद जो शुयूअ् तारी होगा। वह मानेअ् नहीं मसलन पूरी चीज़ हिबा करदी और क़ब्ज़ा देदिया उसके बाद उसमें से जुज़े शाइअ् निस्फ़ रुबा वापस ले लिया यहाँ शुयूअ् पैदा होगया जो पहले से न था यह मानेअ् नहीं। शुयूअ् तारी की एक मिसाल यह भी है कि मरज़ुलमौत में अपना मकान हिबा करा दिया और इस मकान के सिवा उसके पास कोई दूसरा तर्का नहीं है यह वाहिब मर गया वुरसा ने इस हिबा को जाइज़ नहीं किया, इसका हासिल यह हुआ कि एक तिहाई हिबा हुआ और दो तिहाईयाँ वुरसा की हैं। यहाँ हिबा में शुयूअ् हो मगर वक़्ते अक़्द में नहीं है बादे अक़्द हुआ जबकि वुरसा ने जाइज़ न किया जिस चीज़ को हिबा किया उसमें किसी ने इस्तेहक़ाक़ का दावा किया कि इस चीज़ में इतने का मैं मालिक हूँ अगरचे यह दावा बाद में हुआ मगर शुयूअ् अब पैदा नहीं हुआ बल्कि पहले से ही है कि यह शख़्स इसके एक जुज़ का पहले से ही मालिक था और अब ज़ाहिर हुआ लिहाज़ा एक शख़्स ने खेत और ज़राअत दोनों चीज़ें एक शख़्स को हिबा करदीं और क़ब्ज़ा भी देदिया। इसके बाद ज़राअत में एक शख़्स ने दावा किया कि मेरी है और साबित कर दिया क़ाज़ी ने हुक्म भी देदिया, ज़राअत तो मुस्तहिक़ ने ले ही ली। ज़मीन का हिबा भी बातिल होगया क्योंकि मोहतमिले क़िस्मत में(जिस में तक़सीम का एहतिमाल हो)शुयूअ् है।(बहर,दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.25:– थन में दूध, भेड़ की पीठ पर ऊन, ज़मीन में दरख़्त, दरख़्त में फल, यह चीज़ें मुशाअ् के हुक्म में हैं कि इनका हिबा सही नहीं मगर दूध, दुहकर, ऊन काट कर, फल तोड़ कर, मौहूब'लहु को तस्लीम कर दिये तो हिबा जाइज़ होगया कि मानेअ् ज़ाइल होगया ज़राअत जो खेत में है तलवार का हिलिया, अशर्फ़ी जो पहने हुए है ढेरी में से दस, पाँच सेर गल्ले का हिबा करना भी वही हुक्म रखता है कि जुदा करके मौहूब पर क़ब्ज़ा देदिया दुरूस्त है, वरना नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.26:– मादूम शय का हिबा बातिल है क़ब्ज़ा देने के बाद भी मौहूब'लहु की मिल्क नहीं होगी। मसलन कहा, इन गेहूँओं का आटा हिबा कर दिया, तिलों में जो तेल है हिबा किया, दूध में जो घी है हिबा किया, लौंडी के पेट में जो हमल है वह हिबा किया, इन सूरतों में अगर आटा

पिसवाकर, तिलों को पिलवाकर, दूध में से घी निकालकर, मौहूब'लहु को दे भी दे जब भी उसकी मिल्क नहीं होगी हाँ अब जदीद हिबा करे, तो हो सकता है। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.27:– एक शख़्स को एक चीज़ हिबा की, मौहूब'लहु ने क़ब्ज़ा नहीं किया, फिर उस शख़्स ने दूसरे को वही चीज़ हिबा करदी और दोनों से क़ब्ज़ा करने को कह दिया या दोनों ने क़ब्ज़ा कर लिया तो चीज़ दूसरे मौहूब'लहु की होगी, पहले की नहीं होगी और अगर वाहिब ने पहले मौहूब'लहु को क़ब्ज़ा करने लिये कह दिया उसने क़ब्ज़ा कर लिया तो यह क़ब्ज़ा बातिल है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.28:– एक चीज़ ख़रीदी और क़ब्ज़ा करने से पहले किसी को हिबा करदी और मौहूब'लहु से कह दिया कि तुम क़ब्ज़ा करलो उसने कर लिया, हिबा तमाम होगया। रहन का भी यही हुक्म है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.29:– यह कहा कि इस ढेरी में से तुम को इतना ग़ल्ला दिया तुम नापकर लेलो उसने नाप लिया, जाइज़ है और अगर फ़क़त इतना ही कहा कि इतना ग़ल्ला दिया यह न कहा कि नाप लो और उसने नापकर लेलिया तो ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.30:– जो चीज़ हिबा की है वह पहले से ही मौहूब'लहू के क़ब्ज़े में है तो ईजाब व क़बूल करते ही उसकी मिल्क होगई जदीद क़ब्ज़े की ज़रूरत नहीं मौहूब'लहू का वह क़ब्ज़ा क़ब्ज़–ए–अमानत हो या क़ब्ज़–ए–ज़मान मस्लन उसके पास आरियत या वदीअ़त के तौर पर है या किराये पर है या उसने ग़सब कर रखी है। उसका क़ायदा किताबुल बुयूअ़ में बयान किया गया है कि वह क़ब्ज़े अगर एक जिन्स के हों यानी दोनों क़ब्ज़–ए–अमानत हों या दोनों क़ब्ज़–ए–ज़मान हों उनमें एक दूसरे के क़ायम मक़ाम हो जायेगा अगर दोनों दो जिन्सों के हों। तो क़ब्ज़–ए–ज़मान क़ब्ज़–ए–अमानत के क़ायम मक़ाम होजायेगा और क़ब्ज़–ए–अमानत क़ब्ज़–ए–ज़मान के क़ायम मक़ाम नहीं होगा। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.31:– मरहून को मुरतहिन के लिए हिबा किया, हिबा तमाम होगया क्योंकि मुरतहिन का क़ब्ज़ा पहले से ही है और रहन बातिल होगया यानी मुरतहिन अपना दैन राहिन से वुसूल करेगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.32:– जो शख़्स नाबालिग़ का वली है अगरचे उसको नाबालिग़ के माल में तसर्रुफ़ करने का इख़्तियार न हो यह जब कभी नाबालिग़ को हिबा करदे तो महज़ अ़क़्द करने से यानी फ़क़त ईजाब से हिबा तमाम होजायेगा बशर्ते शय मौहूब, वाहिब या उसके मूदा के क़ब्ज़े में हो मा'लूम हुआ कि बाप के हिबा का जो हुक्म है बाप न होने की सूरत में चचा या भाई वग़ैरहा का भी वही हुक्म है। बशर्ते ना'बालिग़ उनकी अ़याल में हो इस हिबा में बा'ज़ अइम्मा का इरशाद है कि गवाह मुक़र्रर करले यह इशहाद हिबा की सेहत के लिए शर्त नहीं बल्कि इस लिए है ताकि वह आइन्दा इन्कार न कर सके या उसके मरने के बा'द दूसरे वुरसा इस हिबा से इन्कार न कर दें। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.33:– नाबालिग़ लड़के को जो माल हिबा किया, वह न वाहिब के क़ब्ज़े में है न उसके मूदा के क़ब्ज़े में है बल्कि ग़ासिब या मुरतहिन या मुस्ताजिर के क़ब्ज़े में है तो हिबा तमाम नहीं(आलमगीरी)

मसअ्ला.34:– मज़रूआ ज़मीन (ऐसी ज़मीन जिस में खेती होती हो) अपने ना'बालिग़ लड़के को हिबा की, अगर ज़राअ़त ख़ुद उसी की है हिबा सही होगया और काश्तकार ने खेत बोया है तो हिबा सही न हुआ कि वाहिब के क़ब्ज़े में नहीं है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.35:– सदक़े का भी यही हुक्म है कि नाबालिग़ को उसके वली ने सदक़ा किया तो क़ब्ज़े की ज़रूरत नहीं अगर नाबालिग़ का वली न हो तो उसकी माँ भी सही हुक्म रखती है कि महज़ हिबा करदेने से मौहूब'लहू मालिक होजायेगा बालिग़ लड़का अगरचे उसकी अ़याल में हो उसका हुक्म यह नहीं है वह जब तक क़ब्ज़ा न करे मालिक न होगा। माँ ने अपना महर लड़के को हिबा कर दिया, यह हिबा तमाम न होगा जब तक माँ ने ख़ुद उस पर क़ब्ज़ा न किया हो और लड़के को क़ब्ज़ा न करादे। (बहर)

मसअ्ला.36:– बेटे को तसर्रूफ के लिए अम्वाल दे रखें हैं बेटा काम करता है और माल में इजाफा हुआ अगर यह साबित हो कि बाप ने इसे हिबा करदिया जब तो उसका है वरना सब कुछ बाप का है उसके मरने के बाद मीरास जारी होगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.37:– नाबालिग को किसी अजनबी ने कोई चीज़ हिबा की, यह उस वक्त तमाम होगा कि वली उसपर क़ब्ज़ा करले इस मकाम पर वली से मुराद चार शख्स हैं। (1) बाप (2) फिर उसका वसी (3) फिर उसका दादा (4) फिर उसका वसी, इस सूरत में यह जरूरी नहीं कि नाबालिग वली की परवरिश में हो इन चार की मौजूदगी में कोई शख्स इस पर क़ब्ज़ा नहीं कर सकता चाहे इस क़ाबिज़ की अयाल में वह नाबालिग हो, या न हो वह काबिज जूरहम मोहरिम हो या अजनबी हो। मौजूदगी से मुराद यह है कि वह हाजिर हों अगर गायब हों और गीबत भी मुन्कता हो तो इसके बाद जिसका मर्तबा हो वह कब्जा करे। (बहर)

मसअ्ला.38:– इन चारों में से कोई न हो तो चचा वग़ैरा जिस अयाल में नाबालिग हो वह कब्ज़ा करे माँ या अजनबी की परवरिश में हो तो यह क़ब्ज़ा करेंगे और अगर वह बच्चा लकीत है यानी कहीं पड़ा हुआ मिला है उसके लिये कोई चीज़ हिबा की गई तो मुलतकित कब्जा करे। (दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.39:– नाबालिग अगर समझदार हो माल लेना जानता हो तो वह खुद भी मौहूब पर कब्ज़ा कर सकता है अगरचे उसका बाप मौजूद हो और जिस तरह यह नाबालिग कब्ज़ा कर सकता है। हिबा को रद्द भी कर सकता है यानी छोटे बच्चे को किसी ने कोई चीज दी तो वह ले भी सकता है और इन्कार भी कर सकता है जिसने नाबालिग को हिबा किया है वह हिबा की हुई चीज वापस ले सकता है। क़ाज़ी को चाहिए कि नाबालिग को जो चीज़ हिबा की गई है उसे बैअ् करदे ताकि वाहिब रूजुअ् न कर सके। (बहर)

मसअ्ला.40:– नाबालिग को मिठाई और फल वगैरा खाने की चीज़ें हिबा की जायें उनमें से वालिदैन खा सकते हैं यह उस वक़्त है कि क़रीने से मालूम हो कि ख़ास इस बच्चे को ही देना नहीं बल्कि वालिदैन को देना मक़सूद है मगर उनकी इज़्ज़त का लिहाज रखते हुए यह चीज हक़ीर मालूम होती है उनको देते हुए लिहाज़ मालूम होता है बच्चे का नाम ले देते हैं और अगर क़रीने से यह मालूम होता हो कि ख़ास इसी बच्चे को देना मक़सूद है तो वालिदैन नहीं खा सकते मस्लन कोई चीज़ खा रहा है किसी का बच्चा वहाँ पहुँच गया ज़रासी उठाकर बच्चे को देदी यहाँ मालूम हो रहा है कि वालिदैन को देना मक़सद नहीं है इससे यह मालूम हुआ कि जो चीज़ खाने की न हो ना'बालिग़ को दी जाये तो वालिदैन को बिगैर हाजत इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। (दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.41:– ख़तना की तक़रीब में रिश्तेदारों के यहाँ से जोड़े वग़ैरा आते हैं। सेहरे पर रूपये दिये जाते हैं और जोड़े भी तरह तरह के होते हैं इनमें से जिन चीज़ों की निस्बत मालूम हो कि बच्चे के लिये हैं मस्लन छोटे कपड़े जो बच्चे के मुनासिब हैं। यह उसी बच्चे के लिये हैं। वरना वालिदैन के लिए हैं अगर बाप के अक़रबा (रिश्तेदारों) ने हदिया किया है तो बाप के लिये हैं माँ के रिश्तेदारों ने हदिया किया है तो माँ के लिये हैं। (दुर्रेमुख्तार) मगर यहाँ हिन्दुस्तान का उ़र्फ़ यह है कि बाप के कुन्बे के लोग भी ज़नाना जोड़ा भेजते हैं कपड़े जो माँ के लिये होता है। और ननिहाल से भी मर्दाना जोड़ा भेजा जाता है जिसका साफ़ यही मक़सद है कि मर्द के लिये मर्दाना जोड़ा है और औरत के लिये ज़नाना अगरचे कहीं से आया हो। दीगर तक़रीबात मस्लन बिस्मिल्लाह के मौक़े पर और शादी के मौक़े पर तरह तरह के हदये आते हैं और वह चीज़ें किस के लिये हैं उसके मुताल्लिक़ जो उ़र्फ़ हो उस पर अ़मल किया जाये और अगर भेजने वाले ने तस्रीह करदी है तो यह सबसे बढ़कर है। चुनान्चे अकस्र तक़रीबात में यही होता है कि नाम ब'नाम सारे घर के लिये जोड़े भेजे जाते हैं बल्कि मुलाज़ेमीन के लिये भी जोड़े आते हैं इस सूरत में जिसके लिये जो आया है वही ले सकता है दूसरा नहीं ले सकता।

मसअ्ला.42:– शादी वग़ैरा में तमाम तक़रीबात में त़रह त़रह की चीज़ें भेजी जाती हैं इसके मुताल्लिक़ हिन्दुस्तान में मुख़्तलिफ़ क़िस्म की रस्में हैं हर शहर में हर क़ौम की जुदा जुदा रूसूम हैं उनके मुताल्लिक़ हदिया और हिबा का हुक्म है या क़र्ज़ का उ़मूमन रिवाज से जो बात साबित होती है वह यह है कि देने वाले यह चीज़ें बतौर क़र्ज़ देते हैं इसी वजह से शादियों में और हर तक़रीब में जब रूपये दिये जाते हैं तो हर एक शख़्स का नाम और रक़म तह़रीर कर लेते हैं जब उस देने वाले के यहाँ तक़रीब होती है तो यह शख़्स जिसके यहाँ दिया जा चुका है फ़ेहरिस्त निकालता है। और इतने रूपये ज़रूर देता है जो उसने दिये थे और उसके ख़िलाफ़ करने में सख़्त बदनामी होती है और मौक़ा पाकर कहते भी हैं कि न्योते का रूपया नहीं दिया अगर यह क़र्ज़ न समझते होते, तो ऐसा उ़र्फ़ न होता जो उ़मूमन हिन्दुस्तान में है।

मसअ्ला.43:– एक शख़्स परदेस से आया और जिसके यहाँ उतरा उसको कुछ तोहफ़े दिये और यह कहा कि इसको अपने घर वालों में तक़सीम करदो और ख़ुद भी लेलो उससे दरयाफ़्त करना चाहिए, कि क्या चीज़ किसे दी जाये और अगर वह मौजूद न हो चला गया हो तो जो चीज़ औरतों के लाइक़ हो औ़रत को दे और जो लड़कियों के मुनासिब हो, लड़कियों को दे और जो लड़कों के मुनासिब हो लड़कों को दे और जो चीज़ ख़ुद उसके मुनासिब हो, ख़ुद ले और जो चीज़ ऐसी हो कि मर्द व औ़रत दोनों के लिये यकसाँ हो तो देखा जायेगा कि वह देने वाला मर्द का रिश्तेदार है तो मर्द ले और औ़रत का रिश्तेदार है तो औ़रत ले। (आलमगीरी)

मसअ्ला.44:– बाज़ औलाद के साथ ज़्यादा मुहब्बत हो। बाज़ के साथ कम यह कोई मलामत की चीज़ नहीं क्योंकि यह फ़ेअ्ल ग़ैर इख़्तियारी है और अ़तिये (कोई चीज़ देने) में अगर यह इरादा हो कि बाज़ को ज़रर (नुकसान) पहुँचादे तो सब में बराबरी करे कमो बेश न करे कि यह मकरूह है। हाँ अगर औलाद में एक को दूसरे पर दीनी फ़ज़ीलत व तरजीह़ है मसलन एक आ़लिम है जो ख़िदमते इल्मे दीन में मसरूफ़ है या इबादत व मुजाहिदा में इश्तेग़ाल रख़ता है (इबादत और इल्म की ख़िदमत में लगा रहता है) ऐसे को अगर ज़्यादा दे और जो लड़के दुनिया के कामों में इश्तेग़ाल रखते हैं (लगे रहते है) उन्हें कम दे, यह जाइज़ है इसमें किसी क़िस्म की कराहत नहीं, यह हुक्म दयानत का है और क़ज़ा का हुक्म यह है कि वह अपने माल का मालिक है ह़ालते सेह़त में अपना सारा सामान एक ही लड़के को देदे और दूसरों को कुछ न दे, यह कर सकता है दूसरे लड़के किसी क़िस्म का मुत़ालबा नहीं कर सकते मगर ऐसा करने में गुनाहगार है। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.45:– औलाद को हिबा करने में लड़की और लड़का दोनों को बराबर दे यह नहीं कि लड़के को लड़की से दो चन्द देदे। जिस त़रह मीरास् में होता है कि लड़के को लड़की से दूना मिलता है हिबा में ऐसा नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.46:– लड़का अगर फ़ासिक़ है तो उसको सिर्फ़ बक़द्र ज़रूरत दे ज़्यादा देने का मत़लब यह होगा कि यह गुनाह के काम में इसका मुईन है। लड़का फ़ासिक़ है यह गुमान है कि इसके बाद यह अम्वाल बदकारी और गुनाह में ख़र्च कर डाले इस सूरत में उसे मीरास् से मह़रूम करने में गुनाह नहीं कि यह हक़ीकतन मीरास् से मह़रूम करना नहीं है बल्कि अपने अम्वाल और अपनी कमाई को ह़राम में ख़र्च करने से बचाना है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.47:– बाप को यह जाइज़ नहीं कि ना'बालिग़ लड़के का माल दूसरे लोगों में हिबा करदे। अगरचे मुआवज़ा लेकर हिबा करे कि यह भी ना'जाइज़ है और ख़ुद बच्चा भी अपना माल हिबा करना चाहे तो नहीं कर सकता यानी उसने हिबा करदिया और मौहूब'लहू को देदिया उससे वापस लिया जायेगा कि हिबा जाइज ही नहीं। (बहर, दुर्रेमुख़्तार) यही हुक्म स़दक़े का है कि नाबालिग़ अपना माल न ख़ुद स़दक़ा कर सकता है न उसका बाप यह बात निहायत याद रखने की है अकस़्र ना'बालिग़ से चीज़ लेकर इस्तेमाल कर लेते हैं समझते हैं कि उसने देदी यह देना, न देने के हुक्म

में है। बाज़ लोग दूसरे के बच्चे से पानी भरवाकर पीते, या वुज़ू करते हैं या दूसरी तरह इस्तेमाल करते हैं यह ना'जाइज़ है कि इस पानी का वह बच्चा मालिक होजाता है और हिबा नहीं कर सकता फिर दूसरे को क्योंकर जाइज़ होगा। अगर वालिदैन बच्चे को इस लिये चीज़ दें कि यह लोगों को हिबा करदे या फ़क़ीरों को सदक़ा करदे ताकि देने और सदक़ा करने की आदत हो और माले दुनिया की मुहब्बत कम हो तो यह हिबा व सदक़ा जाइज़ है कि यहाँ ना'बालिग़ के माल का हिबा व सदक़ा नहीं बल्कि बाप का माल है और बच्चा देने के लिये वकील है जिस तरह उमूमन दरवाज़ों पर साइल जब सवाल करते हैं तो बच्चों ही से भीक दिलवाते हैं।

मसअ्ला.48:– बच्चे ने हदिया पेश किया और यह कहा कि मेरे वालिद ने यह हदिया आप के पास भेजा है इसको लेना और खाना जाइज़ है मगर जब यह गुमान हो कि इसके बाप ने नहीं भेजा है। यह खुद लाया है और यह ग़लत है कि इसके बाप ने भेजा है तो न ले। (आलमगीरी)

मसअ्ला.49:– बच्चा पैदा होने से पहले ही कपड़े इस लिए बनाये कि जब पैदा होगा तो उन पर रखा जायेगा मस्लन तकिया, गद्दा वह पैदा हुआ और उसी पर रखा गया फिर मरगया। कपड़े मीरास् क़रार नहीं पायेंगे जब तक उसने यह इक़रार न किया हो कि यह कपड़े लड़के की मिल्क हैं और बदन के कपड़े जो पहनने के हैं जब उन्हें बच्चे ने पहन लिया मालिक होगया और मीरास् हैं(बहर)

मसअ्ला.50:– ना'बालिग़ा लड़की शौहर के यहाँ रुख़्सत होकर चली गई उसको अगर कोई चीज़ हिबा करदी जाये और शौहर क़ब्ज़ा करले, हिबा तमाम होजायेगा उसका बाप ज़िन्दा हो, या मरगया हो दोनों सूरतों में क़ब्ज़ा कर सकता है। वह ना'बालिग़ा क़ाबिले जिमाअ् हो, या न हो दोनों का एक हुक्म है और ना'बालिग़ा के बाप ने या खुद उसने जब कि समझदार हो क़ब्ज़ा किया यह भी हो सकता है यानी शौहर ही का क़ब्ज़ा करना ज़रूरी नहीं और अगर ज़ौजा बालिग़ा है तो उसके खुद क़ब्ज़ा करने की ज़रूरत है शौहर का क़ब्ज़ा काफ़ी नहीं और अगर ना'बालिग़ा है और अभी रूख़्सत भी नहीं हुई है तो शौहर का क़ब्ज़ा इस सूरत में भी काफ़ी नहीं बल्कि उसके बाप वग़ैरा जिनके क़ब्ज़े का ऊपर ज़िक्र किया गया है वह क़ब्ज़ा कर सकते हैं। (बहर)

मसअ्ला.51:– एक शख़्स ने दो कपड़े एक शख़्स को दिये और यह कहा कि एक तुम्हारा है और एक तुम्हारे लड़के का है और जुदा होने से क़ब्ल यह नहीं मुतअय्यन किया कि कौन किसका है। यह हिबा जाइज़ नहीं और बयान करदिया तो जाइज़ है। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.52:– दो शख़्सों ने एक शख़्स को मकान जो क़ाबिले क़िस्मत (तक़सीम के लाइक़) है। हिबा कर दिया और क़ब्ज़ा देदिया हिबा सही है कि यहाँ शुयूअ् (हिस्से) नहीं हैं और अगर एक ने दो शख़्सों को हिबा किया और यह दोनों बालिग़ हैं या एक बालिग़ है दूसरा ना'बालिग़ और यह ना'बालिग़ इसी की परवरिश में है और फ़क़ीर भी नहीं है। और यह मकान क़ाबिले तक़सीम है तो हिबा सही नहीं कि मुशाअ् का हिबा है और अगर एक ने एक ही को हिबा किया है मगर मौहूब'लहू ने दो शख़्सों को क़ब्ज़े के लिये वकील किया है तो यह हिबा जाइज़ है और अगर दो शख़्सों ने एक मकान दो शख़्सों को हिबा किया कि एक ने अपना हिस्सा एक को हिबा किया और दूसरे ने अपना हिस्सा दूसरे को तो यह हिबा ना'जाइज़ है और अगर बाप ने अपने दो बेटों को हिबा किया और दोनों बालिग़ हैं या एक बालिग़ है दूसरा नाबालिग़ तो हिबा सही नहीं और अगर दोनों नाबालिग़ हैं तो सही है। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.53:– दस रूपये दो फ़क़ीरों पर तसद्दुक़ (सदक़ा करना) किये या हिबा किये, यह जाइज़ है यानी सदक़े में शुयूअ् मानेअ् सेहत नहीं (शुयूअ् सहीह होने को नहीं रोकता) कि सदक़े में अल्लाह की रज़ा मक़सूद है। वह एक है। फ़क़ीर का एक होना, या मुतअ़द्दिद होना इस का लिहाज़ नहीं। और फ़क़ीर को सदक़ा करना या हिबा करना दोनों का एक मतलब है। यानी बहर सूरत सदक़ा है और दो शख़्स ग़नी हैं उनको दस रूपये हिबा किये या सदक़ा किये यह दोनों ना'जाइज़ हैं कि यहाँ

दोनों लफ़्ज़ों से हिबा ही मुराद है और हिबा में शुयूअ़ मानेअ़ है क्योंकि यहाँ अग़निया की रज़ा'मन्दी मक़सूद है और वह मुतअ़द्दिद हैं और सही न होने का इस मक़ाम पर मतलब यह है कि वह दोनों मालिक नहीं होंगे अगर दोनों की तक़सीम करके क़ब्ज़ा देदिया दोनों मालिक होजायेंगे।(बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.54:– दीवार उसके मकान में और पड़ोसी के मकान में मुश्तरक है उसने वह दीवार पड़ोसी को हिबा करदी यह जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.55:– मरीज़ सिर्फ़ सुलुस माल से हिबा कर सकता है और यह हिबा भी उस वक़्त सही है कि मौहूब'लहू उसकी ज़िन्दगी में क़ब्ज़ा करे क़ब्ज़े से पहले मरीज़ मरगया तो हिबा बातिल होगया(आलमगीरी)

हिबा वापस लेने का बयान

किसी को चीज़ देकर वापस लेना बहुत बुरी बात है। हदीस में इरशाद हुआ। इसकी मिसाल ऐसी है जिस तरह कुत्ता क़य करके फिर चाट जाता है लिहाज़ा मुसलमान को इससे बचना चाहिए। मगर चूँकि हिबा ऐसा तसर्रुफ़ है कि वाहिब पर लाज़िम नहीं अगर देकर वापस ही लेना चाहे तो क़ाज़ी वापस कर देगा। उसे न वापस लेने पर मजबूर नहीं करेगा और यह वापस लेने का हुक्म हदीस से साबित है मगर सब जगह वापस नहीं कर सकता बाज़ सूरतें ऐसी हैं कि उनमें वापस ले सकता है और बाज़ में नहीं। यहाँ उसकी तफ़सील बयान की जाती है।

मसअ्ला.1:– हिबा में अगर मौहूब'लहू का क़ब्ज़ा ही नहीं हुआ है तो अभी हिबा की तमामियत ही नहीं हुई है अगर वाहिब ने रुजूअ़ कर लिया तो हिबा भी ख़त्म होगया। इसको रुजूअ़ नहीं कहते। रुजूअ़ यह है कि तमाम होचुका है मौहूब'लहु ने क़ब्ज़ा करलिया है उसके बाद वापस ले।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– मौहूब'लहु को क़ब्ज़ा देदिया तो अब रुजूअ़ करने के लिये क़ाज़ी का हुक्म देना या मौहूब'लहू का राज़ी होना ज़रूरी है और क़ब्ज़ा न किया हो तो इसकी ज़रूरत नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– वाहिब ने कह दिया कि मैं इस हिबा को वापस नहीं लूँगा। जब भी वापस ले सकता है। इसका यह कह देना मानेअ़ रुजुअ़ नहीं (लौटाने को ख़त्म नहीं करता)। (बहर) और अगर हक़्क़े रुजूअ़ से मुसालहत करली है तो रुजूअ़ नहीं कर सकता कि सुलह में जो चीज़ दी है हिबा का एवज़ है(आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– एक शख़्स ने दूसरे से कहा कि फुलाँ को मेरी तरफ़ से एक हज़ार रूपये हिबा कर दो उसने करदिये और मौहूब'लहु ने क़ब्ज़ा भी कर लिया, हिबा तमाम होगया दूसरा शख़्स वापस नहीं ले सकता न पहले से ले सकता है न मौहूब'लहू से। और वह पहला चाहे तो मौहूब'लहु से वापस ले सकता है कि वाहिब यही है वह देने वाला मुतबर्रा है और अगर पहले ने यह कहा कि फुलाँ को एक हज़ार हिबा करदो मैं उसका ज़ामिन हूँ और उसने देदिये तो पहला शख़्स ज़ामिन है दूसरा उससे ले सकता है मौहूब'लहु से नहीं ले सकता और यह पहला शख़्स मौहूब'लहु से वापस ले सकता है। (बहर)

मसअ्ला.5:– सदक़ा देकर वापस लेना जाइज़ नहीं लिहाज़ा जिसको सदक़ा दिया था। उसने आरियत या वदीअ़त समझकर वापस कर कुछ दिनों के बाद वापस दिया उसको लेना जाइज़ नहीं। और ले लिया तो वापस करदे।(आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– दैन के हिबा में रुजूअ़ कर सकता है मसलन दाइन ने मदयून को दैन हिबा कर दिया और मदयून ने क़बूल कर लिया दाइन वापस नहीं ले सकता कि यह इस्क़ात है मगर क़बूल करने से पहले वापस ले सकता है। (बहर)

मसअ्ला.7:– रुजूअ़ करने के लिए ज़रूरी है कि रुजूअ़ के अल्फ़ाज़ बोले, मसलन रुजूअ़ किया, वापस लिया, हिबा को तोड़ दिया, बातिल करदिया, और अगर अल्फ़ाज़ नहीं बोले बल्कि इस चीज़ को बैअ़ कर दिया या अपनी चीज़ में ख़लत कर दिया या कपड़ा था रंग दिया, या ग़ुलाम था आज़ाद कर दिया यह रुजूअ़ नहीं बल्कि यह तसर्रुफ़ात बेकार हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– वाहिब को मौहूब'लहू से ख़रीदना न चाहिए कि यह भी रुजूअ़ के माने में है क्योंकि मौहूब'लहु यह ख़्याल करेगा कि यह चीज़ इसी की दी हुई है पूरे दाम लेने से उसे शर्म आयेगी।

दोनों लफ़्ज़ों से हिबा ही मुराद है और हिबा में शुयूअ् मानेअ् है क्योंकि यहाँ अग़निया की रज़ा'मन्दी मक़सूद है और वह मुतअ़द्दिद हैं और स़ही न होने का इस मकाम पर मत़लब यह है कि वह दोनों मालिक नहीं होंगे अगर दोनों की तक़सीम करके क़ब्ज़ा देदिया दोनों मालिक होजायेंगे।(बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.54:– दीवार उसके मकान में और पड़ोसी के मकान में मुश्तरक है उसने वह दीवार पड़ोसी को हिबा करदी यह जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.55:– मरीज़ सिर्फ़ सुलुस माल से हिबा कर सकता है और यह हिबा भी उस वक़्त स़ही है कि मौहूब'लहू उसकी ज़िन्दगी में क़ब्ज़ा करे क़ब्ज़े से पहले मरीज़ मरगया तो हिबा बात़िल होगया(आलमगीरी)

हिबा वापस लेने का बयान

किसी को चीज़ देकर वापस लेना बहुत बुरी बात है। ह़दीस में इरशाद हुआ। इसकी मिसा़ल ऐसी है जिस त़रह़ कुत्ता क़य करके फिर चाट जाता है लिहाज़ा मुसलमान को इससे बचना चाहिए। मगर चूँकि हिबा ऐसा तस़र्रुफ़ है कि वाहिब पर लाज़िम नहीं अगर देकर वापस ही लेना चाहे तो क़ाज़ी वापस कर देगा। उसे न वापस लेने पर मजबूर नहीं करेगा और यह वापस लेने का हुक्म ह़दीस से स़ाबित है मगर सब जगह वापस नहीं कर सकता बा'ज़ सूरतें ऐसी हैं कि उनमें वापस ले सकता है और बा'ज़ में नहीं। यहाँ उसकी तफ़सी़ल बयान की जाती है।

मसअ्ला.1:– हिबा में अगर मौहूब'लहू का क़ब्ज़ा ही नहीं हुआ है तो अभी हिबा की तमामियत ही नहीं हुई है अगर वाहिब ने रुजूअ् कर लिया तो हिबा भी ख़त्म होगया। इसको रुजूअ् नहीं कहते। रुजूअ् यह है कि तमाम होचुका है मौहूब'लहु ने क़ब्ज़ा करलिया है उसके बा'द वापस ले।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– मौहूब'लहु को क़ब्ज़ा देदिया तो अब रुजूअ् करने के लिये क़ाज़ी का हुक्म देना या मौहूब'लहू का राज़ी होना ज़रूरी है और क़ब्ज़ा न किया हो तो इसकी ज़रूरत नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– वाहिब ने कह दिया कि मैं इस हिबा को वापस नहीं लूँगा। जब भी वापस ले सकता है। इसका यह कह देना मानेअ् रुजुअ् नहीं (लौटाने को ख़त्म नहीं करता)। (बहर) और अगर ह़क़्क़े रुजूअ् से मुस़ालह़त करली है तो रुजूअ् नहीं कर सकता कि सुलह़ में जो चीज़ दी है हिबा का एवज़ है(आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– एक शख़्स ने दूसरे से कहा कि फुलाँ को मेरी त़रफ़ से एक हज़ार रूपये हिबा कर दो उसने करदिये और मौहूब'लहु ने क़ब्ज़ा भी कर लिया, हिबा तमाम होगया दूसरा शख़्स वापस नहीं ले सकता न पहले से ले सकता है न मौहूब'लहू से। और वह पहला चाहे तो मौहूब'लहु से वापस ले सकता है कि वाहिब यही है वह देने वाला मुतबर्रा़ है और अगर पहले ने यह कहा कि फुलाँ को एक हज़ार हिबा करदो मैं उसका ज़ामिन हूँ और उसने देदिये तो पहला शख़्स ज़ामिन है दूसरा उससे ले सकता है मौहूब'लहु से नहीं ले सकता और यह पहला शख़्स मौहूब'लहु से वापस ले सकता है। (बह़र)

मसअ्ला.5:– स़दक़ा देकर वापस लेना जाइज़ नहीं लिहाज़ा जिसको स़दक़ा दिया था। उसने आ़रियत या वदीअ़त समझकर वापस कर कुछ दिनों के बा'द वापस दिया उसको लेना जाइज़ नहीं। और ले लिया तो वापस करदे।(आ़लमगीरी)

मसअ्ला.6:– दैन के हिबा में रुजूअ् कर सकता है मसलन दाइन ने मदयून को दैन हिबा कर दिया और मदयून ने क़बूल कर लिया दाइन वापस नहीं ले सकता कि यह इस्क़ात़ है मगर क़बूल करने से पहले वापस ले सकता है। (बह़र)

मसअ्ला.7:– रुजूअ् करने के लिए ज़रूरी है कि रुजूअ् के अल्फ़ाज़ बोले, मसलन रुजूअ् किया, वापस लिया, हिबा को तोड़ दिया, बात़िल करदिया, और अगर अल्फ़ाज़ नहीं बोले बल्कि इस चीज़ को बैअ् कर दिया या अपनी चीज़ में ख़लत़ कर दिया या कपड़ा था रंग दिया, या ग़ुलाम था आज़ाद कर दिया यह रुजूअ् नहीं बल्कि यह तस़र्रुफ़ात बेकार हैं। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.8:– वाहिब को मौहूब'लहू से ख़रीदना न चाहिए कि यह भी रुजूअ् के मा'ने में है क्योंकि मौहूब'लहु यह ख़्याल करेगा कि यह चीज़ इसी की दी हुई है पूरे दाम लेने से उसे शर्म आयेगी।

मगर बाप ने बेटे को कोई चीज़ दी है फिर ख़रीदना चाहता है तो ख़रीद सकता है कि शफ़क़ते पिदरी कम दाम देने से रोकेगी। (बहर)

मसअ्ला.9:– हिबा में रुजूअ् करने से सात चीज़ें रोकती हैं उन सात को इन अल्फ़ाज़ में जमा किया गया है। दमअ् ख़ज़ क़ह, दाल से मुराद ज़्यादते मुत्तिसिला है, मीम से मुराद मौत यानी वाहिब व मौहूब'लहू दोनों में से किसी का मर जाना। ऐन से मुराद एवज़, ख़ा से मुराद ख़ुरूज यानी हिबा का मिल्क मौहूब'लहू से जुदा होजाना। ज़ा से मुराद ज़ौजियत क़ाफ़ से मुराद क़राबत, हा से हलाक, इन सब के अहकाम की तफ़सील ज़ेल में दर्ज की जाती है।

(1) ज़्यादते मुत्तसिला

मसअ्ला.10:– जिस चीज़ को हिबा किया उसमें कुछ ज़्यादत हुई अगर यह मौहूब के साथ मुत्तसिल है वाहिब रुजूअ् नहीं कर सकता मस्लन एक नाबालिग़ गुलाम किसी को हिबा किया अब वह जवान होगया रुजूअ् नहीं कर सकता। ज़्यादते मुत्तसिला मुतवल्लिदा हो या ग़ैर मुतवल्लिदा मौहूब'लहू के फ़ेअ्ल से हुई हो या उसके फ़ेल से न हो सबका एक हुक्म है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– ज़मीन हिबा की मौहूब'लहु ने उसमें मकान बनाया या दरख़्त लगाये यह ज़्यादते मुत्तसिला है या पानी निकालने का चर्ख़ नसब किया, इस तरह कि तवाबेअ् ज़मीन में शुमार हो और बैअ् में बिग़ैर ज़िक्र किये तबअ़न दाख़िल होजाये यह भी ज़्यादते मुत्तसिला है अब वापस नहीं ले सकता। (बहर, दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– हम्माम हिबा किया था। मौहूब'लहू ने उसे रहने का मकान बनाया या मकान हिबा किया था उसे हम्माम बनाया अगर इमारत में तग़य्युर नहीं किया है रुजूअ् कर सकता है और अगर तग़य्युर किया है मस्लन दरवाज़ा लगाया, या गच (चूना या सीमेंट का काम) कराई। या कहगिल (भुस मिली हुई मिट्टी से काम) कराई तो रुजुअ् नहीं कर सकता और अगर इमारत मुन्हदिम करदी सिर्फ़ ज़मीन बाक़ी है तो रुजूअ् कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– मौहूब में कुछ नुक़सान पैदा होगया यह रुजूअ् को मना नहीं करता। ख़्वाह वह नुक़सान मौहूब'लहू के फ़ेअ्ल से हो या उसके फ़ेल से न हो मस्लन कपड़ा हिबा किया था उसको क़ता करा लिया। (बहर)

मसअ्ला.14:– ज़्यादते मुन्फ़सिला रुजूअ् से मानेअ् नहीं (रोकने वाला नहीं) मस्लन बकरी हिबा की थी उसके बच्चा पैदा हुआ यह ज़्यादते मुन्फ़सिला है। वाहिब अपनी हिबा की हुई चीज़ वापस ले सकता है और वह ज़्यादत मौहूब'लहू की होगी उसको वापस नहीं ले सकता मगर जानवर को उस वक़्त वापस ले सकता है जब बच्चा इस क़ाबिल होजाये कि उसे अपनी माँ की हाजत न रहे।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.15:– ज़्यादत से मुराद यह है मौहूब में कोई ऐसी बात पैदा होजाये जिससे क़ीमत में इज़ाफ़ा होजाये लिहाज़ा उस चीज़ का पहले से ज़्यादा फ़र्बा होजाना या ख़ूबसूरत होजाना भी ज़्यादत है। कपड़ा था सी दिया या रंग दिया, यह भी ज़्यादत है चीज़ को एक जगह से मुन्तक़िल करके दूसरी जगह लेगया जबकि इस इन्तिक़ाले मकानी से क़ीमत में इज़ाफ़ा होजाये यह भी ज़्यादत में दाख़िल है। गुलाम काफ़िर था मुसलमान होगया या उसने कोई जनायत की थी। वली जनायत ने मुआफ़ करदी। बहरा था सुनने लगा, अन्धा था देखने लगा यह सब ज़्यादते मुत्तसिला में दाख़िल हैं और क़ीमत की ज़्यादती नर्ख़ तेज़ हो जाने के सबब से है तो ज़्यादत में उसका शुमार नहीं तालीम व किताबत और कोई सन्अ़त सिखा देना ज़्यादत में दाख़िल है। कपड़ा हिबा किया था उसे मौहूब'लहु ने धुलवाया, जानवर या गुलाम जब हिबा किया था बीमार था मौहूब'लहू ने उसका इलाज कराया अब अच्छा होगया यह भी ज़्यादत में दाख़िल है अगर मौहूब'लहु के यहाँ बीमार हुआ और उसने इलाज कराया और अच्छा होगया यह रुजूअ् से मानेअ् (रोकने वाला) नहीं है।(बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– ज़मीन में मकान बनवाया या दरख़्त लगाये अगर यह ज़्यादती इस पूरी ज़मीन में

शुमार हो तो पूरी का रुजूअ् मुमतना हो जायेगा और अगर इसमें फ़क़त इस क़ता में ज़्यादत शुमार हो बाक़ी में नहीं तो इस क़ता की वापसी मुमतना होजायेगी बाक़ी की नहीं। अगर बहुत ज़्यादा ज़मीन है कि एक दो मकान बनने से पूरी ज़मीन में इज़ाफ़ा नहीं मुतसव्वर होता तो फ़क़त इस हिस्से की वापसी मुमतना हो जायेगी जिसमें मकान बना। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– ज़मीन में बे मौक़ा रोटी पकाने का तन्नूर गढ़वाया यह ज़्यादत में दाख़िल नहीं है बल्कि नुक़सान है, दरख़्त काट डालना या उसे चीर फाड़कर जलाने का ईंधन बना लिया, मानेअ् रुजूअ् नहीं और उसको काटकर चौखट, बाज़ू, किवाड कड़ियॉ वग़ैरा कोई चीज़ बनाई, तो रुजूअ् नहीं कर सकता। जानवर की क़ुर्बानी कर डालना, या और तरह भी ज़िबह करना, वापस करने को मना नहीं करता। (बहर)

मसअ्ला.18:– कपड़ा हिबा किया था मौहूब'लहु ने उसे दो टुकड़े कर डाला, एक टुकडे की अचकन सिलाई, वाहिब दूसरे टुकड़े को वापस ले सकता है। छल्ला हिबा किया था मौहूब'लहू ने उस पर रंग लगाया और रंग जुदा करने में नुक़सान होगा तो वापस नहीं ले सकता वरना ले सकता है।(बहर)

मसअ्ला.19:– काग़ज़ हिबा किया, उसपर लिखकर किताब बनाई, वापस नहीं ले सकता सादी ब्याज़ हिबा की थी मौहूब'लहू ने उसमें किताब लिखी, जिससे उसकी क़ीमत बढ़ गई वापस नहीं ले सकता और हिसाब वग़ैरा ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिसकी वजह से उसका रद्दी में शुमार है तो वापस ले सकता है। (बहर)

मसअ्ला.20:– क़ुर्आन मजीद हिबा किया था उसमें एअ्राब (ज़ेर, ज़बर) लगाये वापस नहीं ले सकता, लोहा हिबा किया था उसकी तलवार या छुरी वगैरा कोई चीज़ बनाली रुजूअ् नहीं कर सकता, सूत हिबा किया उसका कपड़ा बनवा लिया रुजूअ् नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.21:– वाहिब और मौहूब'लहू में इख़्तिलाफ़ हुआ कि मौहूब'लहू के पास ज़्यादत हुई है या नहीं अगर वह ज़्यादते मुतवल्लिदा है मस्लन छोटी चीज़ हिबा की थी अब वह बड़ी होगई वाहिब कहता है इतनी ही बड़ी मैंने हिबा की थी और मौहूब'लहू कहता है छोटी थी अब बड़ी होगई इसमें वाहिब का क़ौल मोअ्तबर है और अगर वह ज़्यादते ग़ैर मुतवल्लिदा है जैसे कपड़े का सिल जाना, उसको रंग देना इसमें मौहूब'लहू का क़ौल मोअ्तबर है। (बहर)

मसअ्ला.22:– मौहूब'लहू कहता है कि मकान में जदीद तामीर हुई है वाहिब इससे मुन्किर है अगर इतनी तामीर इतने दिनों में उमूमन न होती हो तो वाहिब का क़ौल मोअ्तबर, अगरचे ज़्यादते ग़ैर मुतवल्लिदा है वाहिब कहता है मैंने यह रंगा हुआ कपड़ा हिबा किया था या सत्तू में घी मिलाकर हिबा किया था मौहूब'लहू कहता है यह कपड़ा रंगा हुआ न था मैंने रंगा है, मैंने घी सत्तू में मिलाया है, चूँकि मौहूब'लहू मुन्किर है उसी का क़ौल मोअ्तबर है। (बहर)

(2)मौत अह्दुल मुतआक़िदैन

मसअ्ला.23:– हिबा करके क़ब्ज़ा देदिया इसके बाद वाहिब या मौहूब'लहू दोनों में से कोई मरजाये हिबा वापस नहीं होसकता है मौहूब'लहू मरगया तो उसकी मिल्क वुरसा की तरफ़ मुन्तक़िल होगई वाहिब मरगया, तो उसका वारिस इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता, अजनबी है लिहाज़ा वापस नहीं ले सकता। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.24:– अगर क़ब्ज़े से पहले मुतआक़िदैन में से किसी का इन्तिक़ाल होगया तो यह रुजूअ् को मना नहीं करता बल्कि वह हिबा ही बातिल होगया। वारिस कहता है मेरे मूरिस ने यह चीज़ तुम्हें हिबा की थी तुमने क़ब्ज़ा नहीं किया, यहाँ तक कि उसका इन्तिक़ाल होगया मौहूब'लहु कहता है मैंने उसके मरने से पहले ही क़ब्ज़ा कर लिया था अगर वह चीज़ वारिस के क़ब्ज़े में हो तो उसी का क़ौल मोअ्तबर है। (दुर्रेमुख़्तार)

(3) वाहिब का एवज़ लेना मानेअ् रुजूअ् है।

मसअ्ला.25:– मौहूब'लहू ने एवज़ दिया तो वाहिब को मालूम होना चाहिए कि यह हिबा का एवज़ है। मौहूब'लहू ने कहा अपने हिबा का एवज़ लो या उसका बदला लो इसके मुक़ाबले में यह चीज़ लो वाहिब

ने ले लिया रुजूअ् करने का हक़ साक़ित होगया और अगर एवज़ होना लफ़्ज़ों से ज़ाहिर नहीं किया तो हर एक अपने हिबा को वापस ले सकता है यानी वाहिब, हिबा को और मौहूब'लहू एवज़ को। (बहर, हिदाया)

मसअ्ला.26:– हिबा का एवज़ भी हिबा है इसमें वह तमाम बातें लिहाज़ रखी जायेंगी जो हिबा के लिए ज़रूरी हैं जिनका ज़िक्र हो चुका है मस्लन उनका जुदा कर देना मुशाअ् न होना, इस पर क़ब्ज़ा दिला देना। (बहर, दुर्रेमुख़्तार) सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है कि हिबा में हक़्क़े रुजूअ् होता है जब तक मवानेअ् न पाये जायें और उसमें यह हक़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.27:– हिबा का एवज़ इतना ही होना ज़रूरी नहीं, उससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। उस जिन्स का भी हो सकता है और दूसरी जिन्स का भी हो सकता है मस्लन अकस्र ऐसा होता है कि थोड़े से फल वग़ैरा की डाली लगाते हैं और जितने की चीज़ होती है उससे बहुत ज़्यादा पाते हैं। (बहर)

मसअ्ला.28:– बच्चे को कोई चीज़ हिबा की गई उसके बाप को इख़्तियार नहीं कि उसके माल से उस हिबा का मुआवज़ा दे अगर एवज़ देदिया। जब भी वाहिब हिबा को वापस ले सकता है कि वह एवज़ देना सही न हुआ। (बहर)

मसअ्ला.29:– नसरानी या किसी काफ़िर ने मुसलमान को कोई चीज़ हिबा की, मुसलमान उसके एवज़ में उसे सूअर या शराब दे यह एवज़ देना सही नहीं क्योंकि मुसलमान अपनी तरफ़ से किसी को भी इन चीज़ों का मालिक नहीं कर साकता है। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.30:– एवज़ देने का यह मतलब है कि मौहूब'लहू के सिवा दूसरी चीज़ वाहिब को दे अगर मौहूब का एक हिस्सा बाक़ी के एवज़ में देदिया यह सही नहीं। वाहिब रुजूअ् कर सकता है दो चीज़ें हिबा की हैं अगर दो अक़्द के ज़रिये हिबा हुई हैं तो एक दूसरे के एवज़ में दे सकता है और अगर एक ही अक़्द में दोनों चीज़ें वाहिब ने दी थीं तो एक दूसरे का एवज़ नहीं कह सकते। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.31:– गेहूँ हिबा किये थे मौहूब'लहू ने उन्हीं में से थोड़ा आटा पिसवाकर बाक़ी के एवज़ में वाहिब को देदिया यह एवज़ देना सही है यानी अब वाहिब बक़िया गेहूँ को वापस नहीं ले सकता कि एवज़ ले चुका है। यूँही कपड़ा हिबा किया था उसमें एक हिस्सा रंग कर या सी कर बाक़ी के एवज़ में दिया या सत्तू हिबा किया था थोड़ासा उसमें से घी मिलाकर वाहिब को देदिया यह तफ़्वीज़ सही है। एक शख़्स ने दो कनीज़ें हिबा की थीं मौहूब'लहू के पास उनमें से एक के बच्चा पैदा हुआ यह बच्चा एवज़ में देदिया यह सही है और वापस लेना मुमतना होगया। जानवर के हिबा का भी यही हुक्म है। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.32:– अजनबी शख़्स ने मौहूब'लहु की तरफ़ से बतौर तबर्रोअ् व एहसान (नेकी व भलाई) वाहिब को एवज़ देदिया यह भी सही है। अगर वाहिब ने क़बूल करलिया रुजूअ् मुमतना होगया। अजनबी का एवज़ देना मौहूब'लहू के हुक्म से हो या बिग़ैर हुक्म दोनों का एक हुक्म है। (हिदाया, बहर)

मसअ्ला.33:– मौहूब'लहू की तरफ़ से दूसरे ने एवज़ देदिया यह मौहूब'लहू से रुजूअ् नहीं कर सकता अगरचे यह मौहूब'लहु का शरीक ही हो अगरचे उसने उसके हुक्म से एवज़ दिया हो। क्योंकि मौहूब'लहू के ज़िम्मे एवज़ देना वाजिब न था लिहाज़ा उसका हुक्म करना ऐसा ही है जिस तरह तबर्रोअ् करने का हुक्म होता कि इसमें रुजूअ् नहीं कर सकता हाँ अगर उसने यह कह दिया है कि तुम एवज़ देदो मैं उसका ज़ामिन हूँ तो इस सूरत में वह अजनबी मौहूब'लहू से लेसकता है(बहर)

मसअ्ला.34:– हिबा का एवज़ देदिया अब हो सकता है कि मौहूब में ऐब है तो उसे यह इख़्तियार नहीं कि मौहूब को वापस देकर एवज़ वापस ले यूँही वाहिब ने एवज़ पर क़ब्ज़ा करलिया तो उसे भी इख़्तियार नहीं कि एवज़ वापस देकर मौहूब को वापस ले। (आलमगीरी)

मसअ्ला.35:– मरीज़ ने हिबा किया मौहूब'लहू ने हिबा का एवज़ देदिया और मरीज़ ने उसपर क़ब्ज़ा कर लिया फिर मरगया और उस मरीज़ के पास उसके सिवा कोई माल न था जिसे हिबा करदिया तो अगर एवज़ इस माल की दो तिहाई क़ीमत की बराबर हो या ज़्यादा हो हिबा नाफ़िज़ है। और अगर निस्फ़ क़ीमत की बराबर हो तो एक सुदुस (छटा हिस्सा) उसके वुरसा मौहूब'लहू से

वापस ले सकते हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.36:– एवज़ देने के बाद हिबा में किसी ने अपना हक़ साबित करदिया और निस्फ़ (आधा) मौहूब को लेलिया तो मौहूब'लहू वाहिब से निस्फ़ एवज़ वापस लेसकता है और अगर इसका अक्स हो यानी निस्फ़ एवज़ में मुस्तहिक़ ने अपना हक़ साबित करके लेलिया तो वाहिब को यह हक़ नहीं, कि निस्फ़ हिबा को वापस लेले हाँ अगर उस माबक़ी को यानी जो कुछ एवज़ उसके पास रहगया है उसको वापस करके हिबा का कुल या जुज़ लेना चाहता है तो ले सकता है।

फ़ायदा :– इस मक़ाम पर एवज़ से मुराद वह है कि हिबा में मशरूत न हो अगर हिबा में एवज़ मशरूत हो तो वह मुबादला के हुक्म में है इसके अज्ज़ा पर इसकी तक़सीम होगी। यानी निस्फ़ एवज़ के इस्तेहक़ाक़ पर निस्फ़ हिबा को वारपस ले सकता है। (बहर, दुर्रेमुख़्तार, हिदाया)

मसअ्ला.37:– मौहूब'लहू ने निस्फ़ हिबा का एवज़ दिया है यानी कह दिया कि यह निस्फ़ के एवज़ में है तो जिसका एवज़ नहीं दिया है वाहिब उसे वापस ले सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.38:– पूरे एवज़ को किसी ने अपना साबित किया अगर मौहूब शय मौजूद है तो पूरी वापस लेसकता है और हलाक होगई है तो कुछ नहीं और अगर एवज़ देने के बाद किसी ने पूरे हिबा को अपना साबित करके लेलिया तो मौहूब'लहू एवज़ वापस ले सकता है। अगर मौजूद हो और हलाक होगया है तो दो सूरतें हैं मिस्ली है तो उसकी मिस्ल ले और क़ीमती है तो क़ीमत। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.39:– हिबा का एवज़ दिया था मगर उसका कोई हक़दार निकल आया जिसने उसको ले लिया, इधर मौहूब चीज़ में ज़्यादत होगई तो वाहिब वापस नहीं लेसकता। (दुर्रेमुख़्तार) **(4)**हिबा का मालिक मौहूब'लहू से ख़ारिज होजाना, मानेअ् रुजूअ् है। उस मिल्क की मिल्क से निकल जाने की बहुत सी सूरतें हैं। बैअ् करदे, सदक़ा करदे, हिबा करदे जो कुछ करदे वाहिब वापस नहीं लेसकता।

मसअ्ला.40:– मौहूब'लहु ने मौहूब शय को हिबा कर दिया था और वाहिब का रुजूअ् मुमतना हो गया था मगर मौहूब'लहू ने जिसको दिया था उससे वापस लिया तो वाहिब अव्वल उससे ले सकता है कि मानेअ् ज़ाइल होगया मौहूब'लहू सानी से वापसी जो हुई वह क़ाज़ी के हुक्म से हुई या खुद उसकी रज़ा'मन्दी से कि उसके रुजूअ् करने के मअ्ना हिबा फ़स्ख़ करना है लिहाज़ा मानेअ् ज़ाइल (रुकावट ख़त्म) होगया और अगर उस चीज़ का उसकी मिल्क में आना नये सबब से हो मस्लन उसने मौहूब'लहु सानी से ख़रीदली या उसने उसपर सदक़ा करदिया इस सूरत में वाहिबे अव्वल उससे वापस नहीं ले सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.41:– मौहूब शय मौहूब'लहू की मिल्क से ख़ारिज होने के बाद अगर फिर उसकी मिल्क में आजाये तो यह देखा जायेगा कि यह मिल्क में आना किस सबब से है अगर फ़स्ख़ की वजह से है तो वाहिब को वापस लेने का हक़ लौट आयेगा मसलन बैअ् करदी थी फिर वह बैअ् क़ाज़ी ने फ़स्ख़ कर दी और अगर मिल्क में वापस आना सबबे जदीद से है तो वाहिब को वापसी का हक़ वापस नहीं आयेगा। (बहर)

मसअ्ला.42:– मिल्क से निकलने के यह माने हैं कि पूरी तरह उसकी मिल्क से ख़ारिज होजाये। लिहाज़ा अगर यह सूरत न हो बल्कि कुछ लगाव बाक़ी हो मसलन मौहूब'लहू ने हिबा का जानवर क़ुर्बानी कर दिया या बकरी के गोश्त को सदक़ा करने की नियत मानी, और ज़िबह होचुकी है। गोश्त तैयार है वाहिब वापस लेसकता है। तमत्तोअ् या क़िरान या नज़र का जानवर हिबा किया हुआ है वाहिब वापस लेसकता है अगरचे ज़िबह करदिया हो और गोश्त होगया हो। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.43:– मौहूब'लहू ने आधी चीज़ बैअ् करदी है आधी उसके पास बाक़ी है इसमें रुजूअ् कर सकता है। (बहर)

(5) ज़ौजियत मानेअ् रुजूअ् है।

मसअ्ला.44:– ज़ौजियत से मुराद वह है जो वक़्ते हिबा मौजूद हो और बाद में पाई गई तो मानेअ् (रोकने वाला) नहीं। मस्लन एक औरत अजनबिया को हिबा किया था हिबा के बाद उससे निकाह किया वापस लेसकता है और अगर अपनी औरत को हिबा किया था उसके बाद फुरक़त (जुदाई) हो गई तो वापस नहीं ले सकता। ग़र्ज़ यह कि वापस लेने और न लेने दोनों में वक़्ते हिबा ही का लिहाज़ है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.45:– मर्द ने औ़रत के यहाँ चीज़ें भेजी थीं और औ़रत ने मर्द के यहाँ जिस त़रह़ यहाँ भी रिवाज है कि त़रफ़ैन से चीज़ें आती जाती रहती हैं फिर ज़ुफ़ाफ़ के बा़द दोनों में फ़ुरक़त होगई। शौहर ने दावा किया कि जो कुछ मैंने सामान भेजा है बत़ौर आ़रियत था लिहाज़ा वापस मिलना चाहिए और औ़रत भी यही कहती है मेरी चीज़ें मुझे वापस मिल जायें हर एक दूसरे से वापस लेले। क्योंकि औ़रत का यह गुमान है कि जो कुछ उसने दिया था हिबा के एवज़ में दिया था और हिबा स़ाबित नहीं लिहाज़ा एवज़ भी वापस। (बह़र)

(6) क़ुराबत मानेअ् रुजूअ् है।

क़राबत से मुराद इस मक़ाम पर ज़ीरह़म मोह़रिम है यानी यह दोनों बातें हों और ह़ुरमत भी नसब की वजह से हो तो वापस नहीं लेसकता अगरचे वह ज़ीरह़म, मोह़रिम, ज़िम्मी या मुस्तामिन हो कि उससे भी वापस नहीं ले सकता मसलन बाप, दादा, माँ, दादी, उसूल और बेटा, बेटी, पोता, पोती, नवासा, नवासी, फ़ुरूअ् और भाई बहिन और चचा, फूपी, कि यह सब ज़ीरह़म मोह़रिम हैं अगर मौहूब'लहु मोह़रिम है यानी निकाह़ ह़राम है मगर ज़ीरह़म न हो जैसे रज़ाई भाई, या मुस़ाहरत की वजह से ह़ुरमत हो जैसे सास और बीवी की दूसरे ख़ाविन्द से औलादें और दामाद और बेटे की बीवी या मौहूब लहु ज़ीरह़म हैं मगर मोह़रिम नहीं जैसे चचाज़ाद भाई अगरचे यह रज़ाई भाई हो कि यहाँ नसब की वजह से ह़ुरमत नहीं इन सब को चीज़ हिबा करके वापस ले सकता है।(बह़र, आलमगीरी)

मसअ्ला.46:– एक शय ग़ैर मुनक़सिम अपने भाई और अजनबी दोनों को हिबा की और दोनों ने क़ब्ज़ा करलिया अजनबी का ह़िस्सा वापस लेसकता है कि इसमें रुजूअ् से मानेअ् नहीं है और भाई का ह़िस्सा वापस नहीं ले सकता कि यहाँ मानेअ् पाया जाता है। (दुरर)

(7)ऐन मौहूब का हलाक हो जाना मानेअ् रुजूअ् है। कि जब वह चीज़ ही नहीं है रुजूअ् क्या करेगा।

मसअ्ला.47:– मौहूब'लहु कहता है कि चीज़ हलाक होगई और वाहिब कहता है कि नहीं हलाक हुई। मौहूब'लहु की बात बिग़ैर ह़ल्फ़ मानली जायेगी कि वही मुन्किर है क्योंकि मौहूब'लहु का वह मुन्किर है। और अगर वाहिब कहता है कि जो चीज़ मैंने हिबा की थी वह यह है और मौहूब'लहु मुन्किर है तो मौहूब'लहू की बात ह़ल्फ़ के साथ मोअ्तबर होगी और अगर मौहूब'लहु कहता है मैं वाहिब का भाई हूँ और वाहिब मुन्किर है तो वाहिब का क़ौल क़सम के साथ मोअ्तबर है। (बह़र)

मसअ्ला.48:– मौहूब चीज़ में तग़य्युर पैदा होगया यानी अब दूसरी चीज़ होगई यह भी मानेअ् रुजूअ् है मस्लन गेहूँ का आटा पिसवा लिया या आटा था उसकी रोटी पकाली, दूध था उसको पनीर बनालिया या घी कर लिया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.49:– कड़ियाँ हिबा की थीं उसने चीर फ़ाड़कर ईंधन बनालिया या कच्ची ईंटें हिबा की थीं तोड़कर मिट्टी बनाली, रुजूअ् कर सकता है और इस मिट्टी की फिर ईंटें बनालीं, तो रुजूअ् नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.50:– रूपया हिबा किया था फिर मौहूब'लहु से वही रूपया क़र्ज़ लेलिया अब उसको किसी त़रह़ रुजूअ् नहीं कर सकता और अगर मौहूब लहु ने उस रूपये को स़दक़ा करदिया मगर अभी फ़क़ीर ने क़ब्ज़ा नहीं किया है तो वाहिब वापस लेसकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.51:– हिबा में रुजूअ् करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों की रज़ा'मन्दी से चीज़ वापस हो या ह़ाकिम ने वापसी का ह़ुक्म देदिया हो लिहाज़ा क़ाज़ी के ह़ुक्म करने के बा़द अगर वाहिब ने चीज़ को त़लब किया और मौहूब'लहु ने इन्कार कर दिया और उसके बा़द वह शय ज़ाइअ् होगई तो मौहूब'लहू को तावान देना होगा कि अब उसे रोकने का ह़क़ न था और अगर क़ाज़ी के ह़ुक्म से क़ब्ल यह बात हुई तो उस पर तावान वाजिब नहीं कि उसे रोकने का ह़क़ था यूँही अगर मौहूब'लहु ने क़ाज़ी के ह़ुक्म के बा़द उसे रोका नहीं बल्कि अभी तक वाहिब ने मांगा नहीं और मौहूब'लहु के पास हलाक होगई तो तावान वाजिब नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, बह़र)

मसअ्ला.52:– कज़ा–ए–काज़ी या तरफ़ैन की रज़ा'मन्दी से जब उसने रुजूअ् कर लिया, तो अक़्दे हिबा बिल्कुल फ़स्ख़ होगया और वाहिब की पहली मिल्क औद कर आई यह नहीं कहा जायेगा कि जदीद मिल्क हासिल हुई लिहाज़ा मालिक होने के लिए वाहिब के क़ब्ज़े की ज़रूरत नहीं और मुशाअ् में भी रुजूअ् सही है मसलन मौहूब'लहू ने निस्फ़ को बैअ् करदिया, निस्फ़ बाक़ी है इस निस्फ़ को वाहिब ने वापस लिया अगरचे यह शाइअ् है मगर रुजूअ् सही है। (बहर)
मसअ्ला.53:– मौहूब'लहू जब तन्दुरुस्त था उस वक़्त उसे किसी ने कोई चीज़ हिबा की और जब वह बीमार हुआ वाहिब ने चीज़ वापस करली अगर यह वापसी क़ाज़ी के हुक्म से है तो सही है। वुरसा या क़र्ज़ ख़्वाह को मौहूब'लहू के मरने के बाद उस चीज़ का मुतालबा करने का हक़ नहीं। और अगर बिगैर हुक्मे क़ाज़ी, महज़ वाहिब के मांगने पर मौहूब लहू ने चीज़ देदी तो इस वापसी को हिबा जदीद क़रार दिया जायेगा कि एक सुलुस में वापसी सही होगी, वह भी जबकि इस पर दैन मुस्तग़रक़ (इतना क़र्ज़ होना कि अदा करने के बाद कुछ न बचे) न हो और अगर इस पर दैन मुस्तग़रक़ हो तो वाहिब से चीज़ वापस लेकर क़र्ज़ वालों को दी जाये। (आलमगीरी)
मसअ्ला.54:– एक चीज़ ख़रीदकर हिबा करदी फिर मौहूब'लहू ने वापस लेली अब उसमें ऐब का पता चला, तो बाइअ् मुतलक़न वापस दे सकता है ख़्वाह क़ाज़ी के हुक्म से वापस लिया हो या मौहूब'लहू की रज़ा'मन्दी से, ब'ख़िलाफ़ बैअ् यानी अगर मुश्तरी ने चीज़ बैअ् करदी और मुश्तरी दोम ने ब'वजहे ऐब वापस करदी, और उसने रज़ा'मन्दी से वापस लेली तो अपने बाइअ् पर वापस नहीं कर सकता कि यह हक़ सुलुस में फ़स्ख़ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, बहर)
मसअ्ला.55:– रुजूअ् करने से हिबा बिल्कुल अस्ल ही से फ़स्ख़ होजाता है इसका मतलब यह है कि इस हिबा का ज़माना–ए–मुस्तक़बिल में कुछ असर न रहेगा। यह मतलब नहीं कि ज़माना–ए– गुज़िश्ता में भी इसका कोई असर नहीं रहा, ऐसा होता तो शय मौहूब से जो ज़्यादत बाद हिबा के पैदा होगई है वह भी मिल्क वाहिब की तरफ़ मुन्तक़िल होजाती है हालांकि ऐसा नहीं मसलन बकरी हिबा की थी और उसके बच्चा पैदा हुआ उसके बाद वाहिब ने बकरी वापस करली मगर यह बच्चा मौहूब'लहु ही का है, वाहिब का नहीं मसलन बैअ् में ऐब ज़ाहिर हुआ और क़ाज़ी के हुक्म से मुश्तरी ने बाइअ् को वापस करदी यह अस्ल से फ़स्ख़ है और ज़माना–ए–गुज़िश्ता में इसका ऐतबार किया जाये तो लाज़िम आये कि मुश्तरी ने मबीअ् से जो नफ़ा हासिल किया है हराम हो, हालांकि ऐसा नहीं। (बहर)
मसअ्ला.56:– हिबा करने के बाद वाहिब ने उस चीज़ को हलाक कर दिया तावान देगा और अगर गुलाम था उसे वाहिब ने आज़ाद कर दिया आज़ाद न होगा क्योंकि जब तक वापस न करेगा उसकी मिल्क नहीं है। (बहर)
मसअ्ला.57:– जो चीज़ हिबा की थी वह हलाक होगई उसके बाद मुस्तहिक़ ने दावा किया कि चीज़ मेरी थी और मौहूब'लहू से उसका तावान वुसूल कर लिया मौहूब'लहू से तावान में से कुछ वुसूल नहीं कर सकता यही हुक्म आरियत का है कि मुस्तईर के पास हलाक होजाये और मुस्तहिक़ उससे ज़मान वुसूल करे तो यह मुईर से कुछ नहीं ले सकता और अगर अक़्दे मुआवज़ा के ज़रिये से चीज़ उसके पास आती और हलाक होजाती और मुस्तहिक़ ज़मान लेता तो यह देने वाले से वुसूल कर सकता मसलन मुश्तरी के पास बैअ् हलाक होगई और मुस्तहिक़ ने उससे ज़मान लिया, यह बाइअ् से वुसूल कर सकता है इसी तरह अगर उसके पास चीज़ का होना, देने वाले की नफ़ा की ख़ातिर हो तो यह देने वाले से ज़मान वुसूल कर सकता है मसलन मूदा या मुस्ताजिर के पास चीज़ थी और हलाक होगई और मुस्तहिक़ ने तावान लिया तो यह मालिक से वुसूल कर सकते हैं। (बहर)
मसअ्ला.58:– जिन सात मवाज़ेअ् में रुजूअ् नहीं हो सकता जिनका बयान अभी गुज़रा, अगर वाहिब व मौहूब'लहू रुजूअ् पर इत्तिफ़ाक़ करलें तो यह इनका इत्तिफ़ाक़ जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार, बहर)
मसअ्ला.59:– हिबा ब'शर्तुल एवज़, कि मैं यह चीज़ तुमको हिबा करता हूँ इस शर्त पर कि फ़ुलाँ

चीज़ तुम मुझको दो यह इब्तिदा के लिहाज़ से हिबा है लिहाज़ा दोनों एवज़ पर क़ब्ज़ा ज़रूरी है अगर दोनों ने या एक ने क़ब्ज़ा नहीं किया तो हर एक रुजूअ़ कर सकता है और दोनों में से किसी में शुयूअ़ हो तो बातिल होगा मगर इन्तिहा के लिहाज़ से यह बैअ़ है लिहाज़ा इसमें बैअ़ के अहकाम भी साबित होंगे कि अगर उसमें ऐब है तो वापस कर सकता है ख़्यारे रोयत भी हासिल होगा इसमें शुफ़ा भी जारी होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.60:– अगर हिबा के यह अल्फ़ाज़ हों कि मैंने यह चीज़ फुलाँ चीज़ के मुक़ाबिल में तुमको हिबा की, यानी एवज़ का लफ़्ज़ नहीं कहा तो यह इब्तिदा व इन्तिहा के लिहाज़ से बैअ़ ही है हिबा नहीं है और अगर एवज़ को मोअ़य्यन न किया हो बल्कि मजहूल रखा मस्लन यह चीज़ तुमको हिबा करता हूँ बशर्ते कि तुम इसके बदले में मुझे कोई चीज़ दो, तो यह इब्तिदा व इन्तिहा के लिहाज़ से हिबा ही है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.61:– मौहूब'लहू ने मौहूब पर क़ब्ज़ा कर लिया उसके बाद वाहिब ने बिला इजाज़ते मौहूब'लहू लेकर हलाक कर डाला, तो बक़द्र क़ीमत तावान दे और अगर बकरी हिबा की थी वाहिब ने बिग़ैर इजाज़त मौहूब'लहू उसे ज़िबह कर डाला तो ज़िबह की हुई बकरी मौहूब'लहू ले लेगा और तावान नहीं और कपड़ा हिबा किया था वाहिब उसे क़ता कर डाला, तो यह कपड़ा देना होगा और क़ता करने से जो कमी हुई वह दे। (आलमगीरी)

मसाइले मुतफर्रिक़ा

मसअ्ला.1:– कनीज़ को हिबा किया और उसके हमल का इस्तिस्ना किया या यह शर्त की कि तुम इसे वापस कर देना, आज़ाद कर देना, या हदिया कर देना, या उम्मे वलद बनाना, या मकान का हिबा किया और यह शर्त की कि इसमें से कुछ जुज़ मुअ़य्यन, मस्लन यह कमरा या ग़ैर मुअ़य्यन, मस्लन इसकी तिहाई, चौथाई, वापस कर देना या हिबा में यह शर्त की कि इसके एवज़ में कोई शय (ग़ैर मुअ़य्यन) मुझे देना, इन सब सूरतों में हिबा सही है और इस्तिस्ना या शर्त बातिल है। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– कनीज़ के शिकम में जो बच्चा है उसे आज़ाद करके कनीज़ को हिबा किया सही है। और अगर हमल को मुदब्बिर करके जारिया को हिबा किया सही नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– बच्चों के मुअ़ल्लेमीन को ईदी दी जाती है अगर मुअ़ल्लिम ने सवाल व इलहाह (गिड़गिड़ाकर मांगना) न किया हो, जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– उमरा जाइज़ है उमरा के माने यह हैं कि मस्लन मकान उम्र भर के लिये किसी को दे दिया कि जब वह मरजाये वापस लेलेगा यह वापसी की शर्त बातिल है अब वह मकान उसी का होगा जिसको दिया जब तक वह ज़िन्दा है उसका है और मरजायेगा तो उसी के वुरसा लेंगे। जिसको दिया गया है न देने वाला ले सकता है न उसके वुरसा, रक़्बा जाइज़ नहीं इसकी सूरत यह है कि मस्लन किसी को इस शर्त पर मकान दिया कि अगर मैं तुझ से पहले मरगया, तो मकान तेरा है मरने के बाद मालिक के वुरसा का होगा जिसको दिया है उसका नहीं होगा। (हिदाया, वग़ैरहा)

मसअ्ला.5:– दैन की मुआफ़ी को शर्ते महज़ पर मुअ़ल्लक़ करना मस्लन मदयून से यह कहा जब कल आयेगा तो दैन से बरी है या वह दैन तेरे लिये है या अगर तूने निस्फ़ दैन अदा करदिया तो बाक़ी निस्फ़ तेरा है या वह मुआफ़ है या अगर तू मरजाये तेरा दैन मुआफ़ है या अगर तू इस मर्ज़ से मरजाये तो दैन मुआफ़ है या मैं इस मर्ज़ से मरजाऊँ तो दैन महर से तू मुआफ़ी में है यह सब सूरतें बातिल हैं। दैन मुआफ़ नहीं होगा और अगर वह शर्त ऐसी है कि होचुकी है तो अबरा सही है मस्लन अगर तेरे ज़िम्मे मेरा दैन है तो मैंने मुआफ़ किया, मुआफ़ होगया यूँही अगर यह कहा कि अगर मैं मरजाऊँ तो दैन से बरी है यह जाइज़ है और वसियत है। (बहर)

मसअ्ला.6:– मदयून को दैन हिबा कर देना एक वजह से तम्लीक है और एक वजह से इस्क़ात, लिहाज़ा रद् करने से रद् होजायेगा और चूँकि इस्क़ात भी है लिहाज़ा क़बूल पर मौक़ूफ़ न होगा।

कफ़ील को दैन हिबा कर देना यह बिल्कुल तम्लीक है यहाँ तक वह मकफ़ूल अन्हु से दैन वुसूल कर सकता है और बिग़ैर क़बूल के तमाम नहीं होगा और कफ़ील से दैन मुआफ़ कर देना बिल्कुल इस्क़ात़ है कि रद् करने से रद् नहीं होगा। (बहर)

मसअ्ला.7:– अबरा यानी मुआफ़ करने में क़बूल की ज़रूरत नहीं होती मगर बदले सर्फ़ व बदले सलम से बरी कर दिया या हिबा कर दिया इसमें क़बूल की ज़रूरत है। (बहर)

मसअ्ला.8:– एक शख़्स पर दैन था वह बिग़ैर अदा किये मरगया। दाइन ने वारिस को वह दैन अदा कर दिया यह हिबा सही है यह दैन पूरे तर्के को मुस्तग़रक़ हो या न हो दोनों का एक हुक्म है और अगर वारिस ने हिबा को रद् कर दिया तो रद् होगया और बाज़ वुरसा को हिबा किया, जब भी कुल वुरसा के लिये हिबा है। यूँही वारिस से अबरा किया यानी मुआफ़ कर दिया, यह भी सही है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– दाइन के एक वारिस ने मदयून को तक़सीम से क़ब्ल अपने हिस्से का दैन हिबा कर दिया यह सही है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– दाइन ने मदयून को दैन हिबा करदिया और उस वक़्त उसने क़बूल न किया न रद् किया दो तीन दिन के बाद आकर उसे रद् करता है सही यह है कि अब रद् नहीं कर सकता(आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– किसी से यह कहा, कि जो कुछ मेरी चीज़ खालो तुम्हारे लिये मुआफ़ी है यह खा सकता है जबकि क़रीने से यह न मालूम होता हो कि उसने निफ़ाक़ से कहा है यानी महज़ ज़ाहिरी तौर पर कह दिया है दिल से नहीं चाहता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– दाइन को ख़बर मिली कि मदयून मरगया, उसने कहा, मैंने अपना दैन मुआफ़ कर दिया या हिबा कर दिया बाद में फिर पता चला कि वह ज़िन्दा है उससे दैन का मुतालबा नहीं कर सकता कि मुआफ़ी बिला शर्त थी। (ख़ानिया)

मसअ्ला.13:– किसी से यह कहा कि जो कुछ तुम्हारे हुक़ूक़ मेरे ज़िम्मे हैं मुआफ़ करदो उसने मुआफ़ करदिया। साहिबे हक़ को अपने जितने हुक़ूक़ का इल्म है वह तो मुआफ़ हो ही गये और जिनका इल्म नहीं क़ज़ाअन वह भी मुआफ़ हो गये और फ़तवा इस पर है कि दयानतन भी मुआफ़ होगये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– किसी ने यह कहा कि जो कुछ मेरे माल में से खालो या ले लो या देदो तुम्हारे लिये हलाल है उसको खाना हलाल है मगर लेना या किसी को देना, हलाल नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– यह कहा मैंने तुम्हें उस वक़्त मुआफ़ कर दिया या दुनिया में मुआफ़ कर दिया तो हर वक़्त के लिये मुआफ़ी होगई दुनिया व आख़िरत दोनों में मुआफ़ी होगई कहीं भी उसका मुतालबा नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– किसी की चीज़ ग़सब करली है मालिक से मुआफ़ी कराली तो ज़मान से बरी हो गया मगर चीज़ अब भी मालिक ही की है। ग़ासिब को उसमें तसर्रुफ़ करना जाइज़ नहीं यानी जो चीज़ हिबा में वाजिब है उसकी मुआफ़ी होती है ऐन की मुआफ़ी नहीं होती। (आलमगीरी)

मसअ्ला.17:– मदयून से दैन वुसूल होने की उम्मीद न हो तो उस दावा करने से यह बेहतर है कि वह मुआफ़ करदे कि वह अज़ाब से बच जायेगा और उसको सवाब मिलेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.18:– जानवर बीमार था उसने छोड़ दिया किसी ने उसे पकड़ा और इलाज किया वह अच्छा होगया अगर मालिक ने छोड़ते वक़्त यह कह दिया था कि फुलाँ क़ौम में से जो इसे लेले उसी का है तो अगर वह पकड़ने वाला उसी क़ौम से है तो उसका होगया और अगर कुछ न कहा या यह कहा कि जो लेले उसका है और क़ौम या जमाअत को मुअय्यन नहीं किया है तो वह जानवर मालिक ही का है उस शख़्स से ले सकता है। परिन्द छोड़ दिया उसका भी यही हुक्म है और जंगली परिन्द को पकड़ने के बाद छोड़ना न चाहिए जब तक यह न कहे कि जो पकड़े उसका है। (आलमगीरी) क्योंकि पकड़ने से उसकी मिल्क होगया और जब छोड़ दिया तो शिकार करने वालों को किसी की मिल्क होना मालूम न होगा। लिहाज़ा इजाज़त की ज़रूरत है ताकि शिकार करने वालों को उसका लेना ना'जाइज़ न हो मगर ज़ाहिर

यह है कि इसमें क़ौम या जमाअ़त की तख़्सीस़ की जाये।

मसअ्ला.19:– दैन का उसे मालिक कर देना जिसपर दैन नहीं है यानी मदयून के सिवा किसी दूसरे को मालिक कर देना बातिल है मगर तीन सूरतों में अव्वल हवाला कि अपने दाइन को अपने मदयून पर हवाला करदे दूसरी वसियत कि किसी को वसियत करदी कि फुलाँ के ज़िम्मे मेरा दैन है। मेरे मरने के बाद वह दैन फ़लाँ के लिए है तीसरी सूरत यह है कि जिसको मालिक बनाये उसे क़ब्ज़े पर मुसल्लत करदे यूँही औरत का शौहर के ज़िम्मे दैन था उसे अपने बेटे को जो उसी शौहर से है हिबा कर दिया, यह भी सही है जबकि उसे क़ब्ज़े पर मुसल्लत कर दिया हो। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.20:– दाइन ने यह इक़रार किया कि दैन फुलाँ का है मेरा नहीं है मेरा नाम फ़र्ज़ी तौर पर काग़ज़ में लिख दिया गया है। इसका इक़रार सही है। लिहाज़ा मुक़र'लहु (जिसके लिये इक़रार किया) उस दैन पर क़ब्ज़ा कर सकता है यूंही अगर यूं कहा कि फुलां पर जो मेरा दैन है वह फुलां का है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.21:– दो शख़्सों ने इस बात पर सुलह करली कि रजिस्टर में एक का नाम लिखा जाये तो जिसका नाम लिखा गया है अ़ता उसी के लिये है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला.22:– वाहिब व मौहूब'लहू में इख़्तिलाफ़ हुआ। वाहिब कहता है हिबा था। दूसरा कहता है स़दक़ा था। वाहिब का क़ौल मोअ्तबर है। (ख़ानिया)

मसअ्ला.23:– मर्द ने औरत से कुछ मांगा, इस लिए कि ख़र्च की तंगी है। अगर कुछ देदेगी। वुसअ़त होजायेगी। औरत ने शौहर को दिया मगर क़र्ज़ ख़्वाहों को पता चल गया कि उसके पास माल है। उन्होंने ले लिया अगर औरत ने हिबा किया था या क़र्ज़ दिया था तो लेने वाले से वापस नहीं ले सकती, क्योंकि इन दोनों सूरतों में शौहर की मिल्क होगया और क़र्ज़ ख़्वाह उसे लेसकते हैं और अगर औरत ने शौहर को इस तरह दिया था कि मिल्क औरत ही की रहेगी और शौहर उसमें तसर्रुफ़ करेगा तो माल औरत का है। क़र्ज़ ख़्वाहों से वापस लेसकती है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.24:– किसी के पास बर्तन में खाना भेजा। यह शख़्स उस बर्तन में खा सकता है या नहीं अगर वह खाना ऐसा है कि दूसरे बर्तन में लौटने से लज़्ज़त जाती रहेगी जैसे सरीद तो उस बर्तन में खा सकता है। इसी तरह हमारे यहाँ शीर बिरिन्ज है कि दूसरे बर्तन में लौटने से उसका ज़ायक़ा ख़राब होजाता है। और अगर दूसरे बर्तन में करने से खाना बदमज़ा न हो तो अगर दोनों में इन्बिसात (मेल) हो तो उसमें खा सकता है वरना नहीं। (दुर्रेमुख़्तार) और अगर उर्फ़ यह हो कि वह ज़र्फ़ भी वापस न लिया जाता है तो ज़र्फ़ भी हदिया है। मस्लन मेवे या मिठाईयां टोकरियों में भेजे जाते हैं। यह टोकरियां वापस नहीं ली जातीं यह भी हदिया हैं और जिन ज़ुरूफ़ का वापस देने का रिवाज हो अगर उनको वापस नहीं किया है तो उसके पास अमानत के तौर पर हैं यानी उनको अपने इस्तेमाल में लाना जाइज़ नहीं सिर्फ़ इतना कर सकता है कि हदिया की चीज़ उसमें खा सकता है। जबकि दोनों के माबैन इन्बिसात हो या उस हदिये को दूसरे बर्तन में लौटने से चीज़ बदमज़ा हो जाती हो। (आलमगीरी) आज कल देखा जाता है कि बहुत लोग दूसरे के बर्तनों को जिनमें कोई चीज़ आती है। और उस वक़्त किसी वजह से बर्तन वापस नहीं किये गये। अपने घर के काम में लाते हैं उनको इससे एहतिराज़ चाहिए।

मसअ्ला.25: हमारे मुल्क में यह भी रिवाज है कि मिट्टी के प्याले में खीर भेजा करते हैं और मीलाद शरीफ़ और फ़ातिहा या किसी तक़रीब में मिठाई के हिस्से मिट्टी की तश्तरियों में भेजते हैं। इसमें तमाम मुल्क का यही रिवाज है कि वह प्याले और तश्तरियाँ भी देना मक़सूद होता है। वापस नहीं लेते लिहाज़ा मौहूब'लहू मालिक है बल्कि बाज़ लोग चीनी या तांबे की तश्तरियों में हिस्से बांटते हैं यानी मय बर्तन के दे देते हैं मगर उसका रिवाज नहीं है जब तक मौहूब'लहू से कहा न जाये। इस बर्तन को नहीं लेसकता।

मसअ्ला.26:– बहुत से लोगों की दावत की और उनको मुतअ़द्दिद दस्तरख़्वान पर बिठाया। एक

दस्तरख़्वान वाले किसी चीज़ को दूसरे दस्तरख़्वान वाले को नहीं दे सकते। मस्लन बाज़ मरतबा एक पर रोटी ख़त्म होगई और दूसरे पर मौजूद है यह लोग उसपर से रोटी उठाकर नहीं दे सकते। उन लोगों को यह भी इख़्तियार नहीं है कि साइल व फ़क़ीर को उसमें से टुकड़ा देदें। मस्लन बाज़ नावाक़िफ़ ऐसा करते हैं कि दूसरे के मकान पर खाना खा रहे हैं और फ़क़ीर ने सुवाल किया, उस खाने में से साइल को दे देते हैं यह नाजाइज़ है। कुत्ते और बिल्ली को भी नहीं दे सकते हाँ अगर बिल्ली ख़ुद साहिबे ख़ाना की है। तो उसे दे सकते हैं और कुत्ता अगर साहिबे ख़ाना ही का हो नहीं दे सकते। (दुर्रेमुख़्तार) बिल्ली कुत्ते का फ़र्क़ वहाँ के उर्फ़ के लिहाज़ से है हमारे यहाँ न कुत्ते के देने का रिवाज है, न बिल्ली के। हाँ दस्तरख़्वान पर जो हड्डियाँ जमा होजाती हैं या रोटी के छोटे छोटे टुकड़े या गिरे हुए चावल, उनकी निस्बत देखा है कि कुत्ते को डाल देते हैं।

मसअ्ला.27:– बाइअ् ने चीज़ बैअ् करदी, और उसका समन भी वसूल कर लिया। उसके बाद बाइअ् ने मुश्तरी से समन मुआफ़ करदिया। यह मुआफ़ी सही है। और मुश्तरी ने जो कुछ समन दिया है बाइअ् से वापस ले लेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.28:– एक शख़्स ने दूसरे के पास ख़त लिखा और उसमें यह भी लिखा कि इसका जवाब पुश्त पर लिखदो। उसका वापस करना लाज़िम होगा और अगर यह नहीं लिखा तो वह ख़त मकतूब इलैह का है जो चाहे करे। (जोहरा) बल्कि इस ज़माने में यह उर्फ़ है कि ख़त दो रुक़्क़ा काग़ज़ पर लिखते हैं, एक वर्क़ पर लिखना ऐब जानते हैं और अकसर ऐसा होता है कि ख़त में चन्द सतरें होती हैं बाक़ी काग़ज़ सादा होता है यह काग़ज़ मकतूब इलैह का है जो चाहे करे।

मसअ्ला.29:– एक शख़्स का इन्तिक़ाल होगया उसके बेटे के पास किसी ने कफ़न भेजा उस कफ़न का मालिक बेटा हो सकता है, या नहीं, यानी बेटे को यह इख़्तियार है, या नहीं कि इस कपड़े को ख़ुद रखले और दूसरे का कफ़न देदे। अगर मय्यित उन लोगों में से है कि उसको कफ़न देना बाइसे बरकत जानते हैं मस्लन वह आलिम फ़क़ीह है या पीर है तो बेटे को वह कफ़न रख लेना, और दूसरा कफ़न देना जाइज़ नहीं वरना जाइज़ है। और पहली सूरत में, कि इस दूसरे कपड़े में कफ़न देना जाइज़ न था। इसने वह कपड़ा रख लिया और दूसरा कफ़न दिया तो उस कपड़े को वापस करना वाजिब होगा। (जोहरा)

इजारे का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ वजल्ल फ़रमाता है।

قالت احداهما یا ابت استا جره ز انّ خیر من استاجرت القوی الامین ☆ قال انّی ارید ان انکحك احدی ابنتیّ هتین علیّ ان تاجرنی ثمنی حجج ج فان اتممت عشرا فمن عندك ج وما ارید ان اشقّ علیك ط ستجدنی ان شاء الله من الصلحین ☆

"शोऐब (अलैहिस्सलाम) की दोनों लड़कियों में से एक ने कहा, ऐ वालिद ! इन्हें (मूसा अलैहिस्सलाम को) नौकर रख लीजिये कि बेहतर नौकर वह है जो क़वी व अमीन हो। (शोऐब अ़लैहिस्सलाम ने मूसा अ़लैहिस्सलान से) कहा मैं चाहता हूँ कि अपनी इन दोनों लड़कियों में से एक से तुम्हारा निकाह करदूँ इस पर कि आठ बरस तक तुम मेरा काम उजरत पर करो अगर दस बरस पूरे कर दो, तो यह तुम्हारी तरफ़ से होगा मैं तुम पर मशक़्क़त डालना नहीं चाहता इन्शाअल्लाह तुम मुझे नेको में से पाओगे"।

हदीस (1) सही बुख़ारी शरीफ़ में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम् फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि तीन शख़्स वह हैं जिनका क़ियामत के दिन ख़स्म हूँ (उनसे मैं मुतालबा करूँगा) एक वह जिसने मेरा नाम लेकर मुआ़हिदा किया फिर उस अ़हद को तोड़ दिया और दूसरा वह जिसने आज़ाद को बेचा और उसका समन खाया और तीसरा वह जिसने मज़दूर रखा और उससे काम पूरा लिया और उसकी मज़दूरी नहीं दी।

हदीस (2) इब्ने माजा ने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम् ने फ़रमाया "मज़दूर की मज़दूरी पसीना सूखने से पहले देदो"।

हदीस (3) सही बुख़ारी शरीफ़ में अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी, कहते हैं। "सहाबा में कुछ सफ़र में थे उनका गुज़र क़बाइले अरब में एक क़बीले पर हुआ उन्होंने "ज़ियाफ़त" का मुतालबा किया उन्होंने उनकी मेहमानी करने से इन्कार करदिया इस क़बीले के सरदार को साँप या बिच्छू ने काट लिया उसके इलाज में उन्होंने हर क़िस्म की कोशिश की मगर कोई कारगर न हुई फिर उन्हीं में से किसी ने कहा, यह जमाअत जो यहाँ आई है (सहाबा) इनके पास चलो, शायद उनमें से किसी के पास इसका कुछ इलाज हो वह लोग सहाबा के पास हाज़िर होकर कहने लगे कि हमारे सरदार को साँप या बिच्छू ने डस लिया और हमने हर क़िस्म की कोशिश की, मगर कुछ नफ़ा न हुआ क्या तुम्हारे पास इसका कुछ इलाज है एक साहब बोले, हाँ मैं झाड़ता हूँ मगर हमने तुमसे मेहमानी तलब की थी और तुमने हमारी मेहमानी नहीं की, तो अब उस वक़्त झाडूँगा, कि तुम इसकी उजरत दो उजरत में बकरियों का रेवड़ देना तय पाया। (एक रिवायत में है तीस बकरियाँ देना तय हुआ) उन्होंने अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन यानी सूरह फ़ातिहा पढ़कर दम करना शुरू किया वह शख़्स बिल्कुल अच्छा होगया और वहाँ से ऐसा होकर गया कि उस पर ज़हर का कुछ असर न था उजरत जो मुक़र्रर हुई थी उन्होंने पूरी दे दी उनमें से बाज़ ने कहा कि इसको आपस में तक़सीम कर लिया जाये मगर जिन्होंने झाड़ा था यह कहा कि ऐसा न करो बल्कि जब हम नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम् की ख़िदमत में हाज़िर हो लेंगे और हुज़ूर से तमाम वाक़िआत अर्ज़ कर लेंगे फिर इसके मुताल्लिक़ जो कुछ हुक्म देंगे वह किया जायेगा यानी उन्होंने ख़्याल किया कि कुर्आन पढ़कर दम किया है कहीं ऐसा न हो कि इसकी उजरत हराम हो जब यह लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम् की ख़िदमत में हाज़िर हुए और इस वाक़िओ का ज़िक्र किया। इरशाद फ़रमाया कि तुम्हें इसका रक़िय्या (झाड़) होना कैसे मालूम हुआ और यह फ़रमाया कि तुमने ठीक किया आपस में इसे तक़सीम करलो और इस लिए (कि इसके जवाज़ के मुताल्लिक़ उनके दिल में कोई ख़दशा न रहे यह फ़रमाया कि) मेरा भी एक हिस्सा मुक़र्रर करो। इस हदीस से मालूम हुआ कि झाड़ फूँक की उजरत लेना जाइज़ है जबकि कुर्आन से हो या ऐसी दुआओं से जिनमें नाजाइज़ व बातिल अल्फ़ाज़ न हों।

हदीस (4) सही बुख़ारी शरीफ़ वग़ैरा में अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम् से सुना कि फ़रमाते हैं अगले ज़माने के तीन शख़्स कहीं जा रहे थे सोने के वक़्त एक ग़ार के पास पहुँचे, उसमें यह तीनों शख़्स दाख़िल होगये पहाड़ की एक चट्टान ऊपर से गिरी जिसने ग़ार को बन्द करदिया उन्होंने कहा अब उससे निजात की कोई सूरत नहीं बजुज़ इसके कि तुमने जो कुछ नेक काम किया हो उसके ज़रिये से अल्लाह से दुआ करो एक ने कहा ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन बूढ़े थे जब मैं जंगल से बकरियाँ चराकर लाता तो दूध दूहकर सबसे पहले उनको पिलाता उनसे पहले न अपने बाल बच्चों को पिलाता, न लौंडी गुलाम को देता एक दिन मैं जंगल में दूर चला गया रात में जानवरों को ऐसे वक़्त में लेकर आया कि वालिदैन सोगये थे मैं दूध लेकर उनके पास पहुँचा तो वह सोये हुए थे। बच्चे भूक से चिल्ला रहे थे मगर मैंने वालिदैन से पहले बच्चों को पिलाना पसन्द न किया कि इन्हें सोते से जगादूँ। दूध का प्याला हाथ में रखे हुए, उनके जागने के इन्तिज़ार में रहा यहाँ तक कि सुबह चमक गई अब वह जागे और दूध पिया ऐ अल्लाह अगर मैंने यह काम तेरी ख़ुशनूदी के लिये किया है तो इस चट्टान को हटादे उसका कहना था कि चट्टान कुछ सरक गई मगर इतनी नहीं हटी कि यह लोग ग़ार से निकल सकें। दूसरे ने कहा, ऐ अल्लाह मेरे चचा की लड़की थी जिसको मैं बहुत महबूब रखता था मैंने उसके साथ बुरे काम का इरादा किया उसने इन्कार कर दिया वह क़हत की मुसीबत में मुब्तला हुई मेरे पास कुछ माँगने को आई मैंने उसे एक सौ बीस अशरफ़ियाँ दीं

कि मेरे साथ ख़लवत करे वह राज़ी होगई जब मुझे उस पर क़ाबू मिला तो बोली कि ना'जाइज़ तौर पर इस मुहर का तोड़ना तेरे लिए हलाल नहीं करती इस काम को मैं गुनाह समझकर हट गया। और अशरफ़ियाँ जो दे चुका था वह भी छोड़दीं इलाही यह काम तेरी रज़ा जोई के लिये मैंने किया है तो इसको हटा दे इसके कहते ही चट्टान कुछ सरक गई मगर इतनी नहीं हटी कि निकल सकें। तीसरे ने कहा ऐ अल्लाह मैंने चन्द शख़्सों को मज़दूरी पर रखा था उन सब को मज़दूरियाँ दे दीं। एक शख़्स मज़दूरी छोड़कर चलागया उसकी मज़दूरी को मैंने बढ़ाया यानी उससे तिजारत वग़ैरा कोई ऐसा काम किया जिससे उसमें इज़ाफ़ा हुआ उसको बढ़ाकर मैंने कुछ कर लिया वह एक ज़माने के बाद आया और कहने लगा, ऐ ख़ुदा के बन्दे, मेरी मज़दूरी मुझे देदे मैंने कहा, यह जो कुछ ऊँट, गायें, बैल, बकरियां, गुलाम तू देख रहा है यह सब तेरी ही मज़दूरी का है सब लेले। बोला, ऐ बन्दा–ए–ख़ुदा मुझसे मज़ाक़ न कर, मैंने कहा, मज़ाक़ नहीं करता हूँ यह सब तेरा ही है। लेजा, वह सब कुछ लेकर चला गया। इलाही अगर यह काम मैंने तेरी रज़ा के लिये किया है तो इसे हटा दे वह पत्थर हट गया यह तीनों उस ग़ार से निकल कर चले गये।

हदीस (4) अबू'दाऊद इब्ने माजा उ़बादा बिन सामित रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कहते हैं। मैंने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह एक शख़्स को मैं कुरआन पढ़ाता था उसने कमान हदियतन दी यह कोई माल नहीं है यानी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे उजरत कहा जाये जिहाद में इससे तीर अन्दाज़ी करूँगा। इरशाद फ़रमाया, अगर तुम्हें पसन्द हो कि तुम्हारे गले में आग का तौक़ डाला जाये तो इसे क़बूल करलो।

मसाइले फ़िक़्हिय्यह :– किसी शय के नफ़ा का एवज़ के मुक़ाबिल किसी शख़्स को मालिक कर देना इजारा है। मज़दूरी पर काम करना, और ठेका और किराया और नौकरी यह सब इजारे ही के अक़साम हैं। मालिक को आजिर, मूजिर और मुवाजिर और किरायेदार को मुस्ताजिर और उजरत पर काम करने वाले को अजीर कहते हैं।

मसअ्ला.1:– जिस नफ़ा पर अ़क़्द इजारा हो वह ऐसा होना चाहिए कि इस चीज़ से वह नफ़ा मक़सूद हो और अगर चीज़ से यह मनफ़अ़त न हो जिसके लिये इजारा हुआ है तो यह इजारा फ़ासिद है मसलन किसी से कपड़े और ज़ुरूफ़ (बर्तन) किराये पर लिये मगर इस लिए नहीं कि कपड़े पहने जायेंगे, ज़ुरूफ़ इस्तेमाल किये जायेंगे बल्कि अपना मकान सजाना मक़सूद है या घोड़ा किराये पर लिया, मगर इस लिए नहीं कि उस पर सवार होगा बल्कि कोतल (सजावट के तौर पर आगे चलने के लिए सवारी के लिए न हो) चलने के लिए, या मकान किराये पर लिया इस लिए नहीं कि इसमें रहेगा बल्कि लोगों को कहने को होगा कि यह मकान फुलाँ का है इन सब सूरतों में इजारा फ़ासिद है और मालिक को उजरत भी नहीं मिलेगी अगरचे मुस्ताजिर ने चीज़ से वह काम लिए जिसके लिए इजारा किया था। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– इजारे के अरकान ईजाब व क़बूल हैं । ख़्वाह लफ़्ज़ ही से हों या दूसरे लफ़्ज़ से लफ़्ज़े आ़रियत से भी इजारा मुनअ़क़िद हो सकता है मसलन यह कहा, 'मैंने यह मकान एक महीने को दस रूपये के एवज़ में आ़रियत पर दिया' दूसरे ने क़बूल कर लिया इजारा हो गया। यूँही अगर यह कहा कि मैंने इस मकान के नफ़ा इतने के बदले में तुम को हिबा किये, इजारा होजायेगा। (बहर)

मसअ्ला.3:– जो चीज़ मबीअ़ का समन हो सकती है वह उजरत भी हो सकती है मगर यह ज़रूरी नहीं कि जो उजरत होसके वह समन भी होजाये मसलन एक मनफ़अ़त दूसरे मनफ़अ़त की उजरत होसकती है जबकि दोनों दो जिन्स की हों और मनफ़अ़त समन नहीं हो सकती। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– इजारे के शराइत यह हैं (1) आ़क़िल होना यानी मजनून और नासमझ बच्चे ने इजारा किया, वह मुनअ़क़िद ही न होगा। बुलूग़ उसके लिए शर्त नहीं यानी नाबालिग़, आ़क़िल ने अपने नफ़्स के मुताल्लिक़ इजारा किया या माल के मुताल्लिक़ किया अगर वह माज़ून है यानी उसे उसके वली ने इजाज़त देदी है तो इजारा मुनअ़क़िद और अगर माज़ून नहीं है तो वली की इजाज़त

पर मौकूफ़ है जाइज़ कर देगा, जाइज़ होजायेगा और अगर नाबालिग़ ने बिग़ैर इजाज़ते वली काम करने पर इजारा किया और उस काम को करलिया मस्लन किसी की मज़दूरी चार आने रोज़ पर की, तो अब वली की इजाज़त दरकार नहीं बल्कि उजरत का मुस्तहिक़ होगया। (2) मिल्क व विलायत यानी इजारा करने वाला मालिक या वली हो इजारा करने का उसे इख़्तियार हासिल हो। फ़िज़ूली ने जो इजारा किया, वह मालिक या वली की इजाज़त पर मौकूफ़ होगा और वकील ने अक़्दे इजारा किया यह जाइज़ है। (3)मुस्ताजिर को वह चीज़ सिपुर्द कर देना जबकि उस चीज़ के मुनाफ़े पर इजारा हुआ हो। (4)उजरत का मालूम होना (5)मनफ़अत का मालूम होना और इन दोनों को इस तरह बयान कर दिया हो कि निज़ाअ् का एहतिमाल (शक) न रहे। अगर यह कह दिया कि इन दो मकानों में से एक को किराये पर दिया या दो गुलामों में से एक को मज़दूरी पर दिया यह इजारा सही नहीं है। (6)जहाँ इजारे के ताल्लुक़ वक़्त से हो वहाँ मुद्दत बयान करना मस्लन मकान किराये पर लिया तो यह बताना ज़रूर है कि इतने दिनों के लिए लिया यह बयान करना ज़रूरी नहीं कि इसमें क्या काम करेगा। (7)जानवर किराये पर लिया, इसमें वक़्त बयान करना होगा या जगह मस्लन घन्टाभर सवारी लेगा या फुलाँ जगह तक जायेगा और काम भी बयान करना होगा इससे कौनसा काम लिया जायेगा मस्लन बोझ लादने के लिये या सवारी के लिये (8) वह काम ऐसा हो कि उसका इस्तीफ़ा (पूरा होना) कुदरत में हो अगर हक़ीक़तन मक़दूर न हो (कुदरत न हो) मस्लन गुलाम को इजारे पर दिया और वह भागा हुआ है या शरअन ग़ैर मक़दूर हो मस्लन गुनाह की बातों पर इजारा, यह दोनों इजारे सही नहीं (9) वह अमल जिसके लिये इजारा हो उस शख़्स पर फ़र्ज़ या वाजिब न हो। (10)मनफ़अत मक़सूद हो (11)उसी जिन्स की मनफ़अत उजरत न हो (12)इजारे में ऐसी शर्त न हो जो मुक़तज़ाए अक़्द के ख़िलाफ़ हो।

मसअ्ला.5:– इजारे का हुक्म यह है कि तरफ़ैन बदलैन के मालिक हो जाते हैं मगर यह मिल्क एक दम नहीं होती बल्कि वक़्तन फ़'वक़्तन होती है। (दुर्रेमुख़्तार) मगर जबकि ताजील यानी पेशगी लेना शर्त हो तो अक़्द करते ही उजरत का मालिक होजायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– इजारा कभी तआती से भी मुनअक़िद होजाता है अगर मुद्दत मालूम हो मस्लन मकान किराये पर दिया उसने किराया दे दिया और मालूम है कि एक माह के लिये सही है तवील मुद्दत का इजारा तआती से मुनअक़िद नहीं होता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– मनफ़अत की मिक़दार का इल्म मुद्दत बयान करने से होता है मस्लन पाँच रूपये में एक महीने के लिए मकान किराये पर लिया या एक साल के लिये खेत इजारे पर लिया यह इख़्तियार है कि जिस मुद्दत के लिये इजारा हो वह क़लील मुद्दत हो मस्लन एक घन्टा या एक दिन या तवील दस बरस, बीस बरस, पचास बरस अगर इतनी मुद्दत के लिये इजारा हो कि आदतन इतनी ज़िन्दगी मुतवक़्क़े न हो (उतनी ज़िन्दगी की उम्मीद न हो) । जब भी इजारा दुरूस्त है वक़्फ़ के इजारे की मुद्दत तीन साल से ज़्यादा न होनी चाहिए मगर जबकि इतने दिनों के लिये कोई किरायेदार न मिलता हो या मुद्दत बढ़ाने में ज़्यादा फ़ायदा है तो बढ़ा सकते हैं। (बहर, वग़ैरहा)

मसअ्ला.8:– कभी अमल का बयान खुद उसका नाम लेने से होता है मस्लन इस कपड़े की रंगाई या सिलाई या इस ज़ेवर की बनवाई मगर काम को इस तरह बयान करना होगा कि जिहालत बाक़ी न रहे कि झगड़ा हो लिहाज़ा जानवर को सवारी के लिये लिया, उसमें फ़क़त फ़ेअ्ल बयान करना काफ़ी नहीं जब तक जगह या वक़्त का बयान न हो कभी इशारा करने से मनफ़अत का पता चलता है मिस्ल कह दिया। यह ग़ल्ला फुलाँ जगह लेजाना है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– इजारे में उजरत महज़ अक़्द से मिल्क में दाख़िल नहीं होती यानी अक़्द करते ही उजरत का मुतालबा नहीं कर सकता यानी फ़ौरन उजरत देना वाजिब नहीं उजरत मिल्क में आने की चन्द सूरतें हैं। (1)इसने पहले ही से अक़्द करते ही उजरत देदी दूसरा उसका मालिक होगया

यानी वापस लेने का उसको हक़ नहीं है। (2)या पेशगी लेना शर्त कर लिया हो अब उजरत का मुतालबा पहले ही दुरूस्त है। (3)या मनफ़अत को हासिल कर लिया मस्लन मकान था उसमें मुद्दते मुक़र्ररा तक रह लिया या कपड़ा दर्ज़ी को सीने के लिये दिया था उसने सी दिया। (4) वह चीज़ मुस्ताजिर को सिपुर्द करदी कि अगर वह मनफ़अत हासिल करना चाहे कर सकता है न करे, यह उसका फ़ेअ्ल है मस्लन मकान पर क़ब्ज़ा देदिया या अजीर ने अपने नफ़्स को तस्लीम कर दिया कि मैं हाजिर हूँ, काम के लिये तैयार हूँ, काम न लिया जाये जब भी उजरत का मुस्तहिक़ है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– इजारे का जो कुछ ज़माना मुक़र्रर हुआ है उसमें से थोडा ज़माना गुजरगया और बाक़ी, बाक़ी है। उस बाक़ी ज़माने में मालिक को चीज़ देना, और मुस्ताजिर को लेना जरूरी है यानी कुछ ज़माना गुज़र जाना, बाज़ रहने का सबब नहीं हो सकता हाँ जो ज़माना गुजर गया अगर इजारे से असली मक़सूद वही ज़माना हो यानी ज़माना ज़्यादा कार आमद हो तो मुस्ताजिर को इख़्तियार है बाक़ी जमाने में लेने से इन्कार करदे जैसे मक्का मुअज़्ज़मा में मकानात का इजारा एक साल के लिये होता है मगर मौसमे हज ही एक बेहतर ज़माना है कि मुअल्लेमीन हुज्जाज को इन मकानात में ठहराते हैं और उसी की ख़ातिर पूरे साल का किराया देते हैं अगर मौसमे हज निकल गया और मकान तस्लीम नहीं किया तो किरायेदार यानी मुअ़ल्लेमीन को इख़्तियार है कि मकानात लेने से इन्कार करदें। (बहरूर्राइक) इसी तरह नैनीताल वग़ैरा पहाड़ों पर मौसमे गर्मा ज़्यादा मक़सूद होता है इसी के लिये एक साल का किराया देते हैं बल्कि जाड़ों में मकानात और दुकानें छोड़कर लोग उमूमन वहाँ से चले जाते हैं अगर यह मौसमे गर्मा ख़त्म होगया और मकान या दुकान पर मालिक ने क़ब्ज़ा न दिया तो जाड़ों में जबकि वहाँ रहना नहीं है लेकर क्या करेगा लिहाज़ा किरायेदार को इख़्तियार है अगर लेना चाहे ले सकता है न लेना चाहे इन्कार कर सकता है इसी तरह बाज़ जगह बाज़ मौसम में बाज़ार का चाल अच्छा होता है इसी के लिये साल भर तक दुकानें किराये पर रखते हैं वह ज़माना न मिले तो इख़्तियार है मस्लन अजमेर शरीफ़ में दुकानदारी का पूरा नफ़ा ज़माना–ए–उर्स में होता है इस ज़माने में मकानात के किराये भी बनिस्बत दीगर जमाने के बहुत ज़्यादा होते हैं इस ज़माने में मकान या दुकान पर क़ब्ज़ा न मिलना किरायेदार के लिये नुक़सान का सबब है लिहाज़ा उसे इख़्तियार है।

मसअ्ला.11:– पेशगी उजरत शर्त करने से मुस्ताजिर से उस वक़्त मुतालबा होगा जब वह इजारा मिनजुजहि हो मस्लन यह मकान हमने तुमको इतने किराये पर देदिया और अगर इजारा मुजाफ़ा हो कि फलाँ महीने के लिए मस्लन किराये पर दिया इसमें अभी से किराये का मुतालबा नहीं हो सकता अगरचे पेशगी शर्त हो। (बहर)

मसअ्ला.12:– मनफ़अत हासिल करने पर क़ादिर होने से उजरत वाजिब होजाती है अगरचे मनफ़अत हासिल न की हो इसका मतलब यह है कि मसलन मकान किरायेदार को सिपुर्द कर दिया जाये इस तरह कि मालिक मकान के मताअ् व सामान से ख़ाली हो और उसमें रहने से कोई मानेअ् (रूकावट) न हो इसकी जानिब से न अजनबी की जानिब से इस सूरत में अगर वह न रहे, और बेकार मकान को ख़ाली छोडदे तो उजरत वाजिब होगी लिहाजा अगर मकान सिपुर्द ही न किया, या सिपुर्द किया मगर उसमें ख़ुद मालिक मकान का सामान व अस्बाब है, या मुद्दत गुजर जाने के बाद सिपुर्द किया या मुद्दत ही में सिपुर्द किया मगर उसे कोई उ़ज्र है या उसको उ़ज्र भी नहीं मगर हुकूमत की जानिब से रहने की मुमानअत है या ग़ासिब ने उसे ग़सब कर लिया, या वह इजारा ही फ़ासिद है इन सब सूरतों में मालिक मकान उजरत का मुस्तहिक़ नहीं। जानवर को किराये पर लिया उसमें भी यह सूरतें हैं बल्कि इसमें यह सूरत जायद है कि मालिक ने उसे जानवर देदिया मगर जहाँ सवार होने के लिये लिया था वहाँ नहीं गया बल्कि किसी दूसरी जगह जानवर को बाँध रखा, मस्लन लिया था इस लिए, कि शहर से बाहर फुलाँ जगह सवार होकर जायेगा और

जानवर को मकान ही में बांध रखा, वहाँ गया ही नहीं कि सवार होता इस सूरत में भी उजरत वाजिब नहीं और अगर शहर में सवार होने के लिये लिया था और मकान में बांध रखा सवार नहीं हुआ तो उजरत वाजिब है। (तहतावी)

मसअ्ला.13:– ग़सब से मुराद इस जगह यह है कि इससे मनफ़अ़त हासिल करने से रोकदे। हक़ीक़तन ग़सब हो या न हो, ग़सब आम है कि पूरी मुद्दत में हो या बाज़ मुद्दत में, अगर पूरी मुद्दत में हो तो पूरा किराया जाता रहा और बाज़ मुद्दत में हो तो हिसाब से इतने दिनों का जो किराया होता है वह नहीं मिलेगा। (बहर) इसी तरह अगर कोई दूसरा दूसरी रुकावट मुद्दत के अन्दर पैदा होगई कि उस चीज़ से इन्तिफ़ाअ् न हो सके (फ़ायदा न उठाया जासके) तो बक़िया मुद्दत की उजरत साक़ित है (ख़त्म है) मस्लन ज़मीन काश्त के लिये ली थी वह पानी से डूब गई या पानी न होने की वजह से काश्त न होसकी, या जानवर सवारी के लिये किराये पर लिया था वह बीमार हो गया या भाग गया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– मकान किराये पर दिया और क़ब्ज़ा भी देदिया मगर एक कोठरी में मालिक ने अपना सामान रखा, या एक कोठरी मालिक ने मुस्ताजिर से ख़ाली कराई तो किराये में से उसके किराये की मिक़दार कम करदी जायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– मुस्ताजिर ने किराया देदिया है और अन्दुरूने मुद्दत इजारा तोड़ दिया गया तो बाक़ी ज़माने का किराया वापस करना होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– कपड़ा किराये पर पहनने के लिये लिया कि हर रोज़ एक पैसा किराया देगा और ज़मान–ए–दराज़ तक अपने मकान पर रख छोड़ा, पहना ही नहीं तो देखा जायेगा कि रोज़ाना पहनता तो कितने दिन में फट जाता इतने ज़माने तक का किराया एक पैसे यौमिया उसके ज़िम्मे वाजिब है उसके बाद किराया वाजिब नहीं मस्लन साल भर तक उसके यहाँ रहगया और पहनता, तो तीन माह में फट जाता सिर्फ़ तीन माह का किराया देना होगा। (तहतावी) इसी तरह यौमिया या माहवार पर बहुत सी चीज़ें किराये पर दी जाती हैं मस्लन शामियाना का किराया यौमिया होता है कि फ़ी यौम इतना किराया, जितने दिनों उसके यहाँ रहेगा, किराया देना होगा यह नहीं कह सकता कि मेरे यहाँ एक ही दिन का काम था उसके बाद बेकार पड़ा रहा। ऐसा ही गैस के हन्डे किराये पर लाया, उसका किराया हर रात इतना होगा जितनी रातें उसके यहाँ हन्डे रहे उनका किराया दे यानी जब इजारे की कोई मुद्दत मुक़र्रर न हुई हो।

मसअ्ला.17:– जानवर को किराये पर लिया कि फ़ुलाँ रोज़ मुझे सवार होकर फ़ुलाँ जगह, जाना है। मालिक ने उसे जानवर देदिया मगर जो दिन जाने का मुक़र्रर किया था उस रोज़ नहीं गया दूसरे रोज़ गया उजरत वाजिब नहीं मगर अगर जानवर उसके मकान पर हलाक होगया तावान देना होगा। इसने नाहक़ उसको रोक रखा है। (तहतावी)

मसअ्ला.18:– इजारा–ए–फ़ासिदा में मनफ़अ़त हासिल करने पर वाजिब होती है अगर मनफ़अ़त हासिल करने पर क़ादिर था और हासिल नहीं की, उजरत वाजिब नहीं फिर इजारा फ़ासिद में अगर उजरत मुक़र्रर है तो उजरते मिस्ल वाजिब होगी (यानी उस तरह के मुआमले या चीजों में जो क़ीमत होगी वही दी जायेगी ..क़ादरी) जो मुक़र्रर से ज़ायद न हो यानी अगर उजरते मिस्ल मुक़र्रर से कम है तो उजरते मिस्ल देंगे और अगर मुक़र्रर की बराबर या उससे ज़ायद है तो जो मुक़र्रर है वही देंगे ज़यादा नहीं देंगे और अगर उजरत का तक़र्रुर नहीं हुआ है तो उजरते मिस्ल वाजिब है इसकी मिक़दार जो कुछ हो। (तहतावी)

मसअ्ला.19:– ज़मीने वक़्फ़ और ज़मीने यतीम और जो जायदाद किराये पर चलाने के लिये है उनका भी यही हुक्म है कि महज़ इन्तिफ़ाअ् (फ़ायदा उठाने) पर क़ादिर होने से इजारा–ए–फ़ासिदा में उजरत वाजिब नहीं होगी बल्कि हक़ीक़तन इन्तिफ़ाअ् ज़रूरी है यानी वक़्फ़ की ज़मीन ज़राअत (खेती) के लिये बतौर इजारा ए फ़ासिदा ली, अगर ज़राअत करेगा उजरत वाजिब होगी वरना नहीं। यूँही

यतीम की ज़मीन ज़राअ़त के लिये ली, या मकान किराये पर रहने के लिये बतौर इजारा फ़ासिदा लिया, या जायदाद किराये पर चलाने के लिये है उसको इजारा–ए–फ़ासिद के तौर पर लिया इन सब में भी जब तक मनफ़अ़त हासिल न करे उजरत वाजिब नहीं महज़ क़ादिर होना उजरत को वाजिब नहीं करता। (तहतावी)

मसअ्ला.20:– जिस चीज़ को किराये पर लिया था उसको किसी ने ग़सब करलिया कि यह इन्तिफ़ाअ़ पर क़ादिर नहीं है मगर सिफ़ारिश के ज़रिये से वह चीज़ निकाल सकता है या लोगों की हिमायत से ग़ासिब को जुदा कर सकता है और उसने ऐसा नहीं किया कि उजरत साक़ित नहीं होगी और अगर ग़ासिब को इस वजह से नहीं निकाला कि अ़लैहिदा करने में कुछ ख़र्च करना पड़ेगा तो उजरत साक़ित है। (दुर्रेमुख़्तार, तहतावी)

मसअ्ला.21:– मूजिर और मुस्ताजिर में इख़्तिलाफ़ हुआ। मूजिर कहता है किसी ने ग़सब नहीं किया और मुस्ताजिर कहता है ग़सब किया अगर मुस्ताजिर के पास गवाह नहीं हैं तो यह देखा जायेगा कि फ़िलहाल क्या हैं अगर फ़िलहाल मकान में मुस्ताजिर सुकूनत पज़ीर है तो मूजिर की बात मानी जायेगी और उजरत दिलाई जायेगी और अगर मुस्ताजिर के सिवा कोई दूसरा साकिन है तो मुस्ताजिर की बात मक़बूल है उजरत वाजिब नहीं। (बहर)

मसअ्ला.22:– मालिक मकान ने मकान की कुन्जी मुस्ताजिर को देदी मगर कुन्जी उसके पास से जाती रही अगर मकान को बिला तकल्लुफ़ खोल सकता है और नहीं खोला उजरत वाजिब है वरना नहीं अगर मुस्ताजिर उस कुन्जी से क़ुफ़्ल नहीं खोल सकता है मकान का तस्लीम कर देना और क़ब्ज़ा देना नहीं पाया गया और उजरत वाजिब नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.23:– इजारा अगर मुतलक़ है इसमें यह बयान नहीं किया गया कि उजरत कब दी जायेगी तो मकान और ज़मीन का किराया रोज़ाना वुसूल कर सकता है और सवारी का हर मन्ज़िल पर। मसलन यह ठहरा है कि हमको यहाँ से फ़ुलाँ जगह जाना है इसका यह किराया है मगर यह तय नहीं हुआ है कि किराया पहुँचकर दिया जायेगा या कब, तो हर मन्ज़िल पर हिसाब से जो किराया होता है। वुसूल कर सकता है मगर सवारी वाला यह नहीं कर सकता कि मैं आगे नहीं जाऊँगा जहाँ तक ठहरा है वहाँ तक पहुँचाना उस पर लाज़िम है और अगर यह बयान कर दिया गया है कि इतने दिनों में किराया लिया जायेगा तो हर रोज़ या हर हफ़्ते में मुतालबा नहीं कर सकता। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.24:– दर्ज़ी, धोबी, सुनार वग़ैरा जब इन कारीगरों ने काम कर लिया और मालिक को चीज़ सिपुर्द करदी उजरत लेने के मुस्तहिक़ होगये यही हुक्म हर उस काम करने वाले का है जिसके काम का उस शय में कोई अस्र हो जैसे रंगरेज़, कि इसने कपड़ा रंगकर मालिक को दिया उजरत का मुस्तहिक़ होगया और अगर उन लोगों ने काम तो किया मगर चीज़ अभी तक मालिक को सिपुर्द नहीं की उजरत के मुस्तहिक़ नहीं हुए लिहाज़ा अगर उनके यहाँ चीज़ ज़ाइअ़ होगई उजरत भी नहीं पायेंगे अगरचे चीज़ का उनको तावान भी नहीं देना पड़ेगा और अगर काम का कोई अस्र नहीं होता जैसे हम्माल कि चीज़ को यहाँ से उठाकर वहाँ लेगया यह उजरत के उस वक़्त मुस्तहिक़ होंगे जब इन्होंने काम कर लिया इसकी ज़रूरत नहीं कि मालिक को सिपुर्द करदें जब इस्तेहक़ाक़ हो लिहाज़ा पहुँचादेने के बाद अगर चीज़ ज़ाइअ़ होगई, उजरत वाजिब है।(दुर्रेमुख़्तार)अगर हम्माल ने पहुँचाया न हो रास्ते ही में उजरत माँगता है तो यहाँ तक की जितनी उजरत हिसाब से हो ले सकता है मगर जहाँ तक ठहरा है उस पर वहाँ तक पहुँचाना लाज़िम है और पहुँचाने पर बाक़ी उजरत का मुस्तहिक़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.25:– धोबी ने कहा, तुम्हारा कपड़ा धोने के लिये लिया ही नहीं है उसके बाद कपड़े का इक़रार कर लिया, अगर इन्कार से पहले धो चुका है धुलाई का मुस्तहिक़ है और इन्कार करने के बाद धोया तो धुलाई का मुस्तहिक़ नहीं और रंगरेज़ ने कपड़े से इन्कार कर दिया फिर इक़रार

किया अगर इन्कार से पहले रंग चुका है उजरत का मुस्तहिक़ है और इन्कार के बाद रंगा, तो मालिक को इख़्तियार है कि कपड़ा लेले, और रंग की वजह से जो कुछ कपड़े की क़ीमत में इज़ाफ़ा हुआ है वह देदे, और चाहे तो सफ़ेद कपड़े की क़ीमत तावान ले और कपड़े बुनने वाले ने सूत से इन्कार किया फिर इक़रार किया और इन्कार से क़ब्ल बुन चुका है उजरत मिलेगी और इन्कार के बाद बुना है तो कपड़ा उसी बुनने वाले का है और सूत वाले को इतना ही दे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.26:– दर्ज़ी ने मुस्ताजिर के घर पर कपड़ा सिया तो काम करने पर उजरत वाजिब हो जायेगी। मालिक को सिपुर्द करने की ज़रूरत नहीं कि जब उसके मकान ही पर काम कर रहा है तो तस्लीम करने की ज़रूरत नहीं। यह ख़ुद ही तस्लीम के हुक्म में है लिहाज़ा कपड़ा सी रहा था। चोरी हो गया उजरत का मुस्तहिक़ है बल्कि अगर कुछ सिया था कुछ बाक़ी था मस्लन पूरा कुर्ता सिया भी नहीं था कि जाता रहा जितना सी लिया था उसकी उजरत वाजिब है। (तहतावी)

मसअ्ला.27:– मज़दूर दीवार बना रहा है कुछ बनाने के बाद गिरगई तो जितनी बना चुका है उसकी उजरत वाजिब होगई दर्ज़ी ने कपड़ा सिया था मगर किसी ने यह सिलाई तोड़दी सिलाई नहीं मिलेगी हाँ जिसने तोड़ी है उससे तावान लेसकता है और अब दोबारा सीना भी दर्ज़ी के ज़िम्मे पर वाजिब नहीं कि काम कर चुका है और अगर ख़ुद दर्ज़ी ही ने सिलाई तोड़दी तो दोबारा सीना वाजिब है गोया उसने काम किया ही नहीं। (बहर)

मसअ्ला.28:– दर्ज़ी ने कपड़ा क़त़ा किया, और सिया नहीं, बिग़ैर सिये मरगया क़त़ा करने की कुछ उजरत नहीं दी जायेगी कि आ़दतन सिलाई की उजरत देते हैं क़त़ा करने की उजरत नहीं दी जाती। हाँ अगर अस्ल मक़सद दर्ज़ी से कपड़ा क़त़ा कराना ही है सिलवाना नहीं है तो उसकी उजरत भी हो सकती है। (तहतावी, बहर)

मसअ्ला.29:– धोबी को धोने के लिये कपड़े दिये और धुलाई का तज़किरा नहीं हुआ कि क्या होगी, उजरते मिस्ल वाजिब होगी क्योंकि उसका काम ही यह है कि उजरत पर कपड़ा धोता है(बहर)

मसअ्ला.30:– नानबाई उस वक़्त उजरत लेने का हक़दार होगा जब रोटी तन्नूर से निकाल ले कि अब उसका काम ख़त्म हुआ और कुछ रोटियाँ पकाई हैं कुछ बाक़ी हैं तो जितनी पका चुका है। हिसाब करके उनकी पकवाई लेसकता है यह उस सूरत में है कि मुस्ताजिर यानी पकवाने वाले के मकान पर रोटी पकाई और पकने के बाद यानी तन्नूर से निकालने के बाद बिग़ैर उसके फ़ेअ्ल के कोई रोटी तन्नूर में गिरगई और जल गई तो उसकी उजरत मिन्हा नहीं की जा सकती कि तन्नूर से निकालकर रखने के बाद उजरत का हक़दार होचुका है और इस रोटी का उससे तावान भी नहीं लिया जा सकता कि उसने ख़ुद नुक़सान नहीं किया है और अगर तन्नूर से निकालने के पहले ही जलगई तो उसकी उजरत नहीं मिलेगी बल्कि तावान देना होगा यानी उस रोटी का जितना आटा था वह तावान दे और अगर रोटी पकवाने वाले के यहाँ नहीं पकाई है ख़्वाह नानबाई ने अपने घर पकाई, या दूसरे के मकान पर और रोटी जल जाये या चोरी होजाये बहर हाल उजरत का मुस्तहिक़ नहीं है कि उसके लिये तस्लीम यानी मुस्ताजिर के क़ब्ज़े में देने की ज़रूरत है फिर अगर चोरी होगई तो नानबाई पर तावान नहीं क्योंकि आटा उसके पास अमानत था जिसमें तावान नहीं होता और अगर जलगई तो तावान देना होगा कि उसके फ़ेअ्ल से नुक़सान हुआ है और मालिक को इख़्तियार है कि रोटी का तावान ले या आटे का, अगर रोटी का तावान लेगा तो पकवाई देनी होगी और आटा ले तो नहीं। लकड़ी, नमक, पानी इनमें से किसी का तावान नहीं।(बहर, दुर्रेमुख़्तार,तहतावी)

मसअ्ला.31:– बावरची जो गोश्त या पुलाव वग़ैरा पकाता है अगर यह खाना दावत के मौक़े पर पकाया है वलीमे की दावत हो, या ख़तना की, छठी की, या अ़क़ीक़े की, या क़ुर्आन मजीद ख़त्म करने की, ग़र्ज़ किसी क़िस्म की दावत हो उसमें उजरत का उस वक़्त मुस्तहिक़ होगा जब सालन वग़ैरा बर्तनों में निकाल दे और घर वालों के लिये पकाया है तो खाना तैयार करने पर उजरत का

हक़दार होगया। (दुर्रेमुख़्तार) मगर यह वहाँ का उ़र्फ़ है कि बावरची ही खाना निकालते हैं। हिन्दुस्तान में उ़मूमन यह त़रीक़ा है कि बावरची तैयार कर देते हैं जिसने दा़वत की है उसके अ़ज़ीज़ व अक़ारिब दोस्त व अह़बाब खाना निकालते हैं, खिलाते हैं, बावरची से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं रहता लिहाज़ा यहाँ के उ़र्फ़ के लिहाज़ से खाना तैयार करने पर उजरत का मुस्तह़िक़ होजायेगा। निकालने की ज़रूरत नहीं।

मसअ्ला.32:– बावरची ने खाना ख़राब कर दिया या जला दिया या कच्चा ही उतार दिया उसे खाने का ज़मान देना होगा और अगर आग लेकर चला कि चूल्हा जलाये, या तन्नूर रौशन करे चिंगारी उड़ी, और मका़न में आग लग गई मकान जल गया उसका तावान देना नहीं होगा उसमें उसके फ़ेल को दख़ल नहीं इसी त़रह़ किरायेदार से अगर मकान जल जाये तो तावान नहीं कि उसने क़स्दन ऐसा नहीं किया है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.33:– ईंट थापने वाला उजरत का उस वक़्त मुस्तह़िक़ है जब ईंट उसने खड़ी करदी उसके बा़द अगर ईंटों का नुक़सान हुआ तो मालिक का हुआ उसका नहीं और उससे पहले नुक़सान हुआ तो उसी का हुआ कि अभी तक यह उजरत का मुस्तह़िक़ नहीं है यह क़ौल इमामे आ़ज़म रह़मतुल्लाहि तआ़ला अ़लैहि का है। साह़िबैन यह फ़रमाते हैं कि उजरत का मुस्तह़िक़ उस वक़्त होगा जब ईंटों का चट्टा लगा दे इसी पर फ़तवा है। (दुर्रेमुख़्तार) यहाँ के उ़र्फ़ से भी यही मा़लूम होता है कि चट्टा लगाने के बा़द उजरत मिले, क्योंकि चट्टा लगाना भी इन्हीं थापने वालों का काम होता है, न इसके लिए दूसरे मज़दूर रखे जाते हैं, न ख़ुद उनको चट्टा लगाने की मज़दूरी दी जाती है बल्कि जहाँ तक देखा गया है यही मा़लूम हुआ है कि ईंटों का शुमार ही उस वक़्त करते हैं जब चट्टा लग जाये पहले क्या उजरत दी जायेगी।

मसअ्ला.34:– ईंट थापने का सांचा थपेरे के ज़िम्मे है कि यह उसके काम का आला है जैसे दर्ज़ी के लिये सुई, बढ़ई के लिए बसूला बग़ैरा हर क़िस्म के औज़ार मिट्टी, रेता मुस्ताजिर का है। मकान के अन्दर पहुँचा देना ह़म्माल का काम है यह नहीं कह सकता कि दरवाज़े तक मैंने पहुँचा दिया। अन्दर नहीं ले जाऊँगा। छत या दूसरी मन्ज़िल पर लेजाना ह़म्माल का काम नहीं है जब तक उससे शर्त़ न करलें वह ऊपर लेजाने से इन्कार कर सकता है। मटके, गोली और बर्तनों में ग़ल्ला भरना ह़म्माल का काम नहीं जब तक उसकी शर्त़ न हो। ऊँट या घोड़ा या कोई जानवर ग़ल्ला लादने के लिये किराये पर लिया तो ग़ल्ला लादना और उतारना जानवर वाले के ज़िम्मे है और मकान के अन्दर पहुँचाना उसके ज़िम्मे नहीं मगर जबकि उसकी शर्त़ हो या वहाँ का यही उ़र्फ़ हो। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.35:– बैल गाड़ी बहुतसी चीज़ें लादने के लिये किराये पर करते हैं गाड़ी वाले के ज़िम्मे वहाँ तक पहुँचा देना है जहाँ तक गाड़ी जाती हो उसके बा़द मालिक के ज़िम्मे है मगर जबकि यह शर्त़ हो कि मकान के अन्दर पहुँचाना होगा या वहाँ का उ़र्फ़ हो जिस त़रह़ उ़मूमन शहरों में यही त़रीक़ा है कि ठेले वाले जो चीज़ लादकर लाते हैं वह मकान के अन्दर तक पहुँचाते हैं।

मसअ्ला.36:– स्याही कातिब के ज़िम्मे है या़नी लिखने में जो स्याही स़र्फ़ होगी लिखवाने वाला नहीं देगा और कातिब के ज़िम्मे काग़ज़ शर्त़ कर देना इजारे ही को फ़ासिद कर देता है। (बहर) क़लम कातिब ही के ज़िम्मे है।

मसअ्ला.37:– जिस कारीगर के अ़मल का अस़र पैदा होता है जैसे रंगरेज, धोबी, यह अपनी उजरत वुसूल करने के लिये चीज़ रोक सकते हैं अगर इन्होंने चीज़ को रोका और ज़ाइअ़ (बर्बाद) हो गई तो चीज़ का तावान नहीं देना होगा मगर उजरत भी नहीं मिलेगी। यह रोकने का ह़क़ इस सूरत में है कि उजरत अदा करने के लिये कोई मीआ़द मुक़र्रर न की हो और अगर कह दिया है कि एक माह के बा़द मैं उजरत दूँगा और कारीगर ने मन्ज़ूर कर लिया तो अब चीज़ रोकने का ह़क़ जाता रहा और रोकने का ह़क़ उस वक़्त है कि कारीगर ने अपने मकान या दुकान में काम किया

हो और अगर खुद मुस्ताजिर के यहाँ काम किया, तो काम से फ़ारिग़ होना ही मुस्ताजिर को तस्लीम कर देना है इसमें रोकने की सूरत नहीं दर्ज़ी वग़ैरा ने तअ़द्दी की, जिससे चीज़ में नुक़सान हुआ। तो मुतलक़न ज़ामिन है, अपने मकान पर काम किया हो, या मुस्ताजिर के मकान पर, या कहीं और। और अगर कश्ती में सामान लदा है मालिक भी कश्ती में है मल्लाह़ कश्ती को खींचे लेजा रहा है। और कश्ती डूब गई। मल्लाह़ ज़मान नहीं देगा। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.38:– असर होने का क्या मत़लब है बाज़ फुक़हा फ़रमाते हैं इसका यह मत़लब है कि काम करने वाले की कोई चीज़ उसमें शामिल होजाये जैसे रंगरेज़ ने कपड़े में अपना रंग शामिल कर दिया और फुक़हा यह कहते हैं कि इससे यह मुराद है कि कोई चीज़ जो नज़र नहीं आती थी। नज़र आये इस स़ानी की बिना पर धोबी भी दाख़िल है क्योंकि पीले कपड़े की सफ़ेदी नज़र नहीं आती थी। अगर धोबी ने कल्फ़ लगाया है तो पहली सूरत में भी दाख़िल है पिस्ता बादाम की गिरी निकालने वाला, लकड़ियाँ चीरने वाला, आटा पीसने वाला, दर्ज़ी और मौज़ा सीने वाला, जबकि डोरा अपने पास से न लगायें। ग़ुलाम का सर मूँडने वाला, यह सब इसमें दाख़िल हैं दोनों क़ौलों में ज़्यादा स़ही क़ौल स़ानी है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.39:– जिसके काम का असर उस चीज़ में न रहे जैसे ह़म्माल को ग़ल्ला एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है या मल्लाह़, कि किसी चीज़ को कश्ती पर लादकर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देता है या जिसने कपड़े को पाक करने के लिये धोया उसको सफ़ेद नहीं किया यह लोग उजरत वुसूल करने के लिये चीज़ को रोक नहीं सकते अगर रोकेंगे, ग़ासिब क़रार पायेंगे और ज़मान देना होगा और मालिक को इख़्तियार है अ़मल करने के बा'द जो क़ीमत हुई उसका तावान ले और इस सूरत में उजरत देनी होगी और चाहे तो वह क़ीमत तावान ले जो अ़मल के बिग़ैर है और उस वक़्त उजरत नहीं मिलेगी। (बहरदुर्रे, मुख़्तार, त़हत़ावी)

मसअ्ला.40:– अजीर के पास चीज़ हलाक होगई मगर न तो उसके फ़ेअ्ल से हलाक हुई और न उजरत लेन के लिये उसने चीज़ रोकी थी। और अजीर वह है जिसके अ़मल का असर पैदा होता है जैसे दर्ज़ी, रंगरेज़, तो इनकी उजरत नहीं मिलेगी और अगर अ़मल का असर पैदा नहीं होता जैसे ह़म्माल तो उसे उजरत मिलेगी। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.41:– जिससे काम कराना है अगर उससे यह शर्त़ करली कि तुमको खुद करना होगा या कहदिया कि तुम अपने हाथ से करना इस सूरत में खुद इसी को करना ज़रूरी है अपने शागिर्द या किसी और शख़्स से काम कराना जाइज़ नहीं और अगर करा दिया तो उजरत वाजिब नहीं इस सूरत में दाया का इस्तिस़्ना है कि वह दूसरी से भी काम लेसकती है और अगर यह शर्त़ नहीं है कि वह खुद अपने हाथ से करेगा दूसरे से भी करा सकता है अपने शागिर्द से कराये या नौकर से कराये या दूसरे से, उजरत पर कराये, सब सूरतें जाइज़ हैं। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.42:– इजारा मुतलक़ था या'नी खुद उस कारीगर के अपने हाथ से काम करने की शर्त़ नहीं थी कारीगर ने दूसरे को बिग़ैर उजरत चीज़ सिपुर्द करदी या'नी दूसरे को काम करने के लिये देदी जो अजीर नहीं है और वहाँ से चीज़ ज़ाइअ़् (बर्बाद) होगई तो अजीर पर ज़मान वाजिब है और अगर यह शख़्स पहले का अजीर है मस़लन दर्ज़ी को कपड़ा सीने के लिये दिया, दर्ज़ी ने दूसरे को उजरत पर सीने के लिये दिया और ज़ाइअ़् होगया तो तावान वाजिब नहीं न अव्वल पर, न दूसरे पर। (बहर)

मसअ्ला.43:– अजीर से कह दिया, तुम इतनी उजरत पर मेरा यह काम करदो यह इजारा मुत़लक़ की सूरत है और अगर यह कहे तुम अपने हाथ से काम करो या तुम खुद करो तो मुक़य्यद है अब दूसरे से कराना जाइज़ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.44:– एक शख़्स को अजीर मुक़र्रर किया कि मेरी अ़याल (बच्चों) को फुलाँ जगह से ले आओ, वह लेने गया मगर उनमें से बाज़ का इन्तिक़ाल होगया जो बाक़ी थे उन्हें लेआया अगर दोनों

को ता्दाद मा्लूम थी तो उजरत उसी ह़िसाब से मिलेगी मस्लन चार बच्चे थे और उजरत चार रूपये थी तीन को लाया तीन रूपये पायेगा और अगर ता्दाद मा्लूम नहीं थी तो पूरी उजरत पायेगा। और अगर गया, और वहाँ से किसी को नहीं लाया तो कुछ उजरत नहीं मिलेगी कि काम किया ही नहीं। पहली सूरत में ह़िसाब से उजरत मिलना इस सूरत में है कि उनके कम या ज़्यादा होने से मेह़नत में कमी बेशी हो मस्लन छोटे छोटे बच्चे हैं गोद में लाना होगा ज़्यादा होंगे तकलीफ़ ज़्यादा होगी कम होंगे तकलीफ़ कम होगी और अगर कम ज़्यादा होने से उसकी मेह़नत में कमी बेशी नहीं होगी मस्लन कश्ती किराये पर ली है कि उसमें सबको सवार करके लाओ अगर सब आयेंगे या बा्ज़ आयेंगे दोनों सूरतों में मेह़नत यक्सां है इस सूरत में उजरत पूरी मिलेगी और अगर बच्चों के लाने का यह मत्लब है कि अजीर उनके साथ साथ आयेगा सवारी का ख़र्च मुस्ताजिर के ज़िम्मे है। मस्लन कह दिया रेल पर या तांगे गाड़ी पर सवार करके लाओ या वह जगह क़रीब है सब पैदल चले आयेंगे इसको सिर्फ़ साथ रहना होगा या जगह दूर है मगर वह सब बड़े हैं पैदल चले आयेंगे उसकी मेह़नत में उनके कम व बेश होने से कोई फ़र्क़ नहीं तो पूरी उजरत पायेगा(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.45:— एक शख़्स को अजीर किया, कि फुलाँ जगह फुलाँ शख़्स के पास मेरा ख़त़ ले जाओ और वहाँ से जवाब लाओ अगर यह ख़त़ लेकर नहीं गया उजरत का मुस्तह़िक़ नहीं है कि सिर्फ़ आने जाने के लिये उसने अजीर नहीं किया था। जब उसने काम नहीं किया, उजरत किस चीज़ की लेगा और अगर वहाँ ख़त़ लेकर गया मगर मकतूब इलैहि (जिस को ख़त़ लिखा) का इन्तिक़ाल होगया था ख़त़ वापस लाया इस सूरत में भी उजरत का मुस्तह़िक़ नहीं और अगर ख़त़ वापस नहीं लाया बल्कि वहीं छोड़ आया तो जाने की उजरत पायेगा आने की नहीं और अगर मकतूब इलैहि वहाँ से चला गया है जब भी यही सूरतें हैं इसी त़रह अगर मिठाई वग़ैरा कोई खाने की चीज़ भेजी थी जिसके पास भेजी थी वह मरगया या कहीं चला गया यह वापस लाया जब भी मज़दूरी का मुस्तह़िक़ नहीं। (दुर, तह़तावी)

मसअ्ला.46:— मुतवल्ली वक़्फ़ ने वक़्फ़ की जायदाद को उजरते मिस्ल से कम पर देदिया तो मुस्ताजिर पर उजरते मिस्ल वाजिब है। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.47:— एक मकान ख़रीदा, कुछ दिनों रहने के बा्द मा्लूम हुआ कि यह मकान वक़्फ़ है या किसी यतीम का है। मकान तो वापस करना ही होगा जितने दिनों इसमें रहा है इसका किराया भी देना होगा। (त़हतावी)

मसअ्ला.48:— मकान किराये पर लिया था और उसकी उजरत पेशगी देदी थी मगर मालिक मकान मरगया लिहाज़ा इजारा फ़स्ख़ होगया। किराया जो पेशगी दे चुका है उसके वसूल करने के लिए किरायेदार को मकान रोक लेने का हक़ नहीं। और अगर मालिक मकान पर दैन था और मर गया। दैन अदा करने के लिये मकान फ़रोख़्त किया गया तो ब'निस्बत दूसरे क़र्ज़ ख़्वाहों के यह अपना ज़र पेशगी वसूल करने में ज़्यादा हक़दार है या्नी यह अपना पूरा रूपया समन से वसूल करले। इसके बा्द कुछ बचे, तो दूसरे क़र्ज़'ख़्वाह अपने अपने हिस्से के मुवाफ़िक़ उस से ले सकते हैं। और कुछ नहीं बचा, तो उस समन से लेने के हक़दार नहीं। (तहतावी)

मसअ्ला.49:— मुस्ताजिर ने उजरत ज़्यादा करदी, मस्लन पाँच रूपये माहवार किराये का मकान था किरायेदार ने छः रूपये कर दिये। अगर अन्दुरूने मुद्दत यह इज़ाफ़ा है तो अस्ले अक़्द के साथ लाहिक़ होजायेगा जैसे बैअ् में समन का इज़ाफ़ा, और अगर मुद्दत पूरी होने के बा्द इज़ाफ़ा किया जब भी ज़्यादा देना जाइज़ है या्नी एक एहसान है। अक़्द बाक़ी न रहा इसके साथ क्योंकर लाहिक़ होगा और अजीर या्नी मस्लन मालिक मकान ने इस शय में इज़ाफ़ा कर दिया जो किराये पर थी मस्लन एक मकान था अब उसी किराये में दूसरा मकान भी देदिया, यह भी जाइज़ है। और अगर यतीम या वक्फ़ का मकान है तो उसकी उजरते मिस्ल ली जायेगी। (दुर्रेमुख़्तार, तहतावी)

मसअ्ला.50: दरख़्त ख़रीदा, और चार पाँच बरस तक काटा नहीं, अब यह दरख़्त पहले से बड़ा

और मोटा होगया। मालिक ज़मीन कहता है तुमने इतने दिनों तक दरख़्त छोड़ रखा, इसका किराया अदा करो। इस मुद्दत का किराया नहीं ले सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.51: जिसके ज़िम्मे दैन है उसके मकान को अपने दैन के एवज़ में किराये पर लिया, यह जाइज़ है। और अगर मालिक मकान पर मुस्ताजिर का दैन है कुछ दैन किराये में मुजरा कर दिया और कुछ बाक़ी है और मुद्दते इजारा ख़त्म होगई तो मुस्ताजिर बक़िया दैन में मकान को नहीं रोक सकता। बल्कि बादे ख़त्मे मुद्दत मकान ख़ाली करना होगा। (आलमगीरी)

इजारे की चीज़ में क्या अफ़्आल जाइज़ हैं और क्या नहीं

मसअ्ला.1:– दुकान और मकान को किराये पर देना जाइज़ है अगरचे यह बयान न किया हो कि मुस्ताजिर (किरायेदार) उसमें क्या करेगा क्योंकि यह मशहूर बात है कि मकान रहने के लिये होता है और दुकान में तिजारत के लिये बैठते हैं और यह भी बयान करने की ज़रूरत नहीं कि कौन रहेगा क्योंकि सुकूनत ऐसी चीज़ है कि साकिन के इख़्तिलाफ़ से मुख़्तलिफ़ नहीं होती। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– दुकान या मकान को किराये पर लिया उसमें ख़ुद भी रह सकता है, दूसरे को भी रख सकता है मुफ़्त भी दूसरे को रख सकता है किराये पर भी, अगरचे मालिक मकान या दुकान ने कह दिया हो कि तुम इसमें तन्हा रहना। कपड़ा पहनने के लिए किराये पर लिया तो दूसरे को नहीं पहना सकता इसी तरह हर वह काम कि इस्तेमाल करने वाले के इख़्तिलाफ़ से मुख़्तलिफ़ होता है। वह दूसरे के लिए नहीं हो सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– मकान और दुकान में वह तमाम काम कर सकता है जो आदतन किये जाते हैं उसकी दीवारों में कीलें गाड़ सकता है ज़मीन पर मेख़ और खूंटा गाड़ सकता है नहाना, धोना, वुज़ू करना गुस्ल करना, कपड़े धोना, फींचना, इस्तिन्जा करना, लकड़ियाँ चीरना यह सब कुछ कर सकता है। हाँ अगर लकड़ी चीरने में इमारत कमज़ोर हो यानी बेचने के लिये चीरले, या मकान की छत पर चीरले तो जाइज़ नहीं जब तक मालिक मकान से इजाज़त न लेले। मकान के दरवाज़े पर घोड़ा वग़ैरा जानवर बांध सकता है और मकान के अन्दर नहीं कर सकता कि रहने के कमरों को अस्तबल करदे। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– किरायेदार किराये के मकान या दुकान में लोहार और चक्की वाले को नहीं रख सकता यानी यह लोग उसी मकान में कपड़ा धोयें यह बिग़ैर इजाज़त मालिक दुरुस्त नहीं और किरायेदार ख़ुद भी यह काम बिग़ैर इजाज़त मालिक नहीं कर सकता और अगर इजारे ही में इन चीज़ों का करना तय पागया है तो करना जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार) अगर धोबी मकान में कपड़ा नहीं धोता, बल्कि तालाब से कपड़ा धोकर लाता है और मकान में कल्फ़ देता है, इस्तिरी करता है तो हरज नहीं कि इससे इमारत पर असर नहीं पड़ता।

मसअ्ला.4:– मालिक और किरायेदार में इख़्तिलाफ़ हुआ कि इन चीज़ों को इजारे में करना मशरूत था या नहीं, इसमें मालिक का क़ौल मोअ्तबर है और अगर दोनों ने गवाह पेश किये तो मुस्ताजिर के गवाह मक़बूल और अस्ल इजारे ही में इख़्तिलाफ़ हो जब भी यही सूरत है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– मुस्ताजिर ने एक काम को मुअय्यन (ख़ास) किया था कि यह करूँगा अगर उसका मिस्ल या उससे कम दर्जे का फ़ेअ्ल (काम) करे उसकी इजाज़त है मसलन लोहारी के काम के लिये मकान लिया था और उसमें कपड़े धोने का काम करता है अगर दोनों से इमारत का यकसाँ नुक़सान है या कपड़े धोने में कम नुक़सान है, कर सकता है। ऐसा काम किया जिसकी इजाज़त न थी किराया देना होगा और अगर मकान गिर पड़ा तो किराया नहीं बल्कि मकान का तावान देना होगा।(दुर्रेमुख़्तार) मकान का किराया नहीं देना होगा मगर ज़मीन का किराया देना होगा (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.7:– मुस्ताजिर ने मकान या दुकान को किराये पर देदिया अगर इतने ही किराये पर दिया है जितने में ख़ुद लिया था या कम पर, जब तो ख़ैर, और ज़ायद पर दिया है तो जो कुछ ज़्यादा है

उसे सदका करदे हाँ अगर मकान में इस्लाह की हो उसे ठीक ठाक किया हो तो ज़ायद का सदका करना ज़रूरी नहीं या किराये की जिन्स बदल गई मसलन लिया था रूपये पर दिया हो अशरफ़ी पर अब भी ज़्यादती जाइज़ है। झाडू देकर मकान को साफ़ कर लेना यह इस्लाह नहीं है कि ज़्यादती वाली रक़म जाइज़ होजाये इस्लाह से मुराद यह है कि कोई ऐसा काम करे जो इमारत के साथ क़ायम हो मसलन प्लास्तर कराया, या मुन्ढेर बनवाई ख़ुद मालिक मकान को मुस्ताजिर ने मकान किराये पर देदिया क़ब्ज़े के बाद ऐसा किया या क़ब्ज़े से क़ब्ल, यह जाइज़ नहीं बल्कि इजारा ही फ़स्ख़ होजायेगा। (बहर) मगर यह सही है कि इजारा फ़स्ख़ नहीं होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– ज़मीन को ज़राअत के लिये उजरत पर देना जाइज़ है जबकि यह बयान होजाये कि इसमें क्या चीज़ बोई जायेगी या मज़ारेअ् (किसान) से यह कहदे, कि जो तू चाहे बो लिया कर, अगर इन चीज़ों का बयान नहीं होगा तो मुनाज़अत (झगड़ा) होगा क्योंकि ज़मीन कभी ज़राअत (खेती) के लिये ज़राअत पर दी जाती है कभी दूसरे काम के लिये और ज़राअत सब चीज़ों की एक किस्म नहीं मगर बयान करने की हाजत न हो बाज़ चीज़ों की ज़राअत ज़मीन के लिये मुफ़ीद होती है और बाज़ की मुज़िर होती है अगर इन चीज़ों को बयान नहीं किया गया तो इजारा फ़ासिद है। मगर जबकि उसने ज़राअत बोदी तो अब भी सही होगया कि काम कर लेने से जो जिहालत पैदा होगई थी जाती रही। और मुस्ताजिर पर उजरत वाजिब होगई। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.9:– ज़राअत के लिये खेत लिया तो आमदो रफ़्त का रास्ता और पानी जहाँ से आता है। और जिस रास्ते से आता है यह सब चीजें मुस्ताजिर को बिग़ैर शर्त भी मिलेंगी क्योंकि यह न हों, तो ज़राअत ही ना'मुमकिन है और खेत बैअ् लिया, तो यह चीज़ें बिग़ैर शर्त दाख़िल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– खेत एक साल के लिए लिया तो साल की दोनों फ़सलें रबी व ख़रीफ़ दोनों इसमें बो सकता है अगर उस वक़्त ज़राअत नहीं हो सकती है लगान वाजिब है वरना नहीं। (दुर्रेमुख़्तार) और वह ज़मीन जो पानी से दूर होने की वजह से ज़राअत के क़ाबिल नहीं उसको या बन्जर ज़मीन को इजारे पर लेना दुरुस्त नहीं। (तहतावी)

मसअ्ला.11:– ज़मीन ज़राअत के लिये इजारे पर दी और ज़राअत को कोई आफ़त पहुँची, मसलन खेत पानी से डूब गया तो जो हिस्सा लगान का आफ़त पहुँचने से पहले का है वह देना होगा और आफ़त पहुँचने के बाद का जो हिस्सा है वह साक़ित जबकि दूसरी ज़राअत का मौक़ा न रहे और अगर फिर खेत बो सकता है तो लगान साक़ित नहीं अगरचे खेत न बोया यह उसका अपना क़ुसूर है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– ज़मीन में दूसरे की ज़राअत लगी हुई है और जिसने खेत बोया है जाइज़ तौर पर बोया है मसलन उसके पास खेत आरियत है या उसने इजारे पर लिया है अगरचे यह इजारा फ़ासिद ही हो यह ज़मीन दूसरे को इजारे पर देना जाइज़ नहीं और अगर इजारे पर देदी और फ़सल कटगई और मालिक ज़मीन ने नये मज़ारेअ् (किसान) को ज़मीन देदी यह इजारा जाइज़ है मज़ारेअ् अव्वल से कहा जायेगा खेत काटले फिर यह खेत मज़ारेअ् दोम को देदिया जाये तीसरी सूरत यह है कि इजारे को ज़मान–ए–मुस्तक़बिल की तरफ़ मुज़ाफ़ किया मसलन फ़ुलाँ महीने से यह खेत तुमको इतने लगान पर दिया जबकि मा'लूम हो कि उस वक़्त तक खेत ख़ाली होजायेगा मसलन बैसाख से या जेठ से, यह सूरत मुतलक़न जाइज़ है। मुज़ारेअ् अव्वल ने जाइज़ तौर पर बोया हो या ना'जाइज़ तौर पर चौथी सूरत यह है कि इस खेत को बोने वाले ने ना'जाइज़ तौर पर बोया हो। मालिक ने दूसरे को इजारे पर देदिया यह इजारा जाइज़ है क्योंकि मुज़ारेअ् को यह खेत देदेना मुम्किन है जिसने बोया है उसको मजबूर किया जायेगा कि अपनी ज़राअत फ़ौरन काटले तैयार हो, या न हो। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.13:– मकान इजारे पर दिया कुछ ख़ाली है कुछ मशग़ूल है इजारा सही है मगर जो हिस्सा मशग़ूल है उसकी निस्बत कहा जायेगा कि ख़ाली करके मुस्ताजिर के हवाले करदे और अगर ख़ाली करने में ज़रर (नुकसान) हो जिस तरह खेत इजारे पर दिया है उसके कुछ हिस्से में

ज़राअ़त है जो अभी तैयार नहीं है तो उसको ख़ाली करने का हुक्म नहीं दिया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.14:– मकान जिसमें कोई रहता हो वह दूसरे को किराये पर देना जाइज़ है जबकि रहने वाला किराये पर न हो और मालिक मकान के ज़िम्मे मकान ख़ाली कराकर किरायेदार को देना है। और किराये की मुद्दत उस वक़्त में शुमार होगी जब से उसके क़ब्ज़े में आया है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.15:– ज़मीन को मकान बनाने या पेड़ लगाने या ज़राअ़त करने और उन तमाम मुनाफ़े के लिये इजारे पर दे सकते हैं जो हासिल किये जा सकते हैं मसलन मिट्टी का बर्तन बनाने या ईंट और ठिकरे बनाने जानवरों को दोपहर में या रात में वहाँ ठहराने के लिये लेना यह सब इजारे जाइज़ हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– ज़मीन मकान बनाने के लिये, या दरख़्त लगाने के लिये, उजरत पर ली और मुद्दत पूरी होगई अपनी इमारत का मल्बा उठाले, और दरख़्त काटकर ख़ाली ज़मीन मालिक को सिपुर्द करदे क्योंकि इन दोनों चीज़ों की कोई इन्तिहा नहीं कि मुद्दत में इज़ाफ़ा किया जाये और यह भी होसकता है कि इस इमारत को तोड़ने के बाद मल्बे की जो क़ीमत हो या दरख़्त काटने के बाद उसकी जो क़ीमत हो मालिक ज़मीन उस शख़्स को देदे और यह अपना मकान या दरख़्त मालिक ज़मीन के लिए छोड़दे और यह भी होसकता है कि इमारत और दरख़्त जिसके हैं उसी की मिल्क पर बाक़ी रहें यानी मालिक ज़मीन उसको इजाज़त देदे कि तुम अपनी इमारत और दरख़्त रखो, ज़मीन का मैं मालिक और इन चीजों के तुम मालिक, इसकी दो सूरतें हैं अगर इन चीज़ों के छोड़ने की कोई उजरत है तो वह इजारा है वरना इआ़रा (उधार लेना) है। मकान वाला और मालिक ज़मीन तीसरे को इजारे पर दे सकते हैं और इस तीसरे से जो कुछ किराया मिलेगा वह ज़मीन व मकान पर तक़सीम होगा यानी ज़मीन बिग़ैर मकान की क़ीमत क्या है और सिर्फ़ मकान की बिग़ैर ज़मीन क्या क़ीमत है इन दोनों में जो निस्बत हो उसी से दोनो उजरत तक़सीम करलें। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– ज़मीन वक़्फ़ को उजरत पर लिया, और इसमें दरख़्त लगाये या मकान बनाया, और मुद्दते इजारा ख़त्म होगई। मुस्ताजिर उजरते मिस्ल के साथ ज़मीन को रख सकता है जबकि उसमें वक़्फ़ का ज़रर न हो। जिन लोगों पर वह जायदाद वक़्फ़ है वह यह कहते हैं कि मकान का मल्बा उठा लिया जाये इसके सिवा दूसरी बात पर राज़ी नहीं होते उनकी नाराज़ी का लिहाज़ नहीं किया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.18:– सब्ज़ी के छोटे छोटे दरख़्त जो इसी लिए लगाये जाते हैं कि उनके पत्ते या फूल से इन्तिफ़ाअ् हासिल (फ़ायदा हासिल) किया जायेगा और दरख़्त बाक़ी रहेगा जैसे गुलाब चमेली और त़रह त़रह के फूल के दरख़्त इन तमाम सब्ज़ियों का वही हुक्म है जो दरख़्त का है और अगर दरख़्त की कुछ मुद्दत है जैसे मौसमी फूल कि बोये जाते है और कुछ ज़माने बाद फूल कर ख़त्म होजाते हैं या वह सब्ज़ियां जो जड़ ही से उखाड़ली जाती हैं जैसे गाजर, मूली, शलजम, गोभी या फूल फल से नफ़ा उठाते हैं मगर उसका ज़माना महदूद है जैसे बैंगन, मिर्चें यह सब चीज़ें ज़राअ़त के हुक्म में हैं कि अगर इजारे की मुद्दत ख़त्म होगई और इनकी फ़स्ल ख़त्म नहीं हुई तो ज़मीन उस वक़्त तक के लिये उजरते मिस्ल पर किराये पर ली जाये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.19:– मुवाजिर (उजरत पर देने वाला) व मुस्ताजिर (उजरत पर लेने वाला) में से कोई मरगया और इजारा फ़स्ख़ होगया मगर अभी तक ज़राअ़त तैयार नहीं है कि काटी जाये तो पकने और तैयार होने तक खेत में रहेगी और जो उजरत मुक़र्रर हुई थी वही दी जायेगी और अगर मुद्दत मुक़र्ररा ख़त्म होगई मगर ज़राअ़त तैयार नहीं हुई तो अब जितने दिनों खेत में रखने की ज़रूरत हो उसकी उजरते मिस्ल दी जायेगी मुस्तईर (उधार लेने वाले) ने खेत आ़रियत लेकर बोया था और मुईर या मुस्तईर दोनों में से कोई मरगया तो तैयारी तक ज़राअ़त खेत में रहेगी और उजरते मिस्ल दी जायेगी, उजरते मिस्ल पर ज़राअ़त को खेत में रहने देने का यह मतलब है कि क़ाज़ी ने ऐसा हुक्म दिया हो या खुद उन दोनों ने इस पर रज़ामन्दी करली हो और अगर यह दोनों बातें न हों। यानी लेने देने का दोनों में कोई तज़किरा ही नहीं हुआ यहाँ तक कि फ़स्ल तैयार होगई तो कोई उजरत नहीं मिलेगी। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.20:– ज़मीन ग़सब करके, उसमें ज़राअ़त बोई, इसके लिए कोई मुद्दत नहीं दी जा सकती न उजरत पर, न बिग़ैर उजरत, बल्कि यह हुक्म दिया जायेगा कि फ़ौरन ज़राअ़त काटकर खेत ख़ाली करदे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.21:– चौपाये, ऊँट, घोड़ा, गधा, ख़च्चर, बैल, भैंसा इन जानवरों को किराये पर लेसकते हैं ख़्वाह सवारी के लिए किराये पर लें या बोझ लादने के लिये, इस लिये घोड़े को किराये पर नहीं ले सकता कि इन्हें कोतल (दिखावे के लिये) रखे या इन जानवरों को अपने दरवाज़े पर बाँध रखे ताकि लोगों को मा'लूम हो कि इसके यहाँ इतने जानवर हैं। कपड़े को पहनने के लिये किराये पर ले सकता है अपनी दुकान या मकान सजाने के लिये नहीं लेसकता। मकान को इस लिये किराये पर नहीं लेसकता कि उसमें नमाज़ पढ़ेगा। ख़ुश्बू को इस लिये किराये पर लिया कि उसे सूँघेगा, क़ुर्आन मजीद या किताब को पढ़ने के लिये किराये पर लिया, यह ना'जाइज़ है। यूँही शोअ़्रा के दीवान और क़िस्से की किताबें पढ़ने के लिये उजरत पर लेना ना'जाइज़ है। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.22:– सवारी के लिये जानवर किराये पर लिया और मालिक ने कह दिया जिसको चाहो सवार करो तो मुस्ताजिर को इख़्तियार है कि ख़ुद सवार हो या दूसरे को सवार कराये जो सवार हुआ वही मुतअ़य्यन होगया अब दूसरा सवार नहीं होसकता और अगर फ़क़त इतना ही कहा है कि सवारी के लिये जानवर किराये पर लिया, न सवार होने वाले की ता'ईन (ख़ास किया) है न ता'मीम (आम करना) तो इजारा फ़ासिद है या'नी सवारी और कपड़े में यह ज़रूर है कि सवार और पहनने वाले को मोअ़य्यन (ख़ास) करदिया जाये या ता'मीम (आम) करदी जाये कि जिसको चाहो सवार करो, जिसको चाहो कपड़ा पहनादो और यह न हुआ तो इजारा फ़ासिद है मगर अगर कोई सवार होगया या'नी ख़ुद वह सवार हुआ या दूसरे को सवार कर दिया, या ख़ुद कपड़े को पहना, या दूसरे को पहना दिया तो अब वह इजारा सही होगया। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.23:– सवारी में मोअ़य्यन (ख़ास) कर दिया था कि फ़ुलाँ शख़्स सवार होगा और कपड़े में मोअ़य्यन (ख़ास) कर दिया था कि फ़ुलाँ पहनेगा मगर इनके सिवा कोई दूसरा शख़्स सवार हुआ या दूसरे ने कपड़ा पहना अगर जानवर हलाक होगया या कपड़ा फट गया तो मुस्ताजिर को तावान देना होगा और इस सूरत में उजरत कुछ नहीं है और अगर जानवर और कपड़ा ज़ाइअ् व हलाक (बर्बाद) न हों तो न उजरत मिलेगी न तावान और अगर दुकान को किराये पर दिया था किरायेदार ने उसमें लोहार को बिठा दिया अगर दुकान गिरजाये तावान देना होगा और दुकान सालिम रही तो किराया वाजिब होगा। (बहर, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला.24:– तमाम वह चीज़ें जो इस्तेमाल करने वालों के इख़्तिलाफ़ से मुख़्तलिफ़ हों सबका यही हुक्म है कि बयान करना ज़रूरी है कि कौन इस्तेमाल करेगा जैसे ख़ेमा कि इसे कौन नसब करेगा और किस जगह नसब किया जायेगा और इसकी मेख़ें कौन गाढ़ेगा इन बातों में हालात मुख़्तलिफ़ हैं। (दुर्रेमुख़्तार, तहतावी)

मसअ्ला.25:– ख़ेमे की तनाबें मालिक के ज़िम्मे हैं जिसने किराये पर दिया है और उसकी मेख़ें मुस्ताजिर या'नी किरायेदार के ज़िम्मे हैं। (तहतावी)

मसअ्ला.26:– छूलदारी (छोटासा डेरा) या ख़ेमा धूप या वर्षा में बिग़ैर इजाज़त मालिक नसब किया और ख़राब होगया तावान देना होगा और इस सूरत में उजरत नहीं और अगर सलामत है तो उजरत वाजिब होगी। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.27:– ख़ेमे के साये में दूसरे लोग भी आराम ले सकते हैं मालिक यह नहीं कह सकता कि तुमने दूसरे को उसके नीचे क्यों बैठने दिया। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.28:– ख़ेमे की रस्सियाँ या चोबें टूट गईं कि नसब नहीं होसका, किराया वाजिब न हुआ।

मसअ्ला.29:– जिन चीज़ों के इस्तेमाल में इख़्तिलाफ़ न हो उनमें यह क़ैद लगाना कि फ़ुलाँ शख़्स

इस्तेमाल करे, बेकार है जिसको मुतअय्यन कर दिया है वह भी इस्तेमाल कर सकता है मस्लन मकान में यह शर्त लगाना कि इसमें तुम खुद रहना, दूसरे को न रहने देना या तुम तन्हा रहना यह शर्तें बातिल हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.30:– अगर इजारे में एक नौअ् (क़िस्म) या किसी ख़ास मिक़्दार की क़ैद लगाई है उसकी मिस्ल या उससे मुफ़ीद, इस्तेमाल जाइज़ है और उससे मुज़िर (नुक़सान करने वाले) की इजाज़त नहीं मस्लन एक बोरी गेहूँ लादने के लिये जानवर को किराये पर लिया एक बोरी से कम गेहूँ या बोरी जो लादना जाइज़ है कि यह इससे ज़्यादा आसान और हल्का है और एक बोरी नमक लादना जाइज़ नहीं कि नमक गेहूँ से ज़्यादा वज़नी होता है इस बाब में क़ायदा कुल्लिया यह है कि अक़्द (तय करने) के ज़रिये जब किसी मनफ़अत का इस्तेहक़ाक़ (नफ़ा लेने का हक़) हो तो वह या उसकी मिस्ल, या उससे कम दर्जे का करना जाइज़ है और ज़्यादा हासिल करना जाइज़ नहीं मस्लन एक मन गेहूँ लादने की इजाज़त है तो एक मन जौ लाद सकता है और एक मन रुई, या लोहा या पत्थर या लकड़ी नहीं लाद सकता या एक मन रुई लादने के लिये किराये पर लिया और एक मन गेहूँ लादा, यह भी जाइज़ नहीं। (बहर)

मसअ्ला.31:– जानवर सवारी के लिये किराये पर लिया उसपर खुद सवार हुआ और एक दूसरे शख़्स को अपने पीछे बिठा लिया अगर दूसरा ऐसा है कि अपने आप सवारी पर रुक सकता है और जानवर हलाक होगया तो निस्फ़ क़ीमत तावान दे इसमें यह लिहाज़ नहीं किया जायेगा कि उसके सवार होने से कितना बोझ ज़्यादा हुआ और यह नहीं कहा जायेगा कि क़ीमत को दोनों के वज़न पर तक़सीम करके दूसरे के वज़न के मुक़ाबिल में क़ीमत का जो हिस्सा आये वह तावान में मुतलक़न वाजिब होगी और अगर उस शख़्स ने अपने पीछे बच्चे को बिठा लिया है जो खुद उस पर रूक नहीं सकता और जानवर हलाक होगया तो तावान सिर्फ़ इतना होगा जितना उसके सवार करने से वज़न में इज़ाफ़ा हुआ यह तफ़सील इस सूरत में है कि जानवर दोनों को उठा सकता हो और अगर जानवर में इतनी ताक़त न हो कि दोनों को उठा सके तो हर सूरत में पूरी क़ीमत का तावान देना होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.32:– घोड़े की गर्दन पर दूसरा आदमी बैठगया और जानवर हलाक होगया तो पूरी क़ीमत का तावान दे और अगर जानवर पर खुद सवार हुआ ओर कोई चीज़ भी लादली, अगरचे यह चीज़ मालिक ही की हो जबकि उसकी इजाज़त से न लादी हो और जानवर हलाक होगया तो वज़न में जितना इज़ाफ़ा हो उसका तावान दे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.33:– इस सूरत में अपने पीछे दूसरे को सवार किया अगर वह जानवर मन्ज़िले मक़सूद पर पहुँचकर हलाक हुआ तो सिर्फ़ उजरत ही देनी होगी फिर ज़मान की सब सूरतों में मालिक को इख़्तियार है कि मुस्ताजिर से ज़मान ले या उससे जो उसके साथ सवार हुआ है अगर मुस्ताजिर से लिया तो वह अपने साथी से रुजूअ् नहीं कर सकता और दूसरे से लिया तो दो सूरतें हैं अगर मुस्ताजिर ने उसको किराये पर सवार किया है तो यह मुस्ताजिर से रुजूअ् कर सकता है और मुफ़्त बिठाया है तो नहीं। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.34:– जानवर को बोझ लादने के लिये किराये पर लिया और जितना लादना ठहरा था उससे ज़्यादा लाद दिया तो जितना ज़्यादा लादा है उसका तावान दे मस्लन दो मन ठहरा था उसने तीन मन लाद दियां जानवर की एक तिहाई क़ीमत तावान दे यह उस सूरत में है कि उसने खुद लादा हो और अगर जानवर के मालिक ने ज़्यादा लादा, तो तावान नहीं और अगर दोनों ने मिलकर लादा, तो निस्फ़ तावान यह दे और निस्फ़ जो मालिक के फ़ेअ्ल के मुक़ाबिल में है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.35:– मक्का मुअ़ज़्ज़मा और मदीना तय्यिबा के ऊँट किराये पर ले जाते हैं उन पर उमूमन दो शख़्स सवार होते हैं और अपना सामान भी लादते हैं उसके मुताल्लिक़ यह हुक्म है कि इतना ही

सामान लादें जो मुतआरफ़ है उससे ज़्यादा न लादें और उसमें भी बेहतर यह है कि अपना पूरा सामान हम्माल को दिखादें। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.36:– जानवर के मालिक को यह हक़ नहीं कि जानवर को किराये पर देने के बाद मुस्ताजिर के साथ कुछ अपना सामान भी लाद दे मगर उसने अपना सामान रख दिया है लिहाज़ा किराये से उसकी मिक़दार कम की जाये और मकान में यह सूरत हो कि मालिक मकान ने एक हिस्सा मकान में अपना सामान रखा तो पूरे किराये से उस हिस्से के किराये की कमी करदी जाये (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.37:– हल जोतने के लिये बैल किराये पर लिया एक बीघा जोतना ठहरा था उसने डेढ़ बीघा जोत लिया, और बैल हलाक होगया पूरी क़ीमत तावान देना होगा यूँही चक्की चलाने के लिये बैल किराये पर लिया जितने मन पीसना क़रार पाया, उससे ज़्यादा पीसा, और बैल हलाक हुआ पूरी क़ीमत तावान देना होगा इन दोनों सूरतों में सिर्फ़ ज़्यादती के मुक़ाबिल में तावान नहीं बल्कि पूरा तावान है। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.38:– सवारी के जानवर को मारने और ज़ोर ज़ोर से लगाम खींने की इजाज़त नहीं ऐसा करेगा तो ज़मान देना पड़ेगा ख़ुसूसन जानवर के चेहरे पर मारने से बहुत बचने की ज़रूरत है कि चेहरे पर मारने की मुमानअ़त है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार) जब जानवर का यह हुक्म है कि उसके चेहरे पर न मारा जाये तो इन्सान के चेहरे पर मारना बदर्जे ऊला ममनूअ़ होगा।

मसअ्ला.39:– घोड़े को किराये पर लिया कि ज़ीन कसकर सवार होगा तो नंगी पीठ पर सवार नहीं होसकता और न उस पर कोई सामान लाद सकता है और उसकी पीठ पर लेट नहीं सकता बल्कि इस तरह सवार होना होगा जिस तरह आदतन सवार होने का क़ायदा है। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.40:– एक शख़्स ने किसी जगह ग़ल्ला पहुँचाने के लिये अजीर किया और रास्ता मुतअ़य्यन करदिया कि इस रास्ते से लेजाना, अजीर दूसरे रास्ते से लेगया अगर दोनों रास्ते यक्साँ (एक तरह) हैं यानी दोनों की मसाफ़त में भी फ़र्क़ नहीं है और दोनों पुर अमन हैं तो जिस रास्ते से चाहे लेजाये और अगर दूसरा पुर ख़तर है या जिसकी मसाफ़त (दूरी) ज़्यादा है तो लेजाने वाला ज़ामिन है यूँही अगर जानवर किराये पर लिया और जानवर के मालिक ने रास्ता मुतअ़य्यन कर दिया है इसमें भी दोनों सूरतें हैं और अगर ग़ल्ला के मालिक ने अजीर से ख़ुश्की के रास्ता से लेजाने को कह दिया था वह दरयाई रास्ता से लेगया तो ज़ामिन है और अगर ख़ुश्की का रास्ता मोअ़य्यन नहीं किया और दरियाई रास्ते से लेगया तो ज़ामिन नहीं और मन्ज़िले मक़सूद तक अजीर ने सामान पहुँचा दिया तो उजरत का मुस्तहिक़ है। (हिदाया, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.41:– गेहूँ बोने के लिये ज़मीन इजारे पर ली उसमें तरकारियाँ बोदीं जिससे ज़मीन ख़राब होगई इसके मुताल्लिक़ मुतक़द्देमीन (पहले के ज़लमा) ने यह हुक्म दिया है कि यह शख़्स ग़ासिब है उसके फ़ेअ्ल से ज़मीन में जो नुक़सान हुआ है इसका तावान दे और ज़मीन की जो कुछ उजरत क़रार पाई थी, नहीं ली जायेगी मगर मुताख़ेरीन (बाद के ज़लमा) यह फ़रमाते हैं कि ज़मीन वक़्फ़ और ज़मीन यतीम में और वह ज़मीन जो मुनाफ़ा हासिल करने के लिये है जैसे ज़मीनदारों के यहाँ उमूमन ज़मीन इसी लिए होती है कि काश्तकारों को लगान पर दी जाये उनमें उजरते मिस्ल ली जायेगी और अगर काश्तकार ने वह बोया जिसमें ज़रर (नुक़सान) कम है मस्लन तरकारी (सब्ज़ी) बोने के लिये ज़मीन ली थी और गेहूँ बोये तो इस सूरत में जो लगान क़रार पाया है वह दे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.42:– दर्ज़ी को अचकन सीने के लिए कपड़ा दिया उसने कुर्ता सी दिया, दर्ज़ी से अपने कपड़े की क़ीमत लेले और वह सिला हुआ कपड़ा उसी के पास छोड़दे और कपड़े वाले को इख़्तियार है कि कुर्ता लेले और उसकी वाजिबी सिलाई देदे मगर यह उजरते मिस्ल अगर उससे ज़्यादा है जो मुक़र्रर हुई थी तो वही देगा, जो मुक़र्रर हुई यही हुक्म उस सूरत में है कि कुर्ता सीने को कहा था उसने पाजामा सी दिया। (बहर)

मसअ्ला.43:– दर्ज़ी से कहदिया कि इतना लम्बा और इतना चौड़ा होगा और इतनी आस्तीन होगी मगर सीकर लाया, तो इससे कम है जितना बताया, अगर आध उंगल कम है मुआफ़ है और ज़्यादा कम है तो उसे तावान देना पड़ेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.44:– दर्ज़ी से कहा कि इस कपड़े में मेरी क़मीस़ होजाये तो इसे क़ता करके इतने में सी दो उसने कपड़ा काट दिया अब कहता है कि इसमें तुम्हारी क़मीस़ नहीं होगी दर्ज़ी को तावान देना होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.45:– दर्ज़ी से पूछा इसमें मेरी क़मीस़ होजायेगी उसने कहा हाँ, उसने कहा क़ता करदो क़ता करने के बाद दर्ज़ी कहता है क़मीस़ नहीं होगी इस सूरत में दर्ज़ी पर तावान नहीं कि मालिक की इजाज़त से उसने काटा और उसकी इजाज़त में यह शर्त भी नहीं है कि क़मीस़ होसके तब क़ता करो और अगर इस सूरते मज़कूरा में दर्ज़ी के हाँ कहने के बाद मालिक ने यूँ कहा होता कि तो काटदो या तो अब क़ता करदो तो बेशक दर्ज़ी के ज़िम्मे तावान है कि इस लफ़्ज़ (तो) के ज़्यादा करने से यह बात समझ में आई कि क़ता करने की इजाज़त इस शर्त से है कि क़मीस़ होजाये(बहर)

मसअ्ला.46:– रंगरेज को सुर्ख़ रंगने के लिये कपड़ा दिया उसने ज़र्द रंग दिया मालिक को इख़्तियार है उससे सफ़ेद कपड़े की क़ीमत ले, या वही कपड़ा लेले और रंग की वजह से जो कुछ ज़्यादती हुई है वह देदे और इस सूरत में रंगने की उजरत नहीं मिलेगी और अगर वही रंग रंगा जिसको उसने कहा था मगर ख़राब करदिया तो सफ़ेद कपड़े की क़ीमत तावान दे। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.47:– मोहर'कुन को अँगूठी दी कि इस पर मेरा नाम खोददो, उसने दूसरा नाम खोद दिया। मालिक को इख़्तियार है अँगूठी का तावान ले या वह अँगूठी लेले और खुदवाई की उजरते मिस्ल देदे जो तय शुदा उजरत से ज़्यादा न हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.48:– बढ़ई को दरवाज़ा नक़्श करने के लिये दिया जैसा नक़्श बताया, वैसा नहीं किया अगर थोड़ा फ़र्क़ है तो कुछ नहीं और ज़्यादा फ़र्क़ है तो मालिक को इख़्तियार है अपने दरवाज़े की क़ीमत उससे लेले या वह दरवाज़ा लेकर उजरते मिस्ल देदे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.49:– सवारी के लिए जानवर किराये पर लिया उसे खड़ा करके नमाज़ पढ़ने लगा, वह जानवर भाग गया या कोई लेगया उसने जाते या ले जाते देखा, उसने नमाज़ नहीं तोड़ी, ज़मान देना होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.50:– किराये की सवारी पर जा रहा था रास्ते में ख़बर मिली कि इस रास्ते में चोर डाकू हैं ब'वजूद इसके यह इसी रास्ते से गया चोरों ने वह जानवर छीन लिया अगर ब'वजूद इस ख़बर के लोग इस रास्ते से जा रहे थे तो ज़ामिन नहीं वरना ज़ामिन है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.51:– जिस जगह के लिये जानवर किराये पर लिया था वहाँ से आगे लेगया और जानवर हलाक होगया तावान देना होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.52:– किसी शख़्स को अपनी दुकान पर काम करने के लिये रखा, या किसी बाज़ारी आदमी को कोई चीज़ बेचने के लिए दी यह उजरत मांगते हैं तो वहाँ का जो उर्फ़ हो उसके मुवाफ़िक़ किया जाये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.53:– अपने लड़के को कारीगर के पास काम सिखाने के लिये बिठा दिया और शर्त करली, माहवार इतना दिया करेगा यह जाइज़ है और अगर कुछ तय नहीं हुआ जब लड़का काम सीख गया तो उस्ताद अपनी उजरत माँगता है और लड़के का बाप यह कहता है, तुम्हारे यहाँ लड़के ने इतने दिनों काम किया, उसकी उजरत दो इसके मुताल्लिक़ वहाँ का उर्फ़ देखा जायेगा अगर उर्फ़ यह है कि उस्ताद को उजरत दीजाये तो उसको उजरते मिस्ल दीजाये और अगर उर्फ़ यह है कि उस्ताद उन बच्चों को दिया करते हैं जो उनके यहाँ काम सीखते हैं तो उस्ताद दे(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.54:– किराया वाला सामान लादकर लिए जा रहा था कि रास्ते में उसे लोगों ने डराया

कि इधर जाने में ख़तरा है वहाँ से उसे मज़दूरी नहीं मिलेगी बल्कि उसको पहुँचाने पर मजबूर किया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.55:– बार बर्दारी के जानवर को किराये पर लिया था और जानवर बीमार होगया उस वजह से इतना बोझ नहीं लादा, जितना लादना क़रार पाया था बल्कि उससे कम लादा, इस वजह से उजरत में कमी नहीं होगी बल्कि जितनी ठहरी थी देनी होगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.56:– मकान किराये पर लिया था उसमें से कुछ हिस्सा गिरगया अगर अब भी क़ाबिले सुकूनत है इजारे को फ़स्ख़ नहीं कर सकता और अगर क़ाबिले सुकूनत न रहा फ़स्ख़ कर सकता है मगर फ़स्ख़ नहीं किया तो किराया देना होगा और इजारा फ़स्ख़ करने के लिये ज़रूरी है कि मालिक के सामने फ़स्ख़ करे। और अगर मकान बिल्कुल गिरगया है तो उसकी अ़दम मौजूदगी में भी फ़स्ख़ कर सकता है मगर बिग़ैर फ़स्ख़ किये, अपने आप फ़स्ख़ नहीं होगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.57:– मकान गिरगया था और फ़स्ख़ करने से पहले मालिक मकान ने वैसा ही बना दिया। तो मुस्ताजिर को फ़स्ख़ करने का इख़्तियार बाक़ी न रहा। और अगर वैसा नहीं बनाया, बल्कि कम दर्जे का बनाया तो अब फ़स्ख़ करने का इख़्तियार बाक़ी है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.58:– जो चीज़ उजरत पर ली, और मा़लूम है कि कुछ दिन साल ऐसे भी हैं कि चीज़ बेकार रहेगी। मस्लन ह़म्माम को किराये पर लिया जो गर्मियों में चालू नहीं रहेगा। उसमें यह शर्त करदी, कि साल में दो माह का किराया नहीं होगा इस शर्त से किराया फ़ासिद होजायेगा और अगर यह शर्त की कि जितने दिनों बेकार रहेगा उसका किराया नहीं दिया जायेगा तो इजारा स़ह़ीह है। और शर्त भी स़ह़ीह। (दुर्रेमुख़्तार)

दाया के इजारे का बयान

मसअ्ला.1:– दाया या़नी दूध पिलाने वाली को उजरत पर रखना जाइज़ है और इसके लिए वक़्त मुक़र्रर करना भी ज़रूरी होगा या़नी इतने दिनों के लिये इजारा है और दाया से खाने कपड़े पर इजारा किया जा सकता है या़नी उससे कहा कि खाना कपड़ा लिया कर, और बच्चे को दूध पिला। और इस सूरत में मुतवस्सित़ दर्जे (दरम्यानी दर्जे) का खाना देना होगा और कपड़े की मिक़दार व जिन्स व सिफ़त बयान करनी होगी कि कब दिया जायेगा इस सूरत में अगरचे जिहालत है मगर यह जिहालत बाइसे निज़ाअ् नहीं क्योंकि बच्चे पर शफ़क़ते वालिदैन मजबूर करती है कि दाया के खाने कपड़े में कमी न की जाये। (हिदाया)

मसअ्ला.2:– किसी जानवर को दूध पीने के लिये उजरत पर लिया यह ना जाइज़ है यूँही दरख़्त को फल खाने के लिये उजरत पर लिया, यह भी नाजाइज़ है इस सूरत में जितना दूध दूहा, या जितने फल खाये उनकी क़ीमत देनी होगी। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.3:– अगर दाया से यह शर्त़ त़य पागई है कि बच्चे के वालिदैन के घर में वह दूध पिलाये तो यहीं उसको दूध पिलाना होगा अपने घर नहीं ले जा सकती मगर जबकि कोई उ़ज़्र हो मस्लन वह बीमार होगई कि यहाँ नहीं आसकती और अगर यहाँ पिलाने की शर्त़ नहीं है तो वह बच्चे को अपने घर लेजा सकती है उनको यह ह़क़ नहीं कि यहाँ रहने पर उसे मजबूर करें अगर वहाँ का यही उ़र्फ़ है कि दाया बच्चे के बाप के घर दूध पिलाती है या यहीं रहती है तो बिग़ैर शर्त़ भी दाया को इस रिवाज की पाबन्दी करनी होगी। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.4:– दाया का खाना, कपड़ा बच्चे के बाप के ज़िम्मे नहीं है जबकि इजारे में मशरूत़ न हो और मशरूत़ हो तो देना होगा कपड़े का यही हुक्म है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– दाया का शौहर उससे वत़ी कर सकता है। मुस्तईर उसे इस अन्देशे से मना नहीं कर सकता कि वत़ी से ह़मल रहजाये तो दूध क्योंकर पिलायेगी मगर मुस्ताजिर के घर में नहीं कर सकता बल्कि उसके मकान में बिगै़र इजाज़त दाख़िल भी नहीं होसकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:— दाया के शौहर को मुतलक़न यह हक़ हासिल है कि इस इजारे को फ़स्ख़ करदे। ख़्वाह इस इजारे से उसके शौहर की बदनामी हो मस्लन वह शख़्स इज़्ज़त वाला है और उसकी औरत का दूध पिलाना बाइसे ज़िल्लत है या इस इजारे में उसकी बदनामी न हो क्योंकि इस सूरत में भी शौहर के बाज़ हुक़ूक़ तल्फ़ होते हैं मगर यह ज़रूर है कि इस शख़्स का उस औरत का शौहर होना मालूम व मशहूर हो और अगर महज़ दोनों के इक़रार से ही यह मालूम हुआ है कि यह मियाँ बीवी हैं। इनका निकाह ज़ाहिर न हो तो उसको फ़स्ख़े इजारा का इख़्तियार नहीं।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:— दाया बीमार होगई कि उसका दूध बच्चे को मुज़िर होगा या वह हामिला होगई कि उसका भी दूध मुज़िर है तो मुस्ताजिर इजारे को फ़स्ख़ कर सकता है बल्कि यह ख़ुद भी इजारे को फ़स्ख़ कर सकती है कि दूध पिलाना उसे भी मुज़िर है यूँही अगर बच्चे के घर वाले इसे ईज़ा देते हों या उसकी आदत दूसरे बच्चे को दूध पिलाने की नहीं है या लोग उसे आर दिलाते हों तो इजारा फ़स्ख़ कर सकती है मगर जबकि वह बच्चा न दूसरी औरत का दूध पीता हो, न ग़िज़ा खा सकता हो तो उसे इजारा फ़स्ख़ करने का इख़्तियार नहीं है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.8:— दाया अगर बदकार औरत है, या बदज़बान है, या चोरी करती है, या बच्चा उसका दूध डाल देता है, या उसकी छाती मुँह में नहीं लेता, या वह लोग सफ़र में जाना चाहते हैं और यह उनके साथ जाने से इन्कार करती है, या बहुत देर तक ग़ायब रहती है इन सब वुजूह (कारणों) से इजारे को फ़स्ख़ कर सकते हैं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.9:— बच्चा मरगया या दाया मरगई इजारा फ़स्ख़ होगया। बाप के मरने से इजारा फ़स्ख़ नहीं होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:— दाया के ज़िम्मे यह काम भी हैं बच्चे का हाथ मुँह धुलाना, उसको नहलाना, कपड़े पर पेशाब पाख़ाना लगा हो तो उसे धोना, बच्चे को तेल लगाना और उसको यह भी करना होगा कि ऐसी चीज़ न खाये जिससे बच्चे को ज़रर पहुँचे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:— दाया ने बकरी का दूध बच्चे को पिला दिया उसे ग़िज़ा खिलाई, यानी अपना दूध पिलाने की जगह यह किया तो उजरत की मुस्तहिक़ नहीं होगी कि इसका अस्ली काम दूध पिलाना है। (हिदाया)

मसअ्ला.12:— दाया ने अपनी ख़ादिमा से दूध पिलवाया या किसी दूसरी औरत को बच्चे के दूध पिलाने के लिये नौकर रखा, उसने दूध पिलाया, इस सूरत में उजरत की मुस्तहिक़ होगी कि दूसरी औरत का उसके हुक्म से दूध पिलाना गोया उसी का पिलाना है मगर जबकि उसको नौकर रखते वक़्त यह शर्त हो कि ख़ुद तुझी को पिलाना होगा तो दूसरी औरत का नहीं पिलवा सकती और ऐसा करेगी तो उजरत की मुस्तहिक़ नहीं होगी। (दुर्रेमुख़्तार, बहर)

मसअ्ला.13:— एक जगह बच्चे को दूध पिलाने की नौकरी करली उन लोगों की लाइल्मी में उसने दूसरी जगह भी बच्चे को दूध पिलाने की नौकरी करली और दोनों बच्चों को मुद्दत ख़त्म होने तक दूध पिलाती रही उसको ऐसा करना ना'जाइज़ व गुनाह है मगर दोनों जगह से अपनी पूरी उजरत जो मुक़र्रर हुई है लेने की मुस्तहिक़ है यह नहीं होगा कि दोनों निस्फ़ निस्फ़ (आधी आधी) उजरत दें हाँ अगर नाग़े किये हैं तो उन दिनों की उजरत कम की जा सकती है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.14:— एक शख़्स के दो बच्चे हैं दोनों को दूध पिलाने के लिये एक दाया को नौकर रखा, उनमें से एक बच्चा मरगया तो अब से निस्फ़ उजरत की मुस्तहिक़ होगी कि जो बच्चा मरगया उसके हक़ में इजारा भी न रहा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:— दाया के ज़िम्मे यह नहीं है कि बच्चे के वालिदैन का काम करे बतौर तबर्रोअ् व एहसान करदे तो उसकी ख़ुशी, उसके अ़क़्द की वजह से उस पर लाज़िम नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.16:— दाया के अज़ीज़ व अक़ारिब उससे मिलने को आयें तो साहिबे ख़ाना उनको यहाँ

ठहरने से रोक सकता है यूँही अगर बिग़ैर इजाज़त साहिबे ख़ाना उन लोगों को यहाँ का खाना भी नहीं खिला सकती और यह अपने अज़ीज़ के यहाँ जाना चाहती हो तो जाने से मना कर सकते हैं जबकि उसका जाना बच्चे के लिये मुज़िर हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.17:– हाजत के वक़्त दाया यहाँ से वक़्तन फ़'वक़्तन जासकती है मगर देर तक बाहर नहीं रह सकती इससे उसको रोक दिया जायेगा कि यह बच्चे के लिये मुज़िर है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.18:– बच्चे की माँ को उजरत पर दूध पिलाने के लिये मुक़र्रर किया इसकी दो सूरतें हैं। अगर वह निकाह में है तो यह इजारा ना'जाइज़ है और तलाक़ देने के बाद यह इजारा हुआ है और तलाक़ भी रही तो यह इजारा भी ना'जाइज़ और तलाक़े बाइन के बाद इजारा हुआ तो जाइज़ है। और अगर वह बच्चा उसकी दूसरी औरत से है तो अपनी इस औरत से जो इस बच्चे की माँ नहीं है उजरत पर दूध पिलवा सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.19:– बच्चे की माँ को उजरत पर दूध पिलवाने के लिए रखा उसने किसी से निकाह कर लिया तो इसकी वजह से इजारा फ़स्ख़ नहीं होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.20:– अपने महारिम में से किसी औरत को दूध पिलाने के लिये अजीर रखना जाइज़ है मस्लन अपनी माँ या बहन या लड़की को अपने बच्चे के दूध पिलाने के लिए मुक़र्रर किया।(आलमगीरी)

मसअ्ला.21:– कहीं से पड़ा हुआ बच्चा उठा लाया और उसके लिये दाया मुक़र्रर की तो दाया की उजरत ख़ुद उसी पर वाजिब होगी और यह शख़्स मुतबर्रेअ् है कि उसको रुजूअ् नहीं करसकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.22:– यतीम बच्चे के लिये माल हो तो रज़ाअ् (दूध पिलाने) के मसारिफ़ उसके अपने माल से दिये जायेंगे और माल न हो तो जिसके ज़िम्मे उसका नफ़्क़ा हो उसी के ज़िम्मे यह भी हैं और अगर कोई ऐसा शख़्स भी न हो जिसपर उसका नफ़्क़ा वाजिब हो तो बैतुल'माल से दिये जायेंगे(आलम)

मसअ्ला.23:– दाया को सौ रूपये पर एक साल दूध पिलाने के लिये मुक़र्रर किया और यह शर्त करली कि बच्चा इस्ना–ए–साल में मरजायेगा जब भी उसको सौ ही दिये जायेंगे इस शर्त की वजह से इजारा फ़ासिद होगया लिहाज़ा अगर बच्चा मरगया तो जितने दिनों उसने दूध पिलाया है। उसकी उजरते मिस्ल मिलेगी और अगर साल भर के लिये इस शर्त के साथ मुक़र्रर किया कि सिर्फ़ पहले महीने के मुक़ाबिल में यह सौ रूपये हैं और उसके बाद साल की बक़िया मुद्दत में मुफ़्त पिलायेगी यह इजारा भी फ़ासिद है। अगर दो ढाई महीने दूध पिलाने के बाद बच्चा मरगया तो उजरते मिस्ल दीजायेगी जो उस मुक़र्रर शुदा से ज़ाइद न हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.24:– मुसलमान ने बच्चे को दूध पिलाने के लिये किसी काफ़िरा को मुक़र्रर किया जो सहीहुन्नसब न हो यह जाइज़ है यानी इजारा सही है। (आलमगीरी) मगर तजुर्बे से यह अम्र साबित कि दूध का बच्चे में अस्र ज़रूर पैदा होता है और शरअ् मुतह्हरा ने भी इससे इन्कार नहीं किया है बल्कि दूध की वजह से रिश्ता क़ायम होजाना क़ुर्आन से साबित है और हदीस ने भी बताया है कि रज़ाअत से भी वैसा ही रिश्ता पैदा होजाता है जिस तरह नसब से होता है इससे मालूम होता है कि दूध के भी अस्रात होते हैं लिहाज़ा दूध पिलाने के लिये जो औरत इख़्तियार की जाये उसके सलाह व तक़वा का लिहाज़ किया जाये ताकि बच्चे में बद औरत के बुरे अस्रात न पैदा हों दूसरा अम्र यह भी क़ाबिले लिहाज़ है कि दाया की सोहबत में बच्चा रहता है और बच्चे की तर्बियत दाया के ज़िम्मे होती है और तर्बियत व सोहबत के बद अस्रात का इन्कार बदीही (रौशन) बात का इन्कार है और बचपन में जो ख़राबियाँ पैदा होजाती हैं उनका ज़ाइल होना निहायत दुशवार होता है लिहाज़ा इनको नज़र अन्दाज़ करना, मुसालेह (मसलेहतों) के ख़िलाफ़ है अगरचे इजारा सही होजायेगा।

मसअ्ला.25:– बच्चे को दूध पिलाने के लिये बकरी को इजारे पर लिया या बकरी का बच्चा है उसको दूध पिलाने के लिये बकरी को इजारे पर लिया, यह ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)

इजारा–ए–फ़ासिदा का बयान

मसअ्ला.1:– अ़क्दे फ़ासिद वह है जो अपनी अस्ल के लिहाज़ से मुवाफ़िक़े शरअ् है। मगर उसमें कोई वस्फ़ ऐसा है जिसकी वजह से ना मशरूअ् है और अगर अस्ल ही के एअ्तिबार से ख़िलाफ़े शरअ् है तो वह बातिल है मस्लन मुर्दार या ख़ून को उजरत क़रार दिया या ख़ुश्बू को सूँघने के लिये उजरत पर लिया या बुत बनाने के लिये किसी को अजीर रखा कि इन सब सूरतों में इजारा बातिल है। इजारा फ़ासिदा की मिसाल यह है कि इजारे में कोई ऐसी शर्त की जिसको अ़क्दे इजारा मुक़्तज़ी न हो। इसी की सूरतें यहाँ ज़िक्र की जायेंगी। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.2:– इजारा बातिल में अगर चीज़ को इस्तेमाल किया और वह काम कर दिया जिसके लिए इजारा हुआ जब भी उजरत वाजिब न होगी। अगरचे वह चीज़ इसी लिए है कि किराये पर दी जाये मगर माले वक़्फ़ और माले यतीम को अगर इजार–ए–बातिला के तौर पर दिया और मुस्ताजिर ने मनफ़अ़त हासिल करली तो उजरते मिस्ल वाजिब। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.3:– इजार–ए–फ़ासिदा का हुक्म यह है कि इसके इस्तेमाल करने पर उजरते मिस्ल लाज़िम होगी और इसमें तीन सूरतें हैं। अगर उजरत मुक़र्रर नहीं हुई या जो मुक़र्रर हुई मालूम नहीं। इन दोनों सूरतों में जो कुछ मिस्ल उजरत हो देनी होगी और अगर उजरत मुक़र्रर हुई और वह भी मालूम है तो उजरते मिस्ल उसी वक़्त दीजायेगी जब वह मुक़र्रर से ज़्यादा न हो और अगर मुक़र्रर से उजरते मिस्ल ज़ाइद है तो जो मुक़र्रर है वही दी जायेगी। (बहर, वग़ैरा)

मसअ्ला.4:– इजार–ए–फ़ासिदा में महज़ क़ब्ज़ा करने से मुनाफ़ा का मालिक नहीं होगा और बैअ् फ़ासिदा में क़ब्ज़ा करने से बैअ् का मालिक होजाता है। मुश्तरी (ख़रीदार) के तसर्रुफ़ात क़ब्ज़े के बाद नाफ़िज़ होजाते हैं मुस्ताजिर क़ब्ज़ा करके उसे इजारे पर देदे यह नहीं कर सकता और अगर उसने इजारे पर दे ही दिया तो उजरते मिस्ल लाज़िम होगी यानी मुस्ताजिर अव्वल मालिक को उजरते मिस्ल देगा यह नहीं कहा जायेगा कि वह ग़ासिब है और इन्तिफ़ाअ् के मुक़ाबिल में उससे उजरत न ली जाये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5: जो शर्तें मुक़्तज़ा–ए–अ़क्द के ख़िलाफ़ हैं उनसे अ़क्दे इजारा फ़ासिद होजाता है। लिहाज़ा जो शर्तें बैअ् को फ़ासिद करती हैं इजारे को भी फ़ासिद करती हैं क्योंकि इजारा भी एक क़िस्म की बैअ् है फ़र्क़ यह है कि बैअ् में चीज़ बेची जाती है और इजारे में चीज़ की मनफ़अ़त बेची जाती है। (बहर)

मसअ्ला.6:– जिहालत से इजारा फ़ासिद होजाता है इसकी चन्द सूरतें हैं जो चीज़ उजरत पर दी जाये वह मजहूल हो या मनफ़अ़त की मिक़दार मजहूल हो यानी मुद्दत बयान में नहीं आई। मस्लन मकान कितने दिनों के लिये किराये पर दिया या उजरत मजहूल हो यानी यह नहीं बयान किया गया कि किराया क्या होगा, या काम मजहूल हो, यह नहीं बयान किया गया कि काम क्या लिया जायेगा मस्लन जानवर में यह नहीं बयान किया कि बार'बर्दारी (बोझ ढोने) के लिये या सवारी के लिए। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– जानवर को किराये पर लिया और यह शर्त है कि इसको दाना घास मुस्ताजिर देगा यह इजार–ए–फ़ासिदा कि जानवर का चारा मालिक के ज़िम्मे है और मुस्ताजिर के ज़िम्मे करना मुक़्तज़ा–ए–अ़क्द (अ़क्द सहीह होने) के ख़िलाफ़ है यूँही मकान किराये पर दिया और यह शर्त है कि इसकी मरम्मत मुस्ताजिर के ज़िम्मे है, या मकान का टैक्स मुस्ताजिर के ज़िम्मे है, यह इजारा भी फ़ासिद है कि इन चीज़ों का ताल्लुक़ मालिक से है, मुस्ताजिर के ज़िम्मे करना मुक़्तज़ा–ए–अ़क्द के ख़िलाफ़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– जो चीज़ इजारे पर दी है वह शाय़ है उससे भी इजारा फ़ासिद होजाता है मस्लन मकान का निस्फ़ हिस्सा किराये पर दिया कि निस्फ़ मकान जुज़्वे शाइअ् है या एक मकान मुश्तरक है उसने अपना हिस्सा ग़ैर शरीक को किराये पर दिया या मकान में तीन शख़्स शरीक हों उसने अपना हिस्सा एक शरीक को किराये पर दिया यह सब सूरतें ना'जाइज़ हैं और इजारा फ़ासिद है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– अगर इजारे के वक़्त शुयूअ् न था बाद में आगया तो इससे इजारा फ़ासिद नहीं होगा

मस्लन पूरा मकान इजारे पर दिया था फिर उसके एक जुज़वे शाइअ् में फ़स्ख़ कर दिया इस शुयूअ् से इजारा फ़ासिद नहीं हुआ। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– जो चीज़ उजरत में ज़िक्र की गई वह मजहूल है मस्लन उस काम की उजरत एक कपड़ा है, या उसमें बाज़ मजहूल है मस्लन इतना किराया और मकान की मरम्मत तुम्हारे ज़िम्मे कि इस सूरत में मरम्मत भी किराये में दाख़िल है चूँकि मालूम नहीं मरम्मत में क्या सर्फ़ (ख़र्चा) होगा लिहाज़ा पूरा किराया मजहूल होगया। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– इजारे की मीआद अगर पहली तारीख़ से शुरू होती हो तो महीने में एक चाँद का एअ्तिबार होगा यानी दूसरा चाँद होगया, महीना पूरा होगया अगर दरम्यान माह से मुद्दत शुरू होती है तो तीस दिन का महीना लिया जायेगा इसी तरह अगर कई माह के लिये मकान या कोई चीज़ किराये पर ली तो पहली सूरत में चाँद से चाँद तक और दूसरी सूरत में हर महीना तीस दिन का लिया जायेगा बल्कि एक साल के लिये, या कई साल के लिये किराये पर लिया तो पहली सूरत में हिलाल (चांद) के बारह माह और दूसरी सूरत में तीन सौ साठ दिन का साल शुमार होगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– यूँ इजारे पर लिया कि हर माह एक रूपया किराया और यह नहीं ठहरा कि कितने महीनों के लिये किराये पर लेना देना हुआ तो सिर्फ़ पहले महीने का इजारा सही है और बाक़ी महीनों का फ़ासिद। पहला महीना ख़त्म होते ही पहली तारीख़ में हर एक इजारे को फ़स्ख़ कर सकता है और पहली तारीख़ को फ़स्ख़ नहीं किया तो अब इस महीने में ख़ाली नहीं करा सकता और अगर महीनों की तादाद ज़िक्र करदी है मस्लन छः माह के लिये इजारा हुआ तो इजारा सही है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– एक साल के लिये किराये पर मकान लिया और यह ठहरा कि हर माह का एक रूपया किराया है यह जाइज़ है, दोनों सूरतों में अन्दुरूने साल बिला उज़्र कोई भी इजारे को फ़स्ख़ नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– एक दिन के लिये मज़दूर रखा तो किस वक़्त से किस वक़्त तक काम करेगा इसके मुताल्लिक़ वहाँ का उर्फ़ देखा जायेगा अगर उर्फ़ यह है कि तुलूअ् आफ़ताब से ग़ुरूब तक काम करे, तो इसको भी करना होगा और अगर उर्फ़ यह है कि तुलूअ् आफ़ताब से अस्र तक काम करे तो यह लिया जायेगा और अगर दोनों क़िस्म का रिवाज है तो ग़ुरूब तक काम करना होगा क्योंकि इजारे में दिन कहा है और दिन ग़ुरूब पर ख़त्म होता है। (आलमगीरी) हिन्दुस्तान में इसके मुताल्लिक़ मुख़्तलिफ़ क़िस्म के उर्फ़ हैं। मेअ्मारों के मुताल्लिक़ यह उर्फ़ है कि इन्हें बारह बजे से दो बजे तक दो घन्टे की खाने के लिये, और कुछ देर आराम करने की छुट्टी दी जाती है और इसी वक़्त जो इनमें नमाज़ी होते हैं नमाज़ भी पढ़ लेते हैं और शाम को ग़ुरूब आफ़ताब पर या उससे कुछ क़ब्ल काम ख़त्म किया जाता है और सुबह को घन्टा पौन घन्टा दिन निकलने के बाद काम शुरू होता है बिल्जुमला मज़दूरों के काम के औक़ात वही होंगे जो वहाँ का उर्फ़ है।

मसअ्ला.15:– दो दिन, चार दिन, दस दिन के लिये किसी को काम पर रखा तो वही अय्याम मुरादं लिये जायेंगे जो अक़्द इजारे से मुत्तसिल (मिले हुए) हैं और अगर दिनों को मुअय्यन नहीं किया है कहदिया है कि मस्लन दो दिन का मेरे यहाँ काम है तुम किसी दो दिन में कर देना तो इजारा सही नहीं कि इस इजारे में वक़्त का मुक़र्रर करना ज़रूरी है। (आलमगीरी)

जाइज़ व नाजाइज़ इजारे

मसअ्ला.16:– हम्माम की उजरत जाइज़ है अगरचे मुतअय्यन नहीं होता कि कितना पानी सर्फ़ करेगा और कितनी देर हम्माम में ठहरेगा हाँ अगर हम्माम में दूसरों के सामने अपने सतर को खोले, जैसाकि उमूमन हम्माम में ऐसा होता है या ख़ुद अपना सतर नहीं खोला, दूसरों के सतर पर नज़र पड़ती है इस वजह से हम्माम में जाना मना है। खुसूसन औरतों को इसमें जाने से बहुत ज़्यादा एहतियात चाहिए और अगर न अपना सतर खोले, न दूसरों के सतर की तरफ़ नजर करे तो हम्माम

में जाने की मुमानअत नहीं। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)
मसअ्ला.17:– हजामत यानी पछन्ना लगवाना जाइज़ है और पछन्ने की उजरत देना लेना भी जाइज़ है। पछन्ने लगवाने वाले के लिये वह उजरत हलाल है अगरचे उसको ख़ून निकालना पड़ता है और कभी ख़ून से आलूदा भी होना पड़ता है मगर चूँकि हुज़ूर अक्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम् ने खुद पछन्ने लगवाये और लगाने वाले को उजरत दी मालूम हुआ इस उजरत में ख़बासत नहीं। (हिदाया)
मसअ्ला.18:– नर जानवर को जुफ़्ती करने के लिये उजरत पर देना ना'जाइज़ है और उजरत लेना भी ना'जाइज़। (हिदाया)
मसअ्ला.19:– गुनाह के काम पर इजारा ना'जाइज़ है मस्लन नोहा करने वाली को उजरत पर रखा कि वह नहीं करेगी जिसकी यह मज़दूरी दीजायेगी गाने, बजाने के लिए अजीर किया कि वह इतनी देर गायेगा और इसकी यह उजरत दीजायेगी। मलाही यानी लहव व लइब (खेलकूद) पर इजारा भी नाजाइज़ है। गाना या बाजा सिखाने के लिये नौकर रखते हैं यह भी ना'जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार) इन सूरतों में उजरत लेना भी हराम है और लेली हो वापस करे और मालूम न रहा कि किससे उजरत ली थी तो उसे सदका करदे कि ख़बीस माल का यही हुक्म है। (हिदाया)
मसअ्ला.20:– तब्ले गाज़ी कि इससे लहव मक्सूद नहीं होता जाइज़ है और इसका इजारा भी जाइज़ इसी तरह शादियों में दफ़ बजाने की इजाज़त है जिसमें झांज न हो उसका इजारा भी ना'जाइज़ नहीं। (रद्दुलमोहतार) इस ज़माने में मलाही के इजारात ब'कस्रत पाये जाते हैं जैसे सिनेमा, बॉस्कोप, थियेटर में मुलाज़ेमीन गाने और तमाशे करने के लिये नौकर रखे जाते हैं यह इजारे ना'जाइज़ हैं बल्कि तमाशा देखने वाले अपने तमाशा देखने की उजरत देते हैं यानी उजरत देकर तमाशा कराते हैं यह भी ना'जाइज़ यानी तमाशा देखना या तमाशा करना तो गुनाह का काम है ही, पैसे देकर तमाशे कराना यह एक दूसरा गुनाह है और हराम काम में पैसा सर्फ़ करना है।
मसअ्ला.21:– मुसलमान ने किसी काफ़िर को रहने के लिये मकान किराये पर दिया यह इजारा जाइज़ है कोई हरज नहीं अब इस घर में काफ़िर ने शराब पी, या सलीब की परिस्तश की, यह उस काफ़िर का ज़ाती फ़ेअ्ल है इससे इस मुसलमान पर गुनाह नहीं हाँ अगर इस मकान में काफ़िर ने घन्टा और नाकूस बजाया, शंख फूँका, या अलानिया शराब बेचना शुरू किया, तो ज़रूर इन उमूर से रोका जायेगा। (आलमगीरी)
मसअ्ला.22:– कस्बी औरतों को बाज़ारों में बाला ख़ाने किराये पर देना कि वह उनमें नाच मुजरा करें या ज़िना करायें, यह ना'जाइज़ है।
मसअ्ला.23:– ताअत व इबादत के कामों में इजारा करना जाइज़ नहीं मस्लन अज़ान कहने के लिए, इमामत के लिये, कुर्आन व फ़िक्ह की तालीम के लिये, हज के लिये, यानी इस लिये अजीर किया कि किसी की तरफ़ से हज करे मुतकद्देमीन फ़ुक़्हा का यही मसलक है मगर मुताख़ेरीन ने देखा कि दीन के कामों में सुस्ती पैदा होगई है अगर इस इजारे की सब सूरतों को ना'जाइज़ कहा जाये तो दीन के बहुत से कामों में ख़लल वाकेअ् होगा उन्होंने इससे कुल्लिया से बाज़ उमूर का इस्तिस्ना फ़रमा दिया, और यह फ़तवा दिया कि तालीमुल'कुर्आन व फ़िक्ह और अज़ान व इमामत पर इजारा जाइज़ है क्योंकि ऐसा न किया जाये तो कुर्आन व फ़िक्ह के पढ़ाने वाले तलबे मईशत में मशगूल होकर इस काम को छोड़ देंगे और लोग दीन की बातों से नावाकिफ़ होते जायेंगे। इसी तरह अगर मोअज़्ज़िन व इमाम को नौकर न रखा जाये तो बहुत सी मसाजिद में अज़ान व जमाअत का सिलसिला बन्द होजायेगा और इस शिआरे इस्लामी में ज़बरदस्त कमी वाकेअ् होजायेगी। इसी तरह बाज़ उलमा ने वाज़ (तक़रीर) पर भी इजारे को जाइज़ कहा है इस ज़माने में अकसर मकामात ऐसे हैं जहाँ एहले इल्म नहीं हैं इधर उधर से कभी कोई आलिम पहुँच जाता है जो वाज़, तक़रीर के

ज़रिये उन्हें दीन की ता'लीम दे देता है। अगर इस इजारे को ना'जाइज़ कर दिया जाये तो अवाम को जो इस ज़रिये से कुछ इल्म की बातें मा'लूम होजाती हैं। उनका इन्सिदाद (रास्ता बन्द) होजायेगा। यहाँ यह बता देना भी ज़रूरी मा'लूम होता है कि जब अस्ल मज़हब यही है कि यह इजारा ना'जाइज़ है एक दीनी ज़रूरत की बिना पर इसके जवाज़ का फ़तवा दिया जाता है तो जिस बन्दा-ए-ख़ुदा से होसके कि इन उमूर को महज़ ख़ालिसन लिवज'हिल्लाह अन्जाम दे और अज्रे उख़रवी का मुस्तहिक़ हो तो इससे बेहतर क्या बात है फिर अगर लोग इसकी ख़िदमत करें बल्कि यह तसव्वुर करते हुए कि दीन की ख़िदमत यह करते हैं हम इनकी ख़िदमत करके स्वाब हासिल करें तो देने वाला मुस्तहिक़े स्वाब होगा और उसको लेना जाइज़ होगा कि यह उजरत नहीं है। बल्कि एआनत व इम्दाद है।

मसअ्ला.24:- फुक़हा-ए-किराम ने इस कुल्लिया से जिन चीज़ों का इस्तिस्ना फ़रमाया और वह मज़कूर हुईं इससे मा'लूम हुआ कि तिलावते कुर्आन पर इजारा जिस तरह कुदमा (पहले के उलमा) के नज़्दीक ना'जाइज़ है, मुताख़ेरीन के नज़्दीक भी ना'जाइज़ है लिहाज़ा सोम वग़ैरा के मौक़े पर उजरत पर कुरआन पढ़वाना ना'जाइज़ है देने वाला लेने वाला दोनों गुनाहगार। इसी तरह अकसर लोग चालीस रोज़ तक क़ब्र के पास या मकान पर ईसाले सवाब कराते हैं अगर उजरत पर हो, यह भी ना'जाइज़ है बल्कि इस सूरत में ईसाले सवाब बेमा'नी बात है कि जब पढ़ने वाले ने पैसों की ख़ातिर पढ़ा तो स्वाब ही कहाँ जिसे ईसाल किया जाये इसका स्वाब या'नी बदला पैसा है जैसाकि हदीस में है कि आ'माल जितने हैं नियत के साथ हैं। जब अल्लह के लिये अ़मल न हो तो सवाब की उम्मीद बेकार है। (रद्दुलमोहतार) मक़सद यह है कि ईसाले स्वाब जाइज़ है बल्कि मुस्तहसन है मगर उजरत पर तिलावते कुरआन मजीद या कलिमा तय्यिबा पढ़वाकर ईसाले सवाब नहीं हो सकता बल्कि पढ़ने वाले अल्लाह तआ़ला के लिये पढ़ें और ईसाले स्वाब करें यह जाइज़ है।

मसअ्ला.25:- ख़त्म पढ़ने के लिये इजारा करना ना'जाइज़ मसलन कोई आयते करीमा का ख़त्म कराता है, कोई ख़्वाजगान पढ़वाता है, कोई कलिमा-ए-तय्यिबा का ख़त्म कराता है यह सब काम उजरत पर ना'जाइज हैं। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.26:- किसी को साँप या बिच्छू ने काटा हो उसके झाड़ने की उजरत लेना जाइज़ है अगरचे कुर्आन मजीद ही की आयत या सूरत पढ़कर झाड़ना हो कि यह तिलावत नहीं बल्कि इलाज के क़बील से है हदीस में एक सहाबी का सूरह फ़ातिहा पढ़कर दम करना और उसका अच्छा होजाना, और उनका पहले से ही उजरत मुक़र्रर करलेना और उसके अच्छा होने के बाद लेना फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम् के पास मुआ़मला पेश करना और हुज़ूर का इन्कार न फ़रमाना, बल्कि जाइज़ रखना इसके जवाज़ की सरीह दलील है। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.27:- बहुत लोग तावीज़ का मुआवज़ा लेते हैं यह जाइज़ है इसको इजारे की हद में दाख़िल नहीं किया जा सकता बल्कि बैअ् में शुमार करना चाहिए या'नी इतने पैसों या रूपये में अपने तावीज़ को बैअ् करना है मगर यह ज़रूर है कि तावीज़ ऐसा हो कि इसमें शरई क़बाहत न हो जैसे अदईया (दुआयें) और आयात या उनके आ'दाद या किसी इस्म का नक़्श मुज़हर या मुज़मर लिखा जाये और अगर इस तावीज़ में ना'जाइज़ अल्फ़ाज़ लिखे हों या शिर्क व कुफ़्र के अल्फ़ाज़ पर मुश्तमिल हो तो ऐसा तावीज़ लिखना भी ना'जाइज़ है और इसका लेना, बाँधना सब नाजाइज़ साहिबे दुर्रे मुख़्तार ने रद्दे सहर (जादू दूर करने) के तावीज़ लिखने पर इजारे को जाइज़ फ़रमाया जबकि मिक़दारे काग़ज़ व मिक़दारे तहरीर मा'लूम हों कि इतना काग़ज़ होगा और इसमें इतनी सतरें लिखी जायेंगी। मगर ज़ाहिर यह है कि यह इस सूरत में होगा कि जब लिखवाने वाले ने यह कहा कि फुलाँ चीज़ मुझे लिखदो और यह तरीक़ा तावीज़ लिखने वालों का नहीं है बल्कि नाक़ेलीन का होसकता है क्योंकि काग़ज़ की मिक़दार और तहरीर के लिहाज से अगर उजरत होती, तो तावीज़

के छोटे बड़े होने के एअ्तिबार से उजरत में इख़्तिलाफ़ होता हालाँकि यह नहीं बल्कि अमराज़ और तावीज़ के जूद असर होने के ऐतबार से उनकी क़ीमतों में इख़्तिलाफ़ होता है इसी वजह से पाँच पैसे और पाँच रूपये के तावीज़ में तहरीर व कागज़ की मिक़दार में फ़र्क़ नहीं होता इससे मालूम होता है कि यहाँ इजारा नहीं है अल्बत्ता बैअ् की सूरत में एक ख़राबी यह नज़र आती है कि उमूमन उस वक़्त तावीज़ नहीं होता बाद में लिखा जाता है और मादूम की बैअ् दुरुस्त नहीं इसका जवाब यह है कि जब इसने तावीज़ की फ़रमाइश की, उस वक़्त बैअ् नहीं, बल्कि लिख लेने के बाद बतौर तआती बैअ् होगी और यह जाइज़ है।

मसअ्ला.28:– तालीम पर जब उजरत लेना जाइज़ है तो जो उजरत मुक़र्रर हुई, मुस्ताजिर को देनी होगी और उससे जबरन वसूल की जायेगी और अगर इजारा फ़ासिद हो, मस्लन मुद्दत मुक़र्रर नहीं की, तो उजरते मिस्ल वाजिब होगी इसी तरह बाज़ सूरतों के ख़त्म या शुरू पर जो मिठाई दी जाती है जिसका वहाँ उर्फ़ है वह भी देनी होगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.29:– लुग़त व नहव व सर्फ़, अदब वग़ैरहा उलूम जिनका ताल्लुक़ ज़ुबान से है उनकी तालीम पर उजरत लेना बिल्इजमा जाइज़ है इसी तरह क़वाइदे बग़दादी पढ़ाने या हिज्जा कराने की उजरत भी जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.30:– इल्मे तिब और रियाज़ी व हिसाब और किताबत या ख़ुश्नवीसी सिखाने पर नौकर रखना जाइज़ है, मन्तिक़ की तालीम भी जाइज़ है कि फ़ी नफ़्सेही मन्तिक़ में दीन के ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं इसी वजह से मुताख़ेरीन मुतकल्लेमीन और उसूले फुक़हा में भी मन्तिक़ के मसाइल को बतौर मबादी ज़िक्र करते हैं अल्बत्ता फ़लसफ़ा दीने इस्लाम के बिल्कुल मुख़ालिफ़ है मगर उसको इस लिये पढ़ना, ताकि फ़लासिफ़ा के ख़्यालात मालूम हों और उनके इस्तिदलाल का रद्द किया जाये, जाइज़ है। इसी तरह दीगर कुफ़्फ़ार के उसूल व फुरूअ् को जानना, ताकि उनके मज़ाहिबे बातिला का इब्ताल (रद्द) किया जाये, जाइज़ है बल्कि बाज़ सूरतों में ज़रूरी है जब यह लोग इस्लाम पर हमला करें तो बहुत से मवाक़ेअ् (जगहों) पर इल्ज़ामी जवाब की ज़रूरत पड़ती है और जब तक उनका मज़हब मालूम न हो यह क्योंकर हो सकता है तहक़ीक़ी जवाब अगरचे कितना ही क़वी होता है। बातिल परस्त उसको सुनकर ख़ामोश नहीं होते, इल्ज़ामी जवाब के बाद ज़बान बन्द हो जाती है जिस तरह हक़ाइक़े अशया के मुन्किरीन के मुताल्लिक़ उलमा ने फ़रमाया, इन्हें आग में डाल दिया जाये कि अपने जलने और आग के वुजूद का इक़रार करेंगे या जलकर ख़त्म होजायेंगे।

मसअ्ला.31:– बच्चों के पढ़ाने के लिये मुअल्लिम नौकर रखा और यह बयान नहीं किया कि कितने बच्चे पढ़ेंगे यह जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.32:– मुसहफ़ शरीफ़ को तिलावत या पढ़ने के लिये उजरत पर लिया, यह इजारा ना'जाइज़ है इसमें पढ़ने से उजरत वाजिब नहीं होगी इसी तरह तफ़सीर व हदीस व फ़िक़ह की किताबों का उजरत पर लेना भी ना'जाइज़ है इनमें भी उजरत वाजिब नहीं होगी। (बहर)

मसअ्ला.33:– क़लम उजरत पर लिया उससे लिखेगा अगर मुक़र्रर करदी है कि इतने दिनों के लिये है तो यह इजारा जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.34:– जनाज़ा उठाने या मय्यित को नहलाने की उजरत देना, वहाँ जाइज़ है जब उनके इलावा दूसरे लोग भी इस काम के करने वाले हों और अगर इसके सिवा कोई न हो तो उजरत पर काम नहीं किया जासकता क्योंकि इस सूरत में इस काम के लिए मुतअय्यन है। (बहर)

मसअ्ला.35:– इजारे पर काम कराया गया और यह इक़रार कि इसी में से इतना तुम उजरत में लेलेना यह इजारा फ़ासिद है मस्लन कपड़ा बुनने के लिये सूत दिया, और यह कह दिया कि आधा कपड़ा उजरत में लेलेना या ग़ल्ला उठाकर लाओ इसमें से दो सेर मज़दूरी लेलेना या चक्की चलाने के लिये बैल लिये और जो आटा पीसा जायेगा उसमें से इतना उजरत में दिया जायेगा यूँही भाड़ में

चने वग़ैरा भुनवाते हैं और यह ठहरा कि इनमें से इतने भुनाई में दिये जायेंगे यह सब सूरतें ना'जाइज़ हैं इन सब में जाइज़ होने की सूरत यह है कि जो कुछ उजरत में देना है उसको पहले से अलाहिदा करदे कि यह तुम्हारी उजरत है मस्लन सूत को दो हिस्से करके एक हिस्से की निस्बत कहा कि इसका कपड़ा बुन दो और दूसरा दिया कि यह तुम्हारी मज़दूरी है और यह ग़ल्ला फ़ुलाँ जगह पहुँचादे भाड़वाले पहले ही अपनी भुनाई निकालकर, बाक़ी को भूनते हैं इसी तरह सब सूरतों में किया जा सकता है दूसरी सूरत जवाज़ की यह है कि मस्लन कहदिया कि दूसरे ग़ल्ले की मज़दूरी देंगे यह न कहे कि इसमें से देंगे फिर अगर उसी में से देदे जब भी हरज नहीं(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.36:– खेत कटता है तो बालें टूटकर गिर जाती हैं काश्तकारों का क़ायदा है कि उन बालों को चुनवाते हैं और उन्हीं में से निस्फ़ मज़दूरी देते हैं या कपास चुनवाते हैं इसकी मज़दूरी भी इसी में से दी जाती है बल्कि खेत काटने वाले को भी इसी में से मज़दूरी देते हैं यह सब इजारे ना'जाइज़ हैं।

मसअ्ला.37:– तिल या सर्सों, तेली को तेल पिलने को दी, और यह ठहरा, कि उजरत में, इसमें से आधा या तिहाई, चौथाई तेल लेलेगा, बकरी ज़िबह कराई, ओर उसमें कुछ गोश्त उजरत क़रार पाया यह ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.38:– ज़मीन दी कि इसमें दरख़्त नसब करे दरख़्त इन दोनों के माबैन निस्फ़ निस्फ़ होंगे। यह इजारा फ़ासिद है। दरख़्त मालिके ज़मीन के क़रार पायेंगे और पेड़ लगाने वाले को दरख़्तों की क़ीमत। और उसके काम की उजरते मिस्ल मालिके ज़मीन देगा। (आलमगीरी) अकसर जगह देहात में यूँ होता है कि काश्तकार और रिआ़या किसी मौक़े से दरख़्त लगाते हैं और इस दरख़्त में निस्फ़ या चहारुम ज़मीनदार लेता है बाक़ी वह लेता है जिसने लगाया, इसका हुक्म भी वही होना चाहिए।

मसअ्ला.39:– किसी को अपना जानवर देदिया कि इससे काम लो और उजरत पर चलाओ जो कुछ ख़ुदा देगा, वह हम दोनों निस्फ़ निस्फ़ लेंगे। अगर उसने लोगों को इजारे पर दिया तो जो उजरत हासिल होगी मालिक की होगी और उसको अपने काम की उजरते मिस्ल मिलेगी और अगर जानवर को इजारे पर नहीं दिया बल्कि लोगों से उजरत का काम लेकर उस जानवर के ज़रिये करता है। मस्लन बार'बर्दारी का काम लिया, और उस जानवर पर लादकर पहुँचा दिया तो जो उजरत हासिल होगी और मालिक को उजरते मिस्ल देगा। (आलमगीरी) बाज़ लोग तांगा, यक्का ख़रीदकर, तांगे वालों को इसी तरह देते हैं कि वह ख़ुद चलाते हैं इसका हुक्म यह है कि जो कुछ उजरत हासिल हुई, उसकी है मालिक को यह तांगे की उजरते मिस्ल देगा।

मसअ्ला.40:– गाय भैंस ख़रीदकर दूसरे को देते हैं कि इसे खिलाये, पिलाये, जो कुछ दूध होगा वह दोनों में निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम होगा यह इजारा भी फ़ासिद है कुल दूध मालिक का होगा और दूसरे को उसके काम की उजरते मिस्ल मिलेगी और जो कुछ अपने पास से खिलाया है उसकी क़ीमत मिलेगी और गाय ने जो कुछ चरा है उसका कोई मुआ़वज़ा नहीं और दूसरे ने जो कुछ दूध सर्फ़ कर लिया है इतना ही दूध मालिक को दे कि दूध मिस्ल चीज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.41:– किसी को मुर्ग़ी दी कि जो कुछ अन्डे देगी, दोनों निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम करलेंगे यह इजारा भी फ़ासिद है, अन्डे उसके हैं जिसकी मुर्ग़ी है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.42:– बाज़ लोग बकरी बटाई पर देते हैं कि जो कुछ बच्चे पैदा होंगे दोनों निस्फ़ निस्फ़ लेंगे यह इजारा भी फ़ासिद हैं बच्चे उसी के हैं जिसकी बकरी है दूसरे को उसके काम की उजरते मिस्ल मिलेगी।

मसअ्ला.43:– इजारे में काम और वक़्त दोनों चीज़ें मज़कूर हों तो इजारा फ़ासिद है यानी दोनों को माक़ूद अ़लैहि नहीं बनाया जा सकता बल्कि सिर्फ़ एक पर अ़क़्द किया जायेगा यानी इजारा या काम पर होना चाहिए वह जितने वक़्त में हो या वक़्त पर होना चाहिए कि इतने वक़्त में काम करना है जितना काम उस वक़्त में अन्जाम पाये मस्लन नानबाई से कहा मन भर आटा एक रूपये में

आज पकादे यह ना'जाइज़ है अगर वक़्त पर इजारा न हो यानी वक़्त माकूद'अलैहि न हो बल्कि एक वक़्त को महज़ इस लिये ज़िक्र करदिया गया हो ताकि जलदी से वह पकादे या इसलिये वक़्त को ज़िक्र किया, ताकि मालूम हो कि फुलाँ वक़्त में किया जायेगा तो इजारा सही है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.44:– ज़मीन ज़राअ़त के लिये दी और यह शर्त की कि काश्तकार इसमें खाद डाले यह इजारा फ़ासिद है जबकि यह इजारा एक साल के लिये हो कि खाद का असर एक साल से ज़ायद रहता है और इस शर्त में मालिक ज़मीन का नफ़ा है और अगर कई साल के लिये हो तो फ़ासिद नहीं कि अब शर्त मुक़तज़ा–ए–अ़क़्द के मनाफ़ी नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.45:– काश्तकार से यह शर्त करदी कि ज़मीन को जोतकर वापस करे इससे भी इजारा फ़ासिद होजाता है। (हिदाया)

मसअ्ला.46:– ज़मीन ज़राअत के लिये दी और उसके बदले में उसकी ज़मीन ज़राअत के लिये लेली यह इजारा फ़ासिद है कि दोनों मनफ़अ़तें एक ही क़िस्म की हैं। (हिदाया)

मसअ्ला.47:– दो शख़्सों में ग़ल्ला मुश्तरक है इस मुश्तरक ग़ल्ले को उठाने के लिये एक दूसरे को अजीर किया। दूसरे ने उठाया, उसको मज़दूरी नहीं मिलेगी जो कुछ यह उठा रहा है उसमें ख़ुद उसका भी है लिहाज़ा उसका काम ख़ुद अपने लिये हुआ मज़दूरी का मुस्तहिक़ नहीं हुआ इसी तरह एक शरीक ने दूसरे के जानवर या गाड़ी को ग़ल्ला लादने के लिये किराये पर लिया और वह मुश्तरक ग़ल्ला उसपर लादा, किसी उजरत का मुस्तहक़ नहीं और अगर उसकी कश्ती किराये पर ली कि आधी में तुम्हारे हिस्से का ग़ल्ला लादा जाये और आधी में मेरा, यह जाइज़ है। (हिदाया, आलमगीरी) और अगर ग़ल्ला या माले मुश्तरक तक़सीम करने के बाद एक ने दूसरे से कहा मेरा हिस्सा मेरे मकान पर पहुँचादो तुम को इतनी मज़दूरी दीजायेगी अब यह इजारा जाइज़ है कि दोनों की चीज़ें जुदा जुदा हैं।

मसअ्ला.48:– राहिन ने अपनी चीज़ मुरतहिन से किराये पर ली, जिसको मुरतहनि के पास रहन रखा था मुरतहिन को उसकी उजरत नहीं मिलेगी कि राहिन ने ख़ुद अपनी चीज़ से नफ़ा उठाया उजरत किस चीज़ की दे सिर्फ़ यह बात हुई कि राहिन को नफ़ा हासिल करना ममनूअ् था इस वजह से हक़्क़े मुरतहिन उस चीज़ के साथ मुताल्लिक़ था और मुरतहिन ने जब इजारे पर दी तो ख़ुद उसने अपना हक़ बातिल करदिया राहिन का इन्तिफ़ा (फ़ायदा उठाना) जाइज़ होगया। (दुर्रेमुख़्तार रद्दुलमोहतार) इससे यह बात वाज़ेह होगई कि आज कल बाज़ लोग अपना मकान या खेत रहन रख देते हैं फिर मुरतहिन से किराये पर लेते हैं और यह किराया अदा करते हैं। अव्वल तो यह सूद है कि किराया ज़रे रहन में महसूब नहीं होता बल्कि क़र्ज़ के तौर पर जो रूपया दिया उसका यह सूद है जो यक़ीनन हराम है दूसरे यह कि अपनी ही चीज़ पर किराया देने के कोई मअ़्ने नहीं।

मसअ्ला.49:– हम्माम किराये पर दिया मालिके हम्माम अपने अहबाब के साथ उसमें नहाने गया उसके ज़िम्मे कोई उजरत वाजिब नहीं और किराये में से भी इसके नहाने की वजह से कोई जुज़ कम नहीं किया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.50:– ज़मीन को इजारे पर दिया और यह नहीं बयान किया कि इसमें ज़राअ़त करेगा, या यह कि किस चीज़ की काश्त करेगा तो इजारा फ़ासिद है क्योंकि ज़मीन से मुख़्तलिफ़ मुनाफ़े हासिल किये जा सकते हैं लिहाज़ा ताईन (ख़ास करना) ज़रूरी है या यह तामीम (आम करना) करदे कि नीज़ जो जी चाहे कर, और जब यह दोनों बातें न हों तो फ़ासिद है फिर मज़ारेअ् ने काश्त की और मुद्दत पूरी होगई तो यह इजारा सही होगया और जो उजरत मुक़र्रर हुई थी देनी होगी और अगर मुद्दत पूरी न हुई तो अजरे मिस्ल वाजिब होगा और काश्त करने से पहले दोनों में निज़ाअ् (झगड़ा) पैदा हो जाये तो इजारा फ़स्ख़ करदिया जाये। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.51:– शिकार करने के लिये या जंगल से लकड़ियाँ काटने के लिये अजीर किया अगर

वक़्ते मुक़र्रर कर दिया है, जाइज़ है और वक़्त मुक़र्रर नहीं किया है मगर लकड़ियाँ मोअय्यन करदी हैं यानी बता दिया है कि इन लकड़ियों को काटो, इजारा फ़ासिद है, लकड़ियाँ मुस्ताजिर की होंगी। और उसके ज़िम्मे उजरते मिस्ल वाजिब होगी। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.52:– जिन लकड़ियों के काटने पर अजीर किया वह ख़ुद उसी मुस्ताजिर की मिल्क हैं तो इजारा जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.53:– बीवी को घर की रोटी पकाने के लिये नौकर रखा, कि रोटी पकाये, माहवार या यौमिया इतनी उजरत दूँगा यह इजारा ना'जाइज़ है वह किसी उजरत की मुस्तहक़ नहीं। यूँही ख़ानादारी के दूसरे काम जो औरतें किया करती हैं उनकी उजरत नहीं लेसकती कि यह काम दयानतन उसपर ख़ुद ही वाजिब हैं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.54:– औरत ने अपना मम्लूका मकान (जिस मकान की वह मालिक है) शौहर को किराये पर दिया औरत भी उस मकान में शौहर के याथ रहती है शौहर के ज़िम्मे किराया वाजिब होगया कि औरत की सुकूनत उसमें तबअ़न है (शौहर की वजह से है) (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.55:– जो इजारा इस्तेहलाके ऐन (अस्ल चीज़ हलाक होना) पर हो कि मुस्ताजिर ऐन शयं लेले वह इजारा ना'जाइज़ है मसलन गाय, भैंस को इजारे पर दिया कि मुस्ताजिर दूध हासिल करे, नहर या तालाब को मछली पकड़ने के लिये ठेके पर दिया, यह ना'जाइज़ है। यूँही चरागाह का ठेका भी ना'जाइज़ है। (आलमगीरी, रद्दुलमोहतार) गाँव और बाज़ार और जंगल का ठेका भी नाजाइज़ है कि इन सब में इस्तेहलाके ऐन है।

मसअ्ला.56:– मकान इजारे पर दिया, और यह शर्त करली कि रमज़ान का किराया हिबा कर दूँगा या तुम्हारे ज़िम्मे नहीं होगा यह इजारा फ़ासिद है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.57:– दुकान जल गई, इसको किराये पर लिया इस शर्त पर कि इसे बनवायेगा और जो कुछ ख़र्च होगा वह किराये में महसूब होगा यह इजारा फ़ासिद है और अगर मुस्ताजिर उसमें रहा, तो उसपर उजरते मिस्ल वाजिब है और जो कुछ ख़र्च किया है वह और बनवाने की उजरते मिस्ले उसे मिलेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.58:– मुस्ताजिर के ज़िम्मे यह शर्त करना कि इस चीज़ की वापसी तुम्हारे ज़िम्मे है यानी काम करने के बाद तुम अपने सर्फ़े से चीज़ को वापस कर जाना। अगर वह चीज़ ऐसी है जिसमें बार'बर्दारी सर्फ़ होती है जैसे देग, शामियाना तो इस शर्त की वजह से इजारा फ़ासिद है और ऐसी नहीं है तो फ़ासिद नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.59:– कोई चीज़ उजरत पर ली थी मसलन देग और उसकी मुद्दत दो दिन थी और मुद्दत पूरी होने के बाद भी उसी के यहाँ पड़ी रही, मालिक नहीं लेगया तो सिर्फ़ इतने ही दिनों का किराया वाजिब होगा जिनका ज़िक्र इजारे में हुआ अगरचे वापस करना मुस्ताजिर के ज़िम्मे क़रार पाया कि यह शर्त फ़ासिद है और अगर इस तरह इजारा हो कि फ़ी यौम इतना किराया, जैसा कि शामियानों और देगों वग़ैरहा में इसी तरह उमूमन होता है तो जब चीज़ उसके काम से फ़ारिग़ हो गई इजारा ख़त्म होगया इसके बाद किराया वाजिब नहीं होगा यह चीज़ मालिक के यहाँ पहुँचादे या अपने यहाँ रहने दे और अगर दोपहर में चीज़ ख़ाली होगई जब भी पूरे दिन का किराया देना होगा। यूँही एक माह के लिये किराये पर ली थी और पन्द्रह दिन में ख़ाली होगई पूरे महीने का किराया देना होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.60:– इजारे को दूसरे इजारे के फ़स्ख़ पे मोअल्लक़ करना यानी एक शख़्स से इजारा करने के बाद दूसरे से यूँ इजारा किया कि अगर वह पहला इजारा फ़स्ख़ होजाये तो तुमसे इजा[illegible] है यह बातिल है। (आलमगीरी)

ज़माने अजीर का बयान

अजीर दो क़िस्म के हैं (1) अजीरे मुश्तरक (2) अजीरे ख़ास, अजीर मुश्तरक वह है जिसके लिये किसी वक़्ते ख़ास में एक ही शख़्स का काम करना ज़रूरी न हो उस वक़्त में दूसरे का भी काम कर सकता हो जैसे धोबी, ख़य्यात,(दर्ज़ी) हज्जाम वग़ैरहुम जो एक शख़्स के कांम के पाबन्द [illegible] हैं। और अजीरे ख़ास एक ही शख़्स के काम का पाबन्द होता है।

मसअ्ला.1:— काम में जब वक़्त की क़ैद न हो अगरचे वह एक ही शख़्स का काम करे यह भी अजीरे मुश्तरक है मस्लन दर्ज़ी को अपने घर में कपड़े सीने के लिये रखा और यह पाबन्दी न हो कि फ़ुलाँ वक़्त से फ़ुलाँ वक़्त तक सियेगा और रोज़ाना या माहवार यह उजरत दी जायेगी बल्कि जितना काम करेगा उसी हिसाब से उजरत दी जायेगी तो यह अजीरे मुश्तरक है यूँही अगर वक़्त की पाबन्दी है मगर दूसरे का काम भी उस वक़्त में करने की इजाज़त है मस्लन चरवाहे को बकरियों के चराने को एक रूपया माहवार रखा मगर यह नहीं कहा कि दूसरे की बकरियाँ न चराना तो यह भी अजीर मुश्तरक है और अगर यह तय हो जाये कि दूसरे की बकरियाँ नहीं चरायेगा तो अजीर ख़ास है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:— अजीरे मुश्तरक में इजारे का ताल्लुक़ काम से है लिहाज़ा वह कई लोगों के काम ले सकता है और अजीरे ख़ास में उस मुद्दत के मुनाफ़ेअ् का एक शख़्स को मालिक कर चुका लिहाज़ा दूसरे से अ़क़्द नहीं कर सकता।

मसअ्ला.3:— अजीरे मुश्तरक उजरत का उस वक़्त मुस्तहिक़ है जब काम कर चुके मस्लन दर्ज़ी ने कपड़े सीने में सारा वक़्त सर्फ़ कर दिया मगर कपड़ा सीकर तैयार नहीं किया या अपने मकान पर सीने के लिये तुमने उसे मुक़र्रर किया था दिन भर तुम्हारे यहाँ रहा मगर कपड़ा नहीं सिया उजरत का मुस्तहिक़ नहीं है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:— जो काम ऐसा है कि महल (जगह) के मुख़्तलिफ़ होने से इसमें इख़्तिलाफ़ होता है यानी बाज़ में मेहनत कम है बाज़ में ज़ायद, ऐसे कामों में अजीरे मुश्तरक को ख़्यारे रोयत हासिल होता है देखने के बाद काम से इन्कार कर सकता है मस्लन धोबी से ठहराया कि गज़ी (एक देसी कपड़ा जो मोटा और घटिया किस्म का होता है) का एक थान एक आने में धोयेगा उसने थान देखकर धोने से इन्कार कर दिया यह हो सकता है या रंगरेज़ से रंगना तय हो गया था कपड़ा देखकर इन्कार कर सकता है कि बाज़ कपड़े के रंगने में ज़्यादा मेहनत होती है और ज़्यादा रंग ख़र्च होता है यूँही दर्ज़ी भी कपड़ा देख कर इन्कार कर सकता है क्योंकि बाज़ कपड़ों के सीने में ज़्यादा मेहनत होती है मगर देखने के बाद राज़ी होगया तो अब इन्कार की गुंजाइश न रही अगर काम ऐसा है कि महल (जगह) के इख़्तिलाफ़ से उसमें इख़्तिलाफ़ न हो तो इन्कार की गुंजाइश नहीं मस्लन मन भर गेहूँ तोलने के लिये अजीर किया या हजामत बनाने के लिये तय किया देखने के बाद वह इन्कार नहीं कर सकता। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.5:— अजीरे मुश्तरक के पास चीज़ अमानत होती है अगर ज़ाइअ् होजाये, ज़मान वाजिब नहीं अगरचे चीज़ देते वक़्त यह शर्त करदी हो कि जाइअ् होगी, तो ज़मान लूँगा कि यह शर्त बातिल है। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:— अजीरे मुश्तरक के फ़ेअ्ल (काम) से अगर चीज़ ज़ाइअ् बर्बाद हुई तो तावान वाजिब है मस्लन धोबी ने कपड़ा फ़ाड़ दिया अगरचे क़स्दन न फ़ाड़ा हो चाहे ख़ुद उसी ने फ़ाड़ा, या उसने दूसरे से धुलवाया उसने फ़ाड़ा, बहरहाल तावान वाजिब है और इस सूरत में धुलाई का भी मुस्तहिक़ नहीं।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:— हम्माल (बोझ उठाने वाला) सामान लादकर ला रहा है पाँव फिसला और सामान टूट,फूट गया इस पर ज़मान वाजिब है, या जानवर पर सामान लादकर ला रहा था, जानवर फिसला और सामान बर्बाद होगया इसमें भी ज़मान वाजिब है और अगर रस्सी के टूट जाने से सामान गिरकर ज़ाइअ् हुआ इसमें भी ज़मान वाजिब है मगर जबकि ख़ुद रस्सी सामान वाले की हो तो तावान नहीं (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:— कश्ती पर सामान लदा हुआ है मल्लाह कश्ती खींच रहा था, कश्ती उसके खींचने से डूब गई ज़मान वाजिब है और अगर मुख़्तलिफ़ हवा या मौजे दरिया से या पहाड़ी से टकराकर डूबी तो ज़मान वाजिब नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.9:— चरवाहा जानवरों को तेज़ी से हांक कर लेजा रहा था पुल पर जानवर पहुँचे, आपस के धक्के से कोई जानवर गिरगया या दरिया किनारे एक ने दूसरे को धक्का दिया वह पानी में गिर

कर मरगया चरवाहे को तावान देना होगा कि इसने तेज़ न भगाया होता तो ऐसा न होता। यूँही अगर चरवाहे के मारने या हांकने से जानवर हलाक हुआ या उसके मारने से आँख फूटगई या कोई अज़ू (जिस्म का हिस्सा) टूट गया तो उसका भी तावान वाजिब है। (रद्दुलमोह्तार, आलमगीरी)

मसअला.10:– कश्ती में आदमी सवार थे और मल्लाह़ कश्ती को खींचकर लेजा रहा था कश्ती डूब गई और आदमी हलाक होगये या जानवर पर आदमी सवार है और जानवर का मालिक उसे हांक कर या खींचकर लेजा रहा था आदमी गिरकर हलाक होगया इन दोनों सूरतों में ज़मान वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

मसअला.11:– ह़म्माल बर्तन में कोई चीज़ लिये जारहा था और रास्ते में बर्तन टूटा तो चीज़ ज़ाइअ़ हुई तो मालिक को इख़्तियार है कि जहाँ से लारहा था वहाँ उस चीज़ की जो क़ीमत थी वह तावान ले और इस सूरत में यहाँ तक की मज़दूरी हिसाब करके देदे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.13:– मकान तक मज़दूर ने सामान पहुँचा दिया मालिक उसके सर से उतरवा रहा था चीज दोनों के हाथ से छूटकर गिरी और ज़ाइअ़ हुई, निस्फ़ क़ीमत मज़दूर से तावान लीजाये।(आलमगीरी)

मसअला.14:– कश्ती पर सामान लादकर वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ लेजाना था मगर मुख़ालिफ़ हवा से वहीं चली आई जहाँ से गई थी या कहीं और चली गई अगर सामान का मालिक या उस का वकील कश्ती में मौजूद था तो किराया वाजिब है और मल्लाह़ को इस पर मजबूर नहीं किया जा सकता कि फिर वहाँ पहुंचाये क्योंकि उसका काम पूरा होचुका हाँ अगर कश्ती ऐसी जगह है जहाँ चीज़ पर क़ब्ज़ा नहीं किया जा सकता तो मल्लाह़ को लौटाकर लाना होगा और उसकी मज़दूरी भी दी जायेगी और अगर मालिक या उसका वकील कश्ती में न था तो मल्लाह़ को इसी पहली उजरत में चीज़ पहुँचानी होगी कि अभी उसका काम ख़त्म नहीं हुआ। (आलमगीरी)

मसअला.15:– मल्लाह़ ने अपनी ह़ाजत के लिये कश्ती में आग रखी थी उससे सामान जल गया। मल्लाह़ पर तावान वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

मसअला.16:– कश्ती अपना सामान लादने के लिए किराया की, मल्लाह़ ने बिग़ैर रज़ामन्दीए मुस्ताजिर, इसमें कुछ दूसरा सामान भी लाद दिया और कश्ती इतना बोझ उठा सकती है। कश्ती डूब गई अगर मुस्ताजिर था तो तावान वाजिब। (आलमगीरी)

मसअला.17:– धोबी को कपड़ा दिया था और एक शख़्स से कह दिया कि तुम धोबी से कपड़ा ले लेना, धोबी ने उसे दूसरा देदिया, यह कपड़ा उसके हाथ में अमानत है ज़ाइअ़ होजाये तो धोबी उससे तावान नहीं लेसकता और कपड़े वाला अपना कपड़ा वसूल करेगा यह उस वक़्त है कि वह कपड़ा ख़ास़ धोबी का ही हो और अगर किसी दूसरे का है तो जिसका है वह तावान लेगा अगर धोबी से उसने तावान लिया जब तो कुछ नहीं और उस शख़्स से लिया तो वह धोबी से तावान की क़द्र (बराबर) वसूल कर लेगा। दर्ज़ी का भी यही हुक्म है।

मसअला.18:– धोबी ने दूसरा कपड़ा देदिया और उसने अपना समझकर लेलिया यह ज़ामिन है। यह नहीं कह सकता कि मुझे इल्म न था कि दूसरे का है और फ़र्ज़ करो, उसने कपड़े को क़त़ा करलिया और सीलिया तो जिसका कपड़ा है वह दोनों में से जिससे चाहे ज़मान ले सकता है काटने वाले से लिया तो कुछ नहीं धोबी से ज़मान लिया तो वह काटने वाले से वसूल कर सकता है (आलमगीरी)

मसअला.19:– धोबी ने एक कपड़ा दूसरे को देदिया या मालिक ने जब मांगा तो उसने कहा, मैंने फ़ुलाँ को देदिया यह समझकर कि उसी का है धोबी को तावान देना होगा। (आलमगीरी)

मसअला.20:– धोबी ने कपड़ा देना चाहा, मालिक ने कहा, अपने ही पास रखले इस सूरत में मुतलक़न ज़ामिन नहीं उजरत लेली हो, या न ली हो और अगर उजरत लेने के लिये उसने कपड़ा रोक रखा है तो ज़ामिन है। (आलमगीरी)

मसअला.21:– धोबी को दूसरे का कपड़ा पहनना जाइज़ नहीं, कि अमानत में तसर्रुफ़ करना ख़्यानत है मगर पहनने के बाद उसने उतारकर रखदिया तो अब ज़ामिन नहीं रहा जिस त़रह

वदीअ़त का हुक्म है जिसको पहले बयान किया गया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.22:– चरवाहा खुद भी बकरियाँ चरा सकता है और उसके बाल, बच्चे और अजीर भी चरा सकते हैं। अगर किसी अजनबी शख़्स को सिपुर्द करके चला गया और जानवर ज़ाइअ् होगया तो ज़मान वाजिब है मगर जबकि थोड़ी देर के लिये ऐसा किया हो मस्लन पेशाब करने गया या खाने के लिये गया तो मुआफ़ है इस सूरत में तावान वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.23:– चरवाहे ने एक की बकरियाँ दूसरे की बकरियों में मिलादीं। अगर इम्तियाज़ मुम्किन है तो हर्ज नहीं और किस की कौन है। किस की कौन है। इसमें चरवाहे का क़ौल मोअ्तबर है। और अगर इम्तियाज़ न रहा, चरवाहा कहता है 'मुझे शनाख़्त नहीं' तो तावान वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.24:– चरवाहों का क़ायदा है कि जानवर उस गली में छोड़ जाते हैं जिसमें मालिक का मकान है उसके मकान पर नहीं पहुँचाते, न मालिक को सिपुर्द करते हैं मकान पर पहुँचने से पहले अगर गाय या बकरी ज़ाइअ् होगई तो चरवाहे पर ज़मान वाजिब नहीं। (आलमगीरी) मगर जबकि मालिक ने कह दिया कि मेरे मकान पर पहुँचा जाया करना तो ज़मान वाजिब है कि उसने शर्त के ख़िलाफ़ किया।

मसअ्ला.25:– गाँव के चरवाहे गाँव के किनारे पर जानवरों को लाकर छोड़ देते हैं अगर चरवाहे ने यह शर्त करली है या यह मुतआरफ़ (वहाँ छोड़ना मशहूर हो) तो वहाँ छोड़ देना जाइज़ है। ज़ाइअ् होने पर ज़मान वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.26:– जंगल में झाड़ियाँ हैं, जानवर चरते हैं कि सब जानवर चरवाहे के पेशे नज़र नहीं होते जैसा कि अकस्र ढाक के जंगल में होता है कोई जानवर इस सूरत में ज़ाइअ् होगया तो ज़मान वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.27:– चरवाहा कहीं चलागया और गाय ने किसी का खेत चर लिया खेत वाला चरवाहे से ज़मान नहीं ले सकता, हाँ अगर उसने खुद खेत में छोड़ा या हांक कर लिये जा रहा था और गाय ने उस हालत में चर लिया तो तावान वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.28:– फ़स्साद (फ़ासिद रग से खून निकालने वाला) ने फ़स्द खोली या पछन्ने लगाने वाले ने पछन्ना लगाया, या जर्राह ने फोड़ा चीरा, और इन सब में मोज़ए मोअ्ताद से तजावुज़ नहीं किया (आमतौर से जितना चीरा लगता है उस से नहीं बढ़ना) तो ज़मान वाजिब नहीं और अगर जितनी जगह पर होना चाहिए उससे तजावुज़ (बढ़ गया) किया और हलाक नहीं हुआ तो जितनी ज़्यादती की है उसका तावान दे और अगर हलाक होगया तो निस्फ़ दीयते नफ़्स वाजिब है। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.29:– अजीरे ख़ास जिसकी तारीफ़ पहले होचुकी है उसके ज़िम्मे तस्लीमे नफ़्स वाजिब है यानी जो वक़्त उसके लिये मुक़र्रर कर दिया है उस वक़्त उसका हाज़िर रहना ज़रूरी है उसने अगर काम नहीं किया है जब भी उजरत का मुस्तहिक़ है जैसे किसी को ख़िदमत के लिये नौकर रखा या जानवरों को चराने के लिये नौकर रखा और तनख़्वाह भी मुक़र्रर करदी। (हिदाया)

मसअ्ला.30:– अजीरे ख़ास के पास जो चीज़ है वह अमानत है अगर तल्फ़ होजाये तो ज़मान नहीं। अगरचे उसके फ़ेअ्ल की वजह से तल्फ़ हुई मस्लन अजीरे ख़ास ने कपड़ा धोया और उसके पटकने या निचोड़ने से कपड़ा फट गया उस पर ज़मान वाजिब नहीं और अजीरे मुश्तरक से ऐसा हुआ तो वाजिब है जिसका ज़िक्र मुफ़स्सल गुज़रा, हाँ अगर अजीरे ख़ास ने क़स्दन उस चीज़ को फ़ासिद या ख़राब कर दिया तो उस पर तावान वाजिब होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.31:– उसके फ़ेल से कुछ नुक़सान हो तो ज़ामिन नहीं इससे मुराद वह फ़ेल है जिसकी उसे इजाज़त दी हो और अगर उसने कोई ऐसा काम किया जिसकी उसको इजाज़त नहीं दी थी और उसके फ़ेल से नुक़सान हुआ तो तावान उसके ज़िम्मे वाजिब है मस्लन एक काम पर वह मुलाज़िम है और दूसरा काम किया जिसकी मालिक से इजाज़त नहीं ली थी और उस काम में चीज़ का नुक़सान हुआ। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.32:— जो चरवाहा ख़ास एक शख़्स का मुलाज़िम है उसने जानवरों को हांका और उसकी वजह से एक जानवर ने दूसरे को धक्का दिया और यह गिर पड़ा और मरगया। चरवाहे पर तावान नहीं और अगर वह दो या तीन शख़्सों का मुलाज़िम है तो अगरचे यह भी अजीरे ख़ास है मगर इस सूरत में इस पर तावान है। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.33:— बच्चा दाया के पास था उसके ज़ेवर कोई उतार लेगया दाया पर उसका तावान वाजिब नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.34:— बाज़ार का चौकीदार और मुसाफ़िरख़ाने व सराय के मुहाफ़िज़ भी अजीरे ख़ास हैं। अगर बाज़ार में चोरी होगई या सराय और मुसाफ़िरख़ाने से माल जाता रहा तो इन लोगों से तावान नहीं लिया जा सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.35:— अजीरे ख़ास ने अगर दूसरे का काम किया है उसी हिसाब से उसकी उजरत कम करदी जायेगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.36:— अगर किसी वजह से अजीरे ख़ास काम न कर सका तो उजरत का मुस्तहिक़ नहीं है मस्लन बारिश होरही थी जिसकी वजह से काम नहीं किया अगरचे हाज़िर हो उजरत नहीं पायेगा। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.37:— अजीरे ख़ास इस मुद्दते मुक़र्ररा में अपना ज़ाती काम भी नहीं कर सकता और औक़ाते नमाज़ में फ़र्ज़ और सुन्नते मुअक्कदा पढ़ सकता है, नफ़्ल नमाज़ पढ़ना उसके लिये औक़ाते इजारे में जाइज़ नहीं और जुमे के दिन नमाज़े जुमा पढ़ने के लिये जायेगा मगर जामा मस्जिद अगर दूर है कि वक़्त ज़्यादा सर्फ़ होगा तो इतने वक़्त की उजरत कम करदी जायेगी और अगर नज़्दीक है तो कुछ कमी नहीं की जायेगी अपनी उजरत पूरी पायेगा। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.38:— चरवाहा अगर अजीरे ख़ास है और जितनी बकरियाँ चरने के लिये उसे सिपुर्द कीं उसमें से कुछ कम होगईं जब भी वह पूरी उजरत का मुस्तहिक़ है बल्कि अगर एक बकरी भी बाक़ी न रहे जब भी पूरी उजरत का मुस्तहिक़ है और अगर बकरियों में इज़ाफ़ा होगया और इतनी ज़्यादा होजायें जिनके चराने की उसे ताक़त है, चरानी होंगी उससे इनकार नहीं कर सकता और उजरत वही मिलेगी जो मुक़र्रर हुई है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार) इसी तरह मुअ़ल्लिम को बच्चे पढ़ाने के लिये सिपुर्द किये गये कुछ लड़कों का इज़ाफ़ा हुआ जिनको वह पढ़ा सकता है तो इन्कार नहीं कर सकता और लड़के कम होगये जब भी पूरी तनख़्वाह का मुस्तहिक़ है।

मसअ्ला.39:— घोड़ा किराये पर लिया, रास्ते में वह भाग गया अगर ग़ालिब गुमान यह है कि ढूँढने से भी न मिलेगा और न ढूँढा, तो ज़िमान वाजिब नहीं यूँही रेवड़ से बकरियाँ भाग गईं चरवाहे को ग़ालिब गुमान है कि अगर उसे ढूँढने जायेगा तो बाक़ी बकरियाँ जाती रहेंगी इस वजह से नहीं गया, तो ज़िमान वाजिब नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.40:— किरायेदार ने मकान में चूल्हा बनाया या तन्नूर गाढ़ा, उससे आग उड़ी, और यह मकान या पड़ोसी का मकान जलगया तावान वाजिब नहीं। मालिक मकान की इजाज़त से चूल्हा या तन्नूर बनाया हो या बिग़ैर इजाज़त। हाँ अगर इस तरह आग जलाई कि चूल्हे और तन्नूर इस तरह नहीं जलाते, तो तावान देना होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.41:— शागिर्द अपने उस्ताद के पास काम सीखता है या बड़े दुकानदार और कारीगर अपने यहाँ काम करने के लिए कुछ लोगों को नौकर रख लेते हैं और उनसे काम लेते हैं। इन शागिर्दों और नौकरों का काम उसी उस्ताद और दुकानदारों का समझा जाता है। अगर शागिर्दों या नौकरों से किसी की चीज़ में नुक़सान पहुँचा, जो इस दुकान पर बनने के लिये आई थी तो इसका ज़िम्मेदार वह उस्ताद और दुकानदार है उसी से तावान लिया जायेगा, वह नहीं कह सकता कि मुझ से नुक़सान नहीं हुआ मस्लन दर्ज़ी के पास कपड़ा सीने के लिये दिया उसके नौकर ने कोई ऐसी

ख़राबी करदी जिससे तावान लाज़िम आता है तो उसी दर्ज़ी से तावान लिया जायेगा और वह अपने नौकर से तावान नहीं ले सकता कि नौकर अजीरे ख़ास है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.42:– एक शख़्स सराय में चन्द रोज़ रहा, या ऐसे मकान में रहा, जो किराये पर उठाने के लिये मालिक ने रखा है उस शख़्स से किराया माँगा गया तो कहने लगा कि मैं बतौर ग़सब इस मकान में रहा, सराय में रहा, मुझ पर किराया वाजिब नहीं उसकी बात नहीं मानी जायेगी उससे किराया वसूल किया जायेगा अगरचे वह शख़्स इसी तरह के ज़ुल्म करता हो कि लोगों के मकानों में बिग़ैर किराया ज़बरदस्ती रहता हो और यह बात मशहूर हो क्योंकि ऐसी जायदाद जो किराये ही के लिये है उसका बहर हाल किराया मिस्ल देना, उसी तरह जायदादे मौक़ूफ़ा और माले यतीम का किराया मिस्ल देना ही होगा अगरचे इस्तेमाल करने वाले ने ग़सब के तौर पर इस्तेमाल किया हो। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

दो शर्तों में से एक पर इजारा

मसअ्ला.1:– दर्ज़ी से कहा, अगर इस कपडे की अचकन सियोगे तो एक रूपया सिलाई और शेरवानी सी, तो दो रूपये यह सूरत जाइज़ है जो सीकर लायेगा उसकी सिलाई पायेगा यूँही रंगरेज़ से कहा कि इस कपड़े को कुसुम से रंगोगे तो एक रूपया, और ज़ाफ़रान से रंगोगे तो दो रूपये, इसी तरह अगर यह कहा कि इस मकान में रहोगे, तो पाँच रूपये किराये के हैं और उसमें रहोगे, तो दस रूपये यह भी जाइज़ है अगर तांगे वाले से कहा कि फ़ुलाँ जगह तक ले जाओगे तो एक रूपया किराया और फ़ुलाँ जगह, तो दो रूपये यह भी जाइज़ है इन सब में जो सूरत पाई गई। उसी की उजरत दी जायेगी। (हिदाया)

मसअ्ला.2: दर्ज़ी से कहा, अगर आज सीकर दिया तो एक रूपया और कल दिया तो आठ आने। उसने आज ही सीकर दे दिया तो एक रूपया देना होगा दूसरे दिन देगा तो उजरते मिस्ल वाजिब होगी जो आठ आने से ज़्यादा न होगी। (हिदाया)

मसअ्ला.3:– अगर दर्ज़ी से कहा कि आज सीके देगा तो एक रूपया और कल सिया तो कुछ उजरत नहीं अगर आज सिया तो एक रूपया मिलेगा और दूसरे दिन सिया तो उजरते मिस्ल मिलेगी जो एक रूपये से ज़ायद न होगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– दर्ज़ी से कहा, अगर तुमने ख़ुद सिया तो एक रूपया और शागिर्द से सिलवाया, तो आठ आने, यह भी जाइज़ है जिसने सिया उसके लिये जो मज़दूरी मुक़र्रर है वह मिलेगी। (हिदाया)

मसअ्ला.5:– जिस तरह दो चीज़ों में इख़्तियार दिया जा सकता है। तीन चीज़ों में भी हो सकता है। चार चीज़ों में इख़्तियार दिया यह ना जाइज़ है। (हिदाया)

मसअ्ला.6:– उस दुकान या मकान में अगर तुमने अत्तार को रखा, तो एक रूपया किराया, और लोहार को रखा, तो दो रूपये यह भी जाइज़ है। (हिदाया)

ख़िदमत के लिये इजारा और नाबालिग़ को नौकर रखना

मसअ्ला.1:– मर्द अपनी ख़िदमत के लिए औरत को नौकर रखे, यह ममनूअ् है। वह औरत आज़ाद हो या कनीज़, दोनों का एक हुक्म हैं कि कभी दोनों तन्हाई में भी होंगे और अजनबिया के साथ ख़लवत व तन्हाई की मुमानअ़त है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– औरत ने ऐसे शख़्स की मुलाज़िमत की जो बाल बच्चों वाला है इसमें हरज नहीं जैसा कि उमूमन हिन्दुस्तान में खाना पकाने के और घर के कामों के लिये, मामायें नौकर रखी जाती हैं। मगर यह ख़्याल रखना ज़रूरी है कि मर्द को उसके साथ तन्हाई न हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– अपनी औरत को अपनी ख़िदमत के लिये नौकर रखे, यह नहीं हो सकता कि औरत पर ख़ुद ही अपने शौहर की ख़िदमत वाजिब है फिर नौकरी के क्या माने हैं इस वजह से घर के जितने काम औरतें उमूमन किया करती हैं मसलन पीसना, पकाना, झाड़ू देना, बर्तन धोना, वग़ैरहा

इन पर अपनी औरत से इजारा नहीं हो सकता। (आलमगीरी वगैरा)

मसअ्ला.4:– कोई बद नसीब अगर अपने वालिदैन या दादा दादी को अपनी ख़िदमत के लिये नौकर रखे यह इजारा ना'जाइज़ है मगर उन्होंने अगर काम कर लिया तो उजरत के मुस्तहिक़ होंगे और वही उजरत पायेंगे जो त़य हो चुकी है अगरचे उजरते मिस्ल उससे कम हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– इनके इलावा वह दीगर रिश्तेदारों को मसलन भाई या चचा वग़ैरा को ख़िदमत के लिये नौकर रखना जाइज़ है मगर बाज़ ने फ़रमाया है कि बड़े भाई या चचा कि उम्र में बड़ा है मुलाज़िम रखना जाइज़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– मुसलमान ने काफ़िर की ख़िदमतगारी की, नौकरी की, यह मना है बल्कि किसी ऐसे काम पर काफ़िर से इजारा न करे जिसमें मुस्लिम की ज़िल्लत हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– बाप अपने ना'बालिग़ लड़के को ऐसे काम के लिय उजरत पर दे सकता है जिसके करने की उसे ताक़त हो और बाप न हो तो उसका वसी, यह भी न हो तो दादा और दादा भी न हो तो उसका वसी, नाबालिग़ को इजारे पर दे सकता है और अगर इनमें से कोई न हो तो ज़ूरहम महरम जिसकी परवरिश में वह बच्चा है दे सकता है। (खानिया)

मसअ्ला.8: ज़ू'रहम महरम ने बच्चे को इजारे पर दिया और उसी की परवरिश में है तो जो कुछ मज़दूरी मिली है उस बच्चे पर ख़र्च नहीं कर सकता जिस तरह बच्चा किसी ने हिबा किया तो वह रिश्तेदार हिबा क़बूल कर सकता है मगर बच्चे पर उसे ख़र्च नहीं कर सकता। (ख़ानिया)

मसअ्ला.9:– क़ाज़ी ने अगर हुक्म दे दिया है कि जो कुछ यह बच्चा कमा कर लाये ह़स्बे ज़रूरत उस पर ख़र्च किया जाये उस वक़्त ख़र्च करना जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– बाप, दादा या उनके वसी या क़ाज़ी ने ना'बालिग़ को इजारे पर दिया और मुद्दते इजारा ख़त्म होने से पहले वह बलिग़ होगया तो उसको इख़्तियार है कि इजारे को बाक़ी रखे या फ़स्ख़ करदे और अगर नाबालिग़ की किसी चीज़ को उन्होंने इजारे पर देदिया है और मुद्दत पूरी होने से पहले यह बालिग़ होगया तो इजारा फ़स्ख़ नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– ना'बालिग़ को उसके बाप ने खाने, कपड़े पर एक साल के लिये नौकर रखवा दिया जब मुद्दत पूरी हुई तो उजरते मिस्ल का मुतालबा कर सकता है क्योंकि जो जो इजारा मुनअ़क़िद किया था वह बवजहे उजरते मजहूल होने के फ़ासिद है और साल भर तक जो मुस्ताजिर ने लड़के को खिलाया, यह तबर्रोअ् (नेकी का काम) है इसको मिन्हा नहीं किया (उस में से घटाया नहीं) जा सकता। अल'बत्ता जो कपड़े उसके पास उसके दिये हुए हों उनको वापस ले सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– ना'बालिग़ लड़का जिसको वली ने मना कर दिया है उसने उजरत पर काम करने के लिये अ़क़्द किया यह इजारा ना'जाइज़ है मगर काम करने के बाद पूरी उजरत का मुस्तहिक़ होगा और अगर उस काम में हलाक होगया तो दियत वाजिब होगी। (रद्दुल'मोहतार)

मसअ्ला.13:– मुस्ताजिर ने बच्चे को जिसने बिग़ैर इज़्ने वली अ़क़्दे इजारा किया है पेशगी उजरत देदी यह उजरत वापस नहीं ले सकता क्योंकि अगर यह इजारा उस वक़्त ना'जाइज़ है मगर काम करने के बाद सही होजायेगा उसी वजह से इस सूरत में जो उजरत मुक़र्रर हुई है वह पूरी दिलाई जायेगी(दुर्रेमुख़्तार)

मूजिर (किराया देने वाला) और मुस्ताजिर (किराया लेने वाला) के इख़्तिलाफ़ात

मसअ्ला.1:– पनचक्की किराये पर दी है। मुस्ताजिर कहता है 'नहर में पानी था ही नहीं। इस वजह से पनचक्की चल न सकी लिहाज़ा किराया देना मुझपर वाजिब नहीं और पनचक्की का मालिक कहता है 'पानी था इसका हुक्म यह है कि अगर गवाह न हों तो उस वक़्त जो हालत हो उसी के मुवाफ़िक़ ज़मान–ए–गुज़िश्ता के मुताल्लिक़ हुक्म दिया जायेगा अगर पानी इस वक़्त है तो मालिक की बात मानी जायेगी और नहीं है तो मुस्ताजिर की बात मोअ्तबर है और जिसकी भी बात मोअ्तबर होगी क़सम के साथ मोअ्तबर होगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– पनचक्की का पानी कुछ दिनों बन्द रहा मगर कितने दिनों बन्द रहा इसमें मूजिर और मुस्ताजिर दोनों का इख़्तिलाफ़ है। मुस्ताजिर की बात क़सम के साथ मोअ्तबर होगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– पनचक्की किराये पर दी, और यह शर्त करदी कि पानी रहे या न रहे, हर सूरत में किराया देना होगा इस शर्त की वजह से इजारा फ़ासिद होगा और जिन दिनों पानी न था उसका किराया वाजिब न होगा पानी जारी रहने के ज़माने की उजरते मिस्ल वाजिब होगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– कपड़ा सीने को दिया था यह कहता है मैंने क़मीस़ सीने को कहा था दर्ज़ी कहता है अचकन सीने को कहा था या रंगने को दिया, यह कहता है मैंने सुर्ख़ रंगने को कहा था। रंगरेज़ कहता है ज़र्द रंगने के लिये कहा था तो कपड़े वाले का क़ौल क़सम के साथ मोअ्तबर है और जब उसने क़सम खाई तो इख़्तियार है कि अपने कपड़े का तावान ले या उसी को ले ले, और उजरते मिस्ल देदे। (हिदाया)

मसअ्ला.5:– अगर मालिक कहता है 'मैंने मुफ़्त सीने या रंगने के लिये दिया था और सीने वाला या रंगने वाला कहता है 'उजरत पर दिया था तो इसमें भी कपड़े वाले का क़ौल मोअ्तबर है मगर जबकि इस शख़्स का पेशा यह है और उजरत पर काम करना मारूफ़ व मशहूर है और उसका हाल यही बताता है कि उजरत पर काम करता है कि दुकान उसने इसी काम के लिये खोल रखी है तो ज़ाहिर हाल यही है कि उजरत पर उसने काम किया है लिहाज़ा क़सम के साथ उसी का क़ौल मोअ्तबर है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– अभी काम किया ही नहीं है और यही इख़्तिलाफ़ हुए तो दानों पर हलफ़ है और पहले मुस्ताजिर पर क़सम दी जायेगी क़सम खाने से जो इन्कार करेगा उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला होगा और दोनों ने क़समें खालीं, तो अ़क़्द फ़स्ख़ कर दिया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मोहतार)

मसअ्ला.7:– एक चीज़ उजरत पर ली और अभी उसमें तसर्रुफ़ भी नहीं किया है कि मालिक और मुस्ताजिर में इख़्तिलाफ़ होगया मुस्ताजिर कहता है 'उजरत पाँच रूपये है और मालिक दस रूपये बताता है जो गवाह पेश करे, उसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला होगा और दोनों ने गवाह पेश किये तो मालिक के गवाह पर फ़ैसला होगा और अगर किसी के पास गवाह नहीं हैं तो दोनों पर हलफ़ है और मुस्ताजिर से पहले क़सम खिलाई जाये अगर दोनों क़सम खा जायें इजारा फ़स्ख़ कर दिया जाये। (ख़ानिया)

मसअ्ला.8:– मुद्दते इजारा या मुसाफ़त के मुतअ़ल्लिक़ इख़्तिलाफ़ है उसका भी वही हुक्म है मगर इस सूरत में मालिक को पहले क़सम दी जाये और दोनों गवाह पेश करें तो मुस्ताजिर के गवाह मोअ्तबर होंगे। (ख़ानिया)

मसअ्ला.9:–मुद्दत और उजरत दोनों बातों में इख़्तिलाफ़ है। मुस्ताजिर कहता है दो महीने के लिये मैंने दस रूपये किराये पर मकान लिया और मालिक कहता है 'एक माह के लिए बीस रूपये पर अगर दोनों गवाह पेश करें तो जिसके गवाह ज़्यादा बताते हैं उसकी बात मोअ्तबर है यानी दो माह के लिये बीस रूपये इजारा क़रार दिया जाये और अगर कुछ मुद्दत तक इन्तिफ़ाअ् (फ़ायदा उठाने) के बाद इख़्तिलाफ़ हुआ या कुछ मुसाफ़त तय कर लेने के बाद इख़्तिलाफ़ हुआ तो दोनों पर हल्फ़ देकर आइन्दा के लिये इजारा फ़स्ख़ कर दिया जाये और गुज़िश्ता के मुताल्लिक़ मुस्ताजिर का क़ौल माना जाये। (ख़ानिया)

मसअ्ला.10:– मालिक मकान के गवाहों से साबित किया कि यह मकान तीन माह के लिये तीन रूपये महीना किराये पर दिया है और मुस्ताजिर कहता है छः माह के लिये एक रूपया महीना किराये पर लिया है और यह भी गवाह पेश करता है तो तीन महीने का किराया नौ रूपये देना होगा और तीन महीने का किराया तीन रूपये एक रूपया माहवार किराया देना होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– कितना हिस्सा मकान का किराये पर दिया है उसमें इख़्तिलाफ़ है और मकान में रहने से क़ब्ल यह इख़्तिलाफ़ हुआ तो दोनों पर हल्फ़ होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– उजरत क्या चीज़ थी उसमें इख़्तिलाफ़ है या उजरत अज़ क़बीले नक़्द है उसकी

सिफ़त इख़्तिलाफ़ है दोनों पर हल्फ़ है और अगर उजरत गैर नुकूद से हो तो उसकी मिक़दार या जिन्स में इख़्तिलाफ़ की सूरत में दोनों पर क़सम है और अगर उसकी सिफ़त में इख़्तिलाफ़ है तो मुस्ताजिर की बात क़सम के साथ मोअ्तबर है। (आलमगीरी)

इजारा फ़स्ख़ करने का बयान

मसअ्ला.1:– इजारे में ख़्यारे शर्त हो सकता है लिहाज़ा मुस्ताजिर ने इजारे में तीन दिन का ख़्यार अपने लिये रखा तो अन्दुरूने मुद्दत इजारे को फ़स्ख़ कर सकता है। मकान किराये पर लिया था और मुद्दत के अन्दर उसमें सुकूनत की ख़्यार जाता रहा। अब फ़स्ख़ नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– मालिक मकान ने अपने लिये ख़्यारे शर्त रखा था और अन्दुरूने मुद्दत मुस्ताजिर उस मकान में रहा, उसका किराया उसके ज़िम्मे लाज़िम नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– मुस्ताजिर को तीन दिन का ख़्यार था उसने तीसरे दिन इजारे को फ़स्ख़ कर दिया तो दो दिन का किराया उसके ज़िम्मे लाज़िम नहीं। (रद्दुल'मोहतार)

मसअ्ला.4:– इजारे में ख़्यारे रोयत (चीज़ को देख लेने का इख़्तेयार) भी हो सकता है। जिस मकान को किराये पर लिया उसको किरायेदार ने देखा नहीं है तो देखने के बाद इजारा फ़स्ख़ करने का उसे ख़्यार हासिल है और अगर पहले किसी वक़्त में उस मकान को देख चुका है तो ख़्यारे रोयत नहीं मगर जबकि उसमें कोई हिस्सा मुन्हदिम होगया है जो सुकूनत के लिये मुज़िर है तो अब देखने के बाद इजारे को फ़स्ख़ कर सकता है। (आलमगीरी) यह हम पहले बयान कर चुके हैं कि जिन कामों में महल (जगह) के इख़्तिलाफ़ से इख़्तिलाफ़ होता है उनमें चीज़ को देखने के बाद अजीर (किराये पर लेने वाले) को इख़्तियार होता है जैसे कपड़े का धोना या सीना।

मसअ्ला.5:– रुई धुनने के लिए नद्दाफ़ (रुई धुन्ने वाले) से तय किया कि इतनी रुई की यह मज़दूरी होगी उसको देखने के बाद नद्दाफ़ को इख़्तियार नहीं होगा। हाँ अगर तय करने के वक़्त उसके पास रुई ही नहीं है तो इजारा सही ही न हुआ। यूँही धोबी से थान धोने के लिये तय किया और थान उसके पास नहीं है तो इजारा जाइज़ नहीं है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– इजारे में मुस्ताजिर को ख़्यारे ऐब (चीज़ में ऐब पाये जाने पर छोड़ देने का इख़्तेयार) भी होता है। जिस तरह बैअ् में मुश्तरी को ख़्यारे ऐब होता है मगर बैअ् में अगर क़ब्ज़ा करने के बाद ऐब ज़ाहिर हुआ तो जब तक राज़ी न हो या क़ाज़ी हुक्म न दे दे मुश्तरी (ख़रीदार) वापस नहीं कर सकता और क़ब्ज़े से क़ब्ल तन्हा मुश्तरी वापस करने का इख़्तियार रखता है, और इजारे में क़ब्ज़े से पहले और बाद दोनों सूरतों में मुस्ताजिर वापस करने का इख़्तियार रखता है, न मालिक की रज़ा'मन्दी की ज़रूरत है, न क़ाज़ी के हुक्म की ज़रूरत है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– मकान किराये पर लिया और उसमें कोई ऐब है जो सुकूनत के लिये ज़रर'रसाँ(हानिकारक) है मसलन उसकी कोई कड़ी टूटी हुई है या इमारत कमज़ोर है तो वापस कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– मुस्ताजिर ने बा'वजूद ऐब के उससे नफ़ा उठाया तो पूरी उजरत देनी होगी यह नहीं हो सकता कि नुक़सान के मुक़ाबिल में कुछ उजरत कम करे और अगर मालिक ने चीज़ में जो कुछ नुक़सान था उसे ज़ाइल, ख़त्म कर दिया मसलन मकान टूटा, फूटा था ठीक करा दिया तो अब मुस्ताजिर को फ़स्ख़ करने का इख़्तियार न रहा। (हिदाया)

मसअ्ला.9:– बैल किराये पर लिया था कि उससे रोज़ाना इतना खेत जोता जायेगा या चक्की में इतना आटा पीसा जायेगा, अब देखा तो इस बैल से इतना काम नहीं हो सकता मुस्ताजिर को इख़्तियार है कि उसे रखे या वापस करदे अगर रखेगा तो पूरी उजरत देनी होगी, वापस करेगा जब भी उस दिन का किराया देना होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– चन्द क़तआते ज़मीन (कुछ ज़मीन के टुकड़े) एक अक़्द से इजारे पर लिये और बाज़ को देखा ना'पसन्द आया, सब का इजारा फ़स्ख़ कर सकता है क्योंकि यहाँ एक ही अक़्द है। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.11:– जिस इजारे में मुस्ताजिर को अपनी कोई चीज़ बिगै़र एवज़ हलाक करना होता है बिगै़र उज़्र भी मुस्ताजिर को ऐसा इजारा फ़स्ख़ करने का इख़्तियार हासिल होता है मस्लन किताबत या'नी लिखने पर इजारा किया तो लिखवाने वाले को कागज़ और कातिब को रोश्नाई ख़र्च करनी होगी या ज़राअ़त (खेती) के लिये ज़मीन को इजारे पर लिया है। खेत बोने में ग़ल्ला ज़मीन में डालना होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– जिस ग़र्ज़ के लिये इजारा हुआ वह ग़र्ज़ ही बाक़ी न रही या शरअ़न ऐसा उज़्र पैदा होगया कि अ़क़्दे इजारे पर अ़मल न होसके तो इन सूरतों में इजारा बिगै़र फ़स्ख़ किये ख़ुद ही फ़स्ख़ होजायेगा। मस्लन किसी अ़ज़ू में ज़ख़्म है जो सरायत कर रहा है अन्देशा है कि अगर इस अ़ज़ू को न काटा गया तो ज़्यादा ख़राबी पैदा होजायेगी, या दाँत में दर्द था और जर्राह़ या डॉक्टर से अ़ज़ू काटने या दाँत उखाड़ने के लिये इजारा किया, मगर उसके अ़मल से क़ब्ल ज़ख़्म अच्छा होगया और दाँत का दर्द जाता रहा इजारा फ़स्ख़ होगया, यहाँ शरअ़न अ़मल ना'जाइज़ है क्योंकि बिला वजह अ़ज़ू का काटना या दाँत उखाड़ना दुरुस्त नहीं या किसी ने अपने मदयून (क़र्ज़मन्द) की तलाश करने के लिये जानवर किराये पर लिया उसको ख़बर मिली थी कि फ़ुलाँ जगह है या कोई लड़का या जानवर भाग गया है उसको तलाश करने के लिये सवारी किराया की, और जाने से पहले मदयून या वह भागा हुआ ख़ुद ही आगया इजारा फ़स्ख़ होगया कि अब वहाँ जाने का सबब ही बाक़ी न रहा। इसको गुमान हुआ कि मकान की इमारत कमज़ोर होगई है कहीं गिर न पड़े, किसी शख़्स को गिराने के लिए अजीर किया फिर मा'लूम हुआ कि इमारत में ख़राबी नहीं है इजारा फ़स्ख़ होगया या दा'वते वलीमा के लिये बा'वर्ची को खाना पकाने के लिये मुक़र्रर किया और दुल्हन का इन्तिक़ाल होगया इजारा फ़स्ख़ होगया कि इन सूरतों में वह ग़र्ज़ ही बाक़ी न रही, जिसके लिये इजारा किया था। (ख़ानिया)

मसअ्ला.13:– जिस अ़क़्दे इजारे पर अ़मल करना शरअ़ के ख़िलाफ़ न हो मगर इजारा बाक़ी रखने में कुछ नुक़्सान पहुँचेगा तो वह ख़ुद ब'ख़ुद फ़स्ख़ नहीं होगा बल्कि फ़स्ख़ करने से फ़स्ख़ होगा फिर इसमें दो सूरतें हैं कहीं तो उज़्र ज़ाहिर होगा और कहीं मुश्तबा हा़लत होगी और अगर उज़्र बिलकुल ज़ाहिर है जब तो वह साह़िबे उज़्र ख़ुद ही फ़स्ख़ कर सकता है, और मुश्तबा हा़लत में हो तो रज़ा'मन्दी या क़ाज़ी के हुक्म से फ़स्ख़ होगा। (रद्दुल'मोह्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– ऐब की वजह से उस वक़्त इजारे को फ़स्ख़ किया जा सकता है जब मनफ़अ़त फ़ौत (फ़ायदा ख़त्म होना) होती हो मस्लन मकान मुन्हदिम होगया, पनचक्की का पानी ख़त्म होगया, खेत के लिये पानी न रहा कि ज़राअ़त होसके और अगर ऐसा ऐब है कि बिला मुज़र्रत (बिना नुक़सान) मनफ़अ़त हा़सिल की जा सकती है तो फ़स्ख़ करने के लिये यह उज़्र नहीं मस्लन ख़िदमतगार की एक आँख जाती रही, या उसके बाल गिरगये, या मकान की एक दीवार गिरगई मगर सुकूनत के लिये मुज़िर नहीं(आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– थोड़ा सा पानी है कि तमाम खेतों की आबपाशी नहीं कर सकता मज़ारेअ़ को इख़्तियार है अगर चाहे कुल का इजारा फ़स्ख़ करदे। और नहीं फ़स्ख़ किया तो उस पानी से जितने खेत की आबपाशी कर सकता है उनका लगान वाजिब है बाक़ी का नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– पनचक्की का पानी बन्द होगया और वह पनचक्की वाला मकान सुकूनत के क़ाबिल भी है जिसमें किरायेदार की सुकूनत रही और अ़क़्दे इजारे में सुकूनत भी दाख़िल थी तो अगरचे चक्की का किराया नहीं देना होगा मगर सुकूनत का किराया देना होगा या'नी किराये का जितना हि़स्सा सुकूनत के मुक़ाबिल है वह देना होगा। (रद्दुल'मोह्तार, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– मकान की मरम्मत उसकी छत पर मिट्टी डलवाना, खपरैल छवाना, परनाला दुरुस्त कराना, ज़ीना दुरुस्त कराना, रोशनदान में शीशा लगाना और मकान के मुता़ल्लिक़ हर वह चीज़ जो सुकूनत के मुख़िल (ख़लल डालने वाली) हो ठीक करना मालिक मकान के ज़िम्मे है। अगर मालिक मकान ठीक न कराये तो किरायेदार मकान छोड़ सकता है, हाँ अगर ब'वक़्ते इजारा मकान उसी

हालत में था और देख भाल कर किराये पर लिया तो फ़स्ख़ नहीं कर सकता कि किरायेदार उन उयूब पर राज़ी होगया। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअला.18:– किराये के मकान में कुआँ है, उसमें से मिट्टी निकलवाने की ज़रूरत है, मिट्टी पट जाने की वजह से पानी नहीं देता, या मरम्मत कराने की ज़रूरत है, यह भी मालिक के ज़िम्मे है। मगर मालिक उन कामों पर मजबूर नहीं किया जा सकता और अगर किरायेदार ने उन कामों को खुद कर लिया, तो तबर्रोअ़ है मालिक से मुआवज़ा नहीं ले सकता, न किराये से यह मसारिफ़ वज़ा कर सकता है यह अल'बत्ता है कि अगर मकान वाला इन कामों को न करे तो यह मकान छोड़ सकता है चह'बचह (छोटा हौज़) या नालियों को साफ़ कराना किरायेदार के ज़िम्मे है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.19:– किरायेदार ने मकान ख़ाली करदिया, देखा गया, तो मकान में मिट्टी, ख़ाक, धूल राख, पड़ी हुई है उनको उठवाना और साफ़ कराना किरायेदार के ज़िम्मे है और चह'बचह पटा पड़ा है तो उसको ख़ाली कराना किरायेदार के ज़िम्मे नहीं। (रद्दुल'मोहतार)

मसअला.20:– दो मकान एक अक़्द में किराये पर लिये थे उनमें से एक गिर गया, किरायेदार दूसरे को भी छोड़ सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.21:– मालिक मकान के ज़िम्मे दैन है जिसका सुबूत गवाहों से हो, या खुद उसके इक़रार से और उस मकान के सिवा दूसरा माल नहीं जिससे दैन अदा किया जाये तो इजारा फ़स्ख़ करके उस मकान को बेचकर दैन अदा किया जायेगा। यूँही अगर मालिक मकान मुफ़लिस होगया उसके लिये और बाल बच्चों के लिए कुछ खाने को नहीं है उस मकान को बेच सकता है। क़ाज़ी इस बैअ़ के निफ़ाज़ का हुक्म देगा उसी के ज़िम्न में इजारा फ़स्ख़ होजायेगा। इसके लिए दूसरे हुक्म की ज़रूरत नहीं। (रद्दुल'मोहतार, दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.22:– मालिक मकान पेशगी किराया ले चुका है और वह इतना है कि मकान की क़ीमत को मुस्तग़रक़ है तो अगरचे उसके ज़िम्मे दुयून (क़र्ज़) हों उनके अदा करने के लिये मकान नहीं बेचा जायेगा और इजारा फ़स्ख़ नहीं किया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.23:– दुकानदार मुफ़लिस होगया कि तिजारत नहीं कर सकता, दुकान का इजारा फ़स्ख़ करने के लिये उज़्र है कि दुकान को किराये पर रखकर अब क्या करेगा। इसी तरह जो दर्ज़ी अपना कपड़ा सीकर बेचता है जैसा कि शहरों में इस क़िस्म के दर्ज़ी भी हैं जो सदरी वग़ैरा सीकर बेचा करते हैं उसका मुफ़लिस होजाना भी दुकान का इजारा फ़स्ख़ करने के लिये उज़्र है और जो दर्ज़ी दुकान पर दूसरों के कपड़े सीते हैं उनके लिये सुई और क़ैंची के सिवा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। उनका मुफ़लिस होजाना फ़स्ख़ इजारे के लिये उज़्र नहीं है हाँ अगर लोगों में इसकी ख़्यानत मशहूर होगई हो और कपड़े देने से गुरेज़ करते हों कि अगर हज़्म कर गया तो उसके पास माल भी नहीं है जिससे तावान वसूल करें तो अब दुकान छोड़ने के लिए उज़्र होगया। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.24:– जिस बाज़ार में दुकान है वह बाज़ार बन्द होगया कि वहाँ अब तिजारत हो ही नहीं सकती, यह भी दुकान छोड़ने के लिये उज़्र है और अगर बाज़ार चालू है मगर यह दुकानदार दूसरी दुकान में मुन्तक़िल होना चाहता है जो इससे ज़्यादा कुशादा है, या उसका किराया कम है और उस दुकान में भी यही काम करेगा जो यहाँ कर रहा है तो दुकान नहीं छोड़ सकता और अगर दूसरा काम करना चाहता है इस लिये उसको छोड़कर दूसरी दुकान में जाना चाहता है और यह काम पहली दुकान में नहीं होसकता तो उज़्र है और पहली में भी होसकता है तो उज़्र नहीं है। (रद्दुलमोहतार)

मसअला.25:– न दुकानदार मुफ़लिस हुआ न बाज़ार बन्द हुआ बल्कि वह अब यह काम करना ही नहीं चाहता कि दुकान की ज़रूरत हो, यह भी दुकान छोड़ने के लिये उज़्र है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.26:– किरायेदार अब दूसरे शहर में जाना चाहता है यहाँ की सुकूनत तर्क करना चाहता है कि अकसर मुलाज़िमत पेशा को पेश आता है कि कभी एक शहर में रहे, फिर दूसरे शहर को चले

गये, यह फ़स्ख़े इजारे के लिये उज़्र है और मालिक मकान परदेस जाना चाहता है तो उसकी जानिब से इजारे को फ़स्ख़ नहीं किया जा सकता कि इसकी जानिब से यह उज़्र नहीं है और अगर मालिक मकान यह कहता है कि किरायेदार ने मकान छोड़ने का यह हीला तराशा है, वह परदेस नहीं जाना चाहता तो किरायेदार पर क़सम दी जायेगी कि उसने सफ़र में जाने का मुस्तहकम, पक्का इरादा कर लिया है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.27:– जिन दो शख़्सों ने अक़्दे इजारा किया, उनमें एक की मौत से इजारा फ़स्ख़ हो जाता है जबकि उसने अपने लिये इजारा किया और अगर दूसरे के लिये इजारा किया, मस्लन वकील कि मुवक्किल के लिये इजारा करता है और वसी कि यह यतीम के लिये, या मुतावल्ली वक़्फ़ इनकी मौत से इजारा फ़स्ख़ नहीं होता। (हिदाया)

मसअ्ला.28:– मक्का–ए–मुअ़ज़्ज़मा या मदीना–ए–मुनव्वरा या किसी दूसरी जगह किराये के जानवर पर जा रहा है और सवारी का मालिक मरगया अगर इजारे के फ़स्ख़ का हुक्म दिया जाये तो यह शख़्स बियाबान और जंगल में क्योंकर सफ़र क़तअ् करेगा और वहाँ क़ाज़ी या हाकिम भी नहीं, कि मय्यित का क़ायम मक़ाम होकर इजारे का हुक्म दे तो जब तक ऐसे मक़ाम पर न पहुँच जाये जहाँ क़ाज़ी वग़ैरा हों उस वक़्त तक इजारा बाक़ी रहेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.29:– आक़ेदैन (दो अ़हद करने वाले) कि मजनून होजाने से इजारा फ़स्ख़ नहीं होता। अगरचे जुनूने मुतबक़ हो यूँही मुर्तद् होने से फ़स्ख़ नहीं होता। (रद्दुलमोहतार, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.30:– जिस चीज़ को इजारे पर लिया था मुस्ताजिर उसका मालिक होगया इजारा जाता रहा मस्लन मालिक ने उसे चीज़ हिबा करदी है या उसने ख़रीदली या किसी तरह उसकी मिल्क में आगई। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.31:– मालिक के मरने के बाद किरायेदार मकान में रहता रहा तो जब तक वारिस मकान ख़ाली करने के लिये न कहेगा या दूसरी उजरत का मुतालबा न करेगा इजारा फ़स्ख़ होना ज़ाहिर न होगा अगर वारिस ने ख़ाली करने को कहा, मालूम हुआ कि उस अ़क़्द पर राज़ी नहीं है और अगर दूसरी उजरत तलब की जब भी मालूम हुआ कि अ़क़्दे साबिक़ के हुक्म को तोड़ना चाहता है और जदीद अ़क़्द करना चाहता है लिहाज़ा वारिस के कहने से पहले या ख़ाली करने को जो कहा है उससे पहले जितने दिन रहा, उसी हिसाब से उजरत देगा जो मूरिस से तय हुई और उसके कहने के बाद जितने दिन रहेगा उसकी उजरते मिस्ल वाजिब होगी। (रद्दुलमोहतार, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.32:– मालिक ज़मीन मरगया और खेत अभी तैयार नहीं है तो वही उजरत दी जायेगी जो तय हो चुकी है और अगर मुद्दते इजारा ख़त्म होचुकी और फ़सल तैयार नहीं हुई तो जब तक खेत नहीं कटेगा उस वक़्त तक की उजरते मिस्ल दिलाई जायेगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.33:– मालिक के मरने के बाद वारिस् और मुस्ताजिर इजारा–ए–साबिक़ा के बाक़ी रहने पर राज़ी होजायें यह जाइज़ है यानी तआ़ती के तौर पर इनके माबैन उसी उजरते साबिक़ा पर जदीद इजारा क़रार पायेगा यह नहीं कि वही पहला इजारा बाक़ी रहे क्योंकि वह तो मालिक के मरने से ख़त्म होगया। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.34:– दो मूजिर हैं या दो मुस्ताजिर, इनमें से एक मरगया तो जो मरगया उसके हिस्से का इजारा फ़स्ख़ है और जो ज़िन्दा है उसके हिस्से में इजारा बाक़ी है और अगरचे यहाँ शुयूअ् पैदा हो गया मगर चूँकि तारी है इजारे के लिए मुज़िर नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.35:– आज कल लोग दवामी इजारा करते हैं जिसका मतलब यह है कि वह इजारा मूजिर व मुस्ताजिर के वुरसा में मुन्तक़िल होता रहेगा। मौत से भी वह फ़स्ख़ न होगा यह इजारा फ़ासिद है। इसी तरह इजारे में ऐसे शराइत ज़िक्र किये जाते हैं जो मुक़तज़ा–ए–अ़क़्द के मुख़ालिफ़ होते हैं वह इजारे फासिद हैं।

मसअ्ला.36:– इस ज़माने में इजारे की एक सूरत यह भी पाई जाती है कि इजारे का एक मोअ्तदबिह (लम्बा ज़माना) ज़माना गुज़र जाने के बाद मुस्ताजिर उस चीज़ पर ज़बरदस्ती क़ाबिज़ हो जाता है कि मालिक चाहे भी तो तख़्लिया नहीं करा सकता इसकी मिसाल काश्तकारी की ज़मीन है कि मालिक ज़मीन यानी ज़मीनदार काश्तकार से अपनी ज़मीन को वापस नहीं ले सकता न किसी के मरने से यह इजारा फ़स्ख़ होता है बल्कि इस इजारे में मीरास् जारी होती है यह शरअ् के ख़िलाफ़ है।

मसअ्ला.37:– इजारा कर लेने के बाद दूसरा शख़्स बहुत ज़्यादा उजरत देने को कहता है या मुस्ताजिर से दूसरा शख़्स कम उजरत पर चीज़ देने को कहता है इजारा फ़स्ख़ करने के लिये यह उज़्र नहीं अगरचे वह बहुत ज़्यादा देता हो या यह बहुत कम उजरत माँगता हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.38:– सवारी का जानवर किराया पर किया था उसके बाद ख़ुद एक जानवर ख़रीद लिया यह उज़्र है और इजारा फ़स्ख़ किया जा सकता है और अगर इससे बेहतर सवारी किराये पर लेना चाहता है यह फ़स्ख़ के लिये उज़्र नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.39:– काश्तकार ने ज़राअ्त के वास्ते खेत लिये थे और बीमार होगया कि खेती नहीं कर सकता अगर वह ख़ुद अपने हाथ से काश्त करता है तो बीमारी फ़स्ख़े इजारे के लिये उज़्र है और अगर अपने हाथ से नहीं करता तो उज़्र नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.40:– एक शख़्स जो काम करता है उसी काम के लिये किसी से इजारा किया कि मैं तुम्हारा यह काम करूँगा अब वह शख़्स इस काम को बिल्कुल छोड़ देना चाहता है फ़स्ख़े इजारे के लिए यह उज़्र नहीं, हाँ अगर वह ऐसा हो जो इसके लिए मायूब (ऐबदार) समझा जाता है मस्लन एक इज़्ज़तदार शख़्स ने ख़िदमतगारी की नौकरी की और अब उस काम ही को छोड़ना चाहता है तो यह उज़्र है। (आलमगीरी)

इजारा के मुतफ़र्रिक़ मसाइल

मसअ्ला.1:– मोची को जूते बनाने के लिये अपने पास से चमड़ा दिया और उसकी पैमाइश देदी और यह बतादिया कि कैसा होगा और कहदिया कि अस्तर और तला अपने पास से लगा देना और उजरत भी तय होगई। यह जाइज़ है, और दर्ज़ी को अबरे का कपड़ा देदिया, और कह दिया कि अपने पास से अस्तर वग़ैरा लगादेना इसमें दो रिवायतें हैं एक यह कि जाइज़ है दूसरी यह कि ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– कभी बाज़ लोग अजीर से यूँ काम कराते हैं कि तुम यह काम करो, इसकी उजरत जो कुछ दूसरे लोग बता देंगे मैं देदूँगा या फुलाँ के यहाँ जो उजरत मिली है मैं दे दूँगा यह इजारा फ़ासिद है कि उजरत का तअय्युन नहीं हुआ फिर अगर किसी शख़्स ने दोनों के इत्तिफ़ाक़ से उसकी मज़दूरी जाँचकर बताई जिसपर अजीर राज़ी नहीं है तो उजरते मिस्ल दीजायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– ज़मीने इजारा में सेठे वग़ैरा ऐसी चीज़ें थीं जिनको काटने के बाद जो जड़ें बाक़ी रह गई हैं उनमें आग देदी जाती है उसने आग देदी और उससे दूसरे लोगों का नुक़सान हुआ मस्लन आग उड़कर किसी के खेत में गई और उसका खेत जलगया मगर उस वक़्त हवा चल रही थी तो आग देने वाले पर तावान है और अगर हवा नहीं थी उस वक़्त उसने आग दी, बाद में हवा चलगई और दूसरे की चीज़ को नुक़सान पहुँचा तो उसपर तावान नहीं। आरियत की ज़मीन का भी यही हुक्म है। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– शबे बरात में या दूसरे मौक़े पर बाज़ लोग मरे छछूंदर (एक क़िस्म की आतिशबाज़ी) या और इसी क़िस्म की आतिशबाज़ियां छोड़ते हैं, यह फ़ेल हराम सर्फ़े बेजा (बेकार का ख़र्च) है इससे कभी कभी यह नुक़सान भी पहुँच जाता है कि छप्परों में आग लगजाती है या किसी के कपड़े जल जाते हैं बल्कि कभी जानें भी तल्फ़ होजाती हैं उस शख़्स पर तावान लाज़िम होगा कि जब वह आतिशबाज़ी उड़ने वाली है और उसने छोड़ी तो वैसा ही है जैसा हवा चलने के वक़्त किसीने आगदी।

मसअ्ला.5:– अगर उड़कर इतनी ही दूर पहुँची कि इतनी दूर आदतन उड़कर नहीं पहुँचती और नुक़सान हुआ तो तावान नहीं। (रद्दुल'मोहतार)

मसअ्ला.6:– रास्ते में आग का अंगारा डाल दिया या ऐसी जगह डाला कि वहाँ डालने का उसको हक़ न था और नुक़सान हआ तो तावान है मगर जबकि वहाँ रखने से नुक़सान नहीं हुआ बल्कि हवा उड़ाकर लेगई और किसी को नुक़सान पहुँचा तो तावान नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– लोहार ने भट्टी से लोहा निकालकर कूटा उसके कूटने से चिंगारी उड़ी और राहगीर का कपड़ा जल गया लोहार को ज़मान देना होगा इस चिंगारी से किसी की आँख फूट गई, दियत वाजिब होगी और अगर उसने लोहा निकालकर रखा था हवा से चिंगारी उड़ी और किसी चीज़ को जलाया तो तावान नहीं। (रद्दुल'मोहतार, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– अपने खेत में पानी ज़्यादा दिया कि ज़मीन बरदाश्त न कर सकी वह दूसरे खेत में पहुँचा, और उसका नुक़सान होगया तावान देना होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– दर्ज़ी या किसी काम करने वाले ने अपनी दुकान पर दूसरे को बिठा लिया कि जो काम मेरे पास आये, वह तुम करो और उजरत को हम दोनों निस्फ़ निस्फ़ कर लेंगे, यह ना'जाइज़ है। (हिदाया) यह भी हो सकता है कि जिसको बिठाया है वह एक काम करता है और ख़ुद दूसरा काम करता है मसलन रंगरेज़ ने अपनी दुकान पर दर्ज़ी को बिठालिया। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– जम्माल (शुत्रबान) से मक्का–ए–मुअज़्ज़मा या कहीं जाने के लए ऊँट किराया किया कि उस पर महमल रखा जायेगा और दो शख़्स बैठेंगे यह इजारा जाइज़ है। ऐसा महमल ऊँट पर रखा जायेगा जो वहाँ का उ़र्फ़ है और अगर इजारा करते वक़्त ही उसे महमल दिखाया जाये तो बेहतर है, यह बात जम्माल के ज़िम्मे है कि महमल को ऊँट पर लादे और उतारे, ऊँट को हांके, या नकेल पकड़कर चले, पाख़ाना, पेशाब या वुज़ू और नमाज़े फ़र्ज़ के लिये सवार को उतरवाये। औरत और मरीज़ और बूढ़े के लिये ऊँट को बिठाये। (रद्दुल'मोहतार, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– तोशा वग़ैरा सामाने सफ़र के लिये ऊँट किराया किया और रास्ते में सामाने सफ़र ख़र्च किया तो जितना ख़र्च किया है, उतना ही दूसरा सामान उसी क़िस्म का उसपर रख सकता है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– ग़ासिब से कहदिया कि मेरा मकान ख़ाली करदे, वरना इतने रूपये माहवार उसकी उजरत देनी होगी अगर उसने ख़ाली न किया तो उस उजरत का मुतालबा होसकता है कि उसका सुकूनत करना, उजरत क़बूल कर लेना है मगर जबकि ग़ासिब ने उसके जवाब में यह कहदिया कि यह मकान तुम्हारा नहीं है, या मिल्क का इक़रार किया मगर उजरत देने से इन्कार कर दिया तो उजरत वाजिब नहीं होगी हाँ अगर वह मकान वक़्फ़ है या यतीम का है, या किराये पर ही देने के लिये है तो ग़ासिब अगरचे उजरत देने से इन्कार करे, उसे किराया देना होगा। (रद्दुलमोहतार, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.13:– ज़मीन जो काश्तकार के पास है और उसे नहीं छोड़ता और मालिक यह चाहता है कि अगर यह छोड़ दे, तो मैं दूसरे को ज़्यादा लगान पर देदूँगा। मालिक उससे यह कह सकता है कि अगर तूने ख़ाली नहीं की तो इतना लगान लूँगा, इस सूरत में यह इज़ाफ़ा उसके लिये जाइज़ होजायेगा।

मसअ्ला.14:– काम करने वाले ने कह दिया कि इस उजरत पर काम नहीं करूंगा मैं इतना लूँगा और काम कराने वाला ख़ामोश रहा वही उजरत देनी होगी जो कारीगर ने बताई फिर उजरत देने के वक़्त जब अजीर ने ज़्यादा का मुतालबा किया और यह कहा कि मैं कह चुका था कि मैं इतने पर नहीं करूंगा और काम लेनेवाला कहता है, मैंने नहीं सुना था कि तूने यह कहा, अगर यह शख़्स बहरा है तो ख़ैर वरना उसी मज़दूर की बात मक़बूल होगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.15:– मुस्ताजिर किराये की चीज़ दूसरे को किराये पर दे सकता है मसलन एक मकान किराये पर लिया और दूसरे को किराये पर देदे, यह होसकता है या ज़मीन ज़राअत के लिये लगान पर ली दूसरे काश्तकार को लगान पर देदे यह हो सकता है जैसा कि अकसर बड़े शहरों में एक

शख़्स पूरा मकान किराये पर लेकर दूसरे लोगों को एक एक हिस्सा किराये पर देता है या देहात में काश्तकार ज़मीन दूसरों को दिया करते हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– मुस्ताजिर ख़ुद मालिक को चीज़ किराये पर दे यह जाइज़ नहीं अगरचे बिल'वास्ता हो मस्'लन ज़ैद ने अपना मकान अम्र को किराये पर दिया, अम्र ने बकर को दिया, बकर यह चाहे कि ज़ैद को किराये पर देदूँ यह नहीं होसकता रहा यह कि मालिक को किराये पर देने से वह पहला इजारा जो मालिक और मुस्ताजिर के माबैन है, बाक़ी रहेगा, या फ़स्ख़ होजायेगा फ़तवा इस पर है कि वह इजारा ब'दस्तूर जारी रहेगा फ़स्ख़ नहीं होगा, मगर वह चीज़ जितने ज़माने तक इस सूरत में मालिक के पास रहेगी उस मुद्दत का किराया मुस्ताजिर के ज़िम्मे वाजिब नहीं होगा। (रद्दुल'मोहतार, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– एक शख़्स ने दूसरे को इजारे पर लेने को वकील किया, वकील ने इजारा किया और मालिक ने वह मकान वकील को सिपुर्द कर दिया मगर वकील ने एक मुद्दत तक मुवक्किल को नहीं दिया और मुवक्किल ने वकील से माँगा भी नहीं तो मालिक मकान वकील से किराया वसूल करेगा क्योंकि अक़्द के हुक़ूक़ वकील ही के ज़िम्मे होते हैं और वकील मुवक्किल से वसूल करेगा। क्योंकि वकील का क़ब्ज़ा मुवक्किल ही का क़ब्ज़ा है और अगर मुवक्किल ने वकील से त़लब किया वकील ने कहा कि पेशगी उजरत देदो तो मकान पर क़ब्ज़ा दूँगा और मुवक्किल ने न उजरत दी न वकील ने क़ब्ज़ा दिया तो इस सूरत में वकील ने किराया जो दिया है। मुवक्किल से वसूल नहीं कर सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.18:– मुफ़्ती फ़तवा लिखने की, यानी तहरीर व किताबत की उजरत ले सकता है, नफ़्से फ़तवे की उजरत नहीं ले सकता इसका मतलब यह है कि काग़ज़ पर इतनी इबारत किसी दूसरे से लिखवाओ तो जो कुछ उजरत उ़रफ़न दीजाती है वह मुफ़्ती भी ले सकता है क्योंकि मुफ़्ती के ज़िम्मे ज़बानी जवाब देना वाजिब है लिखकर देना वाजिब नहीं मगर उजरते तहरीर लेने से भी अगर मुफ़्ती परहेज़ करे तो यही बेहतर, कि ख़्वाह मख़्वाह लोगों को चेह मिगोईयाँ करने का मौक़ा मिलेगा। (दुर्रेमुख़्तार) लोग यह कहेंगे कि फ़तवे की उजरत ली और फ़ुलाँ शख़्स रूपये लेकर फ़तवा देता है वग़ैरा वग़ैरा इससे नज़रे अ़वाम में फ़तवे की बेवक़अ़ती होती है और मुफ़्ती की भी बेइ़ज़्ज़ती है और उ़लमा को ख़ुसूसियत के साथ ऐसी बातों से एह़तिराज़ करना (बचना) चाहिए ख़ुसूसन इस ज़माने में कि जाहिल मौलवियों ने इस क़िस्म के रकीक अफ़्आ़ल करके उ़लमा को बदनाम कर रखा है। उनके अफ़्आ़ल को उ़लमा के अफ़्आ़ल क़रार देकर त़ब्क़–ए–उ़लमा को बदनाम किया जाता है।

मसअ्ला.19:– उजरत पर ख़त़ लिखवाना जाइज़ है जबकि काग़ज़ की मिक़्दार और कितना लिखा जायेगा यह बयान कर दिया हो। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.20:– मुस्ताजिर पर दावा नहीं हो सकता कि हमने यह चीज़ ख़रीदी है या इजारे पर ली है या हमारे पास रहन रखी गई है लिहाज़ा हमको यह चीज़ मिलनी चाहिए क्योंकि मुस्ताजिर मालिक नहीं है कि उस पर ऐन का दावा हो सके। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.21:– इजारा या फ़स्ख़े इजारे की इज़ाफ़त ज़मान–ए–मुस्तक़बिल की त़रफ़ हो सकती है, कह सकता है कि आइन्दा महीने के शुरू से तुमको इजारे पर दिया, या ख़त्म माह से इजारा फ़स्ख़ कर दिया। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.22:– किराया पेशगी देदिया है और इजारा फ़स्ख़ किया गया तो मुस्ताजिर उस चीज़ को रोक सकता है जब तक अपनी कुल रक़म वसूल न करले इजारा सह़ी व फ़ासिद दोनों का यही हुक्म है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.23:– किसी की कोई चीज़ गुम होगई उसने किसी से कहा कि अगर तुम मुझे यह बता दो कि कहाँ है तो इतना दूँगा अगर यह शख़्स उसके साथ चलकर गया और बता दिया तो उसके वहाँ तक जाने की उजरते मिस्'ल मिलेगी और अगर यहीं से बता दिया कि तुम्हारी चीज़ फ़ुलाँ जगह

है उसके साथ गया नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा और अगर किसी ख़ास शख़्स से नहीं कहा, बल्कि आम तौर पर कहा कि जो कोई मुझे बतादे, उसको इतना दूँगा यह इजारा बातिल है बताने वाला किसी चीज़ का मुस्तहिक़ नहीं है और अगर उसे यह मालूम है कि मेरा जानवर या मेरी चीज़ फ़ुलाँ जगह है मगर उस जगह को कोई नहीं पहचानता और उस जगह के बताने पर उजरत मुक़र्रर की तो इस सूरत में बताने वाले को वह उजरत मिलेगी जो मुक़र्रर की है। (रद्दुल मोहतार, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.24:– जो चीज़ उजरत पर दीगई जब उसके इजारे की मुद्दत पूरी होजाये तो मुस्ताजिर के यहाँ से चीज़ वापस लाना मालिक के ज़िम्मे है मुस्ताजिर के ज़िम्मे यह नहीं कि वह चीज़ पहुँचाये और आरियत के तौर पर दी तो वापस करना मुस्तईर का काम है। चक्की उजरत पर एक महीने को आटा पीसने के लिये लेगया तो चक्की का मालिक मुस्ताजिर के यहाँ से लायेगा और अगर मुस्ताजिर बैरूने शहर (शहर से बाहर) मालिक की इजाज़त से लेगया जब भी मालिक ही वहाँ से वापस लायेगा। (आलमगीरी) जैसाकि गाँव वाले गुड़ बनाने के लिये शहर से कढ़ाओ और कोल्हू किराये पर लेजाते हैं और मालिक से कह देते हैं कि फ़ुलाँ गाँव में हम लेजायेंगे इनकी वापसी और उसके मसारिफ़ (ख़र्चे) मालिक के ज़िम्मे हैं।

मसअ्ला.25:– घोड़ा सवारी के लिये किराये पर लिया उसकी वापसी भी मालिक के ज़िम्मे है अगर मालिक उसके यहाँ से नहीं लाया और मुस्ताजिर के यहाँ हलाक होगया, उसके ज़िम्मे तावान नहीं है अगरचे मालिक ने कहला भेजा हो कि इसे वापस कर जाओ और अगर किसी जगह की आमदो रफ़्त के लिये किराये पर लिया है तो मुस्ताजिर को यहाँ तक लाना होगा क्योंकि उसकी मुसाफ़त यहाँ पहुँचने पर पूरी होगी इस सूरत में अगर मुस्ताजिर अपने घर लेकर चला गया और बाँध दिया, जानवर हलाक हुआ तो ज़मान देना होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.26:– अजीरे मुश्तरक मसलन दर्ज़ी, रंगरेज़, धोबी काम करने के बाद चीज़ को दे जायें कि वापस कर जाना, उनके ज़िम्मे है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.27:– जानवर किराये पर लिया है तो उसका दाना, घास, पानी पिलाना, मालिक के ज़िम्मे है और मुस्ताजिर ने अगर जानवर को खिलाया, पिलाया, तो मुतबर्रअ् (नेकी का काम) है मुआवज़ा नहीं पा सकता। खेत की मेंढ़ दुरुस्त कराना मालिक के ज़िम्मे है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.28:– घोड़ा सवारी के लिये किराये पर लिया था रास्ते में वह थक गया किसी शख़्स के सिपुर्द कर दिया कि इसे खिलाओ, पिलाओ, अगर उसको मालूम है कि घोड़ा उसका नहीं है तो जो कुछ ख़र्च करेगा मुतबर्रा है, किसी से नहीं ले सकता और अगर मालूम न हो तो उस कहने वाले से सर्फ़ा वसूल कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.29:– किसी काम पर इजारा मुनअ़किद हुआ तो उसके तवाबेअ् (उसके साथ चीज़ों) में उर्फ़ का एअ्तिबार है, मसलन दर्ज़ी को कपड़ा सीने के लिये दिया तो धागा, सुई दर्ज़ी के ज़िम्मे है और अगर उर्फ़ यह है कि जिसका कपड़ा है वह तागा देगा तो दर्ज़ी के ज़िम्मे नहीं चुनान्चे हिन्दुस्तान में भी बाज़ जगह का यही उर्फ़ है और अकसर जगह पहला उर्फ़ है। ईंटें बनवाईं तो मिट्टी मुस्ताजिर के ज़िम्मे है और सांचा अजीर के ज़िम्मे, और बाज़ जगह सांचा भी मुस्ताजिर देता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.30:– किसी गाँव या मोहल्ला या शहर में जाने के लिये तांगा, यक्का किराये पर लिया तो उसके ज़िम्मे घर तक पहुँचाना है। गाँव या मोहल्ला या शहर में पहुँचा देने पर काम ख़त्म नहीं होगा। (आलमगीरी) लॉरी में यह उर्फ़ है कि अड्डे पर जाकर रूक जाती है इसके ज़िम्मे मकान तक पहुँचाना नहीं है हाँ अगर मोटर कार या लॉरी पूरी किराये पर ली है तो उसका काम अड्डे तक या गाँव तक पहुँचाना नहीं है बल्कि घर तक या जहाँ तक जा सकती हो उसे ले जाना होगा कि इस सूरत में यही उर्फ़ है।

मसअ्ला.31:– कपड़े धोबी को दिये तो कल्फ़ और नील धोबी के ज़िम्मे है कि इसमें यही उर्फ़ है।

जिल्द साज़ को जिल्द बनाने कि लिये किताबें दीं तो पट्ठा, चमड़ा, अबरी, लेई, डोरा यह सब चीज़ें जिल्द साज़ के ज़िम्मे हैं और जिस क़िस्म का सामान लगाना, और जिस क़िस्म की जिल्द बनाना ठहरा वही करना होगा।

मसअ्ला.32:– किसी काम के लिये दो मज़दूर किये मस्लन यह लकड़ियाँ तुम दोनों मेरे मकान तक इतने में पहुंचादो वह कुल लकड़ियाँ एक ही मज़दूर ने पहुँचाईं दूसरा बैठा रहा तो यह मज़दूर निस्फ़ ही उजरत का मुस्तहिक़ है कि दूसरे की तरफ़ से काम करने में मुतबर्रा (नेकी का काम) है लिहाज़ा उसके हिस्से की मज़दूरी का मुस्तहिक़ नहीं हुआ। और दूसरा भी अपने हिस्से की मज़दूरी नहीं ले सकता कि अजीरे मुश्तरक (शिरकत में उजरत पर काम करने वाला) जब तक काम न करे, उजरत का मुस्तहिक़ नहीं होता और अगर दोनों में पहले यह तय है कि हम दोनों शिरकत में काम करेंगे जो कुछ मज़दूरी मिलेगी वह दोनों बांट लेंगे तो दूसरा मज़दूर भी अपनी निस्फ़ मज़दूरी का मुस्तहिक़ है कि उसके शरीक का काम करना ही उसका काम करना है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.33:– चन्द मज़दूर गढ़ा खोदने के लिये या मिट्टी हटाने के लिये रखे, और उस पूरे काम की उजरत तय होगई इन मज़दूरों में से किसी ने काम कम किया, किसी ने ज़ाइद सब पर वह उजरत बराबर तक़सीम होगी हाँ अगर मज़दूरों में बहुत तफ़ावुत है मस्लन बाज़ जवान हैं, बाज़ बच्चे, और बच्चों ने कम काम किया है तो बराबर बराबर तक़सीम नहीं होगी बल्कि इस पूरी उजरत को उजरते मिस्ल पर तक़सीम किया जायेगा। बच्चों को दो आने यौमिया मिलते हैं और जवान को चार आने तो इस उजरत की तक़सीम इस तरह की जाये कि जवान को बच्चे से दूनी मिले और अगर मज़दूरों में से बाज़ ने मर्ज़ या किसी उज़्र की वजह से काम नहीं किया तो यह हिस्सा लेने के हक़दार नहीं हैं मगर जबकि काम करने में इनकी शिरकत हो तो काम न करने की सूरत में भी हिस्सा पायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.34:– किरायेदार के साथ मालिक मकान भी घर में रहता रहा तो किरायेदार उतने हिस्से मकान की उजरत कम कर सकता है जितने में मालिक रहा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.35:– मज़दूर से कहा, फ़ुलाँ जगह से जाकर एक बोरी ग़ल्ला की ले आ इतनी मज़दूरी दूँगा मज़दूर वहाँ गया मगर ग़ल्ला वहाँ था ही नहीं जिसको लाता तो उस मज़दूरी को जाने और आने और बोझ पर तक़सीम किया जाये, जाने के मुक़ाबिल में मज़दूरी का जो हिस्सा पड़े वह मज़दूर को दिया जाये क्योंकि मज़दूर के तीन काम थे वहां जाना, और वहाँ से बोझ लेकर आना, इस सूरत में सिर्फ़ एक काम यानी जाना मज़दूर ने किया, और आना उसका खुद अपना काम है। मुस्ताजिर का काम नहीं है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.36:– मज़दूर को कहीं भेजा कि वहाँ से फ़ुलाँ को बुला लाओ वह गया, और वह शख़्स नहीं मिला, उसको उजरत मिलेगी क्योंकि मज़दूर को जो कुछ इस सूरत में काम करना है यही है कि वहाँ तक जाये वह कर चुका।

विला का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ वजल्ल फ़रमाता है।

"जिन से तुमने मुआहिदे किये हैं उनका हिस्सा उन्हें दो बेशक अल्लाह हर चीज़ पर गवाह है"।

हदीस् (1) अबू दाऊद ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम् ने "जिसने बिग़ैर इजाज़त अपने मौला के किसी क़ौम से मवालात की उसपर अल्लाह की और फ़िरिश्तों और तमाम इन्सानों की लानत क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला न उसके फ़र्ज़ क़बूल करेगा, न नफ़्ल"।

हदीस् (2) इमाम अहमद ने जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि फ़रमाया नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम् ने "जिस शख़्स ने अपने मौला के सिवा दूसरे से मवालात की,

उसने इस्लाम का पट्टा अपने गले से निकाल दिया"।

हदीस (3) तबरानी व इब्ने अदी ने अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "जो किसी के हाथ पर ईमान लाये उसकी विला उसी के लिये है"।

हदीस (4) असहाबे सुनने अरबअ व इमाम अहमद व हाकिम वगैरहुम ने तमीम दारी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम से इसके मुताल्लिक सवाल हुआ कि एक शख़्स ने दूसरे के हाथ पर इस्लाम क़बूल किया, फ़रमाया कि वह सब से ज़्यादा हक़दार है ज़िन्दगी में भी, और मरने के बाद भी।

मसअला.1:– एक शख़्स आक़िल, बालिग़ किसी के हाथ पर मुशर्रफ़ ब'इस्लाम हुआ उस नो मुस्लिम ने उससे या किसी दूसरे से मवालात की, यानी यह कहा, कि अगर मैं मर जाऊँ तो वारिस तू है और मुझसे कोई जनायत हो तो दियत तुझे देनी होगी उसने क़बूल कर लिया यह मवालात सही है। इसका नाम मौलल मवालात है और दोनों जानिब से भी मवालात होसकती है यानी हर एक दूसरे से, कहे कि तू मेरा वारिस होगा और मेरी जनायत की दियत देगा और दूसरा क़बूल करे उसके लिये शर्त यह है कि मौला अरब में से न हो। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.2:– ना'बालिग़ मुशर्रफ़ ब'इस्लाम हुआ और उसने मवालात की यह ना'जाइज़ है अगरचे अपने बाप या वसी की इजाज़त से की हो और आक़िल, बालिग़ ने ना'बालिग़ आक़िल से मवालात की और उसके बाप या वसी ने इजाज़त देदी हो तो मवालात जाइज़ है। यूँही अगर गुलाम ने मवालात की, तो उसके मौला की इजाज़त पर मौक़ूफ़ है वह जाइज़ कर देगा जाइज़ होगी वरना नहीं। (रद्दुल'मोहतार)

मसअला.3:– जिस शख़्स से उसने मवालात की है अब यह (मौला अस्फ़ल) इस विला को फ़स्ख़ करना चाहता है तो उसकी मौजूदगी में फ़स्ख़ कर सकता है यानी उसको इल्म होजाना ज़रूरी है क्योंकि यह अक़्द ग़ैर लाज़िम है। तन्हा फ़स्ख़ कर सकता है दूसरे की रज़ा'मन्दी ज़रूरी नहीं और अगर दूसरे से मवालात करली तो पहली मवालात फ़स्ख़ होगई इसमें इल्म की ज़रूरत नहीं कि दूसरे से अक़्द करने ही से पहली मवालात ख़ुद ब'ख़ुद फ़स्ख़ होगई मगर शर्त यह है कि उसने उसकी तरफ़ से दियत अदा न की हो और अगर उसने किसी मुआमले में दियत देदी है तो अब न फ़स्ख़ कर सकता है, न दूसरे से मवालात कर सकता है बल्कि उसकी औलाद की तरफ़ से भी अगर उसने दियत देदी जब भी फ़स्ख़ नहीं कर सकता, न दूसरे से मवालात कर सकता है। (हिदाया)

मसअला.4:– मवालात करने के वक़्त जो उसके बालिग़ बच्चे हैं या उस अक़्द के बाद जो पैदा हुए, सब इस विला में दाख़िल हैं। बालिग़ औलादों से इस अक़्द का ताल्लुक़ नहीं यानी यह दूसरे से मवालात कर सकते हैं। (रद्दुलमोहतार)

मसअला.5:– मौलल एताक़ा यानी वह गुलाम जिसे मौला (मालिक) ने आज़ाद कर दिया है वह दूसरे से मवालात नहीं कर सकता। (हिदाया)

मसअला.6:– मवालात का यह हुक्म है अगर जनायत करे तो दियत लाज़िम होगी और इनमें से कोई मरजाये तो दूसरा वारिस होजाता है मगर उसका मर्तबा तमाम वारिसों से मुअख़्ख़र (बाद) है। जब कोई वारिस न हो यानी ज़विल अरहाम भी न हों तो यह वारिस होगा। (हिदाया)

मसअला.7:– औरत ने मवालात की या मवालात का इक़रार किया और उसके साथ कोई बच्चा मजहूलुन नसब (जिस का नसब का पता न हो) है या मवालात के बाद पैदा हुआ यह बच्चा भी अक़्दे मवालात में दाख़िल है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.8:– मर्द ने इस्लाम क़बूल करके एक शख़्स से मवालात की और औरत ने इस्लाम लाकर दूसरे से मवालात की तो इन दोनों से जो बच्चा पैदा होगा उसका ताल्लुक़ बाप के मौला से होगा। माँ के मौला से नहीं होगा। (आलमगीरी)

अनुवादक
मुहम्मद अमीनुल क़ादरी
मो0:– 09219132423